खण्ड-352, अंक-5
सोमवार, 30 भाद्रपद, शक संवत् 1903
(21 सितम्बर, 1981 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 352 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..	861–865
प्रश्नोत्तर	..	867–956
कमेटियां, जिनमें विधायक सदस्य हो सरकारी अधिकारियों को अध्यक्ष न बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष द्वारा शासन का ध्यान कर्षण	..	957
भूतपूर्व सदस्य श्री गया प्रसाद सिंह के निधन पर शोकोद्गार शोकोद्गार सम्बन्धी प्रस्ताव नेता सदन द्वारा न रखे जाने पर व्यवस्था का प्रश्न	..	957–960
फैजाबाद निवासी, श्री देवेन्द्र कुमार, श्री रमाशंकर व श्री कुलदीप का अपहरण एवं उनकी हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	960–961
जनपद चमोली एवं पौड़ी-गढ़वाल में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से वितरित की जा रही चीनी में मिलावट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	961
अनुपा शुगर मिल, बिलारी, जिला मुरादाबाद की मरम्मत में विलम्ब के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	961–962
प्रतापगढ़ में शान्ति-व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	962
प्रदेश में आलू के भाव में मंदी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	962–963
आजमगढ़, देवरिया व गोरखपुर के बीच घाघरा द्वारा कटान से कतिपय ग्रामों को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	963
कतिपय सदस्यों द्वारा विधान सभा सदस्य श्री राधेश्याम पटेल को स्ट्रेचर पर सदन में लाने पर उत्पन्न अव्यवस्था	..	964–965
विधान सभा सदस्य, राधेश्याम पटेल की पिटाई होने से सम्बन्धित पुलिस कर्मचारियों को दंडित किये जाने की मांग (जारी)	..	965–984
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (बारहवां संशोधन) नियमावली, 1981 (सदन के पटल पर रखी गयी)	..	985
उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति केन्द्रीयित सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1981 (सदन के पटल पर रखी गयी)		985
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम, लखनऊ का 21वां वार्षिक लेखा विवरण 1978–79 (सदन के पटल पर रखा गया)	..	985

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश सहकारी प्रसंस्करण इकाई और कोल्ड स्टोरेज केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1981 (सदन के पटल पर रखी गयी ..	985
उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक नियमावली, 1971 से सम्बन्धित शुद्धि-पत्र (सदन के पटल पर रखा गया) ..	985–986
उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1977 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	986
उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1979 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	986
लघु उद्योग निगम लि0 का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन, 1977–78 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	986
कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई के सम्बन्ध में सूचनाएं (जारी) ..	986–990
विधान सभा सदस्य, श्री राधे श्याम पटेल को पिटाई होने से सम्बन्धित पुलिस कर्मचारियों को दंडित किये जाने की मांग..	990–992
सदन के कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले सदस्यों के सदन से निष्कासन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	992
श्री यदुनाथ का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	992–993
कतिपय सदस्यों का सदन से निष्कासन तथा दर्शक दीर्घा खाली कराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	993–996
कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई के संबंध में सूचनायें ..	997
उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	997
उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	997–998
उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1981–82) का, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1975–76 (सिविल) पर आधारित प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	998
उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1981–82) का, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1974–75 (राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित, प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	998
उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1981–82) का, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1975–76 (राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	999
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सिविल रिपोर्ट्स पर आधारित लोक लेखा समिति (1981–82) का प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	999–1000

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री सरदार सिंह का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	1000
श्री मोहन सिंह का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	1000
श्री विजय सिंह राना का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	1001
श्री कुबेर भंडारी का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	1001
श्री किरनपाल सिंह का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	1001–1002
श्री छत्तर सिंह का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	1002
श्री राम स्वरूप निम का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	1002
श्री खैरुल बशर का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	1002–1003
श्री गोपी नाथ वर्मा का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	1003
श्री हुकुम सिंह का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	1003
श्री चन्दन सिंह का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	1004
श्री बदन सिंह का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	1004
श्री हरिवंश सहाय का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	1004
श्री मोती लाल देहलवी का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	1005
श्री भगवानदीन कुशवाहा का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	1005
श्री धनीराम वर्मा का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	1005
श्री फिरंगी प्रसाद विशारद का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	1006
श्री राम बक्श वर्मा का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	1006
श्री शंकर सिंह का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	1006
कतिपय सदस्यों को सदन से निलम्बित किये जाने पर आपत्ति ..	1007–1008
आज सदन की कार्यवाही 6 बजे के बाद चलाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	1008–1012
किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एंड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) विधेयक, 1981 (विचारोपरान्त पारित) ..	1310–1018
उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 1981 (विचारोपरान्त पारित) ..	1018–1020
लोकदल द्वारा चलाये जा रहे सत्याग्रह आन्दोलन के सिलसिले में सत्यग्रहियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में वक्तव्य	1020–1021
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें ..	1021–1922
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	1022

विषय	पृष्ठ संख्या
अन्नू खेड़ा, जिला एटा में कुख्यात डाकुओं द्वारा एक थानेदार सहित 11 पुलिस कर्मियों तथा अनेक ग्रामीणों की हत्या के सम्बन्ध मे नियम 501 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	1022–1024
बहराइच जिले के कैसरगंज थाने की पुलिस द्वारा लोकदल के कार्यकर्ताओं की पिटाई किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	1024–1025
भूतपूर्व मन्त्री श्री प्रभू नारायण सिंह के पुत्र श्री अरविन्द सिंह के ऊपर हुए प्राणघातक हमले के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	1025–1026
सदन द्वारा पारित श्री राम बक्श वर्मा के निलम्बन के प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	1026
नत्थियां	1027–1047

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 21 सितम्बर, 1981

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--366

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री उर्फ अनिल सिंह (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खारा) (उर्फ सुत्तन भैय्या)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (कानपुर)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला, देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कल्याण सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुंबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री उर्फ बालराज (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्ण वीर सिंह, श्री (बदायूं)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीन, श्री (अलीगढ़)
गंगासागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)

गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
सरदार चंचल सिंह गिल, श्री (रामपुर)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायण, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जगदीश सिंह। श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जीराज सिंह भौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पान्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल श्री (हरदोई)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया)
(उर्फ लाल बाबू)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परभाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)

फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भोला लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद, श्री (एटा)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)

मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री, (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)

राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पान्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टेहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
बिमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कठेरिया, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री (बांदा)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
बीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिवदर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर श्री (फैजाबाद)
शोनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखबीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)

सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पलीवाल, श्री (जालौन)
सुबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरनरायन सिंह, श्री (रायबरेली)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिबंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 21 सितम्बर, 1981 ई0

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सीतापुर जनपद के महमूदाबाद क्षेत्र में विकास प्रदर्शनी पर हुआ व्यय

*1--श्री श्यामलाल बाजपेयी (अनुपस्थित)--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि सीतापुर जनपद के महमूदाबाद क्षेत्र में हुई विकास प्रदर्शनी पर कितना राजकीय धन व्यय हुआ? उसकी उपलब्धियां क्या हुयीं? क्या शासन बाराबंकी जनपद के सूरतगंज ब्लाक में 18-1-81 को हुई विकास प्रदर्शनी के व्यय का विवरण देंगे? क्या यह सत्य है कि विकास प्रदर्शनी को साज-सज्जा हेतु मार्ग बनाने में सैकड़ों छोटे किसानों की खड़ी फसलें कटवा दी गयीं? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को फसल का मुआवजा अदा करेगी?

पंचायत राज एवं ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

सीतापुर जनपद के महमूदाबाद क्षेत्र में हुई विकास प्रदर्शनी पर 5,289.35 रु0 का राजकीय धन व्यय हुआ।

क्षेत्रीय जनता प्रदर्शनी से अत्यन्त प्रभावित हुयी और उसे विभिन्न विकास कार्यों में शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की जानकारी हुयी। इसका प्रत्यक्ष उपलब्धि यह हुयी है कि नवीनतम विकास विधियों की ओर जनता की रुचि आकृष्ट हुई और वे ग्रामीण विकास के नवीन ढंगों को अपनाने हेतु विकास कार्यकर्त्ताओं से सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं।

जी हां, बाराबंकी जनपद के सूरतगंज ब्लाक में 18 जनवरी, 1981 को हुयी विकास प्रदर्शनी पर 14,833.12 रुपया का व्यय हुआ है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विभाग में सीड स्टोर इंचार्जों की सेवा समाप्ति

*2--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि कृषि विभाग में वर्ष 1976-77 में कितने सीड स्टोर इंचार्जों की सेवायें समाप्त कर दी गयी? सेवा समाप्ति का आधार क्या रहा? क्या ऐसे कर्मचारियों की भी सेवायें समाप्त कर दी गयीं जिनके सेवा सम्बन्धी मामले न्यायालय में विचाराधीन थे?

कृषि मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह)--

वर्ष 1976-76 में 67 सीड स्टोर इंचार्जों की सेवायें उत्तर प्रदेश अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत समाप्त की गयी थी तथा 36 सीड स्टोर इंचार्जों की सेवायें अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत समाप्त की गयी थीं। इनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं रह गयी थी।

जी नहीं ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि 1976-77 में ऐसे कितने लोगों की लिस्ट बनायी गयी थी जिनकी सेवायें समाप्त की गयी । क्या यह सही है कि जिन लोगों ने 20 हजार से 3 लाख तक का गबन किया था उनको नहीं निकाला गया और जिन्होंने 5 हजार से 20 हजार तक का गबन किया था उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयीं ?

श्री भानु प्रताप सिंह---

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि 67 सीड स्टोर इंचार्जों की सेवायें समाप्त की गयी । आपका प्रश्न 1976-77 से सम्बन्धित है इसलिये मैंने उसी वर्ष में निकाले जाने वाले लोगों की संख्या बतायी ।

श्री नन्द किशोर सिंह---

मैं मान्यवर, यह जानना चाहता हूं कि सन् 1976-77 में आपके विभाग से कितने लोगों को नोटिस दी गयी ? क्या यह सही है कि 5 हजार से 20,000 के बीच जो 250 लोग थे उनको निकाल दिया गया और उससे ऊपर यानी 20 हजार से साढ़े तीन लाख तक जिन लोगों ने गबन किया था, उनको इसलिये नहीं निकाला गया कि चूंकि उसमें तत्कालीन मन्त्री का एक सम्बन्धी भी था, क्या यह सच है ? उस लिस्ट में कितने लोग थे ?

श्री भानु प्रताप सिंह---

मान्यवर, लिस्ट में कितने लोग उस वक्त थे उसकी जानकारी मेरे पास इस समय नहीं है लेकिन जो आपने सन् 1976-77 के बारे में प्रश्न किया है उसी वर्ष का उत्तर मैंने आपको दिया है ।

श्री रियासत हुसैन---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 67 सीड स्टोर इंचार्ज निकाले गये और कुछ के केसेज सब-जुडिस थे । मैं जानना चाहता हूं कि उनके अन्तिम निर्णय क्या हुये अभी तक उनकी फाइलों में कुछ कार्यवाही हुयी कि नहीं ?

श्री भानु प्रताप सिंह---

मान्यवर, 1976-77 में 68 आदमियों की लिस्ट बनायी गयी और उसमें से 67 आदमियों को निकाला गया । अड़सठवां आदमी जहां तक मैं समझता हूं माननीय सदस्य मुरादाबाद इसी व्यक्ति के लिये शायद चिंतित हैं । उसका नाम इसलिये इसमें शामिल नहीं किया गया क्योंकि उनका केस कोर्ट में चल रहा था ।

श्री हुकम सिंह---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कुल कितने अधिकारियों को 1976-77 में सेवा समाप्ति के नोटिस दिये गये और जिन लोगों के खिलाफ नोटिस दिये गये थे उनके नोटिस रद्द करने का क्या कारण थे और जो अड़सठवां व्यक्ति था जिसका मामला सब-जुडिस था उसका क्या तय हुआ ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

आप 68 वें व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं ?

श्री हुकम सिंह--

कुल कितने व्यक्तियों की सेवा समाप्ति के नोटिस दिये गये और जो 68वां व्यक्ति छोड़ दिया गया था उसका क्या हुआ ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मैंने यही निवेदन किया आपके माध्यम से कि 67 व्यक्तियों को वर्ष 1976-77 में निकाला गया और 68 वें व्यक्ति को इसलिये छोड़ दिया था कि उसका कोर्ट में केस विचाराधीन था लेकिन उस व्यक्ति की बाद में सेवायें समाप्त कर दी गयी क्योंकि उस पर 11,173 रु0 का मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन था। उस व्यक्ति ने चूंकि वाद दायर किया था इससिये 67 में वह शामिल नहीं किया गया। आप जानना चाहते हैं कि कुल कितने लोगों को नोटिस दिये गये। मेरा निवेदन है कि 103 व्यक्तियों को दिया गया था और इनमें मि0 परशुराम, जथौली, जिला जालौन के सम्बन्ध में 26-11-76 को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा नियमावली के अधीन आदेश पारित किया गया किन्तु इन आदेशों को 1977-78 में प्रभावी किया गया तथा श्री मिश्र की सेवायें दिनांक 1-7-77 को समाप्त हुई। चूंकि मूल प्रश्न 1976-77 के संदर्भ में है तथा श्री परशुराम मिश्र की सेवायें दिनांक 1-7-77 को समाप्त हुई यद्यपि आदेश 1976-77 में ही पारित हुए थे इसलिए मूल प्रश्न में इस मामले को शामिल नहीं किया। बाद में इस व्यक्ति को रि-इनस्टेट कर दिया गया क्योंकि कोर्ट में मामला तय नहीं हुआ।

(व्यवधान)

बीच में रि-इनस्टेट कर दिया गया और बाद में सेवा समाप्त कर दी गयी थी। उनका वाद आज भी न्यायालय में चल रहा है।

श्री विजय सिंह राना--

जो कर्मचारी कोर्ट में गया वह किस आधार पर गया है कोर्ट में जाने का क्या आधार था ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, कोर्ट में जाने का आधार यह है कि जब किसी व्यक्ति को शासन के आदेश पसंद नहीं आते हैं तो वह कोर्ट में चला जाता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

(श्री विजय सिंह राना के खड़े होने पर)

कोर्ट में जाने का आधार बताया कि शासन के आदेश पसन्द नहीं आये तो वह कोर्ट में चले गये।

श्री विजय सिंह राना--

जब और लोग भी निकाले गये तो वे क्यों नहीं गये ?

श्री अध्यक्ष--

कोर्ट में कौन गया और कौन नहीं गया इसका मंत्री जी क्या जवाब देंगे ?

श्री विजय सिंह राना--

पत्रावली इनके पास है । उसमें देख कर बता सकते हैं ।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि जिनकी सेवायें समाप्त की गईं, वे सभी लोग ट्रिब्युनल में गये थे और वहां से सब लोग रि-इनस्टेट कर दिये गये हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मैंने कहा था कि 67 लोगों को निकाला गया था ....

श्री हरिवंश सहाय--

मैंने यह नहीं कहा । मैंने कहा कितने लोग ट्रिब्युनल मे गये और क्या ट्रिब्युनल ने उन सबको रि-इनस्टेट कर दिया ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

आपने यह जानना चाहा कि जिन लोगों को रि-इनस्टेट किया गया ....

श्री हरिवंश सहाय--

यह नहीं । जिन लोगों को आपने निकाला है, उसमें से कितने लोग ट्रिब्युनल में गये थे ? क्या यह सही है कि जो लोग ट्रिब्युनल में गये उनको रि-इनस्टेट कर दिया गया है और यह सब लोग सरकारी खजाने से कुर्की द्वारा पैसा बरामद कर रहे हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

तो मान्यवर, आप इसे स्थगित कर दीजिए ?

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से यह स्थगित तो अपने आप हो गया है ।

[सोमवार, 21 सितम्बर, 1981 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न ।]

*1--श्री बलदेव सिंह आर्य--

[4थे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*2--श्री मोती लाल देहलवी तथा श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

[14वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

पशुधन विकास अधिकारी को जनपद बहराइच में वितरण हेतु घुनी चरी का बीज

*3--श्री जटा शंकर सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 16 तथा 17 फरवरी, 1981 अथवा उसके आस-पास पशुधन विकास अधिकारी, जनपद बहराइच को वितरण हेतु घुनी चरी का बीज सप्लाई किया गया ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में और क्यों ?

श्री भान प्रताप सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जटा शंकर सिंह--

मान्यवर, मेरे जनपद में जनवरी-फरवरी माह में सप्लाई किया गया जो चरी का बीज है, वह बहुत घुना हुआ था, जिनका जर्मिनेशन नहीं हुआ है, पशुओं को चारे की बड़ी परेशानी हो गयी है । जनवरी, फरवरी और मार्च के माह में जो बीज सप्लाई किया गया था किसी भी तिथि में वह बीज सप्लाई किया गया, वह तिथि कौन सी थी ? क्या मेरी इस जानकारी को सही मानते हुए माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे और दोषी व्यक्ति को उसका दण्ड दिलायेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, चरी का बीज वर्ष 1981-82 के जायद की फसल के लिए सप्लाई किया गया था । फरवरी, मार्च, अप्रैल में इसको बोते हैं और 42 कुंतल इसकी मात्रा थी । यह बीज जो था, इसकी शुद्धता 96 प्रतिशत थी और अंकुरण क्षमता 94 प्रतिशत थ, क्योंकि बीज जब खरीदे जाते हैं, तो उसके लिए एक समिति बनी हुई है और वह समिति उन बीजों को खरीदने का कम करती है । वह उच्च स्तर पर बीज का सैम्पुल देती है और उसके बाद कृषि विभाग की जो लैबोटरी होती है, उसमें उसका परीक्षण कराया जाता है । उस चरी की अंकुरण क्षमता 94 प्रतिशत थी । यह औसत से बहुत ज्यादा थी और आपका यह कहना कि खराब था, जचा नहीं, इसके तो दूसरे कारण हो सकते हैं, जिसकी वहां गलती हो। मेरे पास जो जानकारी है, बीज खरीदने से पहले उसका परीक्षण कराया गया था ।

श्री जटा शंकर सिंह--

मेरे प्रश्न में यह शिकायत निहित है कि बीज घुना था, जो सप्लाई किया गया और बुरी तरह घुना था । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरी शिकायत के आधार पर इसकी जांच मंत्री जी करायेंगे कि जो बीज सप्लाई किया गया वह घुना था । जो बीज सप्लाई किया गया उसका जरमिनेशन 10 प्रतिशत भी नहीं था ।

श्री भानु प्रताप सिंह--

मुझे बहुत वर्षों से इस बीज के बोने का अनुभव रहा है इसमें घुन खाने की तो गुंजाइश भी नहीं है । वह सिर्फ 3 गुना घुन से बड़ा है । इसके अतिरिक्त पशुधन या कृषि अधिकारी के पास जनता की ओर से कोई शिकायत नहीं आई है ।

मुख्य मंत्री द्वारा देवरिया जाने पर काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत कथित धांधली व अनियमितताओं की जांच का निर्देश

*4—श्री हरिवंश सहाय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत 20 सितम्बर, 1980 को मुख्य मंत्री के देवरिया आगमन पर जन प्रतिनिधियों की मांग पर जिले में विकास खंडों द्वारा काम के बदले अनाज योजना के तहत किए गये निर्माण कार्यों में की गयी धांधली व अनियमितताओं की जांच हेतु सभी विकास खंडों के कागजातों को सील कर देने का आदेश मुख्य मंत्री जी ने दिया था ? यदि हां, तो तथ्य क्या हैं और अब तक कितने मामले प्रकाश में आए हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

दिनांक 20 सितम्बर, 1980 नहीं अपितु 20 दिसम्बर, 1980 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने देवरिया आगमन पर यह निर्देश दिये थे कि सभी विकास खंडों के "श्रम के बदले खाद्यान्न योजना" से सम्बन्धित अभिलेख सील करा कर कब्जे में ले लिये जायं । तदनुसार सभी अभिलेख सील कर दिये गये । इनकी जांच के लिए तकनीकी एवं प्रशासन अधिकारियों की टीमें गठित की गयी हैं और जांच कार्यवाही प्रगति पर है ।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जांच करते हुए डेढ़ साल हो गये हजारों मजदूरों का पैसा आज भी बाकी है, तो किन-किन ब्लाकों की जांच पूरी हो गई है और जिनकी पूरी हो गई है, क्या उनकी मजदूरी दिलाने के लिए आदेश तत्काल आप प्रसारित करने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

श्रीमन्, अभी सम्पूर्ण जांच तो नहीं हो पाई है, लेकिन जिलाधिकारी से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिससे कुछ जानकारियां शासन को मिली हैं कि यह जो काम हुए हैं यह जिला स्टेयरिंग कमेटी की स्वीकृति के बिना हुए हैं । इसलिए यह मामला ऐसा है जिसमें बगैर शासन की स्टेयरिंग कमेटी की स्वीकृति के कार्य कराया गया है, उनके लिए शासन खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत अदायगी करने के लिए बाध्य नहीं है ।

श्री हरिवंश सहाय—

जिन मजदूरों ने इन सड़कों पर काम किया है, उनको यह कहां मालूम था कि यह सड़कें स्वीकृत नहीं हैं, उन्होंने मजदूरी की लेकिन उनको मजदूरी नहीं दी गयी, तो क्या मजदूरों की मजदूरी दिलाने के लिए आप कोई आदेश प्रसारित करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जब अधिकारियों ने किसी जगह काम ही नहीं कराया, कान्ट्रेक्टर से कराया, स्टेयरिंग कमेटी की उसमें स्वीकृति नहीं है तो शासन पैसा कहां से दे देगा ।

श्री लल्लू सिंह चौहान--

माननीय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस जिले से सम्बन्धित यह मामला है क्या उसमें किसी बी0 डी0 ओ0 अथवा ए0 डी0 ओ0 (पंचायत) या किसी अन्य अधिकारी को निलंबित किया गया है ? इसमें किसी न किसी अधिकारी की अवश्य ही जिम्मेदारी रही होगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जिलाधिकारी से जो सूचना प्राप्त हुयी है उससे पता चलता है कि उसमें कुछ काम ऐसे हैं जिन पर न तो किसी अधिकारी ने उस काम के आदेश दिए थे और न उस काम को करने के बाद वेरिफिकेशन ही किया गया था और न ब्लाक में जो रिकार्ड होते हैं, वे ही उपलब्ध हुए हैं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

जब मेट और ठेकेदार ने कहीं पर काम कराना आरम्भ किया तो क्या वहां के ग्राम सेवक, बी0 डी0 ओ0 और ए0 डी0 ओ0 आदि को उसकी जानकारी हुयी कि कौन सा काम होना है कौन-सा नहीं होना है ? यदि सूचना नहीं दी गयी, तो इसमें मजदूरों को क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जब काम बी0 डी0 ओ0 की जानकारी और उसकी स्वीकृति से नहीं हुआ है तो उसको क्या मालूम कि यह काम कैसे हो रहा है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

इनके बी0 डी0 ओ0 आदि क्या इतने निष्क्रिय हो गये हैं कि उन्होंने उस काम को रोका नहीं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री भीखा लाल--

जो काम वहां पर किया गया उसकी स्टीयरिंग कमेटी की स्वीकृति नहीं थी, ब्लाक अधिकारी को कोई उसकी जानकारी नहीं थी, इस निर्णय पर सरकार पहुंच गयी तो फिर अब जांच किस बात की हो रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मुख्य मंत्री जी को शिकायत की गयी, उनको यह बताया गया कि बहुत बड़ा घपला हुआ है तो जो रिकार्ड्स अवेलेबिल थे उनको सील कर दिया गया और जांच हो गयी है । उसके लिए प्रशासनिक व टेक्नीकल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गयी है । जांच इसलिए भी हो रही है कि कुछ मामले ऐसे थे जिनमें स्टीयरिंग कमेटी से स्वीकृति थी और पेमेन्ट नहीं हो पाया था ।

श्री पंचानन राय--

हर जगह पर ग्राम सेवक और पंचायत सेवक होते हैं । तो जब सड़कों पर मिट्टी फेंकी जा रही थी तो क्या कोई उस कार्य को नहीं देख रहा था । क्या मजदूरों ने स्वतः ही काम आरम्भ कर दिया था ? तो क्या सरकार जो कमजोर वर्ग की हिमायती है, इस बात को सुनिश्चित करके जिन लोगों ने काम किया था उनकी मजदूरी दिलाने के लिए कोई उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि इसको

जांच जिले के अधिकारियों से करायी जा रही है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनका इन्वाल्वमेंट रहा होगा । तो क्या माननीय मंत्री जो 2 चीजों को कराने की कृपा करेंगे, एक तो उच्चस्तरीय जांच और दूसरे जिन मजदूरों ने वहां पर काम किया है उनकी मजदूरी दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सम्पूर्ण मामले की जांच हो रही है और अगर कोई अधिकारी दोषी पाया जायेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री शम्भूनाथ--

जिस ब्लाक में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कें बनी उनके मस्टर रोल बने होंगे, एम० बी० में एन्ट्री हुई होगी कि इतने मजदूरों ने काम किया, इतनी मजदूरी दी गयी या देनी है । तो क्या इस प्रकार की रिपोर्ट जिले से आयी है ? यदि हां, तो कब तक उनकी मजदूरी दिलायी जायगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इस प्रकार की कुछ शिकायतें कहीं-कहीं से आयी हैं कि खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत पेमेंट नहीं हो पाया है । तो जहां पर सही काम हुआ है और जो धन मजदूरों की मजदूरी का शेष है उसके लिए अदायगी का पूरा प्रयास किया जायेगा । खाद्यान्न योजना सरकार द्वारा संचालित होती थी । इस प्रकार से सारे केसेज को कैलक्युलेट करके केन्द्रीय सरकार को मामला रेफर किया जायेगा और उनसे पैसा लेने का प्रयास करेंगे ।

श्री शम्भू नाथ--

(× × ×)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपको नहीं बुलाया है, कृपया बैठें ।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मंत्री जी ने बताया कि मेट वगैरह ने काम करवा लिया, मैं जानना चाहता हूं जिन मेटों ने काम करवाया क्या वे अभी भी सेवा में हैं और कितना काम करवाया गया तथा कितने दिन ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मैंने पहले निवेदन किया कि अभी सम्पूर्ण मामले की जांच हो रही है । जहां तक काम का प्रश्न है, मेरी सूचना है कि करीब 60 ब्लाकों में काम हुआ जिनमें 10 ब्लाकों में काम बी० डी० ओ० की सहमति से हुआ, बाकी में सहमति नहीं ली गयी ।

श्री शम्भूनाथ--

(× × ×)

नोट (×××) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

आप बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं, लिखा नहीं जायेगा ।

श्री हुक्म सिंह--

सितम्बर, 1980 में जांच शुरू हुई थी और आज 21 सितम्बर, 1981 है, एक वर्ष हो गया और अभी जांच पूरी नहीं हुई है । यह भी नहीं मालूम कि कितने मजदूरों ने काम किया । अभी बताया कि 10 ब्लाकों में बी० डी० ओ० की स्वीकृति से काम हुआ । तो जिन ब्लाकों में स्वीकृति से काम हुआ है वहां पर मजदूरी देने में क्या कठिनाई है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

उसके लिये शासन पूरा प्रयास कर रहा है मजदूरी दिलाने के लिये ।

श्री मित्र सेन--

यह उस समय मान्यवर, काम हुआ है जब कि भयंकर सूखा पड़ा था, गरीब मर रहा था, उस समय सड़कों पर मिट्टी डालने का काम गरीब मजदूरों से लिया गया था । तो क्या मंत्री जी मिट्टी का आंकलन करवा कर उसके हिसाब से मजदूरी दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मजदूरों से, सरकार को, माननीय सदस्यों से कम लगाव नहीं है । मैंने बताया कि अभी सम्पूर्ण मामले की जांच चल रही है । जिन मजदूरों ने काम किया है, बिना जांच किये, मजदूरी किस हिसाब से दी जाये । यह प्रश्न है । जांच के बाद जब रिपोर्ट आयेगी तभी पता चलेगा कि कितनी मिट्टी पड़ी है, कितना काम हुआ है, कितने का पेमेंट होना है । रिपोर्ट के बाद ही तो पेमेंट हो सकता है ।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे जैसा कि इसमें लिखा है कि सभी विकास खन्डों में जिन सड़कों पर कम जिला परिषद् से हुआ और वह स्टियरिंग कमेटी से स्वीकृत था, उनका पेमेंट क्यों नहीं किया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, कुछ पेमेंट कर भी दिया गया है और कुछ पेमेंट इसलिए नहीं हो पा रहा है कि चूंकि खाद्यान्न नहीं है । यह भारत सरकार की खाद्यान्न योजना थी । हमको उसके लिए पैसे की मांग उनसे करनी पड़ेगी ।

श्री राज कुमार राय--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसे बहुत से सम्मानित सदस्यों ने यह बताया और मेरे क्षेत्र की भी यह समस्या है । इसी तरह बहुत से क्षेत्रों की भी यह समस्या हो सकती है । मजदूरों ने यह समझा कि काम यहां हो रहा है और काम वहां पूरा भी हो गया । आज भी वहां देखने से पता चल सकता है कि क्षेत्रों में काम हो गया है और आज भी उनको मजदूरी उन गरीब मजदूरों को नहीं दी गई । क्या माननीय मंत्री जी या माननीय मुख्य मन्त्री जी जैसे कि वह 20 दिसम्बर को वहां पर

गये थे और कुछ निर्देश भी दिये थे । तो क्या यह सम्भव है कि एक सामान्य आदेश जारी कर दें कि जहां पर इस किस्म के काम आज भी देखने में मलूम पड़ते हैं, उनका पेमेंट करा दिया जाय ।

श्री बलराम सिंह यादव--

हम यह विचार कर रहे हैं कि हम किस तरीके से इसका पेमेंट कर सकते हैं । श्रीमन्, इस तरह की शिकायतें हैं कि जहां पर आप लोगों के टाइम में काम हुआ है आप लोगों ने उनका पेमेंट नहीं किया है ।

जनपद फर्रुखाबाद विकास खन्ड 'हसेरन' को विधूना इन्दरगढ़ मार्ग से जोड़ने हेतु निर्माण कार्य

*5--कुंवर योगेन्द्र सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद का विकास खन्ड 'हसेरन' अपने जनपद के किसी सड़क से जुड़ा है ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या विकास खन्ड के मुख्य लय 'हसेरन' को किसी सड़क से जोड़ने हेतु किसी सड़क का निर्माण कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम सिंह यादव--

विकास खन्ड हसेरन को माननीय सदस्य महोदय की संस्तुति पर विधूना इन्दरगढ़ मार्ग से जोड़ने हेतु 8 कि0 मी0 लम्बे मार्ग पर खंडजा एवं पुलिया का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है ।

उक्त विकास खंड को छिबरामऊ बिधूना मार्ग से जोड़ने के लिए 10·4 कि0 मी0 लम्बे मार्ग में से 4·4 कि0 मी0 मार्ग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्य कराया जा रहा है तथा शेष 6 कि0 मी0 पर मिट्टी तथा खंड़जा लगाने का प्रस्ताव ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अन्तर्गत विचाराधीन है ।

कुंवर योगेन्द्र सिंह--

विकास खन्ड हसेरन, छिबरामऊ के अन्तर्गत आता है । छिबरामऊ जाने के लिए सी0 एस0 डी0 रोड है । छिबरामऊ जाने के लिए विधूना पहुंचना पड़ता है तो वहां पहुंचने के लिए खड़नी को जोड़ना है । यह सड़क का अधिकांश भाग इटावा में पड़ता है थोड़ा सा फर्रुखाबाद में आता है । तहसील तक पहुंचने के लिए भी कोई मार्ग नहीं है । मेरा निवेदन है कि हमारे जनपद के अन्तर्गत विकास खन्ड हसेरन को आज तक किसी सड़क से नहीं जोड़ा गया है । यह अब तक पूरे जनपद के किसी भाग से जुड़ा नहीं है । इसमें खड़नी को जोड़ना है, क्या इसको जोड़ने के लिए विचार करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

खड़नी से जोड़ने के लिए विचाराधीन है ।

विकास खन्ड राजपुर, जिला कानपुर में गोबर गैस प्लान्ट ठीक से न चलने के सम्बन्ध में शिकायतें

*6—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें विकास खंड राजपुर, जिला कानपुर के अन्तर्गत गोबर गैस प्लांट ठीक से न चलने से सम्बन्धित शिकायती-पत्र दिसम्बर, 1980 के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में मुख्य शिकायतें क्या हैं ? और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां ।

मुख्य शिकायतें इस प्रकार थी (1) जिला कानपुर के विकास खन्ड राजपुर में 31 गोबर गैस सयंत्र लगाये गये जिनमें केवल 7 संयंत्र चालू हैं, (2) ग्राम सेवक तथा पंचायत सेवक को जो पुरस्कार मिल उसमें आधा विकास खन्ड अधिकारी ने ले लिया । इन दो बिन्दुओं पर कार्यवाही इस प्रकार है :—

1—विकास खन्ड में 16 गोबर गैस सयंत्र लगाये गये, रिपोर्ट किये थे जो जांच में संख्या में सही पाये गये । गत वर्षा ऋतु में अति वृष्टि के कारण 16 में से 7 सयंत्र खराब हो गये अतः 9 संयंत्र चालू हालत में हैं । खराब संयंत्रों को ठीक कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

2—विकास खन्ड अधिकारी द्वारा ग्राम सेवक व पंचायत सेवक का आधा प्रोत्साहन धन लेने का प्रश्न है वह जांच में सही नहीं पाया गया ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जब 16 में से 7 संयंत्र खराब हो गये, तो क्या इस बात की जांच की गई कि तकनीकी ज्ञान का अभाव था जिससे वह ठीक से नहीं लगाये गये या और कोई खराब होने का कारण था ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

मान्यवर, यह प्रश्न जो श्री वर्मा जी ने पूछा है उसमें दो तरह के संयंत्र हैं । 16 में से 7 संयंत्र खंड विकास अधिकारी की देख-रेख में बने और यह संयंत्र लोहे के जो ऊपर से ड्रम रखे जाते हैं उस तरह के हैं और जो खराब संयंत्र हैं वह बायो गैस गोबर के हैं । दूसरा सिस्टम जो निकला है उसमें जमीन के अंदर होते हैं तो इनमें यदि कोई तकनीकी खराबी हो जाती है या कहीं लीकेज हो सकता है जिससे यह संयंत्र खराब हो गये ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मंत्री जी ने कहा कि लीकेज हो गया जिससे खराब हुये तो क्या यह बात जांच के आधार पर मंत्री जी कह रहे हैं क्योंकि सीमेंट और कांक्रीट के साथ सरिया न लगाने से गैस निकल जाती है । मंत्री जी क्या खराब संयंत्र को ठीक करायेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

माननीय, उनको ठीक कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री रविदत्त शर्मा, सहायक अधीक्षक, सूचना निदेशालय को स्वेच्छा सेवा निवृत्ति तथा पेन्शन का पुनरीक्षण

*7--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सूचना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रवि दत्त शर्मा ने, जो सूचना निदेशालय में सहायक अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे, दिनांक 12-8-75 को स्वेच्छा से अस्वस्थता के आधार पर 55 वर्ष की आयु पर सेवा निवृत्ति प्राप्त कर ली थी ? श्री शर्मा को स्वीकृत 269 रु0 प्रति माह पेन्शन का धनराशि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा किस दिनांक से पुनरीक्षित की गयी थी ? क्या श्री शर्मा ने प्रगति आश्रम हाई स्कूल बाल गंज, लखनऊ में प्रधान लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति की सूचना विभाग को दे दी थी ? यदि नहीं, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की ?

सूचना राज्य मन्त्री (श्री काशी नाथ मिश्र)--

उन्होंने स्वेच्छा से दिनांक 12-8-75 को 55 वर्ष की आयु हो जाने पर सेवानिवृत्ति ग्रहण कर ली थी । किन्तु सेवा निवृत्ति का आधार अस्वस्थता नहीं था । पेन्शन दिनांक 12-8-75 से पुनरीक्षित की गयी थी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय, सम्बन्धित व्यक्ति, श्री रविदत्त शर्मा 55 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त हुये और उनकी पेन्शन भी पुनरीक्षित की गयी । साथ ही उन्होंने प्रगति आश्रम हाई स्कूल बाल गंज, लखनऊ में प्रधान लिपिक के पद पर काम किया । तो मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि हाई स्कूल में काम किया है इसलिए शिक्षा विभाग के नियमों के अन्तर्गत चलने वाले हाई स्कूल में श्री रवि दत्त शर्मा ने ओवर एज में काम किया है, तो क्या उनको आयु में छूट दी गयी थी ? यदि नहीं, तो उनको सेवा में लिये जाने का क्या कारण है ?

श्री काशी नाथ मिश्र--

माननीय, हमारे यहां स्वेच्छा से 55 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त के लिये प्रार्थना-पत्र दिया तो उनको छोड़ दिया गया और उसके बाद उनको कौन ले रहा है उससे शासन से मतलब नहीं है । सेवा से निवृत्त हो गये तो उसके बाद शासन से उनसे मतलब नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय, मन्त्री जी तो अपनी जिम्मेदारी से मुकर गये, यह तो उत्तर हुआ नहीं । सवाल स्पष्ट है कि श्री रवि दत्त शर्मा को सूचना विभाग से पेन्शन मिली रिटायरमेन्ट के बाद उन्होंने सेवा निवृत्ति के बाद दूसरी संस्था में काम किया है और वह पेन्शनर हैं । तो जहां से पेन्शन मिलती है वहां पर उनको सूचना देनी चाहिये दूसरी बात यह है कि माननीय मन्त्री जी अगर गुमराह करना चाहते हैं

तो गुमराह नहीं कर पायेंगे । आपने एक व्यक्ति को 55 साल की आयु हो जाने के बाद सेवा मुक्त कर दिया और उसके बाद वह एक ऐसे स्कूल में कार्य करता है जो शिक्षा के नियमों के तहत चलता है । तो क्या कोई ऐसा प्राविधान है कि शासन के एक विभाग का सेवानिवृत्त व्यक्ति दूसरे विभाग में सर्वित कर सकता है और एक जगह पेन्शन और दूसरी जगह तनख्वाह ले सकता है । अगर ऐसा प्राविधान नहीं है तो जो अवैधानिक ढंग से पैसा दिया गया है क्या उसको वसूल करने पर शासन विचार करेगा ?

श्री काशी नाथ मिश्र--

अध्यक्ष जी, आप भी जानते हैं और सारे माननीय सदस्य भी जानते हैं कि जो व्यक्ति हमारे विभाग से सेवानिवृत्त हो गया वह कहां प्राइवेट संस्थान में काम करता है इसकी जानकारी न उसको देने की जरुरत है और न शासन को लेने की जरुरत है । इससे केवल हमारा पेन्शन का सम्बन्ध है । नौकरी के सम्बन्ध में वह सक्षम है कि नहीं यह उसके सेवायोजक के देखने की चीज है जहां वह नौकरी करता है ।

*8--श्री प्रभू नारायण सिंह--

[5वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

अल्मोड़ा एवं पौड़ी गढ़वाल के कतिपय ब्लाकों में कुरमूला नाशक अभियान का कथित विपरीत अभाव

*9--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि पर्वतीय क्षेत्र के जनपद अल्मोड़ा एवं पौड़ी में शासन द्वारा कुछ विकास खंडों में कुरमूला नाशक अभियान कृषि रक्षा विभाग द्वारा कई वर्ष चलाया गया है किन्तु उससे खरीफ की फसल पर विपरीत असर पड़ा है ? सरकार क्या उक्त कीड़े से खरीफ की फसल को बचाने के लिए नई तकनीकी जांच व निदान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

पर्वतीय क्षेत्र के जनपद अल्मोड़ा एवं पौड़ी गढ़वाल में शासन द्वारा कुछ विकास खण्डों में कुरमुला नाशक अभियान कृषि रक्षा विभाग द्वारा कई वर्ष से चलाया जा रहा है किन्तु उससे खरीफ की फसल पर विपरीत असर नहीं पड़ा है कुलपति, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौदयोगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर नैनीताल को निर्देश दिये गये हैं कि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से इस कीट पर विशेष शोधकार्य करा कर इसके और प्रभावी निदान हेतु अपनी संस्तुति शासन को भेजें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल जनपद में कहां कहां और किन-किन गांवों में कुरमूला नाशक दवा का निःशुल्क छिड़काव किया गया है । दूसरी बात यह है कि इस योजना को चलाने के लिए जो कर्मचारी भेजे गये वह कहां-कहां से भेजे गये ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, विष्ट जी ने भगवान की दया से काफी लम्बी चौड़ा जानकारी चाही है लेकिन मैं विकास खण्डों की बात बता सकता हूं। अल्मोड़ा में सियालदे, चौखटिया शाह, सल्ट, पौड़ी गढ़वाल में बीरखाल, नैनीडांड, थैलीसैण इन्हीं जगहों पर निःशुल्क सेवा चलायी गयी।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मन्त्री जी ने कहा कि दवा का छिड़काव हुआ उसका विपरीत असर नहीं पड़ा तो जिन खेतों में दवा का छिड़काव हुआ है उन खेतों की जांच क्या मन्त्री जी ने करवायी है। दूसरी बात जो मैंने कही थी वह मन्त्री जी ने नहीं बतायी। गांव भी मन्त्री जी ने नहीं बताये और दवा के छिड़काव के लिये कर्मचारी कहां-कहां से भेजे गये यह भी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय इससे है कि जो दवा स्प्रे हुयी है, उससे खेतों की फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ा है या नहीं। तो मैं इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस दवा के छिड़काव से फसल पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। और फसल में किसी प्रकार की कमी या बढ़ोत्तरी इस दवा के कारण नहीं हुयी है।

श्री भोखा लाल--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित जैसा कि उन्होंने कहा कि दवा के छिड़काव से कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा, जिसका अर्थ यह निकलता है कि लाभ हुआ और यदि इस दवा से लाभ होता तो शासन को पंत नगर विश्वविद्यालय को इस आशय की कोई दूसरी दवा के खोज सम्बन्धी आदेश क्यों देने पड़े ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

सम्भवतः माननीय सदस्य इस मामले में कुछ भ्रमित हो रहे हैं और मृग मरीचिका में फंस रहे हैं। यह कुरमुला नाम का एक कीड़ा है, कोई बोमारी नहीं है और इस कीड़े की लम्बाई एक इंच से सवा इंच तक होती है और चौड़ाई लगभग आधा इंच और इस पर जो दवा स्प्रे की जानी होती है, वह 20-25 दिन के अन्दर ही की जानी होती है, इस कीड़े के पता चल जाने पर। इसकी उत्पत्ति बारिश के बाद होती है और 20-25 दिन के अन्दर ही पूरी तरह यह उभर आता है और फसल के पेड़ों पर चढ़ जाता है, यदि उस समय किसान को पता नहीं चला और उसने दवाई का इस्तेमाल नहीं किया तो यह वहीं पर अंडे-बच्चे देने शुरू कर देते हैं और इस प्रकार सब मिलकर पूरी फसल का 25% नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमारी ओर से इस बात के प्रयास जारी है कि गांव-गांव जाकर किसानों को इसकी रोकथाम के बारे में बताया जाय और इसी सिलसिले में पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति को भी आदेश दिये गये हैं कि वह भी इस विषय में कुछ नये प्रयोग करके बतायें ताकि किसानों को समय रहते इस कीड़े से उनकी फसल को बचाने के उपाय बताये जा सकें।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, थोड़ा समय हमें और दें एक बात और पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से क्योंकि इस कुरमुले ने हमारे पहाड़ में सारी फसलों को नष्ट कर दिया है।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

माननीय मंत्री जा के उत्तर से सम्बन्धित जैसा कि स्वयं अपने उत्तर से स्पष्ट किया है कि इस कीड़े ने फसलों को नुकसान पहुचाया है जिसके बचाव के लिये उन्होंने गढ़वाल और पौड़ी के तमाम गांवों में सहायता भी की है तो मैं माननीय मंत्री जा से जानना चाहता हूं और मेरी निश्चित जानकारी है कि ब्लाक खलीसैंण, नैनीडांडा, बीरोंखाल तथा पावर ब्लाक में निरन्तर प्रयास करने के बाद भी पूरी की पूरी फसलें नष्ट हो गयी है और कोई नियंत्रण आपका वहां नहीं है । इसलिए मैं चाहता हूं कि आप तुरन्त अपने अधिकारियों को वहां अभी भी कुछ करवाने के लिए आश्वासन देंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

इस विषय में जानकारी करा लेंगे ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, एक प्रश्न पूछने की अनुमति दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

इस पर काफी अनुपूरक प्रश्न हो चुके हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे । अभी केवल नवें प्रश्न तक ही पहुंचे हैं ।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मान्यवर, हमारी फसल नष्ट हो रही है, हमको आप कहने भी नहीं दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

तदर्थ नियुक्त अनुसूचित जाति के सहायक विकास अधिकारी, पंचायत का विनियमितकरण

*10--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1972 में अनुसूचित जाति के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) पद पर 55 व्यक्तियों को एडहाक बेसिक पर नियुक्तियां दी गयी थी ? यदि हां, तो शासनादेश के अन्तर्गत जिन कर्मचारियों की सेवाएं तीन वर्ष को हो जायेगी उन्हें स्थायी किया जायगा, का परिपालन इन 55 सहायक विकास अधिकारियों के लिए किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां । वर्ष 1972 में जिन 55 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को एडहाक बेसिक पर चुना गया था उनमें से वर्तमान समय में केवल 37 व्यक्ति सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पद पर कार्यरत हैं । इसमें से 25 सहायक विकास अधिकारियों के सम्बन्ध में दिनांक 27 अक्तूबर, 1980 को विनियमितीकरण की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है एवं स्थायीकरण की कार्यवाही की जा रही है । शेष 12 सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) का विनियमितीकरण अभी नहीं हो सका है ।

जिला परिषद् कर्मचारी सेवा-निवृत्ति लाभ नियमावली, 1972 के तहत पेंशन सम्बन्धी सुविधायें

*11--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिला परिषद् इम्प्लाईज रिटायरमेन्ट ऐण्ड बेनीफिट रूल्स, 1972 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सुविधाओं से उन कर्मचारियों को पृथक रखा गया है जो एक जनवरी, 1971 के पूर्व अवकाश प्राप्त कर चुके हैं ? यदि हां, तो इन विसंगति का क्या कारण है और क्या सरकार इसको दूर करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जिला परिषद कर्मचारी सेवा-निवृत्ति लाभ नियमावली, 1972 के नियम संख्या-2 के अन्तर्गत जिला परिषदों के जो कर्मचारी 1-1-71 को अथवा उसके पश्चात सेवा निवृत्त होंगे उनको ही उक्त नियमावली के अन्तर्गत पेंशन सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त होंगी। नियमावली में शासन द्वारा एक विशिष्ट तिथि निर्धारित करना कोई विसंगति नहीं है। अतएव इसे दूर करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस नियमावली के लागू होने पर काफी समय विचार-विमर्श में लगा और काफी पहले से जिला परिषद् के कर्मचारी इन लाभों को मांग कर रहे थे, तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जो कर्मचारी पहले अवकाश प्राप्त कर गए, वे इस लाभ से वंचित कर दिए गए, जोकि उनके साथ स्पष्ट अन्याय प्रतीत होता है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, हम सभी जानते हैं कि जिला परिषदों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, सन् 1971 के बाद से जब से यह नियमावली लागू हुई है, तब से ये सुविधायें दी जा रही हैं, लेकिन अगर इसके पहले की बात करने लगें तो मैं समझता हूं कि यह सम्भव नहीं हो सकेगा, इसलिए कि जिला परिषदों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस विषय में वर्ष 1978 में एक आश्वासन दिया गया था--आश्वासन संख्या 284, जिसमें आश्वासन दिया गया है कि जब 1971 से पहले के टीचिंग स्टाफ को सुविधायें दे दी हैं तो फिर नान-टीचिंग स्टाफ को, जिनकी संख्या बहुत कम है और जिन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है, ये सुविधायें न देने का क्या कारण है ? इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से आंकड़े भी प्राप्त किये गये हैं।

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन दिया गया है या नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य की सूचना को मानकर अगर कोई आश्वासन दिया गया है तो उसे पूरा कराने का प्रयास करूंगा।

एग्रो द्वारा उर्वरक क्रय में दोहरे भुगतान की वसूलियाबी

*12--श्री राम लाल वर्मा--

वर्ष 1979 के द्वितीय सत्र के तीसरे सोमवार के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि एग्रो द्वारा उर्वरक क्रय में 25-26 लाख रुपए के दोहरे भुगतान की वसूलियाबी हो गया है ? यदि हां, तो कब तथा क्या धनराशि एकमुश्त एग्रो को दी गयी अथवा किश्तों में ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस भुगतान के फलस्वरूप निगम को ब्याज स्वरूप कितनी हानि हुई ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

प्रश्नगत दोहरे भुगतान के 25.26 लाख रुपये में से 23.60 लाख रुपये चार किश्तों में 18-6-1979 और 4-12-1979 के बीच प्राप्त हुए (विवरण संलग्न है) शेष 1.66 लाख रुपये का मामला विवादग्रस्त हो जाने के कारण इसकी वसूली हेतु न्यायालय में वाद दायर किया जा चुका है । दोहरे भुगतान के कारण निगम को 4.99 लाख रुपये ब्याज की हानि सम्भावित है जिसे एफ0 सी0 आई0 से पूरा करने को कहा गया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1027 पर ।)

श्री राम लाल वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ब्याज की धनराशि है, उसे जमा कराने की जहमत करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

दोहरे भुगतान के कारण निगम को 4.99 लाख रुपये ब्याज को अगर देने का वायदा किया होता तो फिर क्यों उसे एफ0 सी0 आई0 से पूरा करने को कहा गया होता ।

जिला परिषद् के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु तथा उन्हें राज्य कर्मचारियों के समान सुविधायें देना

*13--मुईद अहमद--

क्या पंचायती राज्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गत सरकार द्वारा जिला परिषद् के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी गयी थी और राज्य कर्मचारियों के समान उनको भी पेंशन आदि की सुविधा दिए जाने का आदेश किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त शासनादेश के अनुसार कार्यान्वयन हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

शासन के पंचायती राज अनुभाग-2 द्वारा प्रसारित अधिसूचना संख्या 582-बी/33-2-190/71, दिनांक 13 मार्च, 1980 द्वारा उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा नियमावली, 1970 के नियम 53 का संशोधन करके 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु को घटाकर 58 वर्ष कर दिया गया है और अधिसूचना संख्या 1867-बी/33-2-2-74, दिनांक 31 जुलाई, 1980 द्वारा जिला परिषद् कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1972 में संशोधन करके पेन्शन आदि की सुविधायें

राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान कर दी गई है, जिसका कार्यान्वयन किया जा रहा है । इस बीच राज्य कर्मचारियों के लिये और भी पेन्शन सुविधायें बढ़ा दी गई हैं, जिसके लिये जिला परिषद् कर्मचारियों हेतु उनकी पेन्शन नियमावली में संशोधन किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय पंचायती राज मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि 13 जुलाई, 1980 को यह संशोधन कर दिया गया कि पेंशन वह राज्य कर्मचारियों के समान उनकी कर दी गयी । वाकई शासन का यह एक सराहनीय कार्य रहा कि पेन्शन राज्य कर्मचारियों के समान जिला परिषद् के कर्मचारियों की कर दी गयी और उसके साथ उनकी सेवा-निवृत्ति की आयु 60 से 58 कर दिया । परन्तु 21 जुलाई को एक आदेश पारित हुआ इस सम्बन्ध में, परन्तु अभी तक उससे कर्मचारी लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, क्या उसके लिये पता करायेंगे कि उसमें इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

यह निर्णय शासन ने लिया है और इसको इम्प्लीमेन्ट जिला परिषदों को करना है । मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी जिससे कि मालूम होता कि इसके अनुसार कार्यवाही नहीं की गयी है ।

उप कृषि निदेशक, गोरखपुर द्वारा अपने पुराने कार्यालय भवन को बढ़कर अधिक किराये पर नया भवन लेने का प्रस्ताव

*14--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ (अनुपस्थित) तथा श्री जमुना प्रसाद (अनुपस्थित)

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में उप कृषि निदेशक का कार्यालय भवन जो 1,400 रु० महीने के किराये पर पहले था को छोड़कर अन्यत्र कहीं 6,000 रु० महीने पर ले लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इसकी स्वीकृति शासन ने कब दी ? क्या यह सत्य है कि वर्तमान भवन उप कृषि निदेशक के किसी रिश्तेदार का है ? यदि हां, तो क्या पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

उप कृषि निदेशक, गोरखपुर द्वारा अपने पुराने कार्यालय भवन को भूतल का क्षेत्रफल कार्यालय की आवश्यकता से बहुत कम होने तथा भवन जर्जर स्थिति के कारण नया भवन 2695 रु० प्रतिमाह किराये पर लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है । प्रस्तावित भवन के मालिकों को उप निदेशक कृषि, गोरखपुर से कोई रिश्तेदारी नहीं बतायी गयी है ।

श्री एच० आर० खां, खंड विकास अधिकारी, नवाबगंज, बहराइच का आहरित वेतन का आधार

*15--श्री मसरूर जाफरी तथा श्री खैरुल बशर--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एच० आर० खां, खण्ड विकास अधिकारी, नवाबगंज, बहराइच को जब उनके पद का चार्ज नहीं

दिया गया और चार्ज सर्टीफिकेट पर हस्ताक्षर नहीं हुए तो उनका माह फरवरी व मार्च, 1981 का वेतन किस आधार पर कोषाधिकारी, बहराइच द्वारा आहरित कराया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव—

श्री एच0 आर0 खांन को खन्ड विकास अधिकारी के पद से प्रशासकीय आधार पर प्रत्यावर्तित करने के आदेश दिये गये थे, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इनके प्रत्यावर्तन आदेश निरस्त करने के फलस्वरूप उक्त निर्णय के अनुपालन में श्री खान को दिनांक 14 फरवरी, 1981 से 31 मार्च, 1981 की अवधि के वेतन का भुगतान तत्कालीन प्रभारी खन्ड विकास अधिकारी द्वारा किया गया ।

*16—श्री नन्द किशोर सिंह—

[5वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

आलू के निर्यातार्थ क्रय केन्द्र खोलने की मांग

*17—श्री राधेश्याम पटेल (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आलू उत्पादक कृषकों को लाभप्रद मूल्य दिलाने हेतु सरकार आलू का निर्यात करेगी ? यदि हां, तो क्या किसानों से सीधी खरीद हेतु क्रय केन्द्र खोलेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

शाहजहांपुर, तहसील तिलहर में कृषि मन्डी समिति के अधिकारियों द्वारा सड़कें बनवाने तथा मरम्मत कराने में धन के गोलमाल सम्बन्धी शिकायत की जांच

*18—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के कृषि मन्डी समिति के अधिकारियों ने तिलहर, मीरानपुर, कटरा तथा खुदागंज की मंडियों में नवीन सड़कों को बनवाने तथा पुरानी सड़कों की मरम्मत में भारी धन का गोलमाल किया है ? यदि हां, तो क्या शासन इसकी शीघ्र ठोस जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी नहीं । कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट सूचना यदि प्राप्त होती है तो जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री सत्यपाल सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में कोई भी शिकायती-पत्र जिलाधिकारी को अथवा एस0 डी0 एम0 को प्राप्त हुए हैं ? यदि प्राप्त हुए हैं तो उसकी जांच किस अधिकारी ने की और उसका आगे नतीजा क्या रहा ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, जब यह प्रश्न मालूम हुआ, तब जब उनसे जिलाधिकारी और एस0 डी0 एम0 से पूछा गया, उनसे हम लोगों ने जानकारी चाही, लेकिन हमें कोई सूचना नहीं मिली जिससे कि पता चले कि जिलाधिकारी को या एस0डी0एम0 को इससे सम्बन्धित सूचनायें प्राप्त हुई हैं ।

*19--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

[15वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

ललितपुर, गाजियाबाद, चमोली, पिथौरागढ़ एवं उत्तरकाशी जिला परिषदों में वित्तीय परामर्शदाता तथा उनके स्टाफ के पदों का सृजन

*20--श्री झिलमिट राम (अनुपस्थित)--

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर, गाजियाबाद, चमोली, पिथौरागढ़ एवं उत्तरकाशी जिला परिषदों में मुख्य वित्त अधिकारी "जिला परिषद्" उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अधिष्ठान के अन्तर्गत अन्य जिला परिषदों की भांति इन जिला परिषदों में वित्तीय परामर्शदाता तथा उनके स्टाफ के पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

जिला परिषदों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु

**1--श्री हरिवंश सहाय--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषदों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 58 वर्ष के उम्र में ही रिटायर कर दिया जाता है जबकि सरकारी विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 साल के उम्र में रिटायर किये जा रहा है ? यदि हां, तो क्या जिला परिषद् कर्मचारियों को भी 60 साल में ही रिटायर किये जाने के प्रश्न पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष किये जाने से सम्बन्धित मामला शासन के विचाराधीन है ।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 18 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या माननीय मंत्री जो बतायेंगे कि जिला परिषद् के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियोंको राजकीय कर्मचारियों के समान जो 60 वर्ष की सेवा अवधि की बात है, यह कब तक विचाराधीन रहेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, कुछ दिन पहले ही घोषणा कर दी है । मामला न्याय विभाग की राय के लिये गया है और उसके बाद निर्णय ले लिया जायेगा ।

श्री हरिवंश सहाय--

इस समय जिनकी उम्र 58 हो गई है वे सेवा निवृत्त हो जायेंगे और अगर उनके आदेश यह हो गये तो क्या उनको पुनः सेवा में ले लिया जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इस पर भी विचार कर लिया जायेगा ।

श्री मित्र सेन--

यह मामला न्यायालय में कब भेजा गया और उस पर अन्तिम निर्णय कब तक सरकार ले लेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

पत्रावली न्याय विभाग को गयी है क्योंकि इस सम्बन्ध में न्याय विभाग से भी राय ली जाती है । शीघ्र ही इस पर निर्णय ले लिया जायेगा ।

ब्लाक स्तर पर परामर्शदात्री समितियों के गठन का प्रारूप

**2--श्री खैरुल बशर--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में ब्लाक स्तर पर परामर्शदात्री की समितियों के गठन का निर्णय शासन ने ले लिया है ? यदि हां, तो इस समिति के गठन का प्रारूप क्या होगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां, तदनुसार समितियां गठित भी कर दी गई हैं । इन समितियों का प्रारूप निम्न प्रकार है :--

(अ) खण्ड विकास अधिकारी इस परामर्शदात्री समिति का संयोजक एवं अध्यक्ष हैं ।

(ब) विकास खण्ड में पड़ने वाले ग्रामों के सभापति इस समिति के सदस्य हैं ।

(स) प्रत्येक न्याय पंचायत क्षेत्र से शासन द्वारा एक गैर सरकारी व्यक्ति इस समिति में मनोनीत किया जायेगा ।

(द) क्षेत्र से सम्बन्धित विधायकों एवं सांसदों को विशेष आमंत्रित महानुभावों के तौर पर बैठकों की सूचना भेजी जायेगी ।

श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे इन परामर्शदात्री समितियों के जो अध्यक्ष हैं, खण्ड विकास अधिकारी हैं, जिनके ब्लाक प्रमुख का चुनाव कब और कैसे कराया जायेगा और कब तक ये उसकी अध्यक्षता करते रहेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

चुनाव का मामला शासन के विचाराधीन हैं और हमारा प्रयास है कि शीघ्रातिशीघ्र चुनाव करा दें ।

श्री भीखा लाल--

आपके माध्यम से मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय के स्पष्ट निर्देश है और मैं समझता हूं कि शासन को भी गये होंगे कि कोई भी माननीय सदस्य ऐसी कमेटियों में सम्मिलित न हों जिनकी अध्यक्षता सरकारी अधिकारी करें और शासन से भी आग्रह किया गया है कि ऐसी कोई भी कमेटी न बनायें जिसमें सदस्य सम्मिलित किये जायें और उसके अध्यक्ष सरकारी कर्मचारी बनाये जायें, इनके अध्यक्ष बी० डी० ओ० बनाये गये हैं और इसमें संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य, सदस्य बनाये गये हैं । तो क्या यह उचित है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

यह सलाहकार समिति है । इसको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है । सिर्फ इसके गठन का उद्देश्य यह है कि चूंकि काफी दिनों से क्षेत्र समितियां गठित नहीं हुई और गांवों के स्तर तक जो लोगों की समस्यायें हैं वे अधिकारी तक पहुंच जायें और अधिकारी उनका निराकरण करें । इस दृष्टिकोण से इसका गठन किया गया है । आप उसको या तो अध्यक्ष समझ लें या समन्वय करने वाला अधिकारी समझ लें । इस पर विचार कर लिया जायेगा यदि इस सम्बन्ध में कोई अध्यक्ष महोदय के आदेश हैं तो इस पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी अध्यक्ष जी के उस आदेश का पालन करने के लिये इस पर तुरन्त आदेश देने का कृपा करेंगे कि इस समिति में जो नान-आफिशियल्स हैं, जैसे प्रधान, एस० पी० या एम० एल० ए० हों उनको उसी तरीके के ऊपर इसमें मनोनीत किया जाय ।

श्री बलराम सिंह यादव--

माननीय सदस्य के इस सुझाव पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता चाहता हूं जैसा कि अपने उत्तर में उन्होंने कहा कि एक-एक ग्राम पंचायत से एक-एक सदस्य को उस समिति में लिया जायेगा तो क्या उस एक-एक व्यक्ति लिये जाने वाले कोटा में हरिजनों और महिलाओं का भी कोई ध्यान रखा जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इसमें माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा और यह कोशिश की जायेगी कि इसमें महिलाओं और हरिजनों को भी लिया जाय ।

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन सुझावों को मंत्री जी ने मानने का आश्वासन दिया है यह सुझाव कब तक सम्मिलित कर लिये जायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, इन सुझावों को यथाशीघ्र सम्मिलित करने का प्रयास किया जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह स्पष्ट किया है कि प्रत्येक न्याय पंचायत से शासन द्वारा एक गैर सरकारी व्यक्ति मनोनीत किया जायेगा । मैं यह जानना चाहूंगा कि इस मनोनयन का आधार क्या होगा और जो नाम समिति द्वारा भेजे जायेंगे उनको वरीयता दी जायेगी या किसी व्यक्ति विशेष द्वारा भेजे गये नामों को वरीयता दी जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जहां तक प्रत्येक ग्राम पंचायत से एक-एक गैर सरकारी सदस्य को मनोनीत किए जाने का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो ग्राम्य विकास में रुचि रखते हैं और जिनको जानकारी है ऐसे लोगों को प्रति न्याय पंचायत से एक-एक व्यक्ति को मनोनीत किया जाय ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये । वर्मा जी, आप बैठें । फिर खड़े हो जाइयेगा ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

ग्राम्य विकास में किसकी रुचि है और किसको अरुचि है यह जानने का मापदण्ड क्या होगा और इसका निर्धारण कौन करेगा और उसके साथ ही साथ आपने यह जो नए सुझावों को सम्मिलित करने का आश्वासन दिया है कि इन सुझावों को मान लेंगे तो जब तक नए राजकीय शासनादेश नहीं निकलते तब तक के लिए क्या आप कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, यह सूचना हमारे सरकारी अधिकारी भी संसद सदस्य और विधान सभा के सदस्य भी दे सकते हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

जो विकास खंड स्तर पर बैठकें हुई उसमें समस्त सदस्यों को, विधायकों को उन बैठकों के जो एजेन्डे प्रसारित किए गए उसमें यह दिया गया है कि शासन

द्वारा मनोनीत किये जाने वाली समिति के सदस्यों पर विचार करने के लिए समिति की बैठक होगी तो वह नाम शासन के पास विभागीय अधिकारी द्वारा भेजे जायेंगे या समिति की बैठक में जो नाम प्रस्तावित किये जायेंगे वह नाम रखे जायेंगे या बाद में मान लीजिए मेरे जैसे किसी सदस्य ने नाम दे दिया तो ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री जी का निर्णय क्या होगा और किसको वरीयता देंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ अधिकारियों के यदि ऐसे कोई विचार या संस्तुतियां आती हैं तो उस पर भी विचार करेंगे और यदि हमारे माननीय सदन के सदस्यों के कोई विचार इस सम्बन्ध में आते हैं तो उन पर भी हम विचार कर लेंगे और यदि समिति की बैठक का कोई निर्णय आता है तो उस पर भी हम विचार करके जिनको ठीक समझेंगे उनको नियुक्त कर देंगे।

(व्यवधान)

(श्री बदन सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय बदन सिंह जी, आप कृपया बैठें।

अतारांकित प्रश्न

गाजीपुर के ब्लाकों में लघु एवं सीमान्त कृषकों की संख्या तथा उन्हें वितरित खाद की मात्रा

1--श्री राम नरायन--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1980 में गाजीपुर जनपद में सभी विकास खण्डों में लघु कृषकों एवं लघु सीमान्त कृषकों की कितनी संख्य जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गयी थी और कितने कृषकों को खाद का वितरण कितनी-कितनी मात्रा में किया गया है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जिला प्रशासन द्वारा वर्ष 1980 में गाजीपुर जनपद के सभी विकास खंडों में लघु कृषकों की संख्या 42320 तथा सीमान्त कृषकों की संख्या 191845 कुल 234165 तैयार की गयी थी तथा 10675 लघु कृषकों एवं 50522 सीमान्त कृषकों कुल 61197 को 9012.845 टन उर्वरक वितरित किया गया है।

दीनदयाल शोध संस्थान, गोंडा द्वारा राजस्व ग्रामों को सिंचित कराने सम्बन्धी प्रचार के विरुद्ध जांच

2--श्री अकबाल हुसैन--

क्या यह सही है कि गोण्डा जनपद के आठ सौ राजस्व गांवों को नानाजी देशमुख द्वारा संचालित दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा पूर्णतयः सिंचित कराया गया है ? यदि ऐसा नहीं है तो सरकार इस संस्थान द्वारा किए जा रहे भ्रामक प्रचार के खिलाफ कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

नोटः अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री बलराम सिंह यादव--

दीनदयाल शोध संस्थान के कथनानुसार संस्थान ने गोंडा जिले में 839 राजस्व ग्रामों को पूर्णतया सिंचित कराया है। इन 839 ग्रामों में जनपद के खंड विकास अधिकारियों ने नमूने के तौर पर मई, 1981 में ऐसे 637 ग्रामों में सत्यापन करके यह पाया कि उन ग्रामों में अल्प सिंचाई कार्य में दीनदयाल शोध संस्थान की उपलब्धियां नगण्य हैं। दीनदयाल शोध संस्थान के कार्य का सम्यक मूल्यांकन करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

देवरिया में खंड विकास अधिकारियों के रिक्त पद

3—श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत कितने विकास खंड ऐसे हैं जहां पर खंड विकास अधिकारी विगत 6 माह से नहीं हैं ? यदि हां, तो कब तक उक्त नियुक्ति हो जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

देवरिया जनपद के चार विकास खंडों में खंड विकास अधिकारियों के पद विगत 6 माह से रिक्त थे जिन पर अब नियुक्तियां कर दी गई हैं अब कोई स्थान रिक्त नहीं है।

देवरिया जनपद में कार्यरत ग्राम सेवक

4--श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री रूद्र प्रताप सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में कितने ऐसे ग्राम सेवक हैं जो पिछले 5 वर्षों से कार्यरत हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

देवरिया जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में 116 ग्राम सेवक पिछले 5 वर्षों से कार्यरत हैं।

भूमि संरक्षण अधिकारी, कप्तानगंज, देवरिया के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच एवं कार्यवाही

5--श्री हरिवंश सहाय--

क्या क्षेत्रीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-2-81 का विषय भूमि संरक्षण अधिकारी, कप्तानगंज, जिला देवरिया के सम्बन्ध में है प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराई गयी ? अगर हां, तो किस अधिकारी के द्वारा तथा उसमें क्या तथ्य प्रकाश में आये।

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां। प्रश्नगत शिकायती पत्र पर उप निदेशक (भूमि संरक्षण) प्रथम देवरिया से जांच कराई गयी। जांच के उपरान्त निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये हैं :--

1--तत्कालीन भूमि संरक्षण अधिकारी, कप्तानगंज, जिला देवरिया ने अपने कार्यकाल में लगभग 1,10,260 रुपये का सामान क्रय किया

जिसके क्रय की कार्यवाही नियमानुसार नहीं की गई । इसके अतिरिक्त त्रिपाल एवं छोलदारी का भी क्रय किया, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ।

2--इन्होंने 5 व्यक्तियों की नियुक्तियां बिना सेवायोजन कार्यालय की सहमति से की । इनमें से 3 व्यक्ति इनके घर के पास तथा 2 व्यक्ति इनके सम्बन्धी थे ।

3--उक्त कर्मचारियों में से श्री नन्हें लाल उपाध्यक्ष को माह जनवरी, 1981 में भूमि संरक्षण निरीक्षक द्वारा वास्तविकता के आधार पर गैर हाजिर दिखाने पर उक्त अधिकारी द्वारा भूमि संरक्षण निरीक्षक का ही उक्त माह का वेतन रोक दिया गया ।

बस्ती में इटावा ब्लाक के कृषि कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान

6--श्री हरिवंश सहाय--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिलान्तर्गत इटावा ब्लाक के कृषि कर्मचारियों का वेतन माह जून, 1980 से नवम्बर, 1980 तक नहीं मिला है तथा वेतन तत्काल भुगतान करने, के आदेश परियोजना अधिकारी बस्ती ने बी० डी० ओ० को दिया है ? यदि हां, तो वेतन कब तक दे दिया जायगा ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां ।

जी हां ।

वेतन का भुगतान कर दिया गया है ।

7--श्री राम नरायन--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ।]

8--श्री राम नरायन--

[5 वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 165 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

फैजाबाद, कटेहरी ब्लाक, ग्राम सभा रामपुर के प्रधान श्री विजय बहादुर सिंह द्वारा पेयजल हेतु लगे हैण्ड पम्प तथा की गयी बोरिंग में भ्रष्टाचार की शिकायत

9--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के कटेहरी ब्लाक में ग्राम रामपुर बनेथू के प्रधान श्री विजय बहादुर सिंह ने जिलाधिकारी फैजाबाद से लिखित शिकायत की है कि उक्त ग्राम सभा में पेयजल राहत कार्य के अधीन लगाए गये हैण्ड पम्प में भ्रष्टाचार किया गया है और केवल 10 फुट बोरिंग को 200 बोरिंग का फर्जी वाउचर लगाकर पैसा लिया गया है ? क्या यह भी सत्य है कि जिलाधिकारी, फैजाबाद एवं अति० जिलाधिकारी (राजस्व), फैजाबाद के आदेश के बावजूद परगना अधिकारी, अकबरपुर इस मामले में मौके पर जांच नहीं कर रहे हैं ? यदि हां, तो इस मामले में परगनाधिकारी, अकबरपुर द्वारा जांच करने में विलम्ब पर क्या कार्यवाही कर रही है यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। श्री बिजय बहादुर सिंह के शिकायती पत्र में केवल 20 फीट के बोरिंग को 40 फीट बोरिंग दिखाए जाने का उल्लेख है।

जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

10—श्री जटाशंकर सिंह—

[तीसरे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 116 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

11—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

[अतारांकित प्रश्न संख्या 3 की पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

बस्ती, बलाक बांसी के विकास अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच

12—श्री श्याम नरायन तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बस्ती, विकास खण्ड बांसी के विकास अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी जांच सतर्कता विभाग से हो रही है ? यदि हां, तो अब तक क्या हुआ और नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

विकास खण्ड बांसी, जिला बस्ती में फरवरी, 1979 से जून, 1981 तक श्री राधे मोहन श्रीवास्तव, खण्ड विकास अधिकारी के पद पर तैनात थे। इनके विरुद्ध कोई सतर्कता जांच लम्बित नहीं है।

कानपुर, ब्लाक व ग्राम ककवन के गांव प्रधान व उप प्रधान के विरुद्ध पद दुरुपयोग व गबन का आरोप

13—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनवरी, 1980 से अप्रैल, 1981 तक जनपद कानपुर के ब्लाक ककवन् के गांव ककवन के गांव प्रधान व उप प्रधान के विरुद्ध पद दुरुपयोग व गबन तथा भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुल कितनी शिकायतें जिलाधिकारी, कानपुर को प्राप्त हुई और क्या गांव प्रधान व उप प्रधान ककवन के विरुद्ध इन्हीं आरोपों युक्त कई हलफनामें भी दिनांक 9 फरवरी, 1981 व 29 मार्च, 1981 को जिलाधिकारी, कानपुर को दिए गये ? यदि हां, तो गांव प्रधान व उप प्रधान के विरुद्ध अप्रैल, 1981 तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

ब्लाक ककवन के गांव ककवन के गांव प्रधान व उप प्रधान के विरुद्ध जनवरी, 1980 से अप्रैल, 1981 तक पद का दुरुपयोग व गबन व भ्रष्टाचार से सम्बन्धित कोई भी शिकायत जिलाधिकारी, कानपुर को प्राप्त होना नहीं पाया गया। ग्राम प्रधान व उप प्रधान, ककवन के विरुद्ध कोई हलफनामें भी जिलाधिकारी, कानपुर को 9 जनवरी, 1981 व 29 मार्च, 1981 को दिये जाने नहीं पाये गये। अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठा।

14--श्री मोतीलाल देहलवी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

कानपुर, ब्लाक बिल्हौर में ग्राम प्रधानों के विरुद्ध पद दुरुपयोग व गबन की शिकायत

15--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी तहसील बिल्हौर, जनपद कानपुर के ब्लाक बिल्हौर के अन्तर्गत जनवरी, 1979 से अप्रैल, 1981 तक किन-किन गांव प्रधानों के विरुद्ध पद के दुरुपयोग व गबन और भ्रष्टाचार सम्बन्धित शिकायतों की जांच विचाराधीन थी और उन गांव प्रधानों की जांच किस माह एवं वर्ष में प्रारम्भ हुई थी ? तथा उनकी जांच में क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आये और क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ब्लाक बिल्हौर के अन्तर्गत जनवरी, 1979 से अप्रैल, 1981 तक दो ग्राम प्रधानों (खान्डामऊ व औरंगपुर सांभी) के विरुद्ध पद के दुरुपयोग व गबन और भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायतों की जांच विचाराधीन थी ।

ग्राम खान्डामऊ के प्रधान श्री राम गोपाल को गृह अनुदान वितरित करने के कार्य में घोर अनियमितता बरतने के आरोप में 18-9-80 को उनके पद से निलम्बित किया गया ।

दूसरे प्रधान ग्राम औरंगपुर सांभी की तालाब नं0 502 की नीलामी की धनराशि 1,100 गांव सभा फन्ड में न जमा करने, अपनी मां के नाम 5 बीघा भूमि अनधिकृत रूप से आवंटित करने तथा अन्त्योदय योजना में तहसील एवं ब्लाक के कर्मचारियों/अधिकारियों की सांठ-गांठ से अपना नाम फर्जी तरीके से शामिल कराये जाने के आरोप में दिनांक 1-4-81 को निलम्बित किया गया ।

कानपुर, ब्लाक ककवन से सम्बन्धित गांव प्रधानों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच

16--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद कानपुर के अन्तर्गत ब्लाक ककवन से सम्बन्धित किन-किन गांव प्रधानों के विरुद्ध पद के दुरुपयोग व गबन और भ्रष्टाचार की जांच जनवरी, 1979 से अप्रैल, 1981 तक की गयी और क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ककवन ब्लाक से सम्बन्धित किसी भी ग्राम प्रधान के विरुद्ध पद के दुरुपयोग व गबन और भ्रष्टाचार की जांच जनवरी, 1979 से 1 अप्रैल, 1981 तक नहीं की गई और न ही कोई इस तरह का आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

श्रीमती सरला देवी पत्नी स्व0 अवध बिहारी दुबे, ग्राम उमरौला, हरदोई द्वारा अपने पुत्र को नौकरी तथा अपने पति की ग्रेच्युटी व पेंशन के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

17—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सरला देवी पत्नी स्व0 अवध बिहारी दुबे, ग्राम उमरौला, पो0 महोलिया शिवपार, जिला हरदोई से दिनांक 24-1-81 को अपने पुत्र को नौकरी दिलाए जाने व अपने पति की ग्रेच्युटी आदि व पारिवारिक पेंशन के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

उनके पुत्र को नौकरी तथा नियमानुसार देय अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

जिला लखनऊ के ग्राम दौलतपुर की ग्राम पंचायत द्वारा बेची गयी सम्पत्ति की बिक्री का सदन में सही उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में शिकायत तथा उसकी जांच

18—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम सत्र 1981 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 31 के उत्तर के सन्दर्भ में रजिस्टर्ड पत्र संख्या 3575, 3576 तथा 3578, दिनांक 14 मार्च, 1981 का सचिव, पंचायती राज, बी0 डी0 ओ0, बख्शी का तालाब तथा जिला अधिकारी, लखनऊ व उसकी प्रतिलिपि माननीय मन्त्री जी को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सदन को गलत उत्तर देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? तथा पंचायत द्वारा बेचे गये आम, नीम, शीशम के पेड़ व तालाब की मछली की जांच किसी उच्चाधिकारी या सतर्कता विभाग द्वारा कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रश्नगत मामलों के सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी बख्शी का तालाब, लखनऊ को सम्बोधित श्री अरुण प्रकाश त्रिपाठी ग्राम दौलतपुर के पत्र दिनांक 14 मार्च, 1981 की प्रतिलिपि प्राप्त हुई है । इस सम्बन्ध में किसी अधिकारी द्वारा जान-बूझकर कोई गलत सूचना नहीं दी गई है, अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

पंचायत द्वारा बेचे गये आम, नीम, शीशम के पेड़ व तालाब की मछली की नीलामी के सम्बन्ध में शिकायत की जांच किसी उच्च अधिकारी द्वारा करा ली जायगी ।

उप निदेशक, पशु पालन विभाग, वाराणसी से पुनर्निर्माण के आकलन की मांग

19—श्री राम चरण सिंह—

अतारांकित प्रश्न संख्या 3 प्रथम सत्र (13 अक्तूबर, 1980) के उत्तर के सन्दर्भ में क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक, पशुपालन

विभाग, वाराणसी से जो पुनर्निर्माण कार्य के आकलन मांगे गये थे क्या वे आ गय हैं ? यदि हां, तो उक्त पुनर्निर्माण के आकलन की स्वीकृति दे दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां ।

चालू वित्तीय वर्ष में कथित आगणन निदेशक पशुपालन को प्राप्त हो गये हैं । कथित पुनर्निर्माण के आकलन की स्वीकृति निदेशक ने अभी शासन से नहीं मांगी है । क्योंकि चालू वर्ष के आय-व्ययक में इस निर्माण कार्य हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध नहीं है ।

कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में उप कुलपति का पद

20--श्री राम चरण सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में कोई उप कुलपति नहीं है ? यदि हां, तो अब तक नियुक्ति न करने का क्या कारण है ? क्या उपकुलपति की नियुक्ति हेतु प्रार्थना-पत्र मांगे गये हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में उपकुलपति का कोई पद नहीं है ।

कृषि कामदार की नियुक्तियों में कथित अनियमितता के सम्बन्ध में शिकायत

श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री खूबलाल ने माह जनवरी, 1980 में जिलाधिकारी, गोरखपुर को कोई शिकायत-पत्र कृषि कामदार की नियुक्तियों में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कायवाही की गयी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कानपुर, ब्लाक ककवन में छट की खाद तथा बीज ब्लैक में बेचने के सम्बन्ध में शिकायत

22--श्री मोती लाल बेहलवी--

क्या कृषि मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद कानपुर के अन्तर्गत ब्लाक ककवन के बीज गोदाम में दिसम्बर, 1980 से छूट का गेहूं का बीज छूट पर दिये बगैर ही किसानों से छूट के कोरे फार्मों पर दस्तखत व अंगूठा निशान बनवाये जाते रहे तथा बिना सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा प्रमाणित कराए हुए ही वही छूट का बीज ब्लैक में बेचा गया ? यदि हां, तो दिसम्बर, 1980 की जांच में उक्त फर्जी एवं ब्लैक मार्केटिंग कार्य प्रमाणित किये जाने पर सम्बन्धित अधिकारो के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी और यदि नहीं, तो छूट का बीज कितना किस-किस गांव के किस-किस किसान को दिया गया ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी नहीं। इस आशय का एक शिकायती-पत्र अतिरिक्त कृषि निदेशक, कानपुर को प्राप्त हुआ था, जिसकी उनके द्वारा जांच कराई गई और जांच में आरोप सही नहीं पाये गये। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। जिन किसानों को छूट का बीज दिया गया उसकी सूची* संलग्न है।

*देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1028 पर।

23--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक ककवन, जनपद कानपुर में छूट की खादों के वितरण सम्बन्धी भ्रष्टाचार, अनियमितता, चोरबाजारी तथा अधिक दाम लेने आदि सम्बन्धी कोई शिकायती पत्र कानपुर के कांग्रेस (आई) के किसी संसद सदस्य या कांग्रेस के विधायक अथवा ब्लाक ककवन कांग्रेस (आई) संगठन के किसी पदाधिकारी ने जिला प्रशासन या प्रदेशीय शासन को जुलाई, 1980 से 5 फरवरी, 1981 के मध्य प्रेषित किया है ? यदि हां, तो किस व वह शिकायती-पत्र क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है।

24--श्री रियासत हुसेन--

[2 रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 142 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जिला परिषदों के अतिरिक्त मुख्य अधिकारी के पदों की समाप्ति पर विचार

25--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषदों के अतिरिक्त मुख्य अधिकारी के पदों की समाप्ति पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला परिषदों में कार्यरत कार्य अधिकारियों को अन्य उच्च पदों पर पदोन्नत करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जिला परिषदों के अतिरिक्त मुख्य अधिकारियों के पदों को समाप्त करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है। कार्य अधिकारियों को अन्य उच्च पदों पर पदोन्नति करने का प्रश्न नहीं उठता है।

26--श्री मोतीलाल देहलवी--

[2रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

श्री राजित राम वर्मा भूमि संरक्षण अधिकारी (प्रथम खन्ड) शारदा सहायक, बाराबंकी द्वारा सहायक लेखाकारों के साथ अभद्र व्यवहार व नियमों के विपरीत कार्य करने के सम्बन्ध में शिकायत

27--श्री राजपाल सिंह--

क्या क्षेत्रीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजित राम वर्मा भूमि संरक्षण अधिकारी (प्रथम खन्ड) शारदा सहायक बाराबंकी द्वारा

सहायक लेखाकारों के साथ अमानवीय, अभद्र व्यवहार व राजकीय नियमों के विपरीत कार्य करने के सम्बन्ध में वहाँ के सहायक लेखाकारों के दिसम्बर, 1980 में मुख्य वित्तीय सलाहकार शारदा सहायक समादेश विकास क्षेत्र परियोजना, जवाहर भवन, लखनऊ को कोई शिकायती-पत्र जांच हेतु दिया गया था ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से तथ्य थे ? उन तथ्यों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

28--श्री राजपाल सिंह--

क्या यह भी सही है कि उपरोक्त शिकायत-पत्र में दिनांक 20-12-80 को अपने अधोनस्थ लेखाकारों को 10,000 रु0 की चेक बिना एम0 बी0 की बोकिंग किए कोटे ने तथा सीमेंट स्टोर का 350 रु0 का चेक मौखिक आदेश देकर कटवा लिया था, जिसकी जांच मुख्य वित्तीय सलाहकार महोदय द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या सरकार जांच रिपोर्ट के आधार पर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को अविलम्ब निलम्बित करके सदन को अवगत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां, दिनांक 20 दिसम्बर, 1980 को भूमि संरक्षण अधिकारी (प्रथम खण्ड) बाराबंकी श्री राजित राम वर्मा एवं सहायक लेखाकारों के मध्य हुए विवाद की लिखित शिकायत सहायक लेखाकारों द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 1980 को की गई थी जिसकी जांच दिनांक 24 दिसम्बर, 1980 को परियोजना (मुख्यालय) के मुख्य वित्तीय सलाहकार द्वारा की गयी । शिकायती-पत्र में मुख्यतः मानक पुस्तिका की जांच किये बिना डी0 एस0 सी0 (दैनिक श्रमिक चिट्ठा) के विरुद्ध 10,000 रु0 तथा सीमेंट भन्डार के किराये सम्बन्धी 350 रु0 का चैक काटने की बात को लेकर वाद विवाद होने का उल्लेख था । तथ्यों की जांच में पाया गया कि वास्तव में कहा सुनी इसी मामले पर हुई थी । प्रशासनिक एवं शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से सहायक लेखाकारों का स्थानान्तरण बाराबंकी जनपद की अन्य इकाई में कर दिया गया ।

जी हां, कार्यहित में भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा इस प्रकार के चैक काटने के लिए मौखिक निर्देश सहायक लेखाकारों को दिये गये थे । भ्रष्टाचार का कोई तथ्य जांच करने पर सिद्ध नहीं हुआ । अतएव मामले में भूमि संरक्षण अधिकारी को निलम्बित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान में इन्सपेक्टर का चयन

29--श्रीमती गौरी देवी--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं हाउस कीपिंग विभाग लखनऊ में 17 सितम्बर, 1980 को जो इंस्पेक्टर का चयन हुआ था, उसमें जहां एवं चार वर्षों के अनुभव पूर्ण उम्मीदवार को न लेकर ऐसे उम्मीदवार को लिया गया है जिसको न तो किसी प्रकार का अनुभव ही है और न तो उस पद के लिए पूर्ण शैक्षिक योग्यता ही रखता है ? यदि हां, तो उसका चयन किस आधार पर किया गया है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

राजकीय होटल मैनेजमेन्ट संस्थान में इंस्पेक्टर का कोई पद स्वीकृत नहीं है अतः चयन का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा सेवई बाजार से भौवापार मार्ग की मरम्मत हेतु आवंटित गेहूं के सड़ने की शिकायत

30--श्रीमती गौरी देवी--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवई बाजार से भौवापार (जनपद गोरखपुर) मार्ग के निर्माण के लिए वर्ष 1979 में जिला अधिकारी, गोरखपुर ने लगभग 162 कुन्तल गेहूं आवंटित किया था ? यदि हां, तो क्या सेवई बाजार से भौवापार मार्ग का निर्माण हुआ ? यदि हां, तो कब ? क्या आवंटित खाद्यान्न के सड़ जाने की सूचना प्रश्नकर्ता द्वारा फरवरी, 1980 में जिलाधिकारी, गोरखपुर को दिया था ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

वर्ष 1979 में जिलाधिकारी, गोरखपुर ने उक्त मार्ग के निर्माण हेतु नहीं बल्कि मरम्मत हेतु 150 कुन्तल गेहूं का आवंटन किया था । यह आवंटन जिलाधिकारी द्वारा 9-4-79 को किया गया था । यह सही है कि माननीय सदस्य द्वारा वर्ष 1980 में खाद्यान्न सड़ने की सूचना दी गई थी । अवशेष गेहूं की दशा के सम्बन्ध में विधिवत् जांच हेतु सक्षम अधिकारी को लिखा गया है ।

फल उपयोग विभाग, चौपटिया, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा में अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति

31--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चौपटिया, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा में अतिरिक्त निदेशक, फल उपयोग विभाग का पद कुछ समय से रिक्त है ? यदि हां, तो कब तक अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति कर दी जायेगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

दिनांक 15-5-1981 को अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति कर दी गई है ।

अल्मोड़ा के खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा छोटी पुलियों के निर्माण हेतु दिये गये ठेके

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

32--क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1978-79 में जनपद अल्मोड़ा के खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा छोटी पुलियों के ठेके दिए थे ? यदि हां, तो किन कारणों से अब तक कार्य पूर्ण नहीं हो सका ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां । वर्ष 1978-79 में जनपद अल्मोड़ा के खंड विकास अधिकारियों द्वारा 23 छोटी पुलियों के ठेके दिये गये थे । इनका निर्माण कार्य समय पर सीमेन्ट न मिल पाने के कारण अभी तक नहीं पूर्ण हो सका है ।

एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन नें व्याप्त अनियमितताओं से कर्मचारियों में असन्तोष के सम्बन्ध में जांच व कृत कार्यवाही

33--श्री राम लाल वर्मा--

28 मई, 1979 के श्री राम आसरे वर्मा के अल्पसूचित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रसंगत मामले में श्री पाठक के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

प्रबन्ध निदेशक एग्रो द्वारा श्री पाठक से स्पष्टीकरण मांगा गया व उसके आधार पर और किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

तहसील रानी खेत में पशु सेवा केन्द्रों में पशुधन विकास सहायक की व्यवस्था

34--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रानीखेत तहसील, जनपद अल्मोड़ा में कितने पशु केन्द्रों में पशु सेवक नहीं हैं और रिक्त केन्द्रों को चलाए जाने की क्या व्यवस्था है ? और क्या पर्वतीय क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अविलम्ब व्यवस्था करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अल्मोड़ा जनपद की रानीखेत तहसील के अन्तर्गत स्थित सभी पशु सेवा केन्द्रों पर वर्तमान में पशुधन विकास सहायक (पशुसेवक) कार्यरत हैं और कोई पद रिक्त नहीं है ।

हरदोई, विकास खंड अहिरोरी के ग्राम अकबरपुर में लघु औद्योगिक केन्द्र की मांग

35--श्री राम लाल वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के सबसे पिछड़े क्षेत्र (गोमती नदी का तटवर्ती) विकास खंड अहिरोरी के ग्राम अकबरपुर में लघु औद्योगिक केन्द्र स्थापित करवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बल राम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

36--श्री राजकुमार राय--

(3रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

नाकारा पशुओं को प्रदेश के बाहर भेजने की व्यवस्था

37--श्री बदन सिंह--

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नाकारा पशुओं को प्रदेश से अन्य प्रदेशों को भेजने के लिए परमिट देने की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

गोबध निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश तथा गोबध निवारण नियमावली के प्राविधानों के अनुसार गौबंशीय पशुओं को प्रदेश से बाहर भेजे जाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के अनुज्ञापत्र की आवश्यकता है । उक्त के अलावा नाकारा पशुओं के लिए अलग से कोई विशेष व्यवस्था नहीं है ।

कोआपरेटिव डेरी विभाग, उत्तर प्रदेश में सेवा मण्डल, उत्तर प्रदेश द्वारा चयनित सैनिटरी सुपरवाइजरों की नियुक्तियां

38—श्री ऊदल—

क्या पशुधन एवं डेरी दुग्धशाला मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव डेरी विभाग, उत्तर प्रदेश में नियुक्ति हेतु मई, 1978 में सेवा मण्डल, उ0 प्र0 ने सेनेटरी सुपरवाइजरों का चयन करके विभाग को लिस्ट भेज दी और 13-7-78 को मेरठ यूनिट में तदर्थ नियुक्ति की गयी ? यदि हां, तो समस्त चुने हुए अभ्यर्थियों को जगह न देने का कारण क्या है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी नहीं ।

दिनांक 13-7-1978 को एफ0 बी0 डी0 मेरठ में एक सेनेटरी सुपरवाइजर की तदर्थ नियुक्ति की गई ।

दिनांक 31-7-1978 को सेवा मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर भी तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारी को सेवा में बनाये रखना अनियमित था ।

तदर्थ रूप से कार्यरत कर्मचारी को इस समय तक कार्य करते हुए तीन वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है । ऐसी स्थिति में उसे सेवा से हटाये जाने पर औद्योगिक विवाद उत्पन्न होने की सम्भावना है ।

सेवा सदन मंझगाई, ब्लाक नौगढ़, वाराणसी के अन्तर्गत जनहित में कुयें, जमीन का समतलीकरण, तालाब व चिकित्सा की व्यवस्था तथा मकान निर्माण हेतु अनुदान

39—श्री ऊदल—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक नौगढ़, तहसील चकिया, जिला वाराणसी में सेवा सदन (मिशन) मंझगाई, ब्लाक नौगढ़, वाराणसी ने 50 कुयें, 15 किलोमीटर मंझगाई से बोझ, जमीन का समतलीकरण 40 हजार एकड़, 7 तालाब एवं चिकित्सा की व्यवस्था किया है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या सहायता इस कार्य में दी है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

40--श्री ऊदल--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उक्त सेवा सदन ने गरीब किसानों को खाद एवं गेहूं के बीज का भी वितरण किया है और एक सहकारी समिति भी बनाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सेवा सदन मंझगाई, ब्लाक नौगढ़, जिला वाराणसी के सभी कार्य का मूल्यांकन करने की कृपा करेगी और गरीबों के लिए मकान बनाने हेतु अनुदान इस सेवा सदन को देगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

टाउन एरिया नोटीफाइड एरिया की सीमा के अन्दर रहने वाले लघु एवं सीमित कृषकों को ग्रामीण क्षेत्रों के कृषकों की भांति रसायनिक खाद में छूट की मांग

41--श्री भीखा लाल--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या टाउन एरिया तथा नोटीफाइड एरिया की सीमा के अन्दर निवास करने वाले लघु एवं सीमान्त कृषकों को ग्रामीण क्षेत्रों के कृषकों की भांति रासायनिक खाद की कीमत में छूट दी जाती है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव--

आई० आर० डी० योजना केवल विकास खंडों के लिए स्वीकृत है । इसलिए विकास खंड क्षेत्र के बाहर के कृषकों को इस योजना में रासायनिक खाद की कीमत में छूट नहीं दी जाती है ।

42--श्री भीखालाल--

(2रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित) ।

यू० पी० स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत सहायक स्टोर कीपर्स तथा उनका वेतनमान व श्रेणी

43--श्री भीखा लाल--

क्या कृषि मंत्री बतने की कृपा करेंगे कि यू० पी० स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ में इस समय कौन-कौन व्यक्ति सहायक स्टोर कीपर के पद पर कार्य कर रहे हैं और कब से कार्य कर रहे हैं ? इनकी सेवाओं की गणना किस श्रेणी के कर्मचारियों में की जाती है, तृतीय अथवा चतुर्थ और इनको प्रत्येक को किस श्रेणी का वेतन दिया जाता है और प्रत्येक का मौजूदा वेतन क्या है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

यू० पी० स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड में तीन व्यक्ति सहायक स्टोरकीपर के पद पर कार्य कर रहे हैं जिनके संबंध में वांछित सूचना संलग्नक में दर्शाई गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1030 पर ।)

गोंडा में ब्लाक पचपेड़वा, गैसड़ी तथा बलरामपुर बाढ़ से प्रभावित होने के फलस्वरूप राष्ट्रीय ग्रामीण योजनान्तर्गत रोजगार दिलाने की मांग

44--श्री अकबाल हुसैन--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोन्डा के विकास खंड पचपेड़वा, गैसड़ी तथा बलरामपुर बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित हैं परन्तु वहां पर अभी तक ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ, लोग बेकार हैं और भुखमरी के कगार पर है ? यदि हां, तो सरकार अविलम्ब रोजगार दिलाने की दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

गोन्डा जनपद के विकास खंड पचपेड़वा, बलरामपुर तथा गैसड़ी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित नहीं हैं अपितु वर्षा से अत्यधिक पानी इकट्ठा हो जाने के कारण इन तीनों विकास खंडों के कुछ गांव प्रभावित हुये हैं ।

यह सत्य नहीं है कि इन विकास खंडों में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत कोई कार्य आरम्भ नहीं किया गया है । जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा तथा जिन पर कार्य प्रगति पर है उनकी सूचना संलग्न की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ 1031 पर) ।

45--श्री राम लाल वर्मा--

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया) ।

जनपद इलाहाबाद में वर्षा से प्रभावित मऊआइमा, सातनपुर धीनपुर व लहटी-शिशटी आदि मार्गों का निर्माण

46--श्री राधे श्याम पटेल--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य योजना के अन्तर्गत निर्मित जनपद इलाहाबाद में मऊ आइमा, सातनपुर वाया कहली मार्ग मऊ आयमा धीनपुर मार्ग, व लहटी-शिशई मार्ग तथा शिशई-बागी वाया किरांव विगत वर्षा के कारण कितने स्थानों पर कट गया ह और सवारी आवागमन अवरुद्ध हो गया है ? क्या सरकार इसे अविलम्ब ठीक कराने की कृपा करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

सन्दर्भित मार्ग विगत वर्षा के कारण क्रमशः 9, 8, 3 तथा 12 स्थानों पर कट गये हैं जिसके कारण सवारियों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है ।

इन मार्गों को मरम्मत कराये जाने की कार्यवाही राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा की जा रही है ।

आलू का मूल्य निर्धारण तथा निर्यात व्यवस्था की मांग

47-श्री राधेश्याम पटेल--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार आलू का क्रय मूल्य 55 रु0 प्रति कु0 निर्धारित करने का विचार कर रही है ? क्या प्रति कुन्तल

आलू के उत्पादन की लागत को देखते हुए यह मूल्य लाभदायक एवं किसानों के लिए उत्साह वर्द्धक नहीं है ? यदि हां, तो ऐसी दर निर्धारित करेगी जो किसानों के हित में हो ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

48--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार आलू को बाहर भेजने की व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

शाहजहांपुर के मुख्यालय तहसील तिलहर में नवीन कृषि मन्डी स्थल की निर्माण योजना

49--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या कृषि मन्त्री बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के तहसील मुख्यालय तिलहर में इस वर्ष (नवीन) कृषि मन्डी स्थल के निर्माण की योजना शासन द्वारा निर्धारित की गई है अथवा विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस योजना को कब से कार्यान्वित किया जायेगा ? तथा शासन ने कब तक इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

तिलहर, जनपद शाहजहांपुर के नवीन कृषि मन्डी स्थल के निर्माण की योजना मंडी परिषद् द्वारा स्वीकृत कर दी गई है, भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है । भूमि प्राप्त हो जाने के पश्चात लगभग तीन वर्ष मन्डी स्थल के निर्माण में सम्भवतः लगने की आशा है ।

गोरखपुर के विकास खण्ड खोराबार में मजदूरों की बकाया मजदूरी

50--श्रीमती गौरी देवी--

क्या ग्राम्म विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के विकास खण्ड खोराबार के अन्तर्गत वनस्पति से वरसाइत से रायगंज सम्पर्क मार्ग पर 34 मजदूरों द्वारा दिनांक 22-7-79 से दिनांक 18-8-79 तक काम किया गया था और उनकी मजदूरी आज भी बकाया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में दिनांक 12-8-80 को श्री बन्सू, ग्राम रायगंज, जिला गोरखपुर द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर एवं जिला-धिकारी, गोरखपुर व विकास खण्ड अधिकारी, खोराबार को पत्र दिया था ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर, के विकास खण्ड पिपरौली बाजार के ग्राम भगवानपुर में पुलिया का निर्माण

51—श्रीमती गौरी देवी—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1980 में गोरखपुर जिले के विकास खण्ड पिपरौली बाजार के अन्तर्गत ग्राम भगवानपुर में पुलिया के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता ने कोई पत्र लिखा था ? यदि हां, तो भगवानपुर में पुलिया निर्माण के लिए क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सच है कि वर्ष 1979 में उक्त पुलिया के निर्माण के लिए क्षेत्र समिति का 42 हजार रुपय विकास खण्ड पिपरौली बाजार में पड़ा है और पुलिया के निर्माण हेतु कुछ कार्यवाही प्रारम्भ हो गई थी ? यदि हां, तो अब तक पुलिया के निर्माण न होने का कारण क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं ।

इस सम्बन्ध में माननीय सदस्या का एक पत्र मई, 1981 में प्राप्त हुआ है । यह सच नहीं है कि वर्ष 1979 में उक्त पुलिया के निर्माण के लिए क्षेत्र समिति में 46 हजार रुपये उपलब्ध थे । वर्ष 1979 में क्षेत्र समिति में उपलब्ध 46 हजार रुपये की धनराशि आय विभिन्न मदों की थी जिसे संदर्भित पुलिया के निर्माण पर व्यय नहीं किया जाना था । पुलिया निर्माण हेतु प्राक्कलन कराया गया था और जिसके अनुसार इस हेतु 58 हजार रुपये की आवश्यकता बताई गई थी । इतनी धनराशि क्षेत्र निधि में इस कार्य हेतु उपलब्ध न होने के कारण इसका निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं हो सका ।

जनपद बदायूं में अन्त्योदय योजना में चयनित परिवार के लोगों को सहायता

52—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में सन् 1979-80 व 1980-81 में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत कितने परिवारों का चयन किया गया था और किस आधार पर ? इनमें से कितनों को पूर्ण रूप से सहायता दे दी गयी ? कितने परिवार अपूर्ण रह गये हैं और इनको कब तक पूर्ण रूप से सहायता दे दी जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ब्लाक खड्डा के ग्राम खड्डी, जिला देवरिया के ग्राम प्रधान के विरुद्ध शिकायत

53—श्री हरिवंश सहाय—

क्या पंचायती राज मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम खड्डी, ब्लाक खड्डा, जिला देवरिया के ग्राम प्रधान के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21 अप्रैल, 1981 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। परन्तु गांव सभा खड्डी पर मात्र तीन आरोप लगाये गये हैं। प्रथम यह कि खंड विकास अधिकारी, खड्डा तथा पंचायत कार्यालय द्वारा मांगे गये अभिलेख प्रधान द्वारा उपलब्ध कराया गया है। दूसरा कि 5–6 वर्ष का धन जो लगभग 11 व 12 हजार रुपये के हैं जो न तो डाकखाने में जमा हैं न तो कोई निर्माण कार्य ही हुआ है। तीसरा आरोप यह है कि प्रधान अनुशानहीनता के द्योतक सिद्ध हो रहे हैं।

श्री राम समुझ चौरसिया, प्रधान, गांव सभा खड्डी, विकास खंड खड्डा का परगनाधिकारी, हाटा द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर, 1980 को निलम्बित कर दिया गया है। इन्हें आरोप-पत्र की कापी दिनांक 15 जनवरी, 1981 को प्राप्त करा दी गयी है। प्रधान द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 1981 को आरोप-पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया है। प्रधान की ओर से अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये अवसर मांगा गया है, उन्हें तहसीलदार हाटा द्वारा अवसर दिया गया है।

गोरखपुर के ब्लाक कौड़ीराम में खाद्यान्न तथा पुष्टाहार योजना में मजदूरों को सड़ा गेहूं व चावल देने के सम्बन्ध में शिकायत

54—श्रीमती गौरी देवी—

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड कौडीराम, जिला गोरखपुर में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत काम करने वाले मजदूरों को माह जुलाई, सन् 1980 में सड़ा गेहूं पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत वितरित होने वाले सड़े चावल के सम्बन्ध में एक शिकायती-पत्र जिला अधिकारी, गोरखपुर एवं शासन को श्री रायसरन प्रसाद, ग्राम पांडेपार, विकास खंड कौड़ीराम, जनपद गोरखपुर द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। जांच करायी गयी थी और रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है।

बांदा विधान सभा क्षेत्र में पेयजल कूपों की मरम्मत

55—श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला बांदा की बांदा विधान सभा क्षेत्र के किन-किन विकास खंडों में कितने और कौन-कौन पेय नलकूप सूख गये थे जिनकी गत वर्ष सफाई की गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

बांदा विधान सभा क्षेत्र के तहसील बांदा के विकास खंड बड़ोखर खुर्द के आंशिक क्षेत्र में तहसील बबेरू के विसण्डा एवं बबेरु विकास खंडों के आंशिक क्षेत्र में तथा तहसील नरैनी में महुआ विकास खंड के आंशिक क्षेत्र में पड़ता है।

वर्ष 1980–81 में इस सम्पूर्ण क्षेत्र के कुल 123 ग्रामों में 416 पेयजल कूपों में पानी सूख जाने के कारण उनकी सफाई तथा मरम्मत का कार्य कराया गया है जिसका विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 1033 पर ।)

56—श्री गोपी नाथ वर्मा—

[2रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 87 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखंड, वाराणसी के विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा सामूहिक अवकाश की शिकायत

57—श्री ऊदल—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को जानकारी है कि 26 सितम्बर, 1980 को ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के प्रखंड वाराणसी के समस्त कर्मचारी वर्तमान अधिशासी अभियन्ता के अन्याय पूर्ण रवैये के विरोध में सामूहिक अवकाश पर रहे ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गयी ? यदि हां, तो कारण क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं ।

दिनांक 26 सितम्बर, 1981 को ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखंड, वाराणसी का कोई भी कर्मचारी अवकाश पर नहीं था । अतएव किसी जांच का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

58—श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त विभाग में दो ट्रक कई ट्रैक्टर तथा दूसरे सामान पड़े है उनसे कितना काम सन् 1980 में तथा अब तक लिया गया है और कौन-कौन सी योजनायें 79–80 एवं 80–81 में स्वीकृत की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

मार्च 1981 तक प्रखंड वाराणसी में तीन ट्रैक्टर, मय ट्राली एवं दो ट्रक बगैर बाडी के उपलब्ध था । परन्तु दो ट्रक बिना बाडी के माह जून, 1980 में प्राप्त हुये थे जिनकी बाडी मार्च 1981 में बनकर तैयार हुई । अतएव ट्रकों से वर्ष 1980–81 में कार्य लेने का प्रश्न ही नहीं उठता । प्रखंड में उपलब्ध तीनों ट्रैक्टरों का दिसम्बर, 1980 तक कुल 577·5 घंटे तथा जनवरी, 1981 से अप्रैल, 1981 तक कुल 252·20 घंटे निर्माण सामग्रियों की ढुलाई के लिए उपयोग किया गया ।

वाराणसी प्रखंड में निम्नलिखित प्रमुख योजनायें वर्ष 1979-80 व वर्ष 1980-81 में स्वीकृत की गई :—

क्रम-संख्या	योजना का नाम	वर्ष 1979-80 में स्वीकृत धनराशि	वर्ष 1980-81 में स्वीकृत धनराशि
1	पशुपालन विभाग	2,44,751·00	..
2	अन्य कार्य	4,22,467·00	4,97,910·00
3	प्राइमरी पाठशाला भवन	22,23,000·00	22,75,800·00
4	जूनियर हाई स्कूल भवन	11,25,400·00	..
5	मंडी समिति	6,62,200·00	3,03,900·00
6	चिकित्सा विभाग	92,500·00	..
7	डी० पी० ए० पी०	4,00,366·00	4,18,950·00
8	उद्यान विभाग	1,09,000·00	..
9	आई० आर० डी० सी०	3,00,000·00	3,18,958·00
10	विकास खंड भवन	66,000·00	.
11	शारदा सहायक परियोजना के कार्य	..	4,04,300·00
12	सीलिंग एवं पुलिया निर्माण कार्य	..	64·30 लाख

श्रम के बदले खाद्यान्न योजना में बनी सड़कों पर खडंजा एवं पुलियों के निर्माण में व्यय

59—श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि खाद्यान्न योजना में बनी सड़कों पर खडंजा एवं पुलियों के निर्माण के लिए सन् 1980-81 के बजट में युद्धस्तर पर कार्य करने के लिए कितना रुपया दिया गया था ? क्या यह सही है कि उसमें एक हजार ही रुपया खर्च किया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव—

श्रम के बदले खाद्यान्न योजना में बनी सड़कों पर खडंजा एवं पुलियों के निर्माण हेतु वर्ष 1980-81 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को कुल रुपए 1359·781 लाख प्रदान किया गया था। उक्त धनराशि के विरुद्ध वर्ष 1980-81 में 1078·527 लाख रुपये व्यय किया गया। यह सही नही है कि केवल एक हजार रुपया ही व्यय किया गया।

मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा वाराणसी मंडल के जनपदों का निरीक्षण

60--श्री ऊदल--

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि ता0 11 फरवरी, 1981 को वाराणसी में ग्रामीण अभियंत्रण के मुख्य अभियंता गये थे उन्होंने क्या निरीक्षण किया ? क्या 1980-81 के कार्यों की समीक्षा भी किया ? यदि हां, तो उनकी क्या रिपोर्ट है ? क्या यह सही है कि वाराणसी के अधिशासी अभियंता ने एक भी योजना को पूर्ण नहीं कराया है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा 10 फरवरी, 1981 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की एक बैठक में भाग लेने हेतु वाराणसी गये थे। उन्होंने 11 फरवरी, 1981 को वाराणसी मंडल के जनपदों में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा कराये जा रहें कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। यह सही है कि उस समय तक वाराणसी प्रखंड के अन्तर्गत एक भी कि0 मी0 मार्ग पर सोलिंग तथा पुलिया का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं था।

जिला रायबरेली की तहसील डलमऊ की गांव सभा डडो के ग्राम प्रधान के विरुद्ध शिकायत

61--श्री ऊदल--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा डडो, परगना सरेनी, तहसील डलमऊ, जिला रायबरेली के प्रधान के खिलाफ गबन, दुरुपयोग, सार्वजनिक सम्पत्ति का अपहरण आदि के सम्बन्ध में गांव सभा के एक सदस्य श्री देवी प्रसाद अवस्थी ने ता0 20-2-79 को जिलाधीश, पंचायत जिलाधिकारी परगनाधीश डलमऊ एवं संचालक पंचायत राज उत्तर प्रदेश को शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया है ? जिसकी जांच पगगनाधीश डलमऊ, रायबरेली कर रहे हैं ? यदि हां, तो जांच पूरी हो गयी ? यदि पूरी हो गयी हैं तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां।

उसकी जांच परगनाधिकारी न्यायालय में चल रही है।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखंड वाराणसी को सम्पर्क मार्गों, खड़ंजा एवं पुलिया निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि का समय से खर्च न किया जाना

62--श्री ऊदल--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, वाराणसी में सन् 1980-81 के लिए 45 लाख रु0 का बजट सड़कों, खड़ंजों, एवं पुलों तथा स्कूलों के लिए दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि वह रुपया जनवरी, 1981 तक खर्च नहीं किया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेदार है और कौन-कौन सी योजनायें स्वीकृत थी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखंड वाराणसी को वर्ष 1980-81 में सम्पर्क मार्गों पर खड़ंजा एवं पुलिया निर्माण हेतु 45·5 लाख रुपया माह जनवरी, 1981 में दिया गया था । मार्गों के चयन एवं निर्माण कार्यों की व्यवस्था करने तथा सीमेन्ट आदि की कमी के कारण इस योजना पर माह जनवरी, 1981 में ही उक्त धनराशि का व्यय करना सम्भव न हो सका । इसके लिये कोई व्यक्ति विशेष दोषी नहीं है । उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रमुख योजनायें स्वीकृत थीं--

1--शारदा सहायक परियोजना के कार्य ।

2--डी० पी० ए० पी० ।

3--आई० आर० डी० स्कीम के कार्य ।

63--श्री मोती लाल देहलवी--

[2रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 177-178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

64--श्री मोती लाल देहलवी--

[2रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 177-178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

एग्रो द्वारा सचिव पद पर श्री पाठक की नियुक्ति

65--श्री राम लाल वर्मा--

प्रथम सत्र 81 के पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 80 के क्रम में क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि एग्रो द्वारा सचिव पद रिक्तता विषयक विज्ञापन किस दिनांक एवं किन पत्रों में प्रकाशित हुआ और फलस्वरूप कितने प्रार्थन-पत्र अ ये ? साक्षात्कार कब व किसके द्वारा किया गया ? साक्षात्कार में कितने अभ्यर्थी उपस्थित हुए ? चयन समिति की रिपोर्ट किस दिनांक को व क्या दी गयी एवं श्री पाठक को नियुक्ति पत्र एग्रो द्वारा किस दिनांक को जारी किया गया ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

66--श्री राम लाल वर्मा--

[2रे गुरूवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बांदा की तहसील नरैनी के ग्राम जरर के निकट नाले पर पुल निर्माण की योजना

67--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जरर, तहसील नरैनी, जिला बांदा के निकट नाले पर पुल बनाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं । जनपद बांदा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कार्य-क्रम के अन्तर्गत ग्राम जरर, तहसील नरैनी के निकट नाले पर पुल बनाने की कोई योजना अथवा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

खंड विकास अधिकारी बडोरवर, जिला बांदा द्वारा खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत मजदूरों द्वारा कराये गये कार्यों की बकाया मजदूरी

68--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के विकास क्षेत्र बडोरवर, महुआ व विसण्डा में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत वर्ष 1979-80, 1980-81 में कार्य विकास खंड अधिकारी द्वारा कराया गया था ? यदि हां, तो मजदूरों को अब तक मजदूरी न देने का क्या कारण है ? क्या शीघ्र उनको मजदूरी दिलाये जाने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

उक्त विकास खंड में श्रम हेतु खाद्यान्न योजनान्तर्गत कार्य कराया गया था इन कार्यों की मजदूरी का भुगतान मजदूरों को किया जा चुका है ।

विकास खंड बडोरवर, जिला बांदा को अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गयी धनराशि

69--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के विकास खंड बडोरवर, महुआ विसण्डा व बबेरू में वर्ष 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 में अन्त्योदय कार्यक्रम में अलग-अलग कुल कितनी धनराशि दी गयी और यह धनराशि क्या सभी ग्राम सभाओं को दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा के कतिपय विकास खंडों का पुनर्गठन

70--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के विकास खंडों का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव उनके विचाराधीन है ? यदि हां, तो नये विकास खंडों का पुनर्गठन कब तक शासन करेगा और कौन-कौन नये विकास खंड खोलने का प्रस्ताव है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

बांदा जनपद की नरैनी तहसील के वर्तमान दो विकास खंडों महुआ और नरैनी के पुनर्गठन करने तथा एक नये विकास खंड बदौसा का सृजन करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है । जिस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा ।

विकास खन्ड बडोखर जिला बांदा में एकीकृत ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत किया गया व्यय

71--श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के अन्तर्गत विकास खन्ड बडोखर, महुआ व विसण्डा में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना पर 31 मार्च, 1981 तक कुल कितना रुपया व्यय किया गया ? कितनी धनराशि निश्चित समय के अन्तर्गत किन कारणों से व्यय नहीं की जा सकी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ब्लाक हसनपुर, जिला मुरादाबाद के ग्राम सेवक श्री मूल चन्द्र त्यागी का स्थानान्तरण

72--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विकास खन्ड हसनपुर में नियुक्त ग्राम सेवक श्री मूल चन्द्र त्यागी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर विकास आयुक्त, बरेली द्वारा नवम्बर, 1980 में किया गया ? यदि हां, तो मुक्त न किए जाने के क्या कारण है ? क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम सेवक का स्थानान्तरण कई बार पहले भी किया गया था ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां । उप विकास आयुक्त, बरेली द्वारा श्री मूल चन्द्र त्यागी का स्थानान्तरण नवम्बर, 1980 में किया गया था किन्तु आयुक्त कृषि एवं उत्पादन एवं ग्राम विकास द्वारा उक्त स्थानान्तरण निरस्त कर दिया गया था, बाद में मुख्य विकास अधिकारी ने श्री त्यागी का स्थानान्तरण हसनपुर ब्लाक से अमरोहा ब्लाक में कर दिया । इस समय यह विकास खंड गंगसेरी में कार्यरत है । इससे पूर्व श्री त्यागी का स्थानान्तरण जिला स्तर पर 30 जून, 1980 को हसनपुर से विकास खन्ड भगतपुर टांडा को किया गया था जिसे 1 अगस्त, 1980 को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया था ।

जनपद हरदोई के ग्राम अकबरपुर की कोथावां तथा अतरौली में मण्डी परिषद् द्वारा हाट निर्माण

73--श्री राम लाल वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खन्ड अहिरौरी के ग्राम अकबरपुर विकास खन्ड कोथवां के चौराहा प्रताप नगर एवं कोथावां तथा विकास खन्ड भरावन के ग्राम अतरौली में मन्डी परिषद् द्वारा आधुनिक

सज्जा युक्त हाट बनाने का प्रश्न विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जनपद हरदोई के विकास खन्ड अहिरोरी, ग्राम अकबरपुर एवं विकास खन्ड कोथावां के प्रताप नगर चौराहा व कोथावां एवं विकास खन्ड भरावन के ग्राम अतरौली में निर्दिष्ट कृषि उत्पादनों की वार्षिक आवक पर्याप्त न होने के कारण इनमें हाट निर्माण का प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

एग्रो के सचिव, श्री काशी नाथ पाठक को उनके पूर्व पद मुख्य लेखाधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता के समय दिये गये विशेष वेतन का भुगतान

74--श्री राम लाल वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि एग्रो के सचिव श्री काशी नाथ पाठक वर्ष 1979 में जब वे मुख्य लेखाधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता का कार्यभार देखते थे तो उनको कोई विशेष वेतन भी दिया जाता था ? यदि हां, तो प्रश्नगत विशेष वेतन किस दिनांक से किस दर से दिया गया ? इस निगम द्वारा श्री पाठक को कितनी धनराशि विशेष वेतन के रूप में भुगतान की गयी ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

वर्ष 1978-79 में श्री काशी नाथ पाठक, सचिव यू0 पी0 एग्रो को मुख्य लेखाधिकारी एवं वित्तीय परामर्शदाता के पद का अतिरिक्त कार्य करने हेतु निदेशक मन्डल के निर्णय दिनांक 3 अप्रैल, 1979 के अनुसार दिनांक 1 अक्तूबर, 1979 से 18 अगस्त, 1979 तक की अवधि हेतु उनके मूल वेतन का 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त भत्ता दिया गया श्री पाठक को उक्त अतिरिक्त भत्ते के रूप में कुल रु0 2,967. 34 की धनराशि भुगतान की गयीं ।

मुख्य वित्त अधिकारी (जिला परिषद्), उत्तर प्रदेश के अधीन स्वीकृत पदों का स्थायीकरण

75--श्री झिलमिट राम--

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य वित्त अधिकारी, जिला परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अधिष्ठान के अन्तर्गत कुल कितने विभिन्न प्रकार के पद स्वीकृत हैं ? उनमें से कितने पद स्थायी घोषित किये गये हैं तथा कितने पद स्थायी घोषित करने के लिए शासन के विचाराधीन है ? अब तक स्थायी घोषित न करने का क्या कारण रहा है तथा कब तक स्थायी घोषित हो जायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मुख्य वित्त अधिकारी (जिला परिषदें), उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अधिष्ठान के अन्तर्गत चीफ एकाउन्टेन्ट, एकाउन्टेन्ट टाइपिस्ट-कम-क्लर्क तथा चपरासी के 51-51 पद सृजित हैं जिसमें से मुख्य लेखाकार के 49, लेखाकार के 51, टंकक एक, लिपिक के 50 तथा चपरासी के 51 पद स्थायी हैं । वित्तीय परामर्शदाता के 51, मुख्य लेखाकार के 2 तथा टंकक एवं लिपिक के एक पद के स्थायीकरण की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी ।

जनपद रायबरेली में कृषि फार्म के परिक्षेत्र में नियुक्त कृषि अधीक्षक तथा उनकी एक जिले में अधिकतम रुकने की अवधि

76--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में सरकारी कृषि फार्म पर कौन-कौन कृषि अधीक्षक नियुक्त हैं और वह जनपद रायबरेली में कितने वर्षों से कार्यरत हैं तथा नियमानुसार एक कर्मचारी एक जनपद में अधिक से अधिक कितने वर्ष रह सकता है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

प्रश्नगत कर्मचारियों से सम्बन्ध में सूचना संलग्न है। संलग्नक* के क्रमांक 5 व 6 पर उल्लिखित कर्मचारियों के स्थानान्तरण के आदेश कर दिए गये हैं। वर्ष 1981-82 में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जो नीति निर्धारित की गई थी उसके अनुसार परिक्षेत्र अधीक्षकों के स्थानान्तरण सामान्यतया तीन वर्ष से पहले नहीं किए जाने हैं। किसी जनपद में इन कर्मचारियों की नियुक्ति की अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की गयी है।

*(देखिये नत्थी 'च' अग पृष्ठ 1040 पर।)

जौनपुर जनपद की मुफ्ती गांव से गौराबादशाहपुर की अपूर्ण सड़क का ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा निर्माण

77--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि दो वर्ष पूर्व मण्डी समिति द्वारा बनवाई जा रही जौनपुर जनपद का मुफ्तीगंज से गौरा बादशाहपुर सड़क अधूरी छोड़ दी गयी ? क्या इस अधूरी सड़क को सरकार शीघ्र पूर्ण कराकर क्षेत्रीय जनता को आवागमन का साधन उपलब्ध करायेगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

प्रश्नगत सड़क पर "अर्थवर्क" एवं पुलिया निर्माण का कार्य एवं 2 कि0 मी0 की दूरी तक खड़ंजा लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष खड़ंजा लगाने का कार्य ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जायेगा। मंडी परिषद्/मंडी समिति अब मार्गों पर कोई व्यय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार नहीं कर सकती है।

जनपद जौनपुर के भुइली-गोड़हरा के अपूर्ण मार्ग तथा गांगी नदी पर पुल के निर्माण की मांग

78--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज के अन्तर्गत खाद्यान्न योजना में बन रहे भुइली-गोड़हरा मार्ग को अधूरा छोड़ दिया गया ? क्या सरकार इस अधूरे मार्ग को शीघ्र पूर्ण करायेगी एवं भुइली-गोड़हरा के बीच पड़ने वाले गांगी नदी पर पुल का भी निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

भुइल-गोड़हरा मार्ग का निर्माण कार्य श्रम हेतु खाद्यान्न योजनान्तर्गत नहीं लिया गया था। अतः इसे पूर्ण करने का प्रश्न नहीं उठता। इसी प्रकार भुइल-गोड़हरा के बीच पड़ने वाली गांगो नदी पर पुल बनाने का प्रस्ताव भी नहीं है। यह योजना दिसम्बर, 1980 में समाप्त हो चुकी है।

ब्लाक निन्दूरा, बाराबंकी के ब0 डी0 ओ0 तथा कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत

79--श्री भीखा लाल--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी विकास खंड, निन्दूरा, जिला बाराबंकी ने खंड विकास अधिकारी, निन्दूरा के क्रियाकलापों तथा विकास खंड के अन्य कर्मचारियों द्वारा की गयी अनियमित कार्यवाहियों के सम्बन्ध में एक शिकायती प्रार्थना-पत्र विकास अधिकारी, बाराबंकी दिनांक 8-3-81 को दिया था ? यदि हां, तो उसकी जांच कराई गयी और जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां।

शिकायतों के सम्बन्ध में जांच के फलस्वरूप कुछ अधिकारी व कर्मचारी अनियमितताओं के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं। उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

80--श्री भीखा लाल--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के कृषि मजदूरों को बढ़ा मजदूरी का भुगतान

81---श्री मित्रसेन--

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि खेत मजदूरों की बढ़ी हुई मजदूरी आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में कार्य करने वाले खेत मजदूरों को दी जा रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद में कार्य करने वाले खेत मजदूरों को खेत मजदूरी की बढ़ी हुई मजदूरी का भुगतान दिनांक 9 जनवरी, 1981 से किया जा रहा है।

श्री रमाशंकर राय कामदार, जूट विकास केन्द्र, राजातालाब वाराणसी की सेवा-पुस्तिका गायब होना

82--श्री राज कुमार राय--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रमाशंकर राय कामदार, जूट विकास केन्द्र, राजा तालाब, वाराणसी की सेवा-पुस्तिका गायब हो गयी है ? यदि हां, तो कैसे और उसे बनवाने की कौन-सी कार्यवाही हो रही है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां ।

श्री राय के अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु उनकी सेवा-पुस्तिका एवं वैयक्तिक पत्रावली प्रस्तुत की गयी थी तत्पश्चात् यह सेवा-पुस्तिका गायब पाई गई। श्री राय की सेवा-पुस्तिका पुनः तैयार कर ली गयी है व सम्बन्धित लिपिक श्री बेचू राम को इस लापरवाही हेतु कड़ी चेतावनी दे दी गई है ।

जनपद जालौन में राहत कार्य के अन्तर्गत श्रमिकों की बकाया मजदूरी

83--श्री शंकर सिंह--

प्रश्नकर्ता के दिनांक 17-9-80 के नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी नोटिस के सम्बन्ध में क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को यह जानकारी है कि जालौन जनपद में चलाये गये सन् 1980 के राहत कार्यों की मजदूरी अभी तक बकाया है तथा जनपद की नवम्बर-दिसम्बर, 1980 की प्रगति रिपोर्ट में श्रमिकों की मजदूरी अवशेष नहीं बतायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उचित कार्यवाही कराकर मजदूरों को तुरन्त मजदूरी दिलाने की कार्यवाही करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

जिलाधिकारी से प्राप्त सूचना सुस्पष्ट नहीं है । अतः उनसे, अतिरिक्त विवरण पुनः मांगा गया है उसके प्राप्त होने पर ही आगे की कार्यवाही सम्भव होगी ।

जालौन के ग्राम चमारी में वन गायों द्वारा फसल की हानि तथा उसका समाधान

84--श्री शंकर सिंह--

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जनपद की कालपी तहसील के ग्राम चमारी के आस-पास वन गाय के झुन्डों द्वारा जो किसानों की फसलों की क्षति पहुंचाई जाती है उसके सम्बन्ध में क्या सरकार की वन गाय पकड़ने की कोई योजना है तथा इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने दिनांक 28-2-81 को संयुक्त निदेशक, पशुपालन को ग्रामवासियों के प्रार्थना-पत्र के साथ निजी पत्र भेजा था उस पर क्या कार्यवाही की गयी तथा वन गाय कब तक पकड़ी जायेंगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां, योजना है ।

प्रश्नकर्त्ता का पत्र प्राप्त होने पर निदेशक, पशु पालन विभाग द्वारा मन्डलीय एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को वन गायों के उत्पात को नियन्त्रित करने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

गोरखपुर, निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज में सरकारी व प्राइवेट खाद व बीज भंडार तथा ग्राम खुटहा, पुड़िला व दरहटा से सम्बन्धित जांच

85—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज में कुल कितने सरकारी खाद बीज भंडार व खाद के प्राइवेट लाइसेन्सी हैं तथा इनके नाम व पते क्या हैं ? क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता ने पुलिस व अन्य स्रोतों से माह अक्तूबर से दिसम्बर, 1980 तक ग्राम खुटहा-मुडिला व दरहटा में जांच करवाया था जिसमें लोग दोषी पाये गये थे जिसकी सूचना स्थानीय अधिकारियों एवं शासन को प्रश्नकर्ता ने माह अक्तूबर, 1980 से अब तक अनेक बार दी है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी और उसका पूरा विवरण क्या है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज में चार राजकीय कृषि बीज भंडार हैं तथा 20 (बीस) प्राइवेट लाइसेन्स धारी हैं। उनके नाम व पते संलग्न सूची में दिये गये हैं।

जी हां। की गई जांच के आधार पर ग्राम खुटहा व मुड़िला के उर्वरक विक्रेता को उर्वरक व्यापार करने से वंचित कर किया गया है, तथा जांच सम्बन्धी समस्त अभिलेख थानाध्यक्ष महराजगंज को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेज दिये गये हैं।

इसी प्रकार ग्राम दरहटा से सम्बन्धित शिकायत की जांचोपरान्त पाई गई अनियमितताओं के आधार पर अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना महराजगंज में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। संबन्धित बीज भंडार के तत्कालीन प्रभारी पलायित हो गये। उनको व बीज भंडार के अन्य समस्त कर्मचारियों को स्थानान्तरित कर दिया गया और पलायित कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 1041 पर।)

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में सहायक अभियन्ताओं की अधिशासी अभियन्ताओं की प्रोन्नति में अनियमितता की शिकायत

86—श्री शम्भूनाथ सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री मेरे मुख्य मन्त्री को सम्बोधित दिनांक 30 अगस्त, 1980 की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र के अनुसार ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में अधिशासी अभियन्ता के पदों पर अनियमित रूप से की गई पदोन्नतियों को ठीक करके कब तक सही तथा ज्येष्ठ सहायक अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ताओं के पदों पर प्रोन्नत करने की कार्यवाही पूर्ण करा लेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

शिकायती-पत्र की प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत है। अभिलेखों की छानबीन की जा रही है और यथाशीघ्र नियमितीकरण कार्य पूरा कर लिया जायेगा।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 1042 पर।)

बदायूं दातागंज एवं सहसवान स्थानों तथा बरेली की आंवला तहसील में डनलप गाड़ी तथा तांगा आदि की मजदूरों की सप्लाई का विवरण

87--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के शासन द्वारा बदायूं जनपद की दो संस्थायें दातागंज एवं सहसवान तथा जनपद बरेली, तहसील आंवला की एक संस्था की सरकार की स्कीम के अन्तर्गत डनलप गाड़ी, तांगा, ग्रामीण कृषकों एवं मजदूरों की सप्लाई करने की अनुमति अतिरिक्त जिला-धिकारी (परियोजना), बदायूं ने विकास खंडों के अधीन दी थी ? यदि हां, तो किस-किस विकास खंड में कितना-कितना माल किस-किस संस्था द्वारा सप्लाई किया गया और किस-किस संस्था को अब तक कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फीडर बैलेन्सिंग डेरी, रामनगर वाराणसी का घाटे पर चलना तथा उसके सुधार हेतु राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड द्वारा उक्त योजना के चलाने की मांग

88--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या सरकार को मालूम है कि फीडर बैलेंसिंग डेरी, रामनगर, वाराणसी की त्रुटिपूर्ण कार्य प्रणाली से यह घाटे में चल रही है और क्षेत्रीय जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में इसका योगदान नगण्य है ? क्या सरकार वांछित सुधार करेगी या इसे राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के माध्यम से चलाने की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

इस समय फीडर बैलेंसिंग डेरी, रामनगर, वाराणसी दुग्ध आपूर्ति में कमी के कारण घाटे में चल रही है ।

जब यह डेरी अपनी पूरी क्षमता पर कार्य करने लगेगी तब अपने मिल्क शेड के अन्तर्गत तथा मिल्क रूट्स पर स्थित, दुग्ध व्यवसाय में रुचि रखने वाले दुग्ध समितियों के ग्रामीण सदस्य लाभान्वित होंगे ।

वांछित सुधार किये जा रहे हैं जैसे इस डेरी को भली प्रकार चलाने में जो कार्यशील पूंजी का अभाव था, उसकी पूर्ति हेतु शासन द्वारा वर्ष 1979-80 में 26·00 लाख रुपये तथा वर्ष 1980-81 में 27·885 लाख रुपये की वित्तीय सहायता की स्वीकृति की गई है ।

इस डेरी के सफल संचालनार्थ मण्डलायुक्त, वाराणसी की अध्यक्षता में शासन द्वारा एक समन्वय समिति का गठन किया गया है । साथ ही साथ शासन ने फीडर बैलेंसिंग डेरी वाराणसी के संचालनार्थ तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता के सदुपयोग हेतु सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में समिति का गठन भी किया गया है । इस डेरी को राष्ट्रीय दुग्ध

विकास बोर्ड के माध्यम से चलाने का प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि प्रदेश की दुग्ध सहकारिताओं की शीर्ष संस्था प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन स्वयं इस डेरी का संचालन करती है ।

जौनपुर, विकास क्षेत्र, जलालपुर के स्वीकृत सम्पर्क मार्गों का निर्माण

89--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को जानकारी है कि सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु कम से कम बीस फुट चौड़ी भूमि उपलब्ध होना अनिवार्य है ? क्या यह भी सत्य है कि बीस फुट चौड़ी भूमि उपलब्ध न होने से जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के आठ स्वीकृत सम्पर्क मार्गों पर कार्य ही प्रारम्भ नहीं किया गया ? क्या क्षेत्रीय जनता को आवागमन का मार्ग उपलब्ध कराने हेतु उक्त सम्पर्क मार्गों का शीघ्र निर्माण कराया जायगा ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां । श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु बीस फुट चौड़ी भूमि का उपलब्ध होना अनिवार्य है । यह भी सत्य है कि विकास खंड जलालपुर में स्वीकृत 10 सम्पर्क मार्गों में से 5 सम्पर्क मार्गों पर बीस फुट चौड़ी भूमि उपलब्ध न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका था । श्रम के बदले खाद्यान्न योजना समाप्त हो चुकी है । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत इन मार्गों के निर्माण पर विचार करने हेतु जिला स्तर पर गठित स्टेरिंग कमेटी को विचार करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित कर दिया गया है ।

स्वास्थ्य रक्षक वेतन भोगी कर्मचारियों को, जिला फैजाबाद के चिन्डटीपारा ग्राम सभा के प्रधान के पद पर नियुक्ति

90--श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती'--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा चिन्डटीपारा, ब्लाक कटेहरा, जिला फैजाबाद में प्रधान की मृत्यु के बाद एक स्वास्थ्य रक्षक वेतन भोगी कर्मचारी को प्रधान बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या इसके विरोध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र पंचायत अधिकारी, फैजाबाद को मिला है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम प्रधान की नियुक्ति निरस्त करने तथा सम्बन्धित अधिकारियों को दण्ड देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां । एक स्वास्थ्य रक्षक वेतन भोगी कर्मचारी को प्रधान बनाया गया था और इसके विरुद्ध एक शिकायती-पत्र भी जिला पंचायत राज अधिकारी को प्राप्त हुआ था । बहरहाल, उक्त प्रधान की नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया । मामले की जांच के लिए आवश्यक अभिलेखों के प्राप्त किये जाने में कुछ समय लगा परन्तु जांचोपरान्त सम्बन्धित अधिकारियों को दण्डित किये जाने की आवश्यकता अनुभव नहीं हुई ।

एटा, ब्लाक शीतलपुर में श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कासौन सम्पर्क मार्ग के निर्माण में घोटाला

91--श्री मुंशी लाल--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80 में ब्लाक शीतलपुर, जनपद एटा में जी० टी० रोड से कासौन ग्राम तक श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत निर्मित कार्य में जांच के उपरान्त गम्भीर घोटाला प्रकाश में आया था ? यदि हां, तो घोटाला से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जनपद एटा के विकास खंड शीतलपुर में श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत निर्मित कासौन सम्पर्क मार्ग के घोटाले के सम्बन्ध में तत्कालीन जिला पंचायत राज अधिकारी, एटा नें प्रारम्भिक जाँच आख्या प्रेषित की थी । इस मामले की विधिवत जाच की जा रही है जिसके पूर्ण होने पर आवश्यकतानुसार सम्बन्धित दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी ।

92--श्री सूबेदार सिंह---

[5 वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 166 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सीतापुर, ब्लाक हरगांव के बी० डी० ओ० श्री बाबूराम त्रिवेदी के विरुद्ध शिकायत

93--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरगांव, जिला सीतापुर के विकास खण्ड अधिकारी, श्री बाबूराम त्रिवेदी के विरुद्ध कोई गम्भीर शिकायती-पत्र जिसमें आरोप तथा कार्यवाही का भी सुझाव था 13 अगस्त, 1980 तथा 30 जनवरी, 1981 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन कृषि उत्पादन आयुक्त को मिले ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें तथा सुझाव क्या थे तथा उस पर अब क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

श्रम के बदले खाद्यान्न एवं धनराशि आदि के दुरुपयोग की शिकायते तथा दोषी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निलम्बित करने का सुझाव भी प्राप्त हुआ था । आरोपों के सम्बन्ध में विधिवत जांच करायी जा रही है । आरोप सिद्ध होने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही की जायेगी ।

94--श्री सूबेदार सिंह--

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या--167 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जिला परिषद् बाराबंकी के गैंग मैन का अधिकारियों के घर काम करने तथा चपरासियों द्वारा हाजिरी रजिस्टर पर हस्ताक्षर न कराने का आरोप

95--श्री श्यामलाल बाजपेयी--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिला परिषद् में सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत 27 व्यक्तियों के जो 3 गैंग कार्यरत हैं क्या यह सत्य है कि उस गैंग के 27 व्यक्ति सड़कों पर काम करने के बजाय जिला

परिषद् से सम्बन्धित अधिकारियों के घर व्यक्तिगत सेवा में लगे रहकर वेतन प्राप्त कर रहे हैं ? क्या शासन को जानकारी है कि बाराबंकी जिला परिषद् में 26 चपरासियों का वेतन निकाला जाता है, जब कि हाजिरी रजिस्टर पर केवल 9 चपरासियो के हस्ताक्षर होते हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

यह सही है कि जिला परिषद् बाराबंकी में सार्वजनिक निर्माण के अन्तर्गत 27 व्यक्तियों के तीन गैंग कार्यरत हैं, परन्तु गैंग का कोई भी आदमी किसी अधिकारी को व्यक्तिगत सेवा में नहीं लगा है । गैंग के सभी व्यक्ति सड़कों के रख-रखाव, वृक्षारोपण, गड्ढ खोदने, नये पेड़ों का रख-रखाव तथा पारिषदीय कार्य करते हैं ।

यह भी सत्य है कि जिला परिषद् बाराबंकी में 26 चपरासी एवं अर्दली हैं । इनमें से 10 चपरासी उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर करते हैं, शेष ग्रामीण क्षेत्र में 11 क्षेत्रीय कर संग्रहकों के साथ, एक-एक चपरासी कर अधिकारी तथा निरीक्षकों के साथ कार्यरत हैं, जिनका कार्यालय की उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं है ।

जिला परिषद् बाराबंकी के बकाये टैक्स की वसूली

96—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या शासन के संज्ञान में यह बात भी है कि बाराबंकी जिला परिषद् का 42 लाख रुपया टैक्स का बकाया पड़ा है जबकि 11 टैक्स कलेक्टर, 1 टैक्स इन्सपेक्टर, 1 टैक्स अधिकारी, जिला परिषद् से वेतन लेते हैं ? यदि नहीं, जिलाधिकारी एवं अतिरिक्त जिलाधिकारी के रूप में दो आ.ई0 ए0 एस0 निरन्तर देख-रेख करते हैं ? क्या शासन बाराबंकी जिला परिषद् में व्याप्त अनियमितताओं को दूर करने के लिए कोई कारगर उपाय सोच रहा है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रश्नगत 42 लाख रुपये में से 3,68,246 रु0 मार्च 1981 तक वसूल किया जा चुका है, जिससे बकाये की धनराशि केवल 38,31,754 रु0 है । यह सही है कि जिला परिषद् बाराबंकी में 11 टैक्स कलेक्टर, 1 टैक्स इंसपेक्टर, 1 टैक्स अधिकारी कार्यरत है । इस समय जिलाधिकारी/अध्यक्ष, आ.ई0 ए0 एस0 तथा अतिरिक्त जिलाधिकारी/मुख्य अधिकारी पी0 सी0 एस0 समवर्ग के हैं । जिला परिषद् बाराबंकी में वसूली की प्रगति कुछ धीमी अवश्य है, परन्तु इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है ।

सीतापुर में सहायक निदेशक, मत्स्य का खोला गया कार्यालय

97—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर में सहायक निदेशक, मत्स्य का कार्यालय खुलना स्वीकृत है ? यदि हां, तो अब तक कार्यालय न खुलने का क्या कारण है ? कार्यालय कब तक खुल जायेगा ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां । सीतापुर में भवन की अनुपलब्धता के कारण कार्यालय स्थानान्तरित नहीं किया जा सका था परन्तु अब सहायक निदेशक, मत्स्य का कार्यालय खोला जा चुका है ।

श्री गोविन्द सिंह राणा, निवासी डिडौली, चमोली तथा अन्य कृषकों को पम्पिंग सेट के अवशेष धन की माफी

98—श्री कुंवर सिंह नेगी—

विधान सभा प्रथम सत्र 1981 के पांचवें सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 22 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गोविन्द सिंह राणा, निवासी डिडौली, पो0 मेठ.प , जिला चमोली एवं कतिपय अन्य कृषकों द्वारा पम्पिंग सेट क्रय करने हेतु लिये गये तकाबी ऋणो के अवशेष को वसूली मय ब्याज के माफ करने का निर्णय शासनादेश सं0 664/38-4, दिनांक 11-11-76 द्वारा लिया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त पत्रावली वित्त विभाग में खो जाने के कारण माफ की गयी धनराशि सम्बन्धित कृषकों को नहीं लौटाई जा सकी है ? यदि हां, तो उक्त धनराशि को सम्बन्धित कृषकों को शासनादेश के अनुसार भुगतान करने की क्या व्यवस्था की गयी है और भुगतान सम्बन्धित कृषकों को कब तक किया जायेगा ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां ।

जी हां । सम्बन्धित कृषकों को आवश्यक धनराशि का भुगतान करने के लिये वित्त विभाग के परामर्श से अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है तथा शीघ्र ही सम्बन्धित कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर दी जायेगी ।

जिला चमोली में नये ब्लाक घाट तथा देवाल में कर्मचारियों की नियुक्ति

99—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली में खोले गए नये विकास खंड घाट तथा देवाल में सभी कर्मचारियों की नियुक्ति दिनांक 30-4-81 तक कर दी गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों तथा देरी का कारण क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिला चमोली में खोले गये नये विकास खंड घाट तथा देवाल में शासन से स्वीकृति प्राप्त सभी कर्मचारियों की नियुक्ति दिनांक 30-4-81 से पूर्व कर दी गई थी ।

जिला चमोली में मत्स्य पालन की योजनाएं

100—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली के लिए मत्स्य पालन की किन-किन स्थानों के लिए योजनायें बनाई गयी हैं और उनमें से किन-किन पर दिनांक 2-2-1981 को कार्य चल रहा था ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

चमोली जनपद हेतु अलग से कोई विशेष योजना नहीं बनाई गयी है वरन् विभाग द्वारा कार्यान्वित सामान्य योजना के अन्तर्गत तलवाड़ी हैचरी पर मिरर कॉर्प जाति की मछली का प्रजनन एवं मत्स्य बीज के पोषण का कार्य चलाया जा रहा है ।

प्रदेश में फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन

101—श्री सूबेदार सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में फसल बीमा योजना क्रियान्वित करने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार योजना का विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां,

प्रस्तावित योजना को अन्तिम रूप अभी नहीं दिया गया है । अतः पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

इटावा जनपद में चिलिंग प्लान्ट लगाने हेतु औरैया तहसील में भूमि का अधिग्रहण

102—श्री धनीराम वर्मा—

क्या पशुधन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इटावा जनपद में चिलिंग प्लान्ट लगाये जाने हेतु मिल्क बोर्ड, कानपुर के माध्यम से 6 लाख रुपया केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृत किया है और जिसके लगाने हेतु औरैया तहसील में जिलाधिकारी के आदेशानुसार भूमि एक्वायर की जा रही है ? यदि हां, तो यह प्लांट कब तक लग कर तैयार हो जायेगा ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी नहीं । वर्ष 1977-78 में कानपुर सहकारी मिल्क बोर्ड को इटावा जनपद में यूनिसेफ से उपहार स्वरूप प्राप्त चिलिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु 6.50 लाख रुपये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भूमि एवं भवन हेतु स्वीकृत किया गया । इस अवशीतक केन्द्र को औरैया तहसील में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है । अवशीतक केन्द्र के लिये 1.25 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी जिसके अभिप्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है । भूमि उपलब्ध होने पर प्लान्ट बनाने की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रदेश के विकास खंडों का परिसीमन

103—श्री धनी राम वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के विकास खण्डों का परिसीमन विचाराधीन है ? यदि हां, तो परिसीमन की प्रगति किस स्तर पर चल रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं ।

इटावा जनपद में वृहद् दुग्धशाला की स्वीकृति

104--श्री धनोराम वर्मा--

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जनपद में एक वृहद् दुग्धशाला संचालनार्थ शासन द्वारा 4.82 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो इस योजना पर कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

इटावा जनपद में एक वृहद् दुग्धशाला के संचालनार्थ 4.82 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ था । जनपद इटावा को आपरेशन फ्लड-2 कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप अब अलग से कोई योजना चलाने का औचित्य नहीं रह जाता है । उक्त योजना के अंतर्गत नेशनल डेरी डेवलपमेन्ट बोर्ड को सहायता से परस्पेक्टिव प्लान बनाने के लिए सर्वेक्षण हो चुका है तथा परस्पेक्टिव प्लान के प्राप्त होने पर शासन स्तर पर आपरेशन फ्लड-2 योजना को चलाये जाने हेतु कार्यवाही की जा सकेगी ।

जनपद जौनपुर में पंचायती नलकूप के ऋण का भुगतान

105--श्री जंगबहादुर --

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर में पंचायती नलकूप 1969-75 तक पंचायतों को ऋण देकर निर्मित कराए गये थे जिनके ऋण का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया ? क्या यह सही है कि दुर्व्यवस्था के कारण सब नलकूप बन्द हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या शासन ऋण की वसूली उनको पुनः चलाए जाने अथवा उनके नीलाम करने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कृषि बीज भंडार, बभौली, जनपद बस्ती के प्रभारी का स्थानान्तरण

106--श्री राम आसरे पासवान--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि बीज भन्डार, बभौली, जनपद बस्ती के वर्तमान प्रभारी का स्थानन्तरण फैजाबाद मन्डल को किया गया जिसे मार्च, 1981 तक के लिए स्थगित रखा गया था ? यदि हां, तो क्या अब उन्हें कार्य-भार से मुक्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां, कार्यमुक्ति के लिये आदेश पुनः भेजे गये हैं ।

इटावा जनपद को बेता रोड से दिबियापुर बाया सहायक रोड का निर्माण

107--श्री धनीराम वर्मा--

क्या पंचायती राज मन्त्री को ज्ञात है कि इटावा जनपद की बेता रोड से दिबियापुर बाया सहायक रोड का निर्माण कार्य का प्रारम्भ जिला परिषद् ने लगभग 3 वर्ष पूर्व करवाया था परन्तु अब भी सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और इस वर्ष बाढ़ से अत्यधिक क्षतिग्रस्त भी हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क पर निर्माण अतिशीघ्र करवाएगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम सिंह यादव--

प्रश्नगत सड़क पर जिला परिषद् इटावा द्वारा प्रथम 2 कि0 मी0 में कंकड़ की सड़क 3 वर्ष पूर्व बनवाई गई थी, शेष 5 से 65 कि0 मी0 भाग कच्चा है । यह सही है कि सड़क बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, परन्तु जिला परिषद् की आर्थिक स्थिति संतोषजनक न होने के कारण चालू वित्तीय वर्ष में इस मार्ग का निर्माण कराना सम्भव नहीं है ।

इटावा जनपद के औरैय्या एवं बिधूना क्षेत्र में खोले गये पौष्टिक आहार केन्द्र

108--श्री धनीराम वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जनपद के औरैय्या एवं बिधूना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में वर्ष 1980-81 में कौन-कौन से पौष्टिक आहार केन्द्र खोले गये हैं, वे कुल कितनी अवधि तक चले और उसमें विभिन्न प्रकार की कुल कितने रुपये की कौन-कौन सी सामग्री वितरित की गयी ।

श्री बलराम सिंह यादव--

इटावा जनपद के औरैय्या, बिधूना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में वर्ष 1980-81 में पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत कोई केन्द्र नहीं खोले गये हैं ।

इटावा जनपद की बिधूना तहसील के ग्राम हरचन्द्रपुर में सड़क निर्माण

109--श्री धनीराम वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को ज्ञात है कि इटावा जनपद की बिधूना तहसील के ग्राम हरचन्द्रपुर की आबादी लगभग 5,000 है और वह आवागमन के साधनों से वंचित है ? क्या सरकार दिबियापुर बिधूना बाया हरचन्द्रपुर निर्माणाधीन सड़क अतिशीघ्र बनवाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

उक्त ग्राम की आबादी लगभग 6 हजार बताई गई है । प्राप्त सूचना के अनुसार दिबियापुर-बिधूना बाया हरचन्द्रपुर सड़क निर्माणाधीन नहीं है ।

सन्दर्भित सड़क के निर्माण हेतु माननीय सदस्य महोदय का प्रस्ताव विचारार्थ मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग/जिलाधिकारी, इटावा को प्रेषित कर दिया गया है ?

पशुधन विकास अधिकारी, डाक्टर जय कृष्ण सक्सेना के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपों की जांच

110--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978-79 में जनपद बदायूं के पशुधन विकास अधिकारी, प्रभारी पशु चिकित्सालय डा0 जय कृष्ण सक्सेना के विरुद्ध भ्रष्टाचार, भूसा खरीद में फर्जी वाउचर के जरिये सरकारी धन हड़पने से सम्बन्धित आरोपों की कोई जांच तत्कालीन जिला पशुधन अधिकारी के द्वारा की गयी ? यदि हां, तो जांच आरोप सही पाये गये थे और सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

डा0 जय कृष्ण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बारे में जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और वह शासन के विचाराधीन है ।

जनपद बदायूं में ट्राइसम आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत बेरोजगार युवक तथा युवतियों को रोजगार देने का कार्यक्रम

111--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में ट्राइसम आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्य ग्रामीण बेरोजगार युवक तथा युवतियों को रोजगार देने हेतु ब्लाकों में चलाये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या यह सभी प्रशिक्षण आसफपुर, प्रशिक्षण केन्द्र, जनपद बदायूं के द्वारा चलाने के आदेश शासन द्वारा कर दिये गये हैं ? क्या सरकार प्राइवेट रजिस्टर्ड संस्थाओं से यह प्रशिक्षण ग्रामीणों को सुविधा देने हेतु ब्लाक मुख्यालयों पर चलवाने का कष्ट करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

बदायूं जनपद में ट्राइसम (आई0 आर0 डी0) योजना के अन्तर्गत ग्रामीण बेरोजगार युवक तथा युवतियों को रोजगार देने हेतु प्रशिक्षण कार्य चलाए जाते हैं । शासनादेश संख्या 3440/38-5-204-टी0 आर0-1981, दिनांक 26 जून, 1981 द्वारा जनपद में योजना को समन्वित ढंग से कार्यान्वित करने एवं कार्यक्रम को लागू करने हेतु उत्तरदायी बनाने के दृष्टिकोण से प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, आसफपुर को प्रशिक्षण संस्था घोषित किया गया है । परन्तु, इसका यह आशय नहीं है कि अन्य प्राइवेट रजिस्टर्ड संस्थाओं द्वारा इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । हालांकि, दिनांक 27 अप्रैल, 1981 को आयोजित जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की गवर्निंग बाडी की बैठक में उपर्युक्त प्रशिक्षण कार्य केवल सरकारी संस्थाओं द्वारा ही कराये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है ।

112--श्री सूबदार सिंह--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त

जनपद बस्ती के विकास विभाग के लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

113--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आयक्त एवं सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 1928/38-1-1981, दिनांक 13-3-81 में दिए निर्देशों के विपरीत बस्ती जनपद के विकास विभाग के लिपिकीय वर्ग कर्मचारियों के तबादले जो निर्गत किए गये हैं उनमें कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें तीन वर्ष पूरे हुए बिना स्थानान्तरण आदेश दिया गया हैं और कितने ऐसे लोग हैं जिनका बिना विकल्प लिए हुए स्थानान्तरण किया गया है और क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

बस्ती जनपद के विकास विभाग के 7 ज्येष्ठ लिपिक और एक कनिष्ठ लिपिक का स्थानान्तरण बिना तीन वर्ष पूर्ण हुए किया गया है। इनमें से 2 ज्येष्ठ लिपिकों का स्वयं के अनुरोध पर, 5 ज्येष्ठ लिपिकों का प्रशासनिक दृष्टिकोण से तथा एक कनिष्ठ लिपिक का स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण किया गया है। 7 ज्येष्ठ लिपिकों का बिना विकल्प प्राप्त हुए ही स्थानान्तरण किया गया है। शासनादेशानुसार विकल्प मांगा गया था किन्तु विकल्प प्राप्त नहीं हुए।

देवरिया जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाओं का कार्य

114--श्री हरिवंश सहाय--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत 30 अप्रैल, 1981 तक कौन-कौन कार्य प्रारम्भ कर दिए गए हैं ? तथा आगामी 1981-82 के लिए किस काम के लिए प्रस्तावना है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

देवरिया जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 अप्रैल, 1981 तक 84 परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है। जिसकी सूची† संलग्न है।

वर्ष 1981-82 के लिये उपरोक्त 84 परियोजनाओं के अतिरिक्त 138 योजनाओं के लिए जाने का प्रस्ताव है जिसकी सूची† संलग्न है।

115--श्री मोती लाल देहलवी--

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 47 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

116--श्री राम सागर--

[2रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 147 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

†छापी नहीं गई।

जनपद बदायूं में आई0 आर0 डी0 योजनान्तर्गत ग्रामीण बेरोजगार युवक तथा युवतियों को प्रशिक्षण

117–श्री मोहम्मद अबरार अहमद––

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने को कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में आई0 आर0 डी0 (ट्राईसम) योजना के अन्तर्गत ग्रामीण बेरोजगार युवक तथा युवतियों को ब्लाक स्तर प्रशिक्षण मान्यता प्राप्त (रजि0) संस्थाओं द्वारा दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इन संस्थाओं को सरकार के नियमानुसार 50 रु0 प्रति छात्र ट्यूशन फीस प्रतिमाह और 100.00 रु0 प्रति छात्र प्रति सत्र कच्चे माल के लिए दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद बदायूं में टाईसम योजना के अन्तर्गत ग्रामीण बेरोजगार युवक तथा युवतियों को ब्लाक स्तर पर मान्यता प्राप्त (रजिस्टर्ड) संस्थाओं द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है । प्रशिक्षण संस्थाओं को रु0 50 प्रतिमाह प्रति छात्र की दर से प्रशिक्षण व्यय का भुगतान किया गया है । शासन स्तर से रु0 100 प्रति छात्र/प्रति सत्र/प्रति पाठ्यक्रम की दर से प्रशिक्षण संस्थाओं को कच्चे माल के क्रय हेतु जारी किए गए निर्देश हालांकि उक्त जनपद में प्राप्त हो गए हैं परन्तु, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की गवर्निंग बाडी द्वारा उपरोक्त धनराशि के भुगतान हेतु अनुमोदन न होने के कारण उक्त धनराशि का भुगतान प्रशिक्षण संस्थाओं को नहीं किया जा सका ।

एग्रो द्वारा दोहरा भुगतान तथा एफ0 सी0 आई0 द्वारा धन की वापसी

118–श्री रामलाल वर्मा––

क्या कृषि मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 28 मई, 1979 को अल्पसूचित प्रश्न संख्या एक के क्रम में एग्रो द्वारा 25–25 लाख रुपए के दोहरे भुगतान का मामला सिद्ध पाया गया था अब तक कितने धन की वापसी एफ0 सी0 आई0 द्वारा की गई ? यदि हां, तो कब किस चेक से, यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह दोहरा भुगतान एग्रो द्वारा एक मुश्त किया गया अथवा किस्तों में, यदि किस्तों में किया गया तो कब–कब कितनी–कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ?

श्री भानु प्रताप सिंह––

एफ0 सी0 आई0 द्वारा 25, 25 895.81 रु0 का जो प्रश्नगत दोहरा भुगतान प्राप्त कर लिया गया था उसमें से 23, 59,807.29 रु0 संलग्नक में दर्शाए विवरण के अनुसार प्राप्त किए जा चुके हैं । 1.66 लाख रु0 विवाद–ग्रस्त होने के कारण इसके सम्बन्ध में न्यायालय में दावा दायर किया जा चुका है । यह दोहरा भुगतान एफ0 सी0 आई0 द्वारा संलग्नक–II में दर्शाए विवरण के अनुसार विभिन्न तिथियों को बैंक में बिल प्रस्तुत करके प्राप्त कर लिया गया था ।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 1045 पर ।)

अधिकृत नियंत्रक ट्रैक्टर्स द्वारा पुराने रेट पर एक मेसी ट्रैक्टर बिना उपकरण देने का निर्देश

119—श्री बदन सिंह—

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि अधिकृत नियन्त्रक ट्रैक्टर्स के पत्र सं0 ए–ई–1062–63/एस0 टी0 ट्रै0 अ0, दिनांक 5 मई, सन् 1981 द्वारा एक कृषक श्री बदन सिंह पुत्र श्री बीरबल, निवासी ग्राम जाजऊ, पो0 जाजऊ, जिला आगरा को पुराने रेट पर एक मेसी ट्रैक्टर बिना उपकरणों के देने का निर्देश दिया गया था ? यदि हां, तो अनिल ट्रैक्टर्स ताज रोड आगरा द्वारा उक्त कृषक को पुराने रेट पर दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

श्री बदन सिंह पुत्र श्री बीरबल, निवासी ग्राम जाजऊ, जिला आगरा के अनुरोध पर अधिकृत नियंत्रक (ट्रैक्टर्स) उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने आदेश संख्या ए–ई/1062–63/एस0 टी/ट्रै0 अ0, दिनांक 5–5–1981 द्वारा मेसर्स अनिल ट्रैक्टर्स, आगरा को उक्त कृषक को पुरानी कीमत पर ट्रैक्टर की डिलीवरी देने हेतु निर्देशित किया। मेसर्स अनिल ट्रैक्टर्स ताज रोड, आगरा ने उक्त कृषक को पुराने रेट पर ट्रैक्टर की डिलीवरी दिनांक 15–5–1981 को दे दी।

120—श्री सूबेदार सिंह—

[4 थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 48 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

दुग्धशाला विभाग में स्थायी एवं अस्थायी राजपत्रित अधिकारी

121—श्री उदयवीर सिंह—

क्या पशुधन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में दिनांक 31–3–81 को कितने राजपत्रित अधिकारी दुग्धशाला विभाग में कार्यरत थे, उनमें से कितने अस्थायी हैं और उनको कब तक स्थायी कर दिए जायेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

दुग्धशाला विकास विभाग में दिनांक 31–3–1981 को 45 राजपत्रित अधिकारी कार्यरत थे, उनमें से 44 अधिकारी अस्थायी हैं। इनमें से नियमानुसार 18 अधिकारियों को निकट भविष्य में स्थायी किया जाना सम्भव हो सकेगा।

उत्तर प्रदेश सहकारी डेरी सर्विसेज की सेवा नियमावली

122—श्री उदय वीर सिंह—

क्या उत्तर प्रदेश सहकारी डेरी सर्विसेज की कोई सेवा नियमावली बनाई गयी है, निजी अनुमोदन लोक सेवा आयोग से हो गया है ? यदि हां, तो उसे अब तक क्यों नहीं लागू किया गया और कब तक लागू हो जायगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

उत्तर प्रदेश सहकारी डेरी सर्विसेज की कोई सेवा नियमावली शासन के विचाराधीन नहीं है।

कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट के सदस्य

1 2---श्री राम लाल वर्मा---

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि एग्रो कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट के कितने कर्मचारी सदस्य हैं तथा क्या प्रत्येक कर्मचारी सदस्य को उसके नाम से ट्रस्ट योजना हुई धनराशि की वार्षिक स्लिप दी जा रही है ? यदि हां, तो किस वर्ष तक की कर्मचारी सदस्यों को स्लिपें दी जा चुकी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों क्या यह सत्य है कि तालकटोरा वर्कशाप के कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा एग्रो की सह कम्पनी 'हार्टिकों' के कर्मचारियों का भविष्य निधि कानपुर में जमा होता है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह---

यू0 पी0 स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कार0 लि0 इम्पलाइज कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फन्ड ट्रस्ट में 1662 कर्मचारी सदस्य हैं और उन्हें वार्षिक स्लिपें दी जा रही हैं ।

जी हां । तालकटोरा वर्कशाप एवं एग्रो की सह कम्पनी हार्टिको के कर्मचारियों, अधिकारियों के भविष्य निधि कानपुर में जमा होता है जिसके निम्न कारण हैं :—

1---तालकटोरा वर्कशाप के कर्मचारियों को ट्रस्ट में सम्मिलित करने हेतु रीजनल प्राविडेन्ट फन्ड कमिश्नर, उत्तर प्रदेश, कानपुर से अनुमति मांगी गई थी, जो प्राप्त नही हुई ।

2---एग्रो की सह कम्पनी यू0 पी0 हार्टिको ने अपना पृथक से पंजीकरण करा लिया है । अतः कर्मचारी भविष्य निधि की धनराशि रीजनल प्राविडेन्ट फन्ड कमिश्नर, उत्तर प्रदेश के कार्यालय, कानपुर में जमा करते हैं ।

ग्राम सोना जिला गाजीपुर में पशु अस्पताल का निर्माण

124---श्री रामधनी---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सोना, जिला गाजीपुर के पशु अस्पताल का कार्य निर्माणाधीन है ? यदि नहीं, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

श्री भानु प्रताप सिंह---

जी नहीं ।

निकट भविष्य में सम्भव नहीं है ।

125---श्री राम सागर---

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

इन्डोडैन मिल्क फैक्ट्री जनपद मुजफ्फरनगर की एसेट्स व लाइबिलिटीज तथा वार्षिक व्यय

126---श्री धर्मवीर सिंह त्यागी---

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्डोडैन मिल्क फैक्टरी, जनपद मुजफ्फरनगर के इस समय क्या ऐसेट्स हैं तथा क्या लाइनलिटीज हैं ? देनदारियों में दूध का कितना तथा कर्मचारियों पर कितनी व्यय वार्षिक है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

वर्ष 1979–80 के बैलेंस शीट के अनुसार इन्डोडैन मिल्क फैक्ट्री, मुजफ्फर-नगर का कुल ऐसेट्स 2,27,33,048.00 रुपये की है एवं उतनी ही लाइबिलटीज भी हैं ।

देनदारियों में से दूध की देनदारी 53, 42, 807.00 रुपये है । कर्मचारियों पर वार्षिक व्यय 18, 10, 470.00 रुपये का है ।

जनपद मुजफ्फरनगर की इण्डोडैन मिल्क फैक्ट्री में प्रतिमास विभिन्न माध्यम से लिये जा रहे दूध की मात्रा तथा औचित्य

127—श्री धर्मवीर सिंह त्यागी—

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर की इण्डोडैन मिल्क फैक्टरी जनपद के दुग्ध संघ के माध्यम से कितना व्यक्तिगत ठेकेदारों के माध्यम से, कितना तथा जिले के बाहर से कितना दूध प्रतिमास लेती है ? प्राइवेट ठेकेदारों से व जिले के बाहर से दूध लेने का क्या औचित्य है ? क्या कृषि मंत्री जनहित में फैक्टरी का जिले से बाहर से दूध लिया जाना बन्द कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

इण्डोडैन मिल्क फैक्ट्री मुजफ्फरनगर हेतु वर्ष 1980–81 में दुग्धसंघ के माध्यम से औसतन 20,500 लीटर दुग्ध प्रतिमाह, व्यक्तिगत ठेकेदारों से लगभग 3,79,80 लीटर दूध प्रतिमाह एवं लगभग 53,000 लीटर दूध प्रतिमाह जनपद से बाहर के ठेकेदारों से लिया है ।

इण्डोडैन मिल्क फैक्ट्री प्राईवेट सेक्टर में है, अतः क्षमता एवं आवश्यकता के अनुसार जनपद तथा जनपद के बाहर के प्राईवेट ठेकेदारों से दूध देने में कोई वैधानिक प्रतिबन्ध नहीं है ।

फैक्ट्री की क्षमता की पूर्ति जनपद में उत्पादित दूध से पूर्ण होने के पश्चात् ही जनपद से बाहर से दूध लिये जाने को बन्द कराये जाने पर विचार करना सम्भव होगा ।

अति0 विकास अधिकारी (कृषि रक्षा) को सेवा में लेने तथा अवशेष वेतन दिये जाने के आदेश का कार्यान्वयन

128—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1977 में सेवा से पदच्युत अति0 विकास अधिकारी (कृषि रक्षा) को सेवा में लेने तथा अवशेष वेतन दिलाने का आदेश जो कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्ड-पीठ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17–4–81 के जरिए राज्य सरकार को दिया गया है, सरकार को प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो अब तक आदेश को कार्यान्वित न करने का क्या कारण है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

अतिरिक्त विकास अधिकारी (कृषि रक्षा) का कोई पद कृषि विभाग में नहीं है । माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित अन्तरिम

आदेश दिनांक 17-4-81 जो कि श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह, सहायक विकास अधिकारी (कृषि रक्षा) से सम्बन्धित है, प्राप्त हुआ है ।

उल्लिखित आदेश दिनांक 17-4-81 को माडीफाई (Modify) कराने हेतु विभाग की ओर से दिनांक 26-5-81 तथा 17-8-81 को न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जा चुके हैं जिस पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की प्रतीक्षा है ।

129--श्री राम स्वरूप वर्मा--

[2रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 175 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद हरदोई के विकास खंड अहिरोरी के ग्राम अकबरपुर में पशु चिकित्सा केन्द्र व उपकेन्द्र की स्थापना

130--श्री राम लाल वर्मा--

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड अहिरोरी के ग्राम अकबरपुर में एक पशु चिकित्सा केन्द्र उप केन्द्र स्थापित करना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? इसके चालू हो जाने की सम्भावना है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

131--श्री जयदीप सिंह--

[3रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

परियोजना अधिकारी, वाराणसी द्वारा बीज रखने हेतु किराये पर मकान लिया जाना

132--श्री राजकुमार राय--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1979 के अप्रैल में परियोजना अधिकारी, वाराणसी ने श्रीमती लक्ष्मी देवी, मरठा पोखरा, मडुआडीह, वाराणसी का एक मकान रु0 1393 प्रति माह की दर से बीज रखने हेतु लिया था परन्तु उसका उपयोग उस कार्य हेतु नहीं किया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां, ।

ऐसा नहीं है । जिस कार्य के लिये लिया गया उसी लिये उपयोग किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर दुग्धशाला से सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी एवं उनके वेतन का भुगतान

133—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला शाहजहांपुर के दुग्धशाला से सम्बन्धित ऐसे कितने केन्द्र प्रभारी हैं जिनका वेतन नवम्बर, 1980 से नहीं दिया गया है ? सरकार समस्त ऐसे केन्द्र प्रभारियों का वेतन कब तक दिलाएगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

शाहजहांपुर की दुग्धशाला से सम्बन्धित ऐसे 11 केन्द्र प्रभारी हैं जिसका वेतन 1 नवम्बर, 1980 से नहीं दिया गया था। यह वेतन अब सभी केन्द्र प्रभारियों को भुगतान कर दिया गया है ।

जिला परिषद् परामर्श दात्री समिति में हरिजन एवं महिलाओं को प्रतिनिधित्व

134--श्री मित्रसेन--

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत जनता शासन में गठित की गयी जिला परिषद् परामर्श दात्री समिति में एक हरिजन तथा एक महिला का प्रतिनिधित्व था ? यदि हां, तो वर्तमान सरकार द्वारा गठित की गयी जिला परिषद् परामर्शदात्री समिति में हरिजनों तथा महिलाओं को प्रतिनिधित्व न देने का क्या कारण है, क्या सरकार उन्हें उक्त समिति में उनका प्रतिनिधित्व दिए जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां । परन्तु वर्तमान सरकार द्वारा गठित की गई जिला परिषद् परामर्शदात्री समिति में हरिजनों तथा महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । अतः उन्हें उक्त समिति में प्रतिनिधित्व दिए जाने पर अलग से विचार किए जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के पशुधन चिकित्सा केन्द्र साण्डी के चिकित्साधिकारी के स्थानान्तरण की मांग

135--श्री हरिवंश सहाय--

क्या पशुधन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के पशुधन चिकित्सा केन्द्र साण्डी के चिकित्साधिकारी कितने वर्षों से साण्डी में कार्यरत हैं ? उन्हें अब तक नियमानुसार अन्यत्र स्थानान्तरित न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उन्हें अविलम्ब स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

पशु चिकित्सालय, साण्डी, जनपद हरदोई में पशुधन विकास अधिकारी के पद पर वर्तमान में कार्यरत अधिकारी डा0 धर्मपाल सिंह दिनांक 11-7-76 से कार्यरत हैं । जुलाई, 1981 में उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरण के आदेश निर्गत किये गये थे परन्तु जन प्रतिनिधियों के अनुरोध और उनकी निजी प्रार्थना पर विचारोपरान्त उनका स्थानान्तरण अप्रैल, 1982 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है ।

फतेहपुर सीकरी (आगरा) ब्लाक के कतिपय ग्रामों में जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा सफल अन्वेषणात्मक छिद्रण कार्य

136--श्री बदन सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि फतेहपुर सीकरी (आगरा) ब्लाक के ग्राम इम्लावदा, मेंहदऊ, चौमा शाहपुर में भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के अन्वेषणात्मक छिद्रण सफल हो गये हैं ? यदि हां, तो फतेहपुर सीकरी के उन सभी ग्रामों में भी जिनमें अभी तक कोई सिंचाई साधन नहीं है भगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन अन्वेषणात्मक छिद्रण करेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन ने आगरा जनपद के फतेहपुर सीकरी ब्लाक में ग्राम इम्लावदा, मेहदऊ तथा चौमासापुर में अन्वेषणात्मक छिद्रण किये है । ग्राम इम्लावदा में परीक्षोपरान्त अन्वेषणात्मक छिद्रण सफल पाया गया है तथा वहां उत्पादक नलकूप बना दिया गया है । ग्राम चौमासापुर तथा मेहदऊ के छिद्रणों का परीक्षण किया जा रहा है तथा परिणाम के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी । इस संगठन द्वारा सीमित साधनों के अन्तर्गत केवल अन्वेषणात्मक छिद्रण कार्य किया जाता है तथा उत्पादक कार्य सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है । अतः फतेहपुर सीकरी ब्लाक के सभी ग्रामों में छिद्रण कार्य इस संगठन द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है ।

गांवों में सफाई के लिये पंचायतों को सफाई मजदूर दिया जाना

137--श्री सूबेदार सिंह--

क्या पंचायती राज मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गांवों की सफाई के लिए नगरों की भांति पंचायतों को भी सफाई मजदूर देने पर विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं ।

प्रदेश में गांव पंचायतों की संख्या 72 हजार से भी अधिक है, अतः इनको सफाई मजदूर दिया जाना अथवा इस हेतु समुचित अनुदान दिया जाना वर्तमान आर्थिक स्थिति में सम्भव नहीं है । अपने अधिकार क्षेत्र में स्वच्छता एवं सफाई रखना गांव पंचायतों का ही कर्तव्य है तथा उन्हें इस हेतु पंचायत राज अधिनियम की धारा 37 में कर लगाने का अधिकार प्राप्त है ।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में युवक कल्याण सम्बन्धी युवक मंगल दलों की व्यवस्था के लिये सचिव समिति का गठन

138--श्री राम स्वरूप निम--

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने को कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में युवक कल्याण सम्बन्धी युवक मंगल दलों का गठन पंजीकरण तथा मार्ग-दर्शन एवं वर्तमान व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने के लिये किसी उच्च अधिकार प्राप्त सचिव समिति का गठन किया गया है ? यदि हां, तो इस समिति की क्या संस्तुतियां है ?

श्री बलराम सिंह यादव—]

जी नहीं ।

प्रादेशिक विकास दल एवं युवक मंगल दलों के हित में टास्क फोर्स कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का कार्यान्वयन

139—श्री राम स्वरूप निम—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतानें की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक विकास दल एवं युवक मंगल दलों के सुदृढ़ोकरण हेतु शासनादेश संख्या 52-एम/38-2-77, दिनांक 22-3-77 द्वारा एक टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया गया था, और इस कमेटी ने 25-4-77 को अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत कर दी थी ? यदि हां, तो इस कमेटी की संस्तुतियां लागू करने के लिए शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

कमेटी की रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है ।

140—श्री प्रभू नारायण सिंह—

[4थे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 37 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

141—श्री प्रभू नारायण सिंह—

[4थे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

वाराणसी जिले के सभी ब्लाकों में गोबर गैस प्लान्ट तथा पम्पिंग सेटों के लिए सीमेन्ट न दिया जाना

142—श्री ऊदल—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के सभी ब्लाकों में गोबर गैस प्लांट लगाने एवं पम्पिंग सेटों के लिए सन् 1980 से अप्रैल, 1981 तक एक बोरा भी सीमेन्ट नहीं दी गयी ? इसका क्या कारण है ? क्या ब्लाक पिंडरा में पचासों गोबर गैस प्लांट व पचासों पम्पिंग सेटों के पम्प हाउस व नालियां बिना सीमेन्ट के नहीं बन पा रही हैं ?

142—श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं ।

सीमेन्ट दी गई ह जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

पूरे वाराणसी जनपद म गोबर गस प्लांट के लिए कृषि विभाग द्वारा वर्ष 1980-81 में 4,900 बोरी तथा वर्ष 1981-82 में 1,920 बोरी सीमेंट दी गई है जिसमें से पिन्डरा ब्लाक में कृषि विभाग द्वारा गोबर गैस प्लान्ट हेतु वर्ष 1980-81 में 350 बोरी तथा 81-82 में 125 बोरी सीमेन्ट दी गयी है ।

वाराणसी जनपद में 1,808 व्यक्तिगत नलकूप एवं 325 पंपसेट वर्ष 1980–81 में तथा 421 व्यक्तिगत नलकूप एवं पम्पसेट वर्ष 1981–82 में अगस्त, 1981 तक पूर्ण हुए हैं। इसी प्रकार पिंडराब्लाक में 80–81 में 67 ब्यक्तिगत नलकूप तथा 92 पम्पसेट तथा 1981–82 में अगस्त, 1981 तक 37 व्यक्तिगत नलकूप लगे हैं। नलकूपों एवं पम्पसेटों के पंप हाउस एवं नाली के निर्माण हेतु कृषि विभाग अथवा अल्प सिंचाई विभाग द्वारा सीमेन्ट नहीं दिया जाता है। कृषक स्वयं संबंधित तहसील कार्यालय में आवेदन–पत्र देकर पम्प हाउस एवं नाली के निर्माण हेतु सीमेन्ट प्राप्त करते हैं। वैसे पिन्डरा विकास खंड में पंप हाउस एवं नाली के निर्माण हेतु वर्ष 1980–81 में 250 कृषकों को 1085 बोरी एवं 1981–82 में अब तक 96 कृषकों को 544 बोरी सीमेन्ट तहसील कार्यालय से उपलब्ध कराया जा चुका है।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन उ0 प्र0 द्वारा खरीदे गये टेन्टों का विवरण

143––श्री राम सिंह रावल––

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980–81 में भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन उ0 प्र0 के खन्ड में कितनी धनराशि के टेन्ट खरीदे गये ? और कहां से ? क्या सारा सामान फतेहगढ़ जेल से खरीदा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव––

वर्ष 1980–81 में भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, उत्तर प्रदेश के 7 खंडों द्वारा मेसर्स एशियन टेन्ट करनेलगंज, कानपुर, सेन्ट्रल जेल, फतेहगढ़, पूनम टेन्ट, कानपुर से 1,17,018·51 रु0 के टेन्ट क्रय किये गये हैं जिनका पूर्ण विवरण संलग्न तालिका में अंकित है। सारा सामान फतेहगढ़ जेल से नहीं खरीदा गया। फतेहगढ़ जेल से क्रय न करने के बारे में सबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है।

(देखिये नत्थो 'अ' आगे पृष्ठ 1047 पर।)

जिला वाराणसी के ब्लाक बड़गांव, गांव सभा बसनी के भूमिखंड स्थित तालाब की मछलियों की नीलामी के धन को जमा न किये जाने का आरोप

144––श्री ऊदल––

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा बसनी, ब्लाक बड़गांव, जिला वाराणसी के भूमि खन्ड 2045 स्थित तालाब के मछलियों का नीलाम 1973–74 व 1974–75 के लिए 150 रु0 प्रति वर्ष के हिसाब से शिव मूरत ने लिया था और 7–7–74 को 200 रुपया जमा किया जो कोष रजिस्टर में जमा है और क्या यह भी सही है कि 150 रु0 वर्ष 1973–74 का था और 50 रु0 का अग्रिम भुगतान वर्ष 74–75 का था ? क्या यह भी सही है कि परगना अधिकारी ने 100 रु0 हड़प जाने का आरोप लगाया है ? यदि हां, तो इस घटना का पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

(क) वर्ष 1973-74 के लिए नीलाम नहीं किया गया केवल 74-75 के लिए नीलाम लिया था ।

(ख) दिनांक 7-7-74 को श्री शिव मूरत द्वारा कोई धनराशि कोष रजिस्टर में जमा नहीं है ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां ।

(ङ) वर्ष 1974-75 में श्री शिव मूरत के नाम 150 रु0 में सन्दर्भित तालाब के मछली की नीलामी हुई थी जिस में से प्रधान द्वारा 50 रु0 की रसीद काटी गई है । शेष 100 रु0 प्रधान द्वारा गबन किए जाने का आरोप लगाया है ।

गांव सभा बसनी, ब्लाक बड़ा गांव, जिला वाराणसी के प्रधान का परगनाधिकारी द्वारा सस्पेन्ड किये जाने के मामले में आरोपों की उच्चधिकारी द्वारा जांच का अनुरोध

145--श्री ऊदल--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि परगनाधिकारी ने गांव सभा बसनी, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी के प्रधान अमर नाथ सिंह को सस्पेन्ड कर दिया है . क्या सरकार आरोप-पत्र की एक प्रति सदन को मेज पर रखने की कृपा करेगी और किसी उच्चाधिकारी द्वारा गांव सभा बसनी के मामले की जांच करायेगी जिसमें कोष रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर तथा कार्यवाही रजिस्टर सबकी जांच हो सके ?

श्री बलराम सिंह यादव--

(क) जी हां ।

(ख) जांच चल रही है । अतः आरोप पत्र अभी रखा जाना जनहित में नहीं है ।

(ग) आयुक्त वाराणसी मन्डल के स्तर पर प्रधान के विरुद्ध की गई कार्यवाही के विरुद्ध अपील विचाराधीन है ।

उद्यान एवं फल उपयोग विभाग का पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में विभक्ति तथा पर्वतीय क्षेत्र निदेशक द्वारा कार्य ग्रहण

146--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्यान एवं फल उपयोग विभाग को पर्वतीय एवं मैदानी दो क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या पार्वतीय क्षेत्र के निदेशक ने अपना कार्य भार पर्वतीय क्षेत्र में सम्भाल लिया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों .

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां ।

जी हां । दिनांक 1 जुलाई, 1981 को कार्यभार संभाल लिया है ।

जिलाधिकारी, बस्ती द्वारा अवर अभियंता की प्रतिकूल नियुक्तियां तथा वेतन भुगतान

147—श्री राम आसरे पासवान—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विकास अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या 5372/38-5-540-80, दिनांक 6-6-80 के द्वारा अवर अभियंता (खाद्यान्न) को तीन माह की नियुक्ति के आदेश जिलाधिकारी, बस्ती को दिये गये थे ? क्या यह सही है कि उनकी नियुक्तियां दिनांक 6-11-80 से करके दिनांक 2-12-80 को समाप्त कर दी गई ? यदि हां, तो नियुक्तियों को समाप्त करने का क्या कारण था ? क्या नियुक्त व्यक्तियों को उसके सेवाकाल का वेतन दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

जिलाधिकारी, बस्ती ने सन्दर्भित शासनादेश के प्रतिकूल नियुक्तियां कीं । अतः नियुक्तियों को समाप्त कर दिया गया । यह निर्णय पूरे प्रदेश के लिए था । प्रदेश के विभिन्न जनपदों से विशिष्ट प्रस्तावों के अभाव में अभी वेतन भुगतान करना सम्भव नहीं हो सका ह ।

बस्ती जिले की खाद्यान्न योजना

148—श्री राम आसरे पासवान—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1980 में बस्ती जिले में खाद्यान्न योजना चलायी गयी थी, तो उसे समाप्त करने का क्या कारण है ? क्या सरकार बस्ती जिले में खाद्यान्न योजना पुनः चालू करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

खाद्यान्न योजना बस्ती जनपद ही नहीं अपितु प्रदेश के सभी जनपदों में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त केन्द्रीय सहायता से चलाई गई थी । भारत सरकार के निर्णयानुसार 30 नवम्बर, 1980 से उक्त योजना का कार्यान्वयन समाप्त कर इसके स्थान पर दिसम्बर, 1980 से "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना" का प्रारम्भ किया गया है । ऐसी स्थिति में खाद्यान्न योजना के चालू करने का प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि संरक्षण अधिकारी, हरदोई कार्यालय के लिपिक वर्ग कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

149—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूमि संरक्षण अधिकारी, हरदोई कार्यालय के लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को किसी अधिकारी (उप-निदेशक, भूमि संरक्षण बरेली अथवा लखनऊ) द्वारा स्थायी नहीं किया गया जबकि सभी कर्मचारियों को लगभग 10-15 वर्ष की लगातार सेवायें हैं ? यदि हां, तो अभी तक इन कर्मचारियों को स्थायी न किए जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार अविलम्ब इन कर्मचारियों को स्थायी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह---

31-5-74 को एक ज्येष्ठ लिपिक को ज्येष्ठता के आधार पर स्थायी घोषित किया गया था। अन्य स्थायी पद उपलब्ध नहीं हैं। पदों के स्थाई हो जाने पर ही स्थाईकरण पर विचार करना सम्भव होगा।

प्रताप सिंह, सेवामुक्त चपरासी, विकास खंड रामनगर, तहसील आंवला, जनपद बरेली को ग्रेच्युटी व पेंशन का भुगतान

150---श्री जसवन्त सिंह बिष्ट---

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रताप सिंह, चपरासी, विकास खंड, रामनगर, तहसील आंवला, जनपद बरेली में 1970 में कार्यरत थे ? श्री प्रताप सिंह को बिना कारण बताए 14 वर्ष की सेवा के बाद सेवा से अलग कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या श्री सिंह को ग्रेच्युटी, पेंशन अन्य धनराशि दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव---

श्री प्रताप सिंह चपरासी, विकास खंड रामनगर, जनपद बरेली की नियुक्ति ग्राम्य विकास विभाग में 5-5-60 को हुई थी। वह अस्थाई कर्मचारी थे अतः एक माह का नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की गई थी। नियमों के अनुसार वह ग्रेच्युटी एवं पेंशन पाने के हकदार नहीं थे। अतः उन्हें यह सुविधा नहीं दी जा सकी।

उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों, सरपंचों, सदस्यों तथा ब्लाक प्रमुखों को उनके जनपदों में बस द्वारा यात्रा सुविधा दिये जाने का निर्णय

151---श्री सूबेदार सिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों, सरपंचों और उनके सदस्यों तथा ब्लाक प्रमुखों आदि को उनके जनपदों में बस द्वारा यात्रा सुविधा प्रदान करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक निर्णय लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव---

जी नहीं। क्योंकि ऐसा कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ है।

152---श्री सूबेदार सिंह---

[2रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 144 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

ताड़ी खेत पंचायत उद्योग जिला अल्मोड़ा में कुमायूं जल संस्थान, नैनीताल में कार्यरत श्री प्रकाश चन्द्र जोशी एवं श्री मदन मोहन आर्य की सेवाओं की समाप्ति

153---श्री जसवन्त सिंह बिष्ट---

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ताड़ी खेत पंचायत उद्योग में श्री प्रकाश चन्द्र जोशी पुत्र श्री लोकाधर जोशी एवं श्री मदन मोहन

आयं सन् 1979–80 में सेवा करते थे ? क्या यह सही है कि 11 माह सेव करने के बाद उक्त व्यक्तियों को हटाया गया है और उनके पद पर दूसरे व्यक्ति रखे गये हैं ? यदि हां, तो सरकार उक्त व्यक्तियों को पुनः कार्य पर लेने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल राम सिंह यादव—

जी हां। यह सही है कि पंचायत उद्योग, ताड़ी खेत, जिला अल्मोड़ा में कुमायूं जल संस्थान, ननीताल के ठेके का कार्य समाप्त होने पर व आवश्यकता न रहने पर श्री प्रकाश चन्द्र जोशी को 11 माह एवं श्री मदन मोहन आर्य को 9 माह की सेवा करने के बाद उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयीं। इन व्यक्तियों के स्थान पर दूसरे व्यक्ति नहीं रखे गये हैं। चूंकि ठेके का कार्य समाप्त हो जाने के फलतः ही सेवायें समाप्त की गयी थीं। अतः पुर्नानियुक्ति का कोई प्रश्न नहीं उठता।

ब्लाक मुण्डा पांडे तथा भगतपुर, जिला मुरादाबाद में चालू गोबर गैस प्लान्ट का विवरण

154—श्री रियासत हुसैन तथा श्री अकबर हुसैन—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक मुण्डा पांडे तथा भगतपुर, जिला मुरादाबाद में कितने गोबर गैस प्लान्ट बने हैं और इन गोबर गैस प्लान्ट में से कितने चालू हो गये हैं—

श्री भानु प्रताप सिंह—

जिला मुरादाबाद के ब्लाक मुण्डा पांडे में 8 गोबर गैस संयन्त्र बने हैं जिसमें से 6 संयन्त्र चालू हैं तथा ब्लाक भगतपुर में 33 गोबर गैस संयन्त्र बने जिसमें से 19 संयन्त्र चालू हैं।

श्याम नारायन त्रिपाठी, कर्मचारी कृषि सेवा वर्ग तीन, राजकीय कृषि विद्यालय, गोरखपुर का स्थानान्तरण तथा कार्यभार ग्रहण न करने देने के सम्बन्ध में शिकायत

155—श्रीमती कमला साहनो—

क्या कृषि मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्याम नारायन त्रिपाठी, कर्मचारी, कृषि सेवा वर्ग तीन, राजकीय कृषि विद्यालय, गोरखपुर का स्थानान्तरण निरस्त अक्तूबर, 1980 में करने के बावजूद भी उपरोक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य ने ज्वाइन नहीं करने दिया एवं दस माह से वेतन नहीं मिल रहा है ? इसका उत्तरदायी कौन है और क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

श्री श्याम नारायन त्रिपाठी के राजकीय कृषि विद्यालय, गोरखपुर से स्थानान्तरित किये जाने के आदेशों को अक्तूबर, 1980 में निरस्त कर दिया गया था किन्तु स्थानान्तरण आदेशों के निरस्त होने के पूर्व ही श्री त्रिपाठी कार्यमुक्त हो चुके थे। उन्होंने पुनः 10 अगस्त, 1981 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। श्री त्रिपाठी के अवशेष पावनों के भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिकारी को

निर्देश भेज दिये गये हैं । स्थानान्तरण आदेश निरस्त हो जाने के बाद श्री त्रिपाठी को लगभग 10 माह तक कार्यभार क्यों नहीं ग्रहण करने दिया गया, इसकी जांच के लिय आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रधानाचार्य, राजकीय कृषि विद्यालय, गोरखपुर के खिलाफ शिकायतों की जांच रिपोर्ट

156--श्रीमती कमला साहनी--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानाचार्य, राजकीय कृषि विद्यालय, गोरखपुर (श्री महेन्द्र नाथ राय) के खिलाफ माह जून/जुलाई, 1980 में कुछ विधायकगणों की शिकायतों पर श्री हरी किशन, संयुक्त कृषि निदेशक (दलहन), लखनऊ ने जांच की थी ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच रिपोर्ट से सदन को अवगत करायेगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह---

श्री महेन्द्र नाथ राय, प्रधानाचार्य, राजकीय कृषि विद्यालय, गोरखपुर के खिलाफ माह जून/जुलाई, 1980 में कुछ विधायकगणों की शिकायतों पर श्री हरी किशन, संयुक्त कृषि निदेशक (दलहन), लखनऊ ने जांच की । जांच से सम्बन्धित कुछ तकनीकी पहलुओं पर जांच हो रही है ।

कस्बा जलालाबाद, जिला शाहजहांपुर निवासी देवीदीन द्वारा मंडी समिति के भवन निर्माण योजनान्तर्गत भूमि अधिग्रहण से अपनी भूमि बचाये जाने के लिये आवेदन

157---श्री सत्यपाल सिंह--

क्या कृषि मन्त्री बतायेंगे कि कस्बा जलालाबाद, जिला शाहजहांपुर, निवासी देवीदीन आदि ने कोई प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता विधायक की संस्तुति के साथ माननीय कृषि मन्त्री जी को 30 अप्रैल, 1981 या इसके आसपास जलालाबाद मंडी समिति भवन निर्माण स्थल से अपनी कुछ भूमि बचाने के लिये दिया था ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह---

जी हां ।

मंडी के लिये भूमि अधिगृहीत की जा चुकी है व कब्जा भी लिया जा चुका है । प्रार्थी द्वारा इंगित गाटा नम्बर 146/2 प्रश्नगत भूमि में नहीं है । अतः इसे अधिगृहीत भूमि में से छोड़ने का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम रहमानोपुर मजरा रसूलपुर, विकास खंड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में पीने के पानी के पुराने कुंओं का मरम्मत कराने का मांग

158--श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रहमानोपुरा मजरा रसूलपुर, विकास खंड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में केवल एक कुआं पानी पीने के लिए है जो बहुत ही पुराना और खस्ता हालत में है और मरम्मत न होने के कारण किसी समय भी गिर सकता है ? यदि हां, तो इस कुयें के मरम्मत हेतु क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ग्राम रहमानपुर, मजरा रसूलपुर में मात्र एक परिवार का एक मकान है। उक्त मकान के सामने उक्त परिवार का एक निजी पुराना कुआं है, जो ईंटों का बना है और ठीक दशा में है, परन्तु उसमें जगत नहीं है। निजी कुआं होने के कारण नियमानुसार विकास खंड, जगदीशपुर के क्षेत्र निधि से उसको मरम्मत कराना संभव नहीं है।

ग्राम रहमानीपुर, जिला सुल्तानपुर से जगदीशपुर–शुकुल बाजार तक पक्की सड़क बनाने की मांग

159--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रहमानपुरा मजरा रसूलपुर विकास खंड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर से जगदीशपुर--शुकुल बाजार पक्की सड़क तक आने–जाने का कोई मार्ग नहीं है, जिसके सम्बन्ध में तारीख 14–2–81 को प्रार्थना–पत्र शासन एवं जिला प्रशासन को भेजा जा चुका है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ग्राम रहमानपुरा मजरा रसूलपुर से जगदीशपुर शुकुल बाजार पक्की सड़क तक 500 कि0 मी0 पगडंडी 7 फीट चौड़ी है। इसके दोनों किनारे बोई हुई फसल तथा रास्ते को चौड़ा करने और खेत से मिट्टी लेने के ऊपर कृषकों में विवाद होने के कारण अभी तक इसे निर्मित नहीं कराया जा सका है।

अल्मोड़ा जनपद में जिला परिषद् द्वारा पैदल पुलों की व्यवस्था कराने की मांग

160--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद में कितने पुल जिला परिषद् के ऐसे हैं जिनका उपयोग मोटर पुल बन जाने के कारण नहीं हो रहा है ? क्या सरकार ऐसे पुलों को उन स्थानों पर लगाने पर विचार करेगी जहां पर पैदल पुलों की आवश्यकता है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जिला परिषद् अल्मोड़ा के तीन पैदल पुल ऐसे हैं जिनका उपयोग मोटर पुल बन जाने के कारण नहीं हो रहा है। परिषद् द्वारा ऐसे पुलों को उन स्थानों पर लगाने हेतु विचार किया जा रहा है, जहां पैदल पुलों की आवश्यकता है। इन पुलों को उपयुक्त स्थानों पर लगाने हेतु परिषद् द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुरोध किया गया है। उनसे आख्या प्राप्त होने पर ही इनको उपयुक्त स्थानों पर लगाया जाना सम्भव हो पायेगा।

हरदोई मण्डी स्थल का चयन समिति द्वारा चुनाव एवं स्थल अधिग्रहण का प्रस्ताव

161—श्री ऊदल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई मंडी स्थल का चुनाव चयन समिति ने 30-4-78 को शासन की स्वीकृति हेतु भेजा और शासन ने अपने आदेश संख्या भू0 अ0 11400, दिनांक 6-6-80 के द्वारा आशा नगर की भूमि को स्वीकृति प्रदान कर दी है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि अतिरिक्त निदेशक (राधेश्याम अग्रवाल), राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् उ0 प्र0 ने उप सचिव, कृषि अनुभाग-5 को अपने पत्रांक म0 अ0 44/2/7/76, दिनांक 7 मई, 1981 के द्वारा नई मन्डी स्थल के लिए अधिग्रहण हेतु लिखा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां । तत्पश्चात मंडी परिषद् ने इस पर पुनर्विचार के आधार पर इस प्रस्ताव को स्थगित रखने का अनुरोध शासन से प्रश्नगत पत्र द्वारा किया । नए स्थल के अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ है ।

सीतापुर जिले के विकास खंड में आर0 टी0 एस0 चिलवारा के अपूर्ण सफाई मार्ग के निर्माण की प्रगति

162—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि सीतापुर जिले के विकास खंड में आर0 टी0 एस0 चिलवारा सफाई मार्ग, जो मंडी समिति के धन से खाद्यान्न योजना के अधीन वर्ष 1977-78 अथवा 1978-79 में बनना प्रारम्भ हुआ था, अब तक अधूरा क्यों पड़ा है और कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

उक्त मार्ग की 5 कि0 मी0 लम्बाई तक का निर्माण कार्य खाद्यान्न योजनान्तर्गत स्वीकृत था । इसमें से 3-200 कि0 मी0 तक मिट्टी का कार्य हो चुका है । शेष भाग पर कार्य काश्तकारों के निजी क्षेत्र पड़ने तथा आर0 टी0 एस0 व मिलिट्री फार्म के बीच वांछित रास्ता न होने के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका है ।

जनपद शाहजहांपुर के ग्रामीण अभियन्ता के विरुद्ध अनियमितता सम्बन्धी शिकायत

163—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ग्रामीण अभियन्ता के विरुद्ध कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता विधायक ने ग्राम्य विकास मन्त्री को माह जुलाई, 1981 में दिया था ? यदि हां, तो उन आरोपों की जांच कौन अधिकारी कर रहा है ? क्या इसी अभियन्ता के निलम्बन की संस्तुति भी इस शिकायत से पहले अन्य आरोपों पर शासन को की गयी थी ? यदि हां, तो निलम्बन क्यों नहीं किया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, खंड शाहजहांपुर के विरुद्ध लगाये गये आरापों की जांच अधिशासी अभियन्ता/प्राविधिक परीक्षक टेक्निकल आडिट सेल, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा कर रहे हैं ।

जी हां ।

ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर की सरसांवा इब्राहीमी मार्ग के निर्माण में बरती गई । अनियमितताओं की जांच सतर्कता विभाग द्वारा की गई थी। इस अभियन्ता को निलम्बित किया जा चुका है।

जनपद शाहजहांपुर विकास खंड, जैतीपुर की ग्राम सभाओं की पुलिया या खड़ंजा के निर्माण कार्य में प्रगति

164--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर, विकास खंड जैतीपुर में ऐसी कितनी ग्राम सभायें हैं जिनकी पुलिया या खड़ंजा निर्माण के लिए विकास खंड की तरफ से अग्रिम धन का भुगतान किया गया है परन्तु वह कम आज तक पूरे नहीं किये गये हैं और न ही वह धन ग्राम सभा के खाते में जमा किये गये हैं । ऐसे प्रधानों व सम्बन्धित कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवही की गयी है ? यह अपूर्ण काम कब तक पूरे करा दिये जायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जनपद शाहजहांपुर के विकास खंड जैतीपुर में कुल 23 ऐसी गांव सभायें हैं, जिनमें से 8 को पुलिया तथा 15 को खड़ंजा निर्माण हेतु विकास खंड की ओर से अग्रिम धन का भुगतान किया गया है, परन्तु कार्य अभी तक पूरे नहीं किये गये हैं । उक्त ग्राम सभाओं को दिया गया अग्रिम उनके खाते में जमा किया गया था । सम्बन्धित ग्राम प्रधानों को शीघ्र कार्य पूर्ण कराने हेतु नोटिस दिया गया है तथा सम्बन्धित कर्मचारियों को भी निदेशित कर दिया गया है । जिन ग्राम सभाओं में शीघ्र कार्य पूर्ण नहीं हो पायेगा उनके प्रधानों से अग्रिम की धनराशि की वापसी की कार्यवाही की जायेगी ।

पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने मूल पद से त्याग-पत्र

165--श्री सरदार सिंह--

क्या पशुधन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या बारह ई0-3-37-4(13)/72(1315)/75, दिनांक 6-3-76 तथा 15-7-75 में दिये गये निर्देश के अनुसार पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा के 14 अधिकारी, 4 लिपिक तथा 4 चपरासियों द्वारा अपने मूल पद से त्याग-पत्र विश्वविद्यालय में संविलयन हेतु एक ही तिथि में दिये जाने पर अधिकारियों के त्याग-पत्र शासनादेशों के निर्गत दिनांक 30-7-80 से शासनादेश संख्या 2180/12-ई-3-37-4(15)/72(1315), दिनांक 30-7-80 से स्वीकार किये गये हैं परन्तु अन्य कर्मचारियों के त्याग-पत्र पूर्व तिथियों से निदेशक, पशुपालन विभाग के पत्र संख्या 3327 तथा दिनांक 27-3-78 के द्वारा स्वीकृत किये गये थे, क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि एक से ही मामले में अलग-अलग प्रक्रिया अपनाये जाने का क्या औचित्य है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां ।

शासन द्वारा अधिकारियों के स्वीकृत किये गये त्याग-पत्र शासनादेश के निर्गत होने के दिनांक से प्रभावी होना स्वीकार किये गये हैं और निदेशक, पशुपालन जो कि लिपिक वर्गीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के त्याग-पत्र स्वीकार करने के लिये सक्षम प्राधिकारी थे, द्वारा प्रश्नगत कर्मचारियों के विश्वविद्यालय की सेवा में संविलयन हेतु विकल्प के आधार पर, शासनादेश संख्या बारह ई0-3-37-4(15)(1315)-75 दिनांक 6-3-76 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत, पूर्व दिनांक से प्रभावी किये गये हैं ।

सीतापुर जिले में फसल बीज योजना का संचालन

166--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या कृषि मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि सीतापुर जिले में अप्रैल, मई तथा जून, 1981 में कितने काश्तकारों ने अपनी कृषि उपज का बीमा कराने हेतु आवेदन-पत्र दिये तथा उनमें से कितनों की फसलों का बीमा हो गया ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

फसल बीमा योजना अभी लागू नहीं की गई है । अतः काश्तकारों की फसलों का बीमा होने का प्रश्न नहीं उठता ।

167--श्री प्रदीप कुमार यादव--

[1ले बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत उत्तरित ।]

अवर अभियन्ताओं की पदोन्नति

168--श्री नरेश अग्रवाल--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 7-7-81 को उन्हें जो लिखित शिकायत उनके विभाग में हुई अवर अभियन्ताओं के पदोन्नति के सम्बन्ध में दी थी उसपर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं हुई, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सन्दर्भित पत्र विभाग में उपलब्ध नहीं हो पाया । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के गोमती नदी के तटवर्ती क्षेत्र में मूंगफली की पैदावार में गिरावट

169--श्री राम लाल वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के गोमती नदी के तटवर्ती मूंगफली बाहुल्य क्षेत्र में विगत कई वर्षों से मूंगफली की पैदावार में निरंतर गिरावट आ जाने के क्या कारण हैं ? शासन द्वारा इसकी रोक-थाम हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

प्रदेश में विशेषकर हरदोई के प्रश्नगत मूंगफली के क्षेत्रफल व उत्पादन में पिछले वर्षों में गिरावट हुई है। इसका मुख्य कारण प्रतिकूल मौसम व सफेद गिडार नामक कीड़े का प्रकोप है। इस कीड़े के प्रभावी नियंत्रण हेतु कीटनाशक दवाओं तथा बीज के लिए कृषकों को अनुदान देने की विशेष व्यवस्था की गई है।

दुग्धशाला विकास विभाग, जनपद गाजियाबाद में हुए गबन की जांच

170--श्री मन्जूर अहमद--

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दुग्धशाला विकास विभाग, जनपद गाजियाबाद में साढ़े तीन लाख रुपये के गबन सम्बन्धी दिनांक 17-9-80 को कोई घटना घटी है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं तो क्यों?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां।

मामले में पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है, जिसकी विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है।

जनपद शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र सिधौली के ग्राम ढ़किया नखास के पूर्व नाला नकेटा की पुलिया का निर्माण कार्य

171--श्री जगदीश सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र सिधौली के अन्तर्गत ग्राम ढ़किया नखास के पूर्व नाला नकेटा की पुलिया का निर्माण कार्य दो वर्ष से अधूरा पड़ा है? यदि हां, तो क्यों तथा उसके कब तक पूर्ण हो जाने की आशा है?

श्री बलराम सिंह यादव--

उक्त पुलिया का निर्माण कार्य धनाभाव के कारण पहले पूर्ण नहीं किया जा सका था। प्राप्त सूचना के अनुसार इसका निर्माण कार्य पूरा कराने हेतु अब धन की व्यवस्था हो गई है। वर्षा ऋतु के बाद निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

जनपद शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र ददरौल में पेयजल कूपों का निर्माण

172--श्री जगदीश सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र ददरौल में वर्ष 1977-78, 1978-79 एवं 1979-80 में कितने पेयजल कूप स्वीकृत हुए हैं? क्या सभी कूपों के पूर्ण निर्माण की रिपोर्ट शासन को भेजी गई है? क्या यह सही है कि वास्तव में सभी कूपों का निर्माण नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी?

श्री बलराम सिंह यादव—

शाहजहांपुर जनपद के विकास खंड ददरौल में निम्नलिखित वर्षों में उनके सम्मुख अंकित पेयजल कूप स्वीकृत हुए थे।

वर्ष	स्वीकृत कूप
1977-78	19
1978-79	54
1979-80	13
योग ..	86

जी हां।

जी नहीं। वर्ष 1978-79 के केवल 5 कूपों पर कुछ निर्माण कार्य शेष रह गया था जो शीघ्र पूरा हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र भावलखेड़ा के अन्तर्गत बेहटी सम्पर्क मार्ग के निर्माण की लागत व जांच

173—श्री जगदीश सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र भावलखेड़ा के अन्तर्गत ग्राम बेहटी सम्पर्क मार्ग के निर्माण की क्या लागत आई है ? क्या मस्टररोल पर पंचायत सेवक के हस्ताक्षर नहीं कराये गये ? यदि ऐसा है तो क्यों।

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र भावलखेड़ा के अन्तर्गत निर्मित बेहटी सम्पर्क मार्ग के निर्माण की कुल लागत 27,822 रुपये आई है। पंचायत सेवक ने मस्टररोल पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। सम्बन्धित पंचायत सेवक के निर्माण कार्य में रुचि न लेने के कारण उक्त सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु बी० ओ० पी० बी० डी० को निर्देशित किया गया था तथा इन्हीं की देख-रेख में यह कार्य सम्पन्न हुआ। सम्बन्धित पंचायत सेवक को शासकीय कार्य के प्रति उदासीनता के आरोप पर निलम्बित कर दिया गया है।

174—श्री प्रदीप कुमार यादव—

[4थे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

175—श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 126 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

176—श्री मोहन सिंह—

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद फैजाबाद में अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरित ऋण

177—श्री माधव प्रसाद—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में एकीकृत ग्राम विकास योजना तथा अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत कितना ऋण वितरित किया है तथा कितने अभ्यर्थियों को दिया जा चुका है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

फैजाबाद में कार्यान्वित उक्त दोनों योजनाओं के सम्बन्ध में वांछित सूचना निम्नवत् है :—

योजना का नाम	योजना के प्रारम्भ से 31 जुलाई, 1981 तक वितरित कुल ऋण (लाख रुपये में)	अभ्यर्थियों की संख्या
(1) एकीकृत ग्राम्य विकास योजना	158.89	4,351
(2) अन्त्योदय योजना	93.98	4,171

सार्वजनिक संस्थाओं एवं व्यक्तियों के पास स्टाक में उपलब्ध उर्वरक की मात्रा

178—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या कृषि मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि जुलाई, 1981 को दूसरे सप्ताह में रासायनिक उर्वरकों के दाम बढ़ने के पूर्व सार्वजनिक संस्थाओं एवं व्यक्तियों के पास कितनी मात्रा में उर्वरक स्टाक में थे ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

179—श्री सईदुल हसन—

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 79 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद रायबरेली में कृषि फार्म परेरा के व्यवस्थापक का स्थानान्तरण

180—श्री छत्तर सिंह--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के कृषि फार्म परेरा का व्यवस्थापक मो0 तकी जनपद रायबरेली में कितने वर्षों से कार्यरत हैं और कोई कर्मचारी नियमानुसार कितने वर्ष तक एक जनपद में रह सकता है ? उसका स्थानान्तरण न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

प्रक्षेत्र अधीक्षक श्री मोहम्मद तकी जनपद रायबरेली में 12 अगस्त, 1971 से विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं ।

स्थानान्तरण सम्बन्धी शासन के आदेशों में प्रक्षेत्र प्रबन्धक को जिले में तैनाती की कोई सीमा निर्धारित नहीं है और यह शर्त है कि सामान्यतः एक प्रक्षेत्र से तीन वर्ष के पूर्व स्थानान्तरण नहीं किया जाये। परेरा प्रक्षेत्र पर नियुक्त हुये उनको तीन वर्ष का समय पूरा न होने के कारण इनका स्थानान्तरण परेरा से नहीं किया गया ।

जनपद फैजाबाद में जलालपुर और मियांव लाकों में आवंटित छूट की खाद

181—श्री शेर बहादुर--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के जलालपुर और मियांव लाकों में जुलाई, 1980 से जनवरी, 1981 तक छूट की खाद कितनी आवंटित हुई तथा किन-किन गांवों को कितनी-कितनी खाद दी गई ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर के स्वर्गीय लालता प्रसाद श्रीवास्तव, खन्ड विकास अधिकारी, पनियारा की पत्नी का प्रत्यावेदन

182—श्री केदार नाथ सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 12 दिसम्बर, 1980 को श्रीमती रामावती देवी, पत्नी स्व0 लालता प्रसाद श्रीवास्तव, खन्ड विकास अधिकारी, पनियरा, जिला गोरखपुर का प्रत्यावेदन को आयुक्त कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास, लखनऊ को प्रेषित किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलराम सिंह यादव—

विधायक महोदय का पत्र दिनांक 12-12-80 आयुक्त कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास कार्यालय में प्राप्त होना नहीं पाया गया ।

महालेखाकार के पत्र दिनांक 12-5-81 में सूचित किया गया है कि स्व0 श्री लालता प्रसाद श्रीवास्तव की विधवा श्रीमती रामावती श्रीवास्तव को अनन्तिम ग्रेच्युटी 9,000 रु0 और पारिवारिक पेन्शन 192 रु0 प्रति माह दिनांक 12-3-78 से 11-3-85 तक तथा उसके बाद 96 रु0 प्रतिमाह दिनांक 12-3-85 से मृत्यु अथवा पुनर्विवाह तक जो पहले घटित हो, गोरखपुर कोषागार पर देय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है ।

जनपद फैजाबाद के मसौधा और सोहावल विकास खंड में पेयजल कूपों का निर्माण

183—श्री माधव प्रसाद—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के मसौधा और सोहावल विकास खंड वर्ष 1980-81 में कितने हरिजन पेयजल कूप स्वीकृत हुए और अब तक कितने पूर्ण हुये तथा कितने बाकी हैं तथा उक्त कूप निर्माण में कितना धन व्यय किया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद फैजाबाद के मसौधा और सोहावल विकास खंड में वर्ष 1980-81 में कोई हरिजन पेयजल कूप स्वीकृत नहीं हुआ था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वर्गीय बालचन्द्र कर्मचारी यू0 पी0 स्टेट एग्रोकारपोरेशन लि0 ताल-कटोरा रोड, लखनऊ के अवशेषों का भुगतान

184—श्री पंचानन राय—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि यू0 पी0 स्टेट एग्रो कारपोरेशन लि0 ताल्कटोरा रोड, लखनऊ के कर्मचारी श्री बाल चन्द्र की मृत्यु कार्यरत रहते हुए 3 मार्च, 1977 को हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या उनके देय अवशेषों का भुगतान उनके आश्रितों को 14 जुलाई, 1981 तक कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके क्या प्रमुख कारण हैं ? और वह भुगतान कब तक करा दिया जायगा ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां । स्व0 बालचन्द्र की मृत्यु उनके आश्रितों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार दिनांक 3-3-1977 को हुई थी ।

स्व0 बालचन्द्र को देय बोनस एवं वेतन का भुगतान कर दिया गया है परन्तु ग्रेच्युटी एवं भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया जा सका क्योंकि उनके आश्रितों द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की गई हैं ।

स्व0 बालचन्द्र के आश्रितों द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त शेष देयकों का भुगतान कर दिया जायेगा ।

श्री बांके लाल चौकीदार की सेवा समाप्ति एवं उन्हें शासनादेश होने के बावजूद भी सेवा में पुनःपद रूढ़ न किया जाना

185—श्री कुबेर भन्डारी--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बांके लाल चोकीदार की सेवाएं सितम्बर, 1975 में जिला कृषि अधिकारी, गोरखपुर द्वारा उनसे कनिष्ठ लगभग 8 कर्मचारियों को सेवा में कार्यरत रखते हुए समाप्त की गई थीं ? तथा श्री बांके लाल की अपील पर उप निदेशक कृषि, गोरखपुर ने मार्च, 1979 में आंशिक रूप से निर्णय लेते हुए दिनांक 4-10-78 से सेवा में पदारूढ़ किया था ? यदि हां, तो इन आदेशों का परिपालन करते हुए दिनांक 4-10-78 से सेवा में पदारूढ़ क्यों नहीं किया गया तथा अदेशों की अवहेलना के लिए कौन उत्तरदायी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्या शासन उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगा ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां। 7 कर्मचारी कनिष्ठ थे ।

उप कृषि निदेशक, गोरखपुर द्वारा श्री बांकेलाल की अपील पर निर्णय लिया गया था परन्तु परियोजना अधिकारी, गोरखपुर द्वारा इस विषय में पुनः विचार करने हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर 31-12-80 को निर्णय हुआ, जिसके परिपालन में 18-2-81 को श्री बांके लाल को नियुक्ति प्रदान कर दी गई । अतः आदेशों की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता ।

उद्यान चौधरी पद, पशुलोक फार्म ऋषिकेश, देहदरादून के श्री बिश्वनाथ सिंह की पदोन्नति

186--श्री शम्भूनाथ सिंह--

क्या सरकार यह बतायेगी कि श्री विश्वनाथ सिंह, उद्यान चौधरी पद, पशु-लोक फार्म, ऋषिकेश, देहरादून उत्तर प्रदेश में 23 वर्ष से एकही पद पर कार्य-रत हैं, उन्हें इतना दिन व्यतीत हो जाने पर आज तक अगली पदोन्नति क्यों नहीं दी गयी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

यह सही है कि प्रश्नगत कर्मचारी उद्यान चौधरी के पद पर सन 1958 से कार्यरत हैं । उनकी शैक्षिक एवं प्राविधिक योग्यता के अनुरूप कोई उच्च पद पदोन्नति हेतु विद्यमान नहीं है जिस पर उनकी पदोन्नति की जा सके । यही कारण है कि उनकी अगली पदोन्नति नहीं दी जा सकी ।

जिला देवरिया में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के तहत स्वीकृत योजनायें

187--श्री हरिवंश सहाय--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के तहत किन-किन कामों को स्वीकृति 29-6-81 की मीटिंग में की गयी ? ये काम कब शुरू किए जायेंगे तथा उनके कब तक पूरा कर दिए जाने की सम्भावना है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत दिनांक 29 जून, 1981 की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में 65 सम्पर्क मार्गों पर पुलिया निर्माण तथा राहत योजनान्तर्गत स्वीकृत दो सम्पर्क मार्ग पर पुलिया निर्माण, गिट्टी तथा खडन्जा कार्य स्वीकृत किया गया था। उक्त मार्गों पर सर्वेक्षण एवं आगणन आदि का कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य बरसात के पश्चात् माह नवम्बर, 1981 में प्रारम्भ कर इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य रक्खा गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति ब्लाक निर्माण कार्य हेतु आवंटित धनराशि

188--श्री चेतराम गंगवार--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि शासन ने प्रति ब्लाक में एक लख रुपया विधायक के परामर्श के अनुसार निर्माण कार्य पर खर्च करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो इस विषय में अब तक प्रदेश भर में कितना-कितना रुपया प्रति जिले को दिया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति ब्लाक में एक लख रुपये विधायकों के परामर्श के अनुसार खर्च करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु यह रुपया केवल निर्माण कार्य हेतु ही खर्च किया जाना नहीं प्रस्तावित है, अपितु इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित गाइड लाइन्स के अनुरूप खर्च किया जायेगा। भारत सरकार से प्राप्त धनराशि में से 50 हजार रुपया प्रति विकास खंड की दर से जिलों को धनराशि आवंटित कर दी गई है (सूची संलग्न)† तथा इतनी ही धनराशि प्रति विकास खंड की दर से जिला निधियों तथा पंचायतों के वैयक्तिक लेखों में जमा धनराशि से व्यय करने के आदेश 1 अगस्त, 1981 को जारी किये जा चुके हैं।

189--श्री कुंवर सिंह नेगी--

(5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 168 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जिला सीतापुर, विकास खंड खैराबाद के ग्राम टिकरिया व जमैयतपुर में रजबहा निकलने की मांग

190--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा ग्राम टिकरिया व जयंतपुर, विकास खंड खैराबाद, जिला सीतापुर में रजबहा निकलवाने के बारे में कोई मांग पत्र दिनांक 25-8-80 को मिला ? यदि हां, तो उस बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं।

अतः कार्यवाही किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

†छापी नहीं गई।

राजकीय कृषि विद्यालय, जनपद गोरखपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितता

191--श्रीमती कमला साहनी--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, जुलाई, 1981 में राजकीय कृषि विद्यालय, गोरखपुर में प्राधानाचार्य ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती विभिन्न पदों पर बिना सेवायोजन कार्यालय की सहमति से की है और भर्ती किए पदों की सूची में भर्ती हुये कर्मचारियों के नाम भी नहीं थे ? यदि हां, तो इन अनियमित नियुक्तियों को रद्द करने की कृपा करेंगे ? तथा दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

जिला वाराणसी के शिवपुर स्टेशन पर वर्षा से फर्टिलाइजर की क्षति

192--श्री ऊदल--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिवपुर रेलवे स्टेशन, जिला वाराणसी में लाखों रुपयों की फर्टिलाइजर जून, जुलाई माह 1981 में वर्षा से गल कर नष्ट हो गयी ? यदि हां, तो वह फर्टिलाइजर किसका था और उसके रख-रखाव की व्यवस्था क्यों ठीक नही की गयी ? यदि हां, तो इसमें किसका दोष है ? क्या सरकार पूर्ण ब्योरा बताने की कृपा करेगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में वाराणसी जिले के शिवपुर रेलवे स्टेशन पर कृषि विभाग अथवा प्रदेश की शीर्ष संस्थाएं जो उर्वरक वितरण का काम करती हैं, का उर्वरक प्राप्त नहीं हुआ । इस अवधि में इफको, इंडियन पोटाश तथा भारतीय खाद्य निगम का माल इस स्टेशन पर प्राप्त हुआ । प्राप्त माल की हुई क्षति की कोई सूचना राज्य सरकार को नहीं है ।

193--श्री ऊदल--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त फर्टिलाइजर बहने तथा गलने की जांच की गई कि नहीं? यदि की गयी तो जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

प्रश्न नहीं उठता ।

उर्वरकों के मूल्यों का पुनरीक्षण

194--श्री ऊदल--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्टिलाइजर का मल्य बढ़ जाने से पुराने स्टाक की खाद को क्या पुराने मूल्य पर बेंचने की व्यवस्था की गयी और पुराने स्टाक को सील किया गया कि नहीं और क्या यह सत्य है कि पुराने स्टाक की खाद पुराने मूल्य पर कृषकों को नहीं दी जा रही है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

उर्वरक के मूल्यों के पुनरीक्षण के समय शीर्ष संस्थाओं व विभागीय सीड स्टोर में बिक्री रोककर स्टाक का सत्यापन कर पुनरीक्षित दामों पर इस माल को भारत सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार बेचा जाता है। भारत सरकार ने यह व्यवस्था केवल सरकारी विभागों व शीर्ष संस्थाओं पर ही लागू कर रखी है।

विधायक श्री विष्णु दयाल वर्मा (जसराना) जनपद मैनपुरी द्वारा मृदासर्वेक्षण अधिकारी फर्रुखाबाद के विरुद्ध शिकायत

195--श्री ऊदल--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश को जनपद फर्रुखाबाद के मृदा सर्वेक्षण इकाई के कर्मचारीगण (श्री हर प्रसाद चौधरी आदि के) पत्र के साथ माननीय विधायक श्री विष्णुदयाल वर्मा (जसराना), जनपद मैनपुरी का संलग्न शिकायती-पत्र मृदा सर्वेक्षण अधिकारी, फर्रुखाबाद के विरुद्ध दिनांक 24-7-81 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अधिकारी के विरुद्ध शिकायतों का विवरण क्या है और अभी तक उक्त मामले में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां।

शिकायती-पत्र में यात्रा-भत्ता अधिक चार्ज करने, कर्मचारियों के यात्रा-भत्ते में कटौती करने, सरकारी वाहन को निजी प्रयोग में लाने, सरकारी कार्यों में स्टाफ को सहयोग न देने तथा दैनिक श्रमिकों का फर्जी चिट्ठा बनाने इत्यादि की शिकायतें की गयी हैं। इनकी जांच कराई जा रही है।

डेरी डेवलपमेंट आफिसर, मेरठ के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के संबंध में शिकायत

196--श्री मन्जूर अहमद--

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 10-7-81 को प्रश्नकर्ता का कोई पत्र डेरी डेवलपमेंट आफिसर, मेरठ के भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में आरोप क्या-क्या थे एवं उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां। शिकायती पत्र दिनांक 10-7-1981 में दुग्धशाला विकास अधिकारी मेरठ के विरुद्ध मुख्यतः निम्न आरोप हैं :

(1) लाखों रुपयों का गोलमाल कराना जिसमें जनपद गाजियाबाद के 3·50 लाख रुपये के गबन की घटना है।

(2) स्थानान्तरण आदेश होने पर भी मेरठ के पद पर बने रहना।

(3) दुग्ध नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करना तथा व्यवसायियों से सीधा सम्पर्क कर खुली छूट देना एवं अनियमित लाइसेंस बिलाना।

दुग्ध नियंत्रण आदेश के होते हुए भी अपर इंडिया डेरी एवं अन्य डेयरीज कोटला मेरठ में क्रीम का निकाला जाना तथा लाला के बाजार में खोये का बेंचा जाना ।

(4) जातिवाद के बल पर अपनी समस्त विभागीय जांच लम्बित कराना ।

(5) दुग्ध व्यवसाइयों को तंग करने तथा हतोत्साहित कर उनकी प्रतिष्ठा समाज में गिराने हेतु अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्यवाही करना ।

(6) दुग्ध नियंत्रण आदेश को परिवार नियोजन कार्यक्रम की भांति बलत ढंग से क्रियान्वित कर सरकार को जनता में बदनाम करना ।

(7) श्री उस्मायक राय (किठौर) को धारा-13 के अन्तर्गत अनुज्ञा दिलाना और श्री अब्दुल लतीफ, मुजफ्फरनगर तथा रामा डेरी, बुलन्दशहर को लाइसेंस दिये जाने की रिपोर्ट करना, अनधिकृत चेष्टा स्पष्ट करती है ।

(8) श्री के0 के0 गुप्ता का अकेला मेरठ के बाहर गोकुल व सिन्धी हलवाई के यहां पहुंचना और कुछ न प्राप्त होने पर स्वयं थाना दिल्ली गेट आदि से अपने नाम से पुलिस लेकर छापा मारना और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बुलाना तथा थोड़ी-थोड़ी मिठाई लेकर थाने आना अधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्यवाही एवं दुग्ध व्यवसाइयों को हतोत्साहित करना ।

शिकायती-पत्रों पर जांच किये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं ।

डाक्टर शिवराज सिंह तेवतिया पूर्णकालिक निदेशक उद्यान एवं फल उपयोग का चार्ज लेने के पश्चात् भी निरन्तर लखनऊ में निवास करने का कारण

197--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 शिवराज सिंह तेवतिया जो कि पर्वतीय क्षेत्र के उद्यान विकास के लिये पूर्णकालिक निदेशक उद्यान एवं फल उपयोग बनाए गए हैं तथा जिनका मुख्यालय रानीखेत है, चार्ज लेने के पश्चात् दो दिन रानीखेत में रहने के बाद बराबर लखनऊ ही है ? यदि ऐसा है, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

198--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

क्या कृषि मन्त्री जी को ज्ञात है कि पर्वतीय क्षेत्र में सेव के पकने का समय जुलाई अगस्त है और इसी समय इसके विपणन की व्यवस्था करनी होती है, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक उद्यान एवं फल उपयोग (पर्वतीय क्षेत्र) का है, क्या वह अपना उत्तरदायित्व लखनऊ में रह कर सही प्रकार से निभा रहे हैं ?

श्री भानु प्र,ताप सिंह--

पर्वतीय क्षेत्र में उत्पादित सेब की विपणन'व्यवस्था पर पर्यवेक्षण रखना निदेशक, उद्यान व फल उपयोग (पर्वतीय क्षेत्र) के विभिन्न दायित्वों म से एक महत्वपूर्ण दायित्व है । इस दायित्व को निदेशक कितनी सफलता से निभा सके हैं इसका मूल्यांकन तो सेब का सीजन समाप्त होने के बाद ही संभव होगा । फिलहाल सेब के विपणन तथा उसके संचलन के संबंध में कोई विशेष कठिनाई शासन की जानकारी में नहीं आई है ।

निदेशक, उद्यान एवं फल उपयोग (पर्वतीय क्षेत्र) द्वारा मान्यता प्राप्त पौधशालाओं से पौधों का क्रय न करके निजी पौधशालाओं से क्रय करके पौधों की आपूर्ति

199--नरेश चन्द्र अग्रवाल--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्धारित विभागीय नीति, जिसके अन्तर्गत राजकीय पौधशालाओं पर उपलब्ध स्टाक समाप्त होने के पश्चात् ही निजी मान्यता प्राप्त पौधशालाओं से पौध क्रय किए जा सकते हैं, परन्तु निदेशक उद्यान एवं फल उपयोग (पर्वतीय क्षेत्र) उपरोक्त नीति की अवहेलना कर मैदानी क्षेत्र की राजकीय पौधशालाओं पर पौधे बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद निजी पौधशालाओं से पौधे क्रय कर पर्वतीय क्षेत्र में आपूर्ति कर रहे हैं ? यदि ऐसा है, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सीड स्टोर चौल्ह, जनपद मिर्जापुर के निलम्बित इन्चार्ज को आरोप-पत्र तथा निलम्बन भत्ते का न देने का कारण

200--श्री ऊदल--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीड स्टोर चौल्ह, जनपद मिर्जापुर का इंचार्ज सन् 1980 से सस्पेन्ड किया गया है ? यदि हां, तो इसको निलम्बन का भत्ता अब तक नहीं दिया गया और न तो आरोप-पत्र ही दिया गया है ? इसका क्या कारण है और क्या यह सही है कि आरोप-पत्र 6 माह के अन्तर्गत देना चाहिए ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मिर्जापुर जिले के चौल्ह भंडार के प्रभारी को अगस्त, 1980 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने व अन्य कतिपय अनियमितताओं के सम्बन्ध में 12-11-80 को निलम्बित किया गया । उक्त भंडार प्रभारी को कागजात सहित फरार रहने के कारण न तो इनको आरोप-पत्र दिया जा सका और न ही इनको निलम्बन भत्ते इत्यादि का भुगतान हुआ ।

[समय 12 बजकर 10 मिनट]

कमेटियां, जिनमें विधायक सदस्य हों सरकारी अधिकारियों को अध्यक्ष न बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष द्वारा शासन का ध्यान आकर्षण

श्री अध्यक्ष--

इसके पहले कि मैं अगला कार्यक्रम सदन के समक्ष रखूं, इस प्रश्न के उत्तर में जो बात आज सदन के सामने आयी है, इस सम्बन्ध में इस अध्यक्ष पीठ से जो परिपत्र जारी हुए हैं उनकी तरफ शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। बार-बार इस पीठ से कहा गया है कि किसी कमेटी में जिसमें विधायक सदस्य हों, उसमें अध्यक्ष सरकारी अधिकारी नहीं होना चाहिये। इसकी महत्ता को शासन ने भी स्वीकार किया है कि जब तक कोई ऐसी गूढ़ या टेक्निकल बात न पैदा हो जाय जिसमें शासन के किसी अधिकारी का अध्यक्ष होना जरूरी हो, ऐसी बातों को छोड़ कर दूसरी जगह सामान्यतया यह प्रक्रिया नहीं अपनायी जायेगी। यह जो आपने सुनाया कि जिस समिति में बी० डी० ओ० सदस्य होगा वही उसका अध्यक्ष होगा, मैं समझता हूं कि यह गलत है और इस पर ध्यान दिया जायेगा।

श्री बलराम सिंह यादव--

माननीय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

[12·15 बजे अपराह्न]

भूतपूर्व सदस्य, श्री गया प्रसाद सिंह के निधन पर शोकोद्गार

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय, उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गया प्रसाद सिंह का देहान्त दिनांक 12 अगस्त, 1981 को सायं 7·40 बजे शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल, कबीर चौरा, वाराणसी में हो गया। जिस समय उनका मृत्यु हुई उस समय उनकी आयु लगभग 65 वर्ष थी। स्वर्गीय श्री गया प्रसाद सिंह का जन्म सन् 1916 में ग्राम दकनहा, जिला बनारस में हुआ था उनकी प्रारम्भिक शिक्षा गांव के ही एक प्राइमरी स्कूल में हुई थी। उसके बाद उन्होंने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी। 1962 से लेकर 1967 तक वे इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे। उनका सारा जीवन एक मिसाल है समाज सेवा की। वे उसकी वैल्यू के लिये बराबर लड़ते रहे। स्वर्गीय श्री गया प्रसाद सिंह ने 1941 के आन्दोलन में हिस्सा लिया और एक जून, 1941 से 16 अक्तूबर, 1941 तक जेल में हे। उन्होंने अपना राजनैतिक जीवन सोशलिस्ट पार्टी मंच से प्रारम्भ किया था किन्तु जनता पार्टी के गठन पर वे जनता पार्टी में शामिल हो गये थे। उन्होंने अपना सारा जीवन समाज की सेवा में बिताया। वे सब प्रकार से समाज की सेवा करते रहे। अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद सर्वप्रथम उन्होंने अपना जीवन एक अध्यापक से प्रारम्भ किया था और वे सन् 1962 तक उस पद पर कार्य करते रहे। यह बड़े दुख की बात है कि हमारे बहुत पुराने साथी हमारे पास से निकलते जा रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि उनके शोक संतप्त परिवार के पास हमारी सम्वेदना भेजने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोती लाल देहलवी--

अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय माननीय गया प्रसाद सिंह के निधन पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो अपनी शोक सम्वेदना व्यक्त की है, मैं और मेरा दल उससे अपने आपको सम्बद्ध करता है। मान्यवर, स्वर्गीय गया प्रसाद सिंह जो इसी सदन के माननीय सदस्य के रूप में एक बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति रहे हैं। आज जब कि इस समय उनकी आवश्यकता थी उनके निधन से विपक्ष के लोगों को काफी आघात लगा है और शायद उसकी पूर्ति होना सम्भव नहीं है।

तो मान्यवर, मैं आप से अनुरोध करूंगा कि मेरे और मेरे दल की ओर से स्वर्गीय गया प्रसाद सिंह जी के शोक संतप्त परिवार तक शोक सम्वेदना पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री सूबेदार सिंह--

मैं, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने और उप नेता विरोधी दल ने विचार व्यक्त किये हैं उनसे अपने आपको और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, श्री सिंह से मेरा भी थोड़ा सा सम्बन्ध रहा था। उनके सम्पर्क में भी रहने का मुझे मौका मिला। वह समाजवादी विचारधारा के एक अग्रदूत थे। सामाजिक सेवा के प्रति उनकी गम्भीर रुचि थी। वह हमेशा गरीबों की सहायता करने वाले व्यक्ति थे। मान्यवर, अच्छे लोगों का अभाव इस समाज में निरन्तर होता जा रहा है, यह दुःख की बात है। उनके निधन से समाज की क्षति हुई है और प्रदेश की क्षति हुई है, उसका पूरा होना सम्भव नहीं है।

मान्यवर, मैं आप से निवेदन करूंगा कि मेरे और मेरे दल की ओर से स्वर्गीय गया प्रसाद सिंह जी के शोक संतप्त परिवार तक शोक सम्वेदना का संदेश पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय श्री गया प्रसाद सिंह के निधन के सम्बन्ध में जो उद्गार अभी माननीय संसदीय कार्य मन्त्री, उप नेता, विरोधी दल तथा कांग्रेस दल की ओर से प्रकट किये गये हैं मैं उनसे अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, बाबू गया प्रसाद सिंह से मेरा अनेक वर्षों तक निकटतम सम्बन्ध था। मैं उनको नजदीक से जानता था। समाज के कमजोर वर्ग, निर्बल वर्ग के लोगों के लिए उनके मन में हमेशा हमदर्दी रहती थी। वह समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे तथा समाजवादी समाज की स्थापना के लिए ज्यादा प्रयत्नशील रहे। सद्व्यवहार और अच्छा आचरण आज हमारे बीच से चला जा रहा है। स्वाभाविक है कि श्री गया प्रसाद सिंह के हमारे बीच से उठने के कारण प्रदेश के राजनीतिक जीवन में जो रिक्तता उत्पन्न हुई है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उसे वह भरे। मेरा निवेदन है कि मेरे और मेरे दल की ओर से शोक सम्वेदना शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भीखा लाल--

अध्यक्ष जी, स्वर्गीय गया प्रसाद सिंह के सम्बन्ध में जो भी विचार माननीय संसदीय कार्य मंत्री और विरोधी दल के नेताओं ने व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। माननीय गया प्रसाद जी सन् 62 से 67 के बीच इस सदन के सदस्य रहे और उस समय मुझे भी सदन में रहने का अवसर मिला था। मैंने उनकी कार्य प्रणाली को देखा कि जनहित का कोई भी प्रश्न बड़ी निर्भीकता के साथ इस सदन में उठाते थे। वह बहुत ही निर्भीक और स्वतंत्र और समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति के निधन से रिक्तता का उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं अपने और अपने दल को इन सभी विचारों से जो व्यक्त किये हैं सम्बद्ध करते हुये आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेरी और मेरे दल की सम्वेदना शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

***श्री रियासत हुसैन--**

श्रीमन्, स्वर्गीय गया प्रसाद सिंह जी के सम्बन्ध में जो संसदीय कार्य मंत्री तथा अन्य दलों के माननीय नेताओं ने अपने विचार प्रकट किये हैं उनसे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। सन् 62 से 67 तक जैसा भीखा लाल जी ने कहा हम लोगों को एक साथ काम करने का मौका मिला माननीय सदस्य के रूप में वह भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में बड़ी हिम्मत तथा मजबूती के साथ अपनी आवाज उठाते थे। वह हमेशा के लिये यादगार रहेंगे। मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से हमारी ये सम्वेदनायें शोक संतप्त परिवार तक भेजने की कृपा करें।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, स्वर्गीय श्री गया प्रसाद सिंह के असामयिक निधन पर जो शोकोद्गार माननीय संसदीय कार्य मंत्री तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे ये सम्वेदना शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री और अन्य माननीय नेताओं ने श्री गया प्रसाद सिंह जी के सम्बन्ध में जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। माननीय श्री सिंह एक अच्छे सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे और अपने कर्तव्यों के प्रति अत्यन्त जागरूक थे। मैं भी उनके साथ इस सदन का सदस्य रहा और मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी कर्मठता और कार्य-क्षमता को जानता हूं। मैं आप सबकी भावनाओं को और अपनी शोक-अभिव्यक्ति को उनके परिवार तक पहुंचा दूंगा। अब हम दो मिनट मौन खड़े होकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुये।)

---

*वाणी ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शोकोद्गार सम्बन्धी प्रस्ताव नेता सदन द्वारा न रखे जाने पर व्यवस्था का प्रश्न

[समय 12 बज कर 22 मिनट]

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं व्यवस्था का प्रश्न यह उठाना चाहता हूं कि जो शोक प्रस्ताव होता है हमारे सदन में, वह बहुत ही गम्भीर विषय है । उस प्रस्ताव के साथ हमारे माननीय सदस्यों और भूतपूर्व सदस्यों का सम्मान जुड़ा हुआ है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव के अवसर पर नेता सदन यदि यहां पर उपस्थित रहें तो उनके द्वारा रखा जाना चाहिये । मान्यवर, मैं यह जानता हूं कि मंत्रिमंडल की ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी है । यदि वे उपस्थित न होते तब तो कोई भी मंत्री इस प्रस्ताव को रख सकता है लेकिन मुख्य मंत्री अभी 15 मिनट पहले सदन से उठ कर चले गये हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य से ऊपर किसी दूसरे कार्य को प्राथमिकता दी है जिसे मैं समझता हूं कि यह इस सदन के सम्मानित सदस्यों के प्रति असम्मान है । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, नेता सदन यहां पर आये थे । यह मेरे पास उनके हाथ का लिखा हुआ है। वे स्वयं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले थे । इसी समय विधान परिषद में उनके विरुद्ध एक विशेषाधिकार का प्रश्न आ गया है । इसलिये वे चले गये हैं । वे दूसरे सदन के कार्य में व्यस्त हैं । इसलिये कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है कि इस सदन का या किसी प्रस्ताव का अनादर किया गया हो । यदि वे यहां पर होते तो अवश्य ही इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय भीखा लाल जी ने जो प्रश्न उठाया था उसका उत्तर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने दे दिया है । मेरा ऐसा विश्वास है कि वे आश्वस्त हो गये होंगे ।

फैजाबाद निवासी, श्री देवेन्द्र कुमार, श्री रमाशंकर व कुलदीप का अपहरण एवं उनकी हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मित्रसेन—

माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय सदन एवं शासन के संज्ञान में आपकी अनुमति से एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना देना चाहता हूं । श्रीमन्, कृष्ण, जन्माष्टमी के अवसर पर दिनांक 28/29 अगस्त की रात्रि को श्री देवेन्द्र कुमार रमा शंकर और कुलदीप का जबरदस्ती असामाजिक तत्वों ने अपहरण कर लिया जिसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली फैजाबाद में श्री सुरेन्द्र कुमार, निवासी वजीरगंज ने दर्ज करायी है । अपहृतों के अभियुक्तगण जो 5–7 की संख्या में बताये जाते हैं, ने उनके मुंह में कपड़ा ठूंसकर मुंह बन्द कर लिया और उठा–उठा कर जीपों में भर लिया । इन अपहृतों को 6, 7 दिन बाद सरयू नदी के एक निर्जन स्थान पर चार कंकाल प्राप्त हुए जिसमें से दो की शिनाख्त भी हो गयी है तीसरे की हत्या

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

फैजाबाद निवासी, श्री देवेन्द्र कुमार, श्री रमाशंकर व श्री कुलदीप का अपहरण एवं उनकी हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

का रहस्य अब भी छिपा हुआ है। यह घटना उस समय घटित हुई जब ये तीनों अपहृत व्यक्ति पुलिस लाइन, फैजाबाद जन्माष्टमी उत्सव देख कर आ रहे थे।

मान्यवर, इस लोमहर्षक घटना से जनपद में क्षोभ और आक्रोश व्याप्त है। जनमानस भयाक्रांत और सशंकित है। जनपद में असुरक्षा और भय का वातावरण व्याप्त है और पुलिस प्रशासन के प्रति गहरा असंतोष एवं अविश्वास है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक न हो सकने के कारण राजनैतिक दबाव को पुलिस द्वारा स्वीकारना है। अतएव इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए निकम्मे पुलिस प्रशासन को तत्काल बदलने की मांग करता हूं।

जनपद चमोली एवं पौड़ी-गढ़वाल में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से वितरित की जा रही चीनी में मिलावट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर जनपद चमोली एवं पौड़ी-गढ़वाल में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों में जो चीनी बिक्री की जा रही है, उसमें भारी मिलावट है। इस चीनी में कोयला इत्यादि काली वस्तुयें बड़ी मात्रा में मिलाई गयी हैं। जिससे चीनी का रंग भी काला हो गया है। चीनी का रंग एवं स्वाद बिलकुल बिगड़ गया है। यह चीनी जन स्वास्थ्य के लियेभयंकर खतरा बन गयी है। इसके पीछे भयंकर घोटाला एवं षड्यंत्र मालूम होता है। इस सम्बन्ध में अनेक शिकायतों के बावजूद भी शासन एवं जिला प्रशासन मौन साधे है। सरकारी गोदामों एवं सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से इससे प्रकार की मिलावट वाली चीनी विक्रय किये जाने से स्थानीय जनता में भयंकर असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त हो रहा है।

अतएव हम इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय खाद्य मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि चमोली एवं पौड़ी-गढ़वाल में साफ चीनी उपलब्ध करावें चीनी में इस प्रकार की मिलावट किये जाने के बारे में जांच करावें तथा दोषी व्यक्तियों को दंड दिलावें।

अनुपा शुगर मिल, बिलारी, जिला मुरादाबाद की मरम्मत में विलम्ब के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबर हुसैन--

मान्यवर, अनुपा शुगर मिल बिलारी जो तीन वर्ष से केन्द्रीय सरकार के अधीन चलाई जा रही है, बहुत ही जर्जर स्थिति में है। वर्ष 81-82 के गन्ना सीजन में मिल के चलाने के लिये अभी तक उपयुक्त धनराशि का आवंटन नहीं हुआ है जिससे मिल की मरम्मत अभी आरम्भ नहीं हुई है, जब कि मिल की मरम्मत में लगभग तीन माह लग जाते हैं बहुत ही आश्चर्य की बात है कि केन्द्रीय सरकार के अधीन इस मिल की गन्ना पेरने की क्षमता लगभग 17,000 कु0 ह और 10,000 किसानों का इस वर्ष लगभग 25,000 एकड़ गन्ना है जो पूर्ण रूप से इसी मिल पर निर्भर हैं, इसके अतिरिक्त लगभग 1,600 कर्मचारी मिल के न चलने पर भुखमरी के शिकार हो जायेंगे, और इस क्षेत्र के किसानों को अपना गन्ना खाण्डसारी प्लांटों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अकबर हुसैन---]

को उनके मनमाने रेटों पर देना पड़ेगा, जिससे किसानों का तो शोषण होगा ही साथ ही साथ चीनी के उत्पादन में भी भारी कमी आयेगी । ऐसी स्थिति में उक्त क्षेत्र के किसानों में असंतोष, अविश्वास और रोष व्याप्त है यदि मिल को चलाने के लिए अविलम्ब कोई प्रभावी कदम न उठाया गया तो वहां का किसान संघर्ष का रुख अपनाने पर विवश हो सकता है ।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए यह मांग करता हूं कि उक्त विषय की ओर शीघ्र प्रभावी कार्यवाही करें ।

प्रतापगढ़ में शान्ति व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लाल प्रताप सिंह---

माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि जनपद प्रतापगढ़ में शान्ति व्यवस्था की स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है । जिस कारण साधारण जनमानस में बड़ा असंतोष है और जन साधारण में असुरक्षा की भावना व्याप्त है । शान्ति व्यवस्था की बिगड़ती हुई दशा को मैं माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । शांति व्यवस्था के सन्दर्भ में मैं कुछ घटनाओं का उल्लेख कर रहा हूं । 11 अगस्त सन् 1981 को श्री राम प्रताप सिंह वरिष्ठ, सम्मानित एवं सर्वप्रिय अधिवक्ता के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया कुछ दिन । पूर्व लालगंज बाजार में भीषण डकैती पड़ी जिसमें बहुत से लोग घायल हुए । 2/3 सितम्बर, की रात में मान्धाता बाजार में एक व्यापारी के घर भीषण डकैती पड़ी जिसमें एक नवयुवक की मृत्यु हो गयी । 26 अगस्त, 1981 को ग्राम बरसंडा में थाना मान्धाता के अन्तर्गत सोहन के यहां डकैती पड़ी जिसमें उनका घर लूट लिया । इस तरह की घटनायें घट रही हैं और इस प्रकार चोरी, डकैती, हत्या बढ़ती चली जा रही हैं । जनपद में व्याप्त अराजकता के लोक महत्व के प्रश्न को मैं माननीय सदन के संज्ञान में लाकर निवेदन करता हूं कि इस दिशा में कठोर कदम उठाया जाय तथा शांति व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाया जाय ।

प्रदेश में आलू के भाव में मन्दी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विमल प्रसाद तिवारी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आलू के भावों में भारी गिरावट के अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । इस समय आलू के भावों में भयंकर मन्दी आई है जिसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण प्रदेश के एवं विशेषकर फर्रूखाबाद जनपद के आलू उत्पादकों की स्थिति जर्जर हो रही है ।

मान्यवर, इस वर्ष प्रदेश में आलू का रिकार्ड उत्पादन हुआ था, फलस्वरूप उत्पादकों ने भारी तादाद में अपनी उपज का शीतगृहों में भंडारण किया । अब जब शीतगृहों से आलू निकल रहा है तो विभिन्न किस्म के आलू का भाव मात्र साठ रुपया से अस्सी रुपया प्रति क्विन्टल तक है जो फसल के समय किसान को प्राप्त होने वाले भाव से भी बहुत कम है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

शीतगृह से निकले आलू की लागत और अधिक हो जाती है क्योंकि उत्पादन लागत के अतिरिक्त आलू को शीतगृह तक लाने की लागत और शीतगृह में रखरखाव की लागत और जुड़ जाती है ।

माननीय, इस समय आलू के भावों में भयंकर मंदी का शिकार प्रदेश भर का आलू उत्पादक हो रहा है । विशेषकर फर्रुखाबाद जनपद का आलू उत्पादक तो बर्बादी की कगार पर पहुंच रहा है क्योंकि प्रदेश में सबसे अधिक आलू का उत्पादन फर्रुखाबाद जनपद में ही होता है और यहां के कृषकों की तथा जनपद की भी सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था आलू पर आधारित है ।

अतः मैं आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को लाते हुए शासन से तत्काल प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध करता हूं ताकि आलू उत्पादकों को इस भयंकर मंदी का शिकार होने से बचाया जा सके ।

आजमगढ़, देवरिया व गोरखपुर के बीच घाघरा द्वारा कटान से कतिपय ग्रामों को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजकुमार राय---

माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन के संज्ञान में यह अत्यन्त ही ही अविलम्बनीय लोक महत्व का तथ्य लाना चाहता हूं कि सम्प्रति जनपद आजमगढ़, देवरिया और गोरखपुर के मिलन विन्दु पर घाघरा का भीषण कटाव हो रहा है और पिछले कई वर्षों से कटाव की विभीषिका ने न केवल देवरिया जनपद के परसिया, विसुनपुरा आदि गांवों को लगभग उदरस्थ कर लिया है अपितु गोरखपुर के गोनघट का भी अस्तित्व समाप्तप्राय है । कतिगाविया, दीपशाह व छुतियां निरंजन को तो पहले ही चट कर गयी है । आजमगढ़ का डिलियागांव अब नदी के पेटे में ही तथा बीबीपुर, ताहिरपुर, गोधनी, रामपुर घनौली पर कटाव का असन्न संकट है । रसूलपुर इनामुद्दीनपुर गांव जहां सन् 1978 में माननीय इन्दिरा गांधी ने भी जाकर देखा था । आश्चर्य नहीं कि इस नोटिस के उत्तर और जांच तक आजमगढ़ जनपद के सिसवां, बखरियां और धर्मपुर नरूल्लाहपुर आदि काफी उपजाऊ क्षेत्र इस कटाव और बाढ़ की चपेट में आ जाएं । इसमें पर्याप्त पशुधन और सदस्यों की संख्या तो कुप्रभावित हो ही रही है, अपितु इसमें कितने विद्यालय, राजकीय कार्यालय और राज्यमार्ग भी चपेट में आ गये हैं । बाढ़ के लिये बनाया गया दोहरीघाट मापक क्षेत्र अत्यन्त, ही भ्रामक है जिससे बाढ़ के दिनों में सही आंकलन नहीं हो पाता है ।

अस्तु माननीय सदन के समक्ष मैं यह मांग पेश करता हूं कि उसकी अविलम्ब जांच कराकर कटाव रोकने की दिशा में बन्डाल डालने, गौरीडीह के सामने बन रहे फिजूल बांध को रोकने तथा बाढ़ मापक-यन्त्र को ठीक कराने तथा पीड़ितों की सहायता सामग्री अविलम्ब शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाने की व्यवस्था करायें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कतिपय सदस्यों द्वारा विधान सभा सदस्य, श्री राधेश्याम पटेल[अपराह्न 12.34] को स्ट्रेचर पर सदन में लाने पर उत्पन्न अव्यवस्था

(यह दरिन्दों की सरकार नहीं चलेगी, "नहीं चलेगी"के नारों के साथ श्री विजय सिंह राना, श्री बदन सिंह, श्री रामस्वरूप निम आदि सदस्य एक माननीय सदस्य श्री राधेश्याम पटेल को स्ट्रेचर पर लेकर, सहसा सदन में प्रवेश कर गये ।)

(स्ट्रेचर पर घायल अवस्था में श्री राधेश्याम पटेल थे, मा0 सदस्य सहित स्ट्रेचर को सदन के बीच रिक्त स्थान पर रख दिया गया और तमाम विरोधी दल के सदस्य स्ट्रेचर को घेर कर नारे लगाने लगे---'यह खूनी दरिन्दों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, 'यह लाठी-गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी' 'यह पुलिस अफसरों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी' । खून से सने कपड़े-धोती व सदरी सदन में दिखाई गई । 'यह अत्याचारों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, 'तथा भ्रष्टाचारों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, के नारे लगाये गये । सदन में रिपोर्टस की मेज पर से रोस्टर व कार्य सूची आदि उठाकर एक सदस्य ने फाड़ कर फेंक दिया ।

'खूनी दरिन्दों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी'
'भ्रष्टाचारों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी'
'अत्याचारों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी'
के नारे लगते रहे ।

(इसी बीच श्री हुकम सिंह एवं अन्य सदस्य श्री अध्यक्ष को खून के धब्बे लगे हुए धोती, कमीज व जाकेट दिखाते रहे और नारे लगाते रहे ।)

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राना---

माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा आवश्यक और क्या कार्य हो सकता है । जिन लोगों ने मारा है, उन लोगों को मुअत्तिल कराइये, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेज चलवाइये । माननीय मुख्य मन्त्री जी से इस्तीफा दिलवाइये जिनके राज्य में इस प्रकार से विधायकों को मारा जा रहा है ।

श्री हुकम सिंह---

एक विधायक के साथ ऐसा अत्याचार हो और क्या. .

(व्यवधान)

(कुछ सदस्य अत्याचारों की सरकार, भ्रष्टाचारों की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, के नारे लगते रहे ।)

श्री हुकम सिंह---

मान्यवर, इससे अधिक महत्वपूर्ण मामला और क्या हो सकता है. . .

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस---

मुख्य मंत्री इस्तीफा दें । (व्यवधान)

श्री विजय सिंह राना---

मान्यवर, आप आकर देख लें । यह अपने साथी के साथ हुआ है, आप आ जाइये । (व्यवधान)

(इसके उपरान्त कई सदस्य स्ट्रेचर को जिस पर श्री राधे श्याम पटेल लेटे हुए थे उठाकर नारे लगाते हुए श्री अध्यक्ष की पीठ की ओर बढ़े परन्तु मार्शल द्वारा उन्हें रोक लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष—

मैंने कह दिया कि मैंने देख लिया है । आप लोग ऐसा न करें कि उनको (श्री राधे श्याम पटेल) किस प्रकार का कष्ट हो । उन्हें कष्ट न दें । मैं इस सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 39 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित हुई ।

1 बजकर 9 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए और स्थगित रहने की सूचना-मार्शल द्वारा दी गयी ।

1 बजकर 39 मिनट पर सदन की कार्यवाही पुनः आधे घंटे स्थगित रहने की सूचना मार्शल द्वारा दी गयी ।

2 बजकर 9 मिनट पर पुनः सदन के 15 मिनट और स्थगित रहने की सूचना मार्शल द्वारा दी गयी ।

2 बजकर 24 मिनट पर सदन के पुनः आधे घंटे के लिए स्थगित रहने की सूचना डिप्टी मार्शल द्वारा दी गयी ।

2 बजकर 54 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट और स्थगित किये जाने की सूचना डिप्टी मार्शल द्वारा दी गयी ।

3 बजकर 9 मिनट पर सदन की कार्यवाही पुनः 10 मिनट स्थगित रहने की सूचना डिप्टी माशल द्वारा दी गयी ।

तदुपरान्त 3 बजकर 19 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(इस समय स्ट्रेचर एवं श्री राधे श्याय पटेल सदन के फ्लोर पर नहीं थे।)

विधान सभा सदस्य, श्री राधेश्याम पटेल की पिटाई से सम्बन्धित पुलिस कर्मचारियों को दंडित किये जाने की मांग

(श्री विजय सिंह राणा, श्री मोहन सिंह, श्री चन्दन सिंह, श्री दलगंजन सिंह तथा विरोधी दल के अनेक सदस्यों ने श्री अध्यक्ष के सदन में प्रवेश करते ही अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारे लगाने आरम्भ किये कि "इन पापी को सजा करो, फिर सदन में बात करो ।")

(शासक दल के कुछ सदस्यों ने भी जोर-जोर से नारे लगाने शुरू किये कि "इस नाटक को बन्द करो ।")

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर विधायकों के साथ इस तरह से अपमानजनक निर्माण किये जायेंगे तो सदन नहीं चलने पायेगा । यदि आप गम्भीरता के साथ इसको लेंगे तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे अपने सदस्यों को नियंत्रित करें, वरना सदन नहीं चल पायेगा । तो पहले खड़े होकर वे अपने सदस्यों को शान्त कर लें ।

(व्यवधान होने पर, श्री राजेन्द्र सिंह अपने स्थान पर बैठ गये)

(श्री अध्यक्ष द्वारा नेता विरोधी दल—श्री राजेन्द्र सिंह को पुनः पुकारे जाने पर)

[श्री राजेन्द्र सिंह—]

श्रीमन्, लोक दल ने 14 तारीख से 18 तारीख तक "जेल भरो" अन्दोलन चलाया किसानों की कुछ मांगों को लेकर । हमारे विधायक, श्री राधेश्याम पटेल, जो इलाहाबाद से विधायक हैं, उन्हें किस बर्बरता से पीटा गया, यह आज सब ने देखा मुझे खुशी है यह जानकर कि हमारे सभी नेताओं ने एवं गृह मंत्री ने यह स्वीकार किया कि यह शख्स तो बोलना भी नहीं जानता जो व्यक्ति इतना सीधा हो, उसे किस तरह बुरी तरह से पीटा गया ।

माननीय अध्यक्ष जी, आज वे आपके सामने आये, एक विधायक के साथ इस प्रकार की घटना घटी है । श्रीमन्, जब वह जेल से छूटकर जाते हैं 19 तारीख को तो दो सिपाही उनके साथ किये गये इस बात के लिये कि खर्च वगैरह करके उनको टिकट दिलवा दें । यह ठीक है कि उन्होंने अपनी दिक्कत बताई कि मैं पैदल नहीं चलूंगा, आप हमारे लिये सवारी लाएं । उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । इस पर एक सिपाही ने कहा कि बड़े नखरे करते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि हम तुमको देख लेंगे । दूसरे सिपाही ने कहा कि पुलिस फोर्स लेकर आओ । इस पर उन्होंने कहा कि हम झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, पैदल ही चले चलते हैं । कुछ कदम ही चल पाये थे कि इस बीच में पुलिस फोर्स आ जाती है और उन व्यक्तियों के साथ मार-पीट करती है । आज सदन के सामने जो कुछ भी पुलिस वालों ने किया, आपके सामने आ गया, सब प्रेस वालों ने देखा । तो श्रीमन्, इसके बाद एफ0 आई0 आर0 लिखा जाता है 19 तारीख को 19 तारीख की शाम 7.00 बजे की यह घटना है और 8.30 बजे वह आदमी जिसके दो-दो फ्रैक्चर हैं, एफ0 आई0 आर0 लाज कराने जाता है । माननीय मुख्यमंत्री जी, बांदा जिले से जहां से आप चुनाव लड़कर जीत कर आये हैं, वहीं का आदमी उनकी एफ0 आई0 आर0 लिखता है और एफ0 आई0 आर0 में नोट करता है दफा 323, 147 तथा 387 । आज सभी ने यह स्वीकार किया कि एफ0 आई0 आर0 में 323,147,387 यह सेक्शन लिखा ही नहीं जाता । तो 325 का 323 में मिनिमाइज करके लिखा गया । इस तरह से एक आफेन्स को वहां कम किया गया ।

हमारे विधायक के साथ, मैं कहना चाहता हूं कि याद रखिये, सदस्य महोदय का यह अपमान, इस विधायक का नहीं है । मैं कह सकता हूं कि जब चर्चा होगी कल, ला एण्ड आर्डर पर, मैं मिसालें दूंगा कि यह आज की पुलिस कितनी बर्बर और बे लगाम हो गयी है । आपका पुलिस पर कन्ट्रोल नहीं रह गया है, आप कन्ट्रोल नहीं कर सकते हैं । प्रशासन को कन्ट्रोल करने में आप अक्षम हो गये हैं । आप सक्षम नहीं हैं । जो आज हुआ है वह कल चौराहों पर हो सकता है । विधायक चौराहों पर पीटे जा सकते हैं । आप कल चौराहों पर पिटे सकते हैं । मैं कहता हूं कि सब के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए । अगर किसी पुलिस ने ऐसा किया है तो उस को सजा मिलनी चाहिए । 19 तारीख को 8·30 पर रिपोर्ट हुई और आज तक कोई ऐक्शन नहीं हुआ । आज सदन के, आपके कक्ष में मीटिंग हुई, माननीय गृह मंत्री, माननीय

मुख्य मंत्री नहीं बता पाये कि इस तरह की कोई सूचना आयी है या नहीं या कोई ऐसा वाकिया हुआ है । सरकार को, यहां के गृह सचिव को सूचना भी नहीं कि इलाहाबाद के अन्दर एक विधायक के साथ क्या हुआ । मार-पीट किसी से हुई यह बाद की बात है लेकिन कम से कम गृह सचिव के पास सूचना होनी चाहिए थी कि माननीय सदस्य के साथ ऐसा हुआ है । पुलिस ने ऐसी मानवता भी नहीं बरती । मैं तो साफ कहना चाहता हूं कि आप के कक्ष में बहुत से लोगों को कंसोडर करना पड़ता है । अतएव, हमने मांग की थी इसलिए कहना भी चाहता हूं कि जब यह चीज साबित हो चुकी है कि एफ0 आई0 आर0 में 323 के बजाये 325 किया है । तो पुलिस को ऐक्शन ले लेना चाहिए था ऐक्शन नहीं लिया मान्यवर, 21 तारीख हो गयी 3.30 बज गये, मुख्य मंत्री और गृह मंत्री के पास अब भी मेरी जानकारी है, कोई सूचना नहीं आई है । मैं समझता हूं कि 2-3 घंटे हो गये, हाउस नहीं बैठा, सूचना अब तक न आ पायी है ।

मान्यवर, यह विधायक विशेष का मामला नहीं है, इस सम्मानित सदन के सभी विधायक पीटे जा सकते हैं । यह ठीक है कि वह किसी कार्य से नहीं जा रहे थे लेकिन विधायक के साथ यह घटना हुई है, किसी के भी साथ हो सकती है इसे सोच लेना । सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात नहीं की जा रही है । पुलिस के खिलाफ आपने भी उठाया है, आपके भी विधायक पिट चुके हैं । नैनीताल में मैं जानता हूं सुरेन्द्र सिंह जो बैठे हैं सुरेन्द्र सिंह जी अलीगढ़ को पुलिस ने कांग्रेस वालों को भी पीटा । मैं बताना चाहता हूं कि पुलिस कांग्रेसियों को भी पीटने लगी है । कारण नहीं था, कारण दूसरा था, जानबूझकर पुलिस वालों ने कांग्रेसियों को पीटा । मैं कल कहूंगा कि हम तो पिट रहे हैं, विपक्ष को पिटने का मलाल नहीं होता है लेकिन सत्ता पक्ष भी पिट रहा है । आप का पुलिस विभाग निष्पक्ष पुलिस विभाग है । किसी के साथ पक्षपात नहीं करती । यह अनियंत्रित है, बे लगाम हो गयी है यह आपके बस का नहीं है । ला-एण्ड-आर्डर आप की चीज नहीं है । मैं पुनः मांग करता हूं कि उन 2 व्यक्तियों को जिनके बारे में जानकारी है वे 2 व्यक्ति वहां मौजूद थे, एफ0 आई0 आर0 में भी दिया गया है कि एक से कहा कि पुलिस को ले आओ । मैं चाहता हूं कि आप उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करें, सस्पेंशन, अरेस्ट होनी चाहिए । मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री सदन को आश्वासन दें कि सस्पेंशन और अरेस्ट होगी । बच नहीं सकते ।

दूसरी बात यह भी चाहता हूं कि जिसके थाने पर, जिस इन्स्पेक्टर ने मिसिनाइच कर के एफ0 आई0 आर0 लाज की है उस थानेदार के खिलाफ भी ऐक्शन हो जाना चाहिए और माननीय गृह मंत्री को यह घोषणा करनी चाहिए कि हो जायेगा । एस0 ओ0 के खिलाफ जिसने गलत रिपोर्ट दर्ज की उसके खिलाफ भी ऐक्शन लेना होगा और आइन्दा आगे के लिए किसी भी एजेन्सी को सी0 आई0 डी0 को या जुडिशियल इन्क्वायरी द्वारा किसी से भी जिसको आप चाहें उससे जांच करवा में क्योंकि मुझे विश्वास है कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो निष्पक्ष जांच कर सकते हैं जिनकी निष्ठा और निष्पक्षता विभाग के अन्दर है और हमको विश्वास है कि उनको मौका दिया जाय तो सारी बातें साफ हो जायेंगी । अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करता हूं कि एक विधायक के साथ ऐसा व्यवहार होने के लिए कठोरतम कार्यवाही करनी चाहिए और उससे सदन को अवगत करायें ।

(श्री शंकर सिंह तथा अन्य कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल ने कह दिया है । आप लोग बैठें ।

श्री शंकर सिंह—

मैंने कार्य-स्थगन के रूप में दिया था ।

श्री अध्यक्ष —

ठीक है । आप बैठ । मुख्यमन्त्री जी को बोलने दीजिए ।

*मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी सम्मानित सदस्य का सम्मान सर्वोपरि है । जन जीवन में कौन सत्ता पक्ष में है और कौन विरोध पक्ष में है इस आधार पर एक जन प्रतिनिधि का जो सम्मान होना चाहिए, नहीं निर्णय किया जा सकता है । कोई भी जो जन प्रतिनिधि है उसका सम्मान हम सबको मिलकर करना चाहिए और यदि यह कोई भी आशंका इस प्रकार की है कि यह विरोध पक्ष के माननीय सदस्य हैं तो उसको अपने हृदय से निकाल दें और सत्ता पक्ष के हर एक सदस्य उनकी रक्षा का प्रयास करेंगे और उसके लिए कटिबद्ध हैं ।

(मेजें थपथपाकर तालियां बजाई गईं ।)

इस परिप्रेक्ष्य में मान्यवर, हम लोगों का इस विषय में कोई मतान्तर नहीं है । हम लोग सामूहिक रूप से इस बात पर एकाग्र हैं और उसी दिशा में कार्य करेंगे । अभी जो सूचना मेरे पास आई है, चूंकि सम्मानित सदन के सामने कोई दुराव रखकर कोई चीज नहीं रखनी है, वह कल टेलीफोनिक सूचना प्राप्त हुई, उच्च कारागार महा निरीक्षक की सूचना 20/9/81 को प्राप्त हुई, वह कल दिनांक 19 सितम्बर, 1981 को रात्रि 9-00 बजे अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, श्री के0 एम0 लाल श्रीवास्तव ने टेलीफोन पर सूचना दी कि उनके कारागार से 136 लोकदल सत्याग्रही छूटे थे । उनके टिकट क्रय करने के लिए 2 बन्दी रक्षक 280 रु0 लेकर जा रहे थे । करीब 6 या 6-30 बजे के बीच थोड़ी दूरी पर हनुमान मन्दिर के पास उन लोगों ने उन बन्दी रक्षकों से कहा कि पैसा हम लोगों को दे दो हमें टिकट नहीं चाहिए, हम लोग चले जायेंगे । बन्दी रक्षकों ने आपत्ति उठाई इस पर उन लोगों ने जबरदस्ती पैसा छीन लिया और मारने लगे ।

(विरोधी पक्ष की तरफ से शेम-शेम की आवाजें यह 'असत्य है' 'झूठ है' ।)

श्री अध्यक्ष —

पढ़ लेने दीजिए । पूरी बात तो आ जाने दीजिए ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मान्यवर, यह मेरी ओर से बयान नहीं है बल्कि जो सूचना अब तक प्राप्त हुई है वह सदन के सामने केवल रखना चाहता हूं ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

जेल के अधिकारी ने या जेल कर्मचारी ने विधायकों के सम्बन्ध में जो झगड़ा हुआ, जेल अधीक्षक ने आपके पास लिखकर भेजा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 लाज हुआ विधायक की तरफ से, तो उस पर कोई ऐक्शन लिया गया या नहीं, इस सम्बन्ध में कोई सूचना आपके पास है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अभी उस पर आता हूं । बन्दी रक्षकों ने जब इस पर आपत्ति उठायी तो कुछ लोगों ने जबरदस्ती पैसा छीन लिया और उनको मारने लगे । इस बीच में किसी बन्दी रक्षक ने जेल गेट पर सूचना दे दी जिसके अनुसार करीब 5–6 बन्दी रक्षक और आ गए और उनकी सत्याग्रहियों और आम जनता के बीच में मारपीट होने लगी (व्यवधान) । फलस्वरूप 5–6 सत्याग्रहियों को चोटें आयी । साथ ही 3–4 बन्दी रक्षकों को भी चोटें आयीं । जेल और सत्याग्रहियों की ओर से थाने में रिपोर्ट लिखायी गई । मुझे यह भी बतलाया गया है कि वहां के जिलाधिकारी को सारी स्थिति से अवगत कराते हुए मैजिस्ट्रियल जांच हेतु अनुरोध भी किया गया और वहां मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं ।

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, अभी जो यह निर्लज्जतापूर्ण घटना घटी है जिसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी अपना बयान प्रस्तुत कर रहे हैं, वह तो अपनी जगह सही है लेकिन उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है जिसने एफ0 आई0 आर0 में मिसमाइज करके धाराओं का उल्लेख किया है । माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट आई हो तो उसे पढ़ दें । वे तो कारागार अधीक्षक द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं । इस तरह से इस प्रश्न का समाधान नहीं हो सकता है । इसलिए माननीय नेता विरोधी दल ने तथा अन्य नेताओं ने प्रार्थना की है कि जब वे जेल से आ रहे थे तो उनको मारा पीटा गया, उनको घायल किया गया । एक घायल माननीय सदस्य को तो आपने स्वयं और इस सदन ने भी देखा है, तो सरकार के पास अगर इस बारे में कोई सूचना हो तो दे दें । जहां तक मेरी जानकारी है आज 10 साढ़े 10 बजे तक तो शासन के पास कोई सूचना मिली नहीं थी । समाचार पत्र भी इस बात के साक्षी हैं कि 1 बजे तक तो उनको कोई जानकारी थी नहीं, वे टेलीफोन बराबर मिलाते रहे । इससे परिलक्षित होता है कि सही बात क्या है । अगर आपके संज्ञान में कोई बात हो तो माननीय नेता विरोधी दल की बात का उत्तर दें ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रियासत हुसैन—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न भी सुन लें, माध्यवर ।

श्री अध्यक्ष—

एक व्यवस्था का प्रश्न है जिसका उत्तर तो हो जाने दीजिए ।

श्री रियासत हुसैन—

इसी पर मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं, मुझे कृपया आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय रियासत हुसैन साहब, एक माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है । उस व्यवस्था के प्रश्न पर, अभी कोई उत्तर नहीं दिया गया है और आप फिर अपनी व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ।

अभी माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा कि पुलिस के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई, इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अभी उत्तर नहीं दिया है । माननीय नेता विरोधी दल ने जो कुछ कहा, उसके बाद मुख्य मन्त्री जी अपना वक्तव्य दे रहे हैं । इस बीच में और कोई बात नहीं हो सकती । उनकी पूरी बात सुन तो लीजिए । अभी वे वही बात कहने जा रहे हैं ।

श्री रियासत हुसैन—

मैं भी वही बात कहने जा रहा हूं । लम्बे चौड़े भाषण की कोई जरूरत नहीं रहे अगर आप मेरी इस बात पर अपनी व्यवस्था दे दें ।

मैं इस बात की व्यवस्था चाहता हूं कि आज सदन के सामने जो इस वक्त प्रश्न है वह एक विधायक की चोट से सम्बन्धित है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो स्टेटमेन्ट दिया है वह जेल का बरजन दिया....

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मेरा स्टेटमेन्ट नहीं है....

श्री रियासत हुसैन—

वह मामला इस वक्त सदन के उसमें नहीं है । सदन स्थगित हुआ, माननीय विधायक की चोट का सम्बन्ध पुलिस से है, मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि क्या यह अनिवार्य नहीं है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जिस तरीके से जेल का विवरण दिया है इसी तरीके से पुलिस ने 19 तारीख के बाद क्या कार्यवाही की, इसका भी विवरण दें ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि यह सरकार की सूचना नहीं है । यह कल सूचना आई थी । मेरा कर्तव्य है कि मेरी ओर से बयान नहीं है लेकिन चूंकि यह चीज उठाई गई कि सदन के सामने जो भी सूचना आज उपलब्ध हो बिना दुराव के आपके सामने रख दूं । इससे सहमति या असहमति मैं प्रकट नहीं करता । जो भी सूचना उपलब्ध है आपके सामने रखी....

श्री मोहन सिंह--

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष---

मान्यवर, चलने दें....

श्री मोहन सिंह--

क्यों चलने दें (व्यवधान) बिल्कुल नहीं चलने देंगे, क्यों चले ...

(शोर)

श्री मसरूर जाफरी--

(रिपोर्टर टेबिल के सामने खड़े होकर) "नहीं चलने देंगे ।" (शोर) अब वह नहीं हो पायेगा, मुख्य मन्त्री इन काउन्टर करा रहे हैं,

(शोर)

(लोकदल के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे..)

श्री अध्यक्ष---

शांत हो जाइए । माननीय मसरूर जाफरी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, माननीय नेता विरोधी दल कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(शोर)

(श्री मसरूर जाफरी अपने स्थान पर चले गये)

*श्री मोहन सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे व्यवस्था का प्रश्न पूछ लेने दीजिए। क्या माननीय मुख्य मन्त्री इस सदन के सामने ऐसी भी बात पढ़ कर सुना सकते हैं विवरण के रूप में जिससे वह स्वयं सहमत न हों । इस पर आप की व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

स्पष्ट कर दें किस पर व्यवस्था चाहते हैं ?

श्री मोहन सिंह--

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जिस वक्तव्य से माननीय मुख्य मंत्री स्वयं सहमत न हों क्या ऐसे वक्तव्य को वह पढ़ सकते हैं इस आदरणीय सदन के सामने । सदन के सामने जो वक्तव्य दिया जाता है शासन को अपनी आफिशियल मशीनरी के जरिये तैयार कर के दिया जाता है अपनी जिम्मेदारी पर । इन्होंने एक स्रोत अपना बताया जिस स्रोत से इनको एक सूचना मिली और जानबूझ कर इस रिपोर्ट को पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है । केवल सदन को गुमराह करने की भावना इसके पीछे है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सूचना जब कारागार अधीक्षक ने वहां से भेजी, डी0 आई0 जी0 को टेलीफोन मिला, उसके बाद शासन ने इनको जो उत्तर प्रदेश स्तर की एजेन्सी है इसके जरिये उसकी जांच कराई, उसकी रिपोर्ट क्या है क्योंकि 20 और 21 तारीख और उस पर भी चार घण्टे सदन स्थगित रहा....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रारम्भ में ही कह दिया था कि जो सूचना को बात माननीय नेता विरोधी दल ने कही थी उसके सम्बन्ध में जो सूचना उन्हें प्राप्त हुई है वह दे रहे हैं । उन्होंने वही सूचना सुनाई है जो उनको प्राप्त हुई थी।

श्री राजेन्द्र सिंह--

आप के कक्ष में जो बातें हुईं में समझता हूं ढाई बजे या तीन बजे तक, इस डेढ़ दो घंटे की बातचीत के बाद एक बार भी शासन ने यह नहीं कहा कि हमारे पास यह सूचना आई है । सूचना दो घंटे बातचीत के बाद डिसक्लोज की गई कि यह हमारी सूचना....

श्री मोहन सिंह--

जानबूझ कर केवल माननीय सदन का मूड डाइवर्ट करने....

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

व्यवस्था का सवाल है....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये....

श्री राम आसरे वर्मा--

में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अधिकार रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

कोई अव्यवस्था पैदा नहीं हो गई । मोहन सिंह जी ने भी व्यवस्था का प्रश्न उठाया । उसका उत्तर सुन लें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

जो भी सूचना मुख्य मंत्री जी ने यहां पर दी है उस पर मुख्य मंत्री ने यह भी कहा है कि उससे वे सहमत नहीं हैं । तो क्या यह समझा जाय कि जो जानकारी मुख्य मंत्री आज दे रहे हैं उसका सम्बन्ध सदन को केवल गुमराह करने से है । इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं । इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी ने मोहन सिंह जी के व्यवस्था के प्रश्न का जवाब दे दिया है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही कहा हमारे सम्मानित सदस्य का सम्मान सर्वोपरि है । सिर्फ आशंका को दूर करने की बात है ।

श्री मोहन सिंह--

माननीय सदस्य का सम्मान बिलकुल भी सर्वोपरि नहीं है....

(सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया और विपक्ष के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया शांत रहें । बैठ जायं ।

(व्यवधान)

(श्री मोहन सिंह, श्री कुबेर भन्डारी तथा श्री छत्तर सिंह कुर्सी पर खड़े होकर एक साथ बोलने लगे और नारे लगाने लगे । सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया और कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं दिया ।)

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय नेता विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि वे कृपया शांति बनायें रखें ।

एक सदस्य--

ऐसी सूचना पढ़ने का क्या औचित्य है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, हर तरह की आशंका दूर करने के लिये शासन ने निर्णय लिया है कि जो दो कांस्टेबुल गये थे वे टिकट क्रय करने के लिये....।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

बिलकुल झूठ है ।

(विरोध पक्ष के कई सदस्य रिपोर्टर्स टेबुल के सामने रिक्त स्थान पर आकर एक साथ बोलने लगे और नारे लगाने लगे)

'गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ।'

'सदन में गुंडा गर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ।'

'सदन में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ।'

'लाठी-गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ।'

श्री अध्यक्ष--

मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री मुख्तार अनीस—

माननीय अध्यक्ष जी.....।

(व्यवधान)

श्री चन्दन सिंह—

इस तरह सदन को नहीं चलने दिया जायेगा ।]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं । जरा शांति रखें ।

(व्यवधान)

श्री चन्दन सिंह—

इस तरह सदन कैसे चलेगा (व्यवधान) नहीं चलने देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अत्यन्त नम्र निवेदन है कि कृपया शांति पूर्वक सुनें जो इसके पहले घटना घटी और वह जो गम्भीर घटना हुई थी जिसके कारण सदन स्थगित हुआ । माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं से तथा सत्ता दल से माननीय नेता सदन से विचार-विमर्श हुआ, सभी बातों पर परामर्श हुआ, वह एक कठिन समस्या थी और ऐसी बात के सम्बन्ध में समस्या थी जिसका सब को दुख था । आपने देखा कि जिसके कारण कई बार सदन स्थगित करना पड़ा । अंततोगत्वा सारी बातों के पश्चात् पुनः सदन की कार्यवाही आरम्भ की गयी । माननीय नेता विरोधी दल ने अपनी बात कही, माननीय नेता सदन भी अपनी बात कहना चाहते हैं, उन्होंने कुछ बात कही । मेरा नम्र निवेदन है कि सदस्यों की गरिमा, सदन की गरिमा का ध्यान रखें और जो घटना घटी है उस पर समुचित कार्यवाही की जा सके तथा भविष्य में क्या होगा उसको शांतिपूर्वक सुनने की कृपा करें । जो बात सदन में हो रही है उसके लिए आपने जो दुख व्यक्त किया है और जिस तरह से घटना घटी है उसके महत्व को देखते हुए सदन स्थगित होकर आपसे विचार-विमर्श करके हम फिर यहां बैठे हैं (व्यवधान) मैं इस पक्ष या उस पक्ष से नहीं बल्कि सब से निवेदन कर रहा था क्योंकि सदन को चलने के लिए 425 का नहीं एक का भी असहयोग हो तो सदन सुचारु रूप से नहीं चल सकता । इसलिए मेरा निवेदन प्रत्येक सदस्य से है कि इस सम्मानित सदन को गौरवपूर्ण ढंग से चलने के लिए सहयोग दें । जो दुख आपने व्यक्त किया है और उसको व्यक्त करने के लिए जितना संभव प्रयत्न हो सकता था आपने किया और जहां तक मुझसे हो सका मैंने अभिव्यक्ति का अवसर दिया । अब कृपया सदन की कार्यवाही आगे शांतिपूर्वक और रचनात्मक ढंग से चलने दें ताकि किसी माननीय सदस्य के प्रति जो दुर्व्यहार हुआ है उसके लिए जो दूसरे पक्ष से जो रचनात्मक कार्यवाही हुई है वह सामने आ जायेगी ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा—

मान्यवर, मेरा एक निवेदन सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जायं । (व्यवधान) माननीय नेता विरोधी दल इनको बैठा दें ।

(श्री भगवान दीन कुशवाहा बैठ गये)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

माननीय अध्यक्ष जी, जितने सम्मानित सदस्य विरोध पक्ष में हैं और जितना उनका रोष है उससे कम हम लोगों की चिंता नहीं है । इसलिए शासन ने जो निर्णय लिये हैं सम्मानित सदस्यों के सम्मान की रक्षा के लिए वह मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं....

एक सदस्य---

जिलाधीश की रिपोर्ट बताइये कि वह क्या है ?

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

माननीय अध्यक्ष जी, जो दो बंदी रक्षक टिकट क्रय करने के लिए भेजे गये थे सत्याग्रहियों के साथ उनका तुरन्त निलम्बन करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है ।

एक सदस्य---

नहीं, उनको जेल भेजिये ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

आप पूरा सुन तो लीजिए, आप हमारी बात से सन्तुष्ट हो जायेंगे । साथ ही मान्यवर, आज ही सी० आई० डी० का एक दल इलाहाबाद जाकर के, कल जो बहस हो रही है कानून और व्यवस्था पर उसके पूर्व अपनी एक प्रिलिमेनरी रिपोर्ट यहां पर दे देगा---यह आदेश दे दिया गया है । उस प्रिलिमेनरी रिपोर्ट पर जो भी दोषी होगा---चाहे बड़ा अधिकारी हो या छोटा, उसको पूर्ण रूप से दंडित किया जायेगा । पूरी जांच सी० आई० डी० के द्वारा शीघ्रातिशीघ्र कराके कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है ।

(व्यवधान)

श्री धरमपाल---

यह तो बन्धीगृह रक्षकों के बारे में हुआ, बड़े अधिकारियों के बारे में क्या हुआ ?

श्री राजेन्द्र सिंह---

अध्यक्ष जी, विपक्ष की तरफ से जो मैंने निवेदन किया था, मांग रखी थी, उसका एक पक्ष ही माननीय मुख्य मंत्री ने माना है । अन्य के बारे में कुछ नहीं कहा । मैंने दो-तीन बातें रखी थीं, एक तो थाने के जिस एस० ओ० के अन्दर

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

में मिनिमाइज करके ऐसी रिपोर्ट लिखी गई, उनके खिलाफ भी जरूर ऐक्शन होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ । इसमें एक चीज आई है, जिसको मैं अपने पहले वक्तव्य में नहीं बोल पाया था, लेकिन अब वह जब विषय आपकी तरफ से आ गया है, तो मेरी दूसरी बात यह है कि जिस रक्षक ने आकर एक सूचना दी कि ऐसी बात हो गई और वार्डर भेजे गये--आप और हम इस चीज से वाकिफ हैं कि इसकी एन्ट्री होती है, तो उसका नाम होना चाहिए था । जो कार्यवाही होती है, उसका नाम लिखा जाता है । उसका नाम नहीं आया है, इसलिए जिले की रिपोर्ट तथ्यहीन है और जो वार्डर भेजा गया वह किसी अधिकारी ने भेजा--श्रीवास्तव या और कोई हैं, तो उनके स्थानान्तरण के आदेश आप आज ही कर दें, ताकि यह जाँच में सहायक हो सके ।

*श्री मुख्तार अनीस--

यह जो एफ0 आई0 आर0 लिखाई गई है हमारे साथियों की ओर से, वह धारा 147 और 389 के अन्दर लिखाई गई है । इसके अन्दर बल्वा और चोरी आता है । तो मुख्य मंत्री जी क्या उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए आदेश देंगे ? क्योंकि 147 के अन्दर बल्वा है और 389 में चोरी है, तो इसमें क्या आप गिरफ्तारी के फौरन आदेश देंगे ?

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के सामने जो वक्तव्य दिया उसमें एफ0 आई0 आर0 का विवरण पेश करते हुए दफा 147, 148 और 323 का जिक्र किया गया । जैसा कि आपको भी विदित है माननीय सदस्य के हाथ और पैर में 2-3 फ्रेक्चर्स थे तो दफा 325 लागू हो जाता है । साबित हो गया कि रिपोर्ट को मिनिमाइज किया गया । अतः सम्बन्धित इंस्पेक्टर को तत्काल निलम्बित करने का निर्णय माननीय मुख्य मंत्री को लेना चाहिए था । कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है कि एफ0 आई0 आर0 बाद में लाज होती है पहले पकड़कर बन्द कर दिया जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि इन वार्डरों को तुरन्त गिरफ्तार करने का माननीय मुख्य मंत्री ने संकेत क्यों नहीं किया है ? जो वार्डर्स ठेले में भर कर भेजे गये वे सुपरिन्टेन्डेन्ट या जेलर के निर्देश पर ही वहां पर पहुंचे थे । तो जिस अधिकारी का इससे सम्बन्ध रहा हो, उसको तत्काल सस्पेन्ड किया जाना चाहिए था । नेता विरोधी दल ने स्थानान्तरण वाली बात कह कर मामले को हलका बना दिया है । उनका भी तुरन्त सस्पेंशन होना चाहिए था ।

*श्री शंकर सिंह--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2 सिपाहियों के निलम्बन के आदेश दिए हैं । मान्यवर, यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि 124 आदमियों में से 18 आदमियों को गम्भीर चोटें आयी हैं और उनमें से आधों के फ्रेक्चर्स हुए हैं । तो स्पष्ट है कि भारी संख्या में वहां पर फोर्स तेजी से पहुंची है तब इतने आदमियों के चोटें आयी हैं । जेल से वह स्थान 1 किलोमीटर के करीब है तो भारी संख्या में फोर्स किसने वहां पर पहुंचायी । उसे जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट ने या डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट ने तो....

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

इसीलिए सी० आई० डी० की जांच हो रही है ।

श्री शंकर सिंह--

हमारे सत्याग्रहियों में अन्धे लोग भी थे, उनके भी फ्रेक्चर्स हुए हैं । अतः प्रार्थना है कि सुपरिन्टेन्डेन्ट को तुरन्त निलंबित किया जाना चाहिए ।

(सहकारिता मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मुझे एक बात कहनी है, एक नया बिन्दु लाना चाहता हूं । मान्यवर, जब शिकायत के साथ मेडिकल रिपोर्ट पहुंच गयी तो 325 में कन्वर्ट हो गयी । तो मैं जानना चाहता हूं कि....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, इस पक्ष को भी देख लिया जायेगा पुलिस की रिपोर्ट लिखने में, एफ० आई० आर० लिखने में कोई त्रुटि या अवहेलना तो नहीं हुयी है । अभी जो सूचना मिली है उसमें यह है 323 में जब मेडिकल रिपोर्ट मिल जाती है तो 325 में कन्वर्ट हो जाती है ।

(घोर व्यवधान)

(विरोध पक्ष से "सदन को गुमराह किया जा रहा है" की आवाजें ।)

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी पर डायरेक्ट चार्ज लगाता हूं कि वे एस० ओ० को बचाने का प्रयास कर रहे हैं । जब विधायक की चोटें साफ दिखायी देती थी तो 323 और 324 दफा जानबूझ कर किया गया है । दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर दफा 325 हो गयी तो 19-20 से अब तक कोई ऐक्शन क्यों नहीं हुआ, इसके लिए उनको दंडित क्यों नहीं किया गया ?

(व्यवधान)

(व्यवधान के बीच)

श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय विधायक जब थाने में रिपोर्ट लिखाने गये तब यह खून से सने हुये कपड़े पहने हुये थे । (कपड़े दिखाये)

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

अध्यक्ष जी, मैंने निवेदन किया कि इसकी भी जांच कर लेंगे....

(शोर)

श्री मसरूर जाफरी--

जांच तो हो गयी ।

(व्यवधान)

*श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने फरमाया कि डाक्टरी मुआयना रिपोर्ट के बाद मुकदमा 323 से 325 में तब्दील किया जाता है....

(शोर)

मान्यवर, माननीय विधायक स्वयं थाने पर गये और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उनके हाथ और पैर में फ्रैक्चर है, हड्डी टूटी हुई है । इसके बाद और क्या शहादत चाहिये थी ? अगर 325 में मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं तो इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है । क्या अगर कोई लाश भी थाने में ले जायेगा तब भी जब तक डाक्टरी रिपोर्ट नहीं आयेगी, मुकदमा 323 में ही दर्ज किया जायेगा ?

(शोर)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, आप तो स्वयं कानून के विशेषज्ञ हैं ।

(शोर)

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया इतना बता दें कि 19 तारीख की शाम को साढ़े 8 बजे पुलिस विभाग की तरफ से किसी किस्म की कोई सूचना इन विधायक की पिटायी के सिलसिले में मिली या नहीं ? इतना बता द ।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, जो तथ्य थे मैंने आपके सामने रखे । और इसीलिये सस्पेन्शन की कार्यवाही की । एक स्पेशल टीम सी0 आई0 डी0 की जांच के लिये जा रही है ।

(शोर)

कल जब ला एन्ड आर्डर पर बहस होगी तो उसके पहले जो सूचना आयेगी वह रख दी जायेगी

(शोर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(घोर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल से मैं चाहूंगा कि वह सहयोग करें ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, मैं अपने लोगों को शान्त करने का प्रयास कर रहा हूं । लेकिन श्रीमन्, जब यह बात हो जाती हैं, मैं यह पूरा कपड़ा खून से लगा हुआ आपके सामने रख रहा हूं । (श्री राजेन्द्र सिंह खून से सना हुआ कपड़ा सदन में दिखाते हुए) यह 323 नहीं हो सकती माननीय मुख्य मंत्री ।

(व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री राजकुमार राय--

मान्यवर, खून लगने से वफा बेंच नहीं हो जाती हैं ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, मेरी भी बात सुन लीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय फिरंगी प्रसाद विशारद, कृपया आप बैठ जाइये ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, कृपा करके मेरी भी बात सुन लें ।

(व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष--

कृपया शान्त हो जायं । कृपया आप शान्त हो जायं (विरोधी पक्ष की तरफ संकेत करते हुए) । कृपया आप शान्त हो जायं (शासन पक्ष की तरफ संकेत करते हुए) । कृपया खैरुल बशर साहब, आप शान्त हो जायं । मसरूर जाफरी साहब, आप बैठ जायं ।

(श्री राजमंगल पांडेय का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया शान्त रहिए, शान्त रहिये ।

*श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, नेता विरोधी दल में जो भी बात कही है, मान्यवर, उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति न होगा जोकि अपनी भावना उनके साथ सम्बद्ध न करता होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[रामंगल पाण्डेय, श्री—]

मान्यवर, एक सम्मानित विधायक इस सदन का बेरहमी के साथ पीटा गया, इसमें भी कोई शक नहीं।

मान्यवर, प्रश्न केवल एक उठता है कि क्या नेता विरोधी दल की भावनाओं का आदर करते हुये मुख्य मंत्री ने जो सजा फिलहाल देने का अनुरोध सदन के सामने किया है वह पर्याप्त है कि नहीं। उन्होंने जब यह कहा कि उन दोनों व्यक्तियों को जो सत्याग्रहियों को ले जा रहे थे तत्काल उनका निलम्बन हो जायेगा और डी० आई० जी० के नेतृत्व में सी० आई० डी० की एक टीम वहां जा रही है, और कल जो सदन में शान्ति व्यवस्था पर चर्चा होने जा रही है, उसके पहले, वह अपनी वहां की स्थिति के बारे में अन्तरिम रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। तो मैं नेता विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि काफी हदतक हमारी भावनाओं का समादर किया गया है।

(तालियों की थपथपाहट)

(व्यवधान)

मान्यवर, अभी मैंने अपनी बात समाप्त नहीं किया है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अगर उन भावनाओं से कुछ हमारे मित्र अपने को सम्बद्ध न करते हों तो कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन मान्यवर, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं कि दोनों ओर से जो वातावरण बनाया जा रहा है और वातावरण ऐसा बन रहा है कि धीरे-धीरे दोनों ओर से जो गर्मी आ रही है उससे लगता है कि चन्द मिनटों में कुछ हो न। तो मान्यवर, हम लोग जो कमजोर हैं उनके लिये व्यवस्था कुछ करा दें ताकि हम लोग ठीक-ठाक सही सलामत घर पहुंच जायं और दोनों ओर के बहादुर लोग हैं, उनको मौका दे दें कि अपनी अपनी बातों का समाधान कर लें।

(तालियों की आवाजें)

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, आदरणीय पांडेय जी ने जितनी बातें कहीं हैं उसमें हम लोगों की असहमति नहीं है लेकिन उसके आगे चलकर नेता विरोधी दल ने जो और बातें कही हैं जैसे यह बात साफ है कि जिस तरह से चोट लगी और जिस तरह के कपड़े यहां हैं इसमें कहीं दो राय नहीं है कि एक माननीय विधायक के ऊपर जिस तरह का निर्मम प्रहार हुआ उसको देखने से लगता है कि 323 का मामला नहीं है और वह 325 का मामला है। यह प्राइमा फेसाई अपने आप सिद्ध हो गया।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

मान्यवर, हम लोगों की कतई मंशा कुश्ती करने की नहीं है। मैं भी उसके मुफीद नहीं हूं। लेकिन यदि पांडेय जी को डर है तो उनको कुर्सी से बांध कर नहीं रखा गया है और वह जा सकते हैं जैसे उधर से इधर आ गये तो वैसे ही जा सकते हैं, उनको छूट है। लेकिन उन्होंने दो बातें कहीं हैं। उनकी बात के दो पहलू हैं। एक तो यह कि जब वहां से लोग आ रहे थे सत्याग्रही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिसके बारे में एक तो वक्तव्य पढ़ा गया, मुख्य मंत्री की ओर से, उससे भी सिद्ध है कि जेल के वार्डन आये और उनको मारे। उनके कथन से वह बात सिद्ध हो रही है। लेकिन उसका दूसरा पहलू है कि यह मामला जेल वालों तक सीमित नहीं है। पिटने के बाद सत्याग्रही थाने में जाते हैं, खून से लथपथ चोटों को लेकर थाने जाते हैं। तो जो राजा साहेब की पुलिस का तौर तरीका है कि साधारण लोगों के मामलों को कंसील करते हैं और उसी का वहां पुलिस ने सबूत दिया है कि एक विधायक के मामले को अन्डरमाइन किया है, कम किया है। जहां तक पुलिस वाली बात है उस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री ने कोई ऐक्शन लेने की बात नहीं कही है। प्राइमा फेसाई मामले में पुलिस ने मामले को कम किया है। 19 तारीख को एफ0 आई0 आर0 लिखी गयी है।

मान्यवर, 19 तारीख की घटना है, जेल अधीक्षक 20 तारीख को फोन पर कह देता है लेकिन वहां का एस0 एस0 पी0 इस एफ0 आई0 आर0 के बारे में शासन को अभी तक सूचित नहीं करता है। तो नेता विरोधी दल ने जो दूसरी बात कही है उसके बारे में शासन को क्या कहना है ?

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, अभी सब चीजें आपके सामने आ गयीं। मेरा यह निवेदन है कि इस मामले में चोजों को जिस तरह से घटा करके, मिनिमाइज करके रखा गया है सरकार उसी को प्रोटट कर रही है। रिपोर्ट में है कि हाथ पैर टूटे हैं और रिपोर्ट 323 में लिखी गयी है। 147/148 और 379 लगाया गया है जबकि 395 होना चाहिए। 323 से 325 में कन्वर्ट करना चाहिए लेकिन कन्वर्ट नहीं किया गया है। जिला प्रशासन ने किसी, को गिरफ्तार नहीं किया है। सत्याग्रही और जनता के लोग थे, जिसमें झगड़ा हुआ। इन 7 और 8 वार्डनों ने 15-20 के हाथ तोड़ दिये और आरोप लगाया जाता है कि इनको सत्याग्रहियों ने मारा और केवल तीन वार्डनों के चोटें आयीं। उसी प्रशासन के रवैये पर सरकार ढिलाई कर रही है और विश्वास कर रही है। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। सिर्फ 2 आदमियों का सस्पेंशन किया गया है, यह कोई सजा नहीं है। हमारे आग्रह के बावजूद भी सिवाय सस्पेंशन के कोई गिरफ्तारी करने की बात नहीं की जा रही है और गिरफ्तारी न करना इस मामले को घटाना है। सरकार का यह रवैया सन्तोषजनक नहीं है।

श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद--

मैं सदन के समक्ष नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं। जब यह मामला आपके कमरे में विचार-विमर्श के द्वारा तय हुआ तो उस समय तक कोई तथ्य नहीं था। यह बात उसी समय तय हो गयी लेकिन मुख्य मंत्री ने एक पत्र पढ़ दिया। मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात भी आ गयी। श्री भीखा लाल जी ने कहा कि इतने कम जेल के बन्दी रक्षकों ने पिटाई किया। इतने बीच में यह सम्भव नहीं हो सकता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के मुख्य मंत्री राजा साहब हैं। राजाओं का पहले का स्वभाव रहा है कि जब खून-खच्चर होता था तो उनको बड़ी खुशी होती है और उसमें जब विरोधी दल के लोग पीटे जाते हैं तो उससे बढ़कर खुशी कोई और नहीं होती है। लेकिन कहीं पुलिस इनके लोगों को पीट देती है तो हाय तोबा हाय तोबा करते हैं तथा यह कहते हैं कि बुरा हुआ और सोचते हैं कि पुलिस मेरे साथ नहीं है। मान्यवर, एक बात यह है कि एस0 ओ0 के अन्तर्गत यह मामला गया तो धारा कम करके

[श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--]

लिखा गया उसी समय उसके निलम्बन की कोई कार्यवाही नहीं की गयी और केवल दो बंदी रक्षकों को निलम्बित किया गया है लेकिन जेल के अधिकारियों को निलम्बित नहीं किया गया है । जेल के वह अधिकारी जिन्होंने वार्डनों को छोड़ा उनको निलम्बित नहीं किया गया है ।

एक सदस्य--

मान्यवर, मुझे भी थोड़ा सा समय दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है । सब बातें आ गयी हैं । आप बैठें ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, केवल दो मिनट का समय दे दें । मैं सिर्फ इसमें यह जोड़ना चाहता हूं कि जब भी कोई लाठी चार्ज होता है तो किसी प्रक्रिया और कानून के अन्तर्गत होता है । इसमें आप देखें कि एफ0 आई0 आर0 में कहीं नहीं आया कि कोई हिंसा हुई या मैजिस्ट्रेट की तरफ से कोई गैर कानूनी मजमा की घोषणा (अन-ला-फुल असेम्बली डिक्लेयर) की गयी थी। मान्यवर एफ0 आई0 आर0 की पूरी जानकारी आपको है, मुख्य मंत्री को है, गृह मंत्री को है जिन्होंने एफ0 आई0 आर0 देखी है । इसलिये मान्यवर, विशेषरूप से एक बहुत ही गम्भीर घटना माननीय सदस्य को सदन के अन्दर घायल अवस्था में लाया गया । उनकी गम्भीरता का ज्ञान सम्भवतः हर माननीय सदस्य और माननीय मुख्य मंत्री जी को है । इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी को निष्पक्षतापूर्वक गम्भीरता से निर्णय लेना चाहिये, जिस स्तर की घटना है, ऐसी उनसे आशा है ।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, जहां तक इस घटना की गम्भीरता का प्रश्न है, उससे किसी को इनकार नहीं है । मैं आपके द्वारा माननीय नेता विरोधी दल से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी इससे पहले हम लोग बैठकर इस सम्बन्ध में बातें कर चुके हैं और इस सम्बन्ध में जो भी जांच की कार्यवाही हो रही है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूर्णतया निष्पक्षता से होगी और जो भी दोषी अधिकारी होगा, उसके साथ कोई रियायत नहीं की जायेगी ।

(शोर)

श्री मोती लाल देहलवी--

पक्षपात तो अभी हो ही रहा है, आगे की क्या कहा जाये ।

(शोर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अम्मार रिजवी--

कल मान्यवर, इस पर 3 घंटे की चर्चा होनी ही है और आज काफी बातें सामने आ चुकी हैं और कल तक जो प्रिलिमरी रिपोर्ट आनी है, तब तक के लिये आप सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि खामोश रहें ताकि एजेन्डे के अनुसार आज की कार्यवाही चल सके ।

(शोर)

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, इस घटना के 3 पहलू हैं । एक तो यह कि जेल वार्डन ने 136 लोगों को मारा, दूसरा यह कि जब रिपोर्ट करने विधायक गये ।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है ।

श्री मोती लाल देहलवी--

आप कृपा करके बैठ जायें, वरना आपके हाथ-पैर भी टूटेंगे ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया शांत रहें । माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल आप दोनों से निवेदन करूंगा कि आप अपने-अपने पक्ष के लोगों को कृपया शांत रखें ताकि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चल सके । और माननीय देहलवी साहब आप जितनी बातें कह रहे हैं, वह सब कही जा चुकी हैं और कल इस पर चर्चा होगी, इसलिए कृपया आप अपने विचारों को . . . ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, कल जो बहस होगी, यह बात उससे अलग है, उसमें इसको नहीं मिलाया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष--

आपके दल के लोग और नेता विरोधी दल अपनी-अपनी बातों को काफी रख चुके हैं ।

श्री मोती लाल देहलवी--

आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, उसमें विधायक के कथन को आपने देखा होगा, जिसमें कहा गया है कि मेरी घड़ी और दो सौ रुपये और पता नहीं क्या-क्या छीन लिये गये । तो यह मामला 379 का न होकर 395 का है । लेकिन उसमें धाराओं का हेर-फेर करके मामले को कमजोर बनाया जा रहा है मुख्य मंत्री की ओर से ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है कि जिस माननीय सदस्य को आप बोलने की अनुमति न दें, तो क्या वह माननीय सदस्य बोल सकते हैं। मान्यवर, आपकी अनुमति के बगैर कोई भी माननीय सदस्य एक शब्द भी नहीं बोल सकते हैं, यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मोती लाल देहलवी—

जिस तरह से जेल वार्डन्स को सस्पेन्ड करने की घोषणा की है, वह उस थाने के एस0 ओ0 को भी सस्पेण्ड करने की घोषणा करें। जेल अधीक्षक की यह कैसी ड्यूटी थी कि उसने एक सिपाही के कहने से फोर्स दे दिया। उसको चाहिये था कि किसी अधिकारी को भेजते, लेकिन कोई अधिकारी वहां नहीं गया . . .

श्री अध्यक्ष—

यह सब बातें आ चुकी हैं। आप कृपया बैठ जायं।

(श्री मोती लाल देहलवी के पुनः बोलते रहने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल, कृपया इन्हें बिठलवा दें।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि . . .

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्तार अनीस साहब, मैंने आपको सुन लिया है। मैंने दोनों पक्षों को सुन लिया है, इस पर दोनों पक्षों की बात आ गयी है। कल जब सूचना आयेगी तब इस पर कार्यवाही होगी।

(व्यवधान)

(अत्यधिक व्यवधान के मध्य माननीय सहकारिता मन्त्री एजेण्डे से कुछ पढ़ते रहे, जो कि समझ में नहीं आया।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(इस समय 4 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित हुई। 4 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही 20 मिनट और स्थगित रहने की सूचना मार्शल द्वारा दी गयी। तदुपरान्त 5 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (बारहवां संशोधन) नियमावली, 1981†

(व्यवधान के मध्य)

सहकारिता मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सहकारिता अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 3151/12सी-1-81-7 (13)-79-उ0 प्र0 11/1966 नियम 1968-संशोधन-(12) 1981, दिनांक 30 जून, 1981 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (बारहवां संशोधन) नियमावली 1981 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति केन्द्रीयित सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1981†

सहकारिता मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सहकारिता अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 1639/12-सी-1-81-7 (10)-76-यू0 पी0 ए0-दो/1966 रूल/1976 ए0 एम0 (2)-1981, दिनांक 23 जुलाई, 1981 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति केन्द्रीयित सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1981 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम, लखनऊ का 21वां वार्षिक लेखा विवरण 1978-79††

सहकारिता मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम, लखनऊ की 21वीं वार्षिक लेखा विवरण 1978-79 को दि वेयर हाउसिंग कार-पोरेशन ऐक्ट, 1962 की धारा 31 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी प्रसंस्करण इकाई और कोल्ड स्टोरेज केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1981†

सहकारिता मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं सहकारिता (2) अनुभाग की अधिसूचना संख्या 4295/12-सी-3-100(39)-80, दिनांक 30 जुलाई, 1981 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सहकारी प्रसंस्करण इकाई और कोल्ड स्टोरेज केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1981 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक नियमावली, 1971 से सम्बन्धित शुद्धि पत्र††

सहकारिता मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं सहकारिता (2) अनुभाग की अधिसूचना संख्या 1133-सी/आई0 एफ0सी0/12-सी-ए-भू-117-68, दिनांक 25 अप्रैल, 1972

†छापी नहीं गयी ।

††छापा नहीं गया ।

[श्री बासुदेव सिंह---]

द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक नियमावली, 1971 जो दिनांक 12 दिसम्बर, 1972 को सदन के पटल पर रखी गयी थी, से सम्बन्धित शुद्धि पत्र संख्या 289-सी (आई0 एफ0 सी0)/12-सी0स-भू-117-68, दिनांक 7जून, 1973 को विलम्ब के कारण सहित उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 30 की उप धारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1977†

सहकारिता मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)---

मान्यवर, आपकी आज्ञा से सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या 232-सी-(आई0एफ0सी0)/12-सी0-1-भू0-80-74, दिनांक 27 अगस्त, 1977 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1977 को विलम्ब के कारण सहित उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 30 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक(द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1979†

सहकारिता मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सहकारिता अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 765-सी (आई0 एफ0 सी0)/12-सी-1-भू-71-76, दिनांक 27 अगस्त, 1979 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1979 को विलंब के कारण सहित उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 30 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

लघु उद्योग निगम लि0, का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन 1977-78††

उद्योग मंत्री (श्री नियाज हसन खां)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से लघु उद्योग निगम लि0, का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन 1977-78 को कंपनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई के सम्बन्ध में सूचनाएं

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष---

जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद ने अपने वायरलेस संदेश, दिनांक 17 सितम्बर, 1981 जो इस सचिवालय में 18 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित

---

†छापी नहीं गयी ।

††छापा नहीं गया ।

किया है कि श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा (इलाहाबाद) दन्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में दिनांक 16 सितम्बर, 1981 को 2.30 बजे अपराह्न कलेक्टरेट में गिरफ्तार किए गए।

जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इलाहाबाद ने अपने वायरलेस संदेश, दिनांक 18 सितम्बर, 1981 जो इस सचिवालय में 19 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, सदस्य विधान सभा भारतीय दन्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत अपराध संख्या 512/1981 के सम्बन्ध में 16 सितम्बर, 1981 को गिरफ्तार किए गए। उन्होंने आरोप स्वीकार किए इसलिए वह सिद्धदोष ठहराये गये और उन्हें दिनांक 17 सितम्बर, 1981 को एक दिन के साधारण कारावास का दन्ड दिया गया।

1—अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी ने अपने वायरलेस संदेश, दिनांक 16 सितम्बर, 1981 जो इस सचिवालय में 18 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया ह कि श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, सदस्य विधान सभा भारतीय दन्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत 16 सितम्बर, 1981 को गिरफ्तार किये गये और वे केन्द्रीय कारागार, नैनी में रखे गये। उक्त अधीक्षक ने अपने वायरलेस संदेश, दिनांक 17 सितम्बर, 1981 को इस सचिवालय में 19 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा को 17 सितम्बर, 1981 को रिहा किए जाने की सूचना दी है।

2—अधीक्षक, जिला कारागार फर्रुखाबाद ने अपने वायरलेस संदेश (मैसेज) में 16 सितम्बर, 1981 जो इस सचिवालय में दिनांक 18 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री राधे श्याम वर्मा, सदस्य, विधान सभा फर्रुखाबाद दिनांक 16 सितम्बर, 1981 को जिला कारागार फर्रुखाबाद में दाखिल किये गये।

3—जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी तथा एस0 डी0 एम0 नवाबगंज बाराबंकी ने अपने वायरलेस संदेश की डाक प्रति एवं पत्र दिनांक 17 सितम्बर, 1981 जो इस सचिवालय में 18 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुए, में यह सूचित किया ह कि श्रीमती पारवती देवी, सदस्य विधान सभा दिनांक 17 सितम्बर, 1981 को (जेल भरो आन्दोलन) के सम्बन्ध में दन्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत दिनांक 17 सितम्बर, 1981 को गिरफ्तार की गई और जेल भेजी गईं।

4—अधीक्षक, जिला कारागार, उन्नाव ने अपने वायरलेस संदेश, दिनांक 16 सितम्बर, 1981 जो इस सचिवालय में 18 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री रियासत हुसैन, सदस्य, विधान सभा मुरादाबाद दिनांक 16 सितम्बर, 1981 को 7.40 बज पूर्वाह्न न्यायालय के आदेशानुसार जिला कारागार, उन्नाव से रिहा कर दिये गये।

5—अधीक्षक, जिला कारागार रायबरेली ने अपने वायरलेस संदेश, दिनांक 17 सितम्बर, 1981, जो इस सचिवालय में 18 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री राम सागर सदस्य, विधान सभा (बाराबंकी) भारतीय दन्ड विधान की धारा 147/186/427 और क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट ऐक्ट की धारा 7 के अन्तर्गत चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रट बाराबंकी के आदेशानुसार जिला जेल रायबरेली भेजे गये।

[श्री अध्यक्ष---]

6--जिला मजिस्ट्रेट, इटावा ने अपने वायरलेस संदेश एवं पत्र दिनांक 17 सितम्बर, 1981, जो 18 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री धनी राम वर्मा, सदस्य विधान सभा पर परगना मजिस्ट्रेट, औरैया के न्यायालय में भारतीय दण्ड विधान की धारा 228/दन्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 345 के अन्तर्गत अपराध के लिए 17 सितम्बर, 1981 को मुकदमा चलाया गया और उसी दिन आरोप सिद्ध पाये जाने पर न्यायालय द्वारा 10 रुपये जुर्माना किया गया तथा जुर्माना अदा न किए जाने पर उन्हें न्यायालय के उठने तक के साधारण कैद का दन्ड दिया गया तथा 5 बजे सायंकाल न्यायालय के उठने पर रिहा कर दिया गया ।

7--जिलाधिकारी/ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ ने अपने वायरलेस संदेश, दिनांक 17 सितम्बर, 1981 जो इस सचिवालय में 18 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री धर्मवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा (मेरठ) दन्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के उल्लंघन करने के आरोप में भारतीय दन्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दिनांक 17 सितम्बर, 1981 को कलेक्ट्रेट प्रांगण में गिरफ्तार किए गए ।

8--पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर ने अपने वायरलेस संदेश, दिनांक 18 सितम्बर, 1981, जो इस सचिवालय में 19 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री किरनपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा (बुलन्दशहर), जेल भरो आन्दोलन के सम्बन्ध में दन्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत दिनांक 18 सितम्बर, 1981 को 2.00 बजे अपराह्न गिरफ्तार किए गये ।

9--जूडिशियल मजिस्ट्रेट, उरई ने अपने वायरलेस संदेश, दिनांक 18 सितम्बर, 1981, जो इस सचिवालय में दिनांक 19 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री शंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा (जालौन) निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में भारतीय दन्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दिनांक 18 सितम्बर, 1981 को गिरफ्तार किये गये ।

10--जिलाधिकारी कानपुर ने अपने पत्र दिनांक 19 सितम्बर, 1981 जो इस सचिवालय में उसी दिन प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री मोती लाल देहलवी, सदस्य, विधान सभा (कानपुर) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत दिनांक 18 सितम्बर, 1981 को लगभग 3-30 बजे अपराह्न बिल्हौर तहसील मुख्यालय पर बन्दी बनाये गये और उन्हें इस समय जिला कारागार कानपुर में रखा गया है ।

अधीक्षक जिला कारागर, कानपुर ने अपने वायरलेस संदेश दिनांक 18 सितम्बर, 1981 जो इस सचिवालय में 19 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री मोती लाल देहलवी, सदस्य, विधान सभा, (कानपुर) को 18 सितम्बर, 1981 की रात्रि में जिला कारागार, कानपुर में दाखिल किये गये ।

11--जिला मैजिस्ट्रेट बुलन्दशहर ने अपने वायरलेस संदेश दिनांक 16 सितम्बर, 1981 जो इस सचिवालय में 17 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री छत्रपाल सिंह सदस्य, विधान सभा, (बुलन्दशहर) विधान सभा सचिवालय के अभिलेख के अनुसार जिनका नाम श्री छत्तर सिंह है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116/151 के अन्तर्गत दिनांक 16 सितम्बर, 1981 को गिरफ्तार किये गये ।

जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर के वायरलेस संदेश और पत्र दिनांक 18 सितम्बर, और अधीक्षक जिला कारागार बुलन्दशहर के वायरलेस संदेश 18 सितम्बर, 1981 जो इस सचिवालय में 19 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुये, में यह सूचित किया है कि श्री छत्रपाल सिंह, सदस्य विधान सभा, (बुलन्दशहर) दिनांक 18 सितम्बर 1981 को कारागार से रिहा कर दिये गये ।

12—जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ ने अपने पत्र दिनांक 18 सितम्बर, 1981 जो इस सचिवालय में दिनांक 19 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री धर्मवीर सिंह, सदस्य विधान सभा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का उल्लंघन करने के कारण भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत 17 सितम्बर, 1981 को 2 बजे अपराह्न गिरफ्तार किये गये और जिला कारागार, मेरठ में रखे गये ।

13—जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद ने अपने वायरलेस मेसेज दिनांक 18 सितम्बर, 1981 जो इस सचिवालय में 19 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री राधेश्याम जिनका नाम इस सचिवालय के अभिलेख के अनुसार श्री राधे श्याम पटेल है, सदस्य, विधान सभा, इलाहाबाद ने स्वयं को 18 सितम्बर, 1981 को तहसील सोरांव के पास गिरफ्तार कराया और उनके खिलाफ थाना सोरांव में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/116/107 (3) के अन्तर्गत एक अपराध का मामला दर्ज किया गया ।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी ने अपने वायरलेस संदेश दिनांक 18 सितम्बर, 1981 को इस सचिवालय में 19 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री राधेश्याम पटेल, सदस्य, विधान सभा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/115 के अन्तर्गत दिनांक 18 सितम्बर, 1981 को गिरफ्तार किये गये, उन्हें केन्द्रीय कारागार, नैनी में रखा गया है ।

14—जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, मथुरा ने अपने वायरलेस संदेश दिनांक 18 सितम्बर, 1981, जो इस सचिवालय में 19 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ है में यह सूचित किया है कि सर्वश्री चन्दन सिंह, सरदार सिंह, कन्हैया लाल, सदस्य विधान सभा भारतीय विधान की धारा 228 और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 345 के अन्तर्गत 18 सितम्बर, 1981 को गिरफ्तार किये गये और वे 18 सितम्बर, 1981 को दंडित किये जाने के बाद रिहा कर दिये गये ।

15—जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक कानपुर ने अपने वायरलेस संदेश दिनांक 18 सितम्बर, 1981 जो इस सचिवालय में 19 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में यह सूचना दी है कि श्री भगवानदीन कुशवाहा सदस्य, विधान सभा (कानपुर) भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में 18 सितम्बर 1981 को 2-30 बजे अपराह्न मजिस्ट्रेट कानपुर में गिरफ्तार किये गये ।

इसी सम्बन्ध में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (कानपुर नगर) ने अपने पत्र दिनांक 18 सितम्बर, 1981, जो इस सचिवालय में दिनांक 19 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में यह सूचना दी है कि भगवानदीन कुशवाहा जो 18 सितम्बर, 1981 को भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये थे, को न्यायालय के उठने तक की सजा दी गयी और वे रिहा किये गये ।

16--जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर ने अपने वायरलेस संदेश 18 सितम्बर, 1981 जो इस सचिवालय में 19 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया कि श्री किरनपाल सिंह, सदस्य विधान सभा, (बुलन्दशहर) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116/151 के अन्तर्गत 18 सितम्बर, 1981 को 2 बजे अपराह्न गिरफ्तार किये गये और वे जिला कारागार बुलन्दशहर में उच्च श्रेणी में रखे गये ।

इसी सम्बन्ध में अधीक्षक, जिला कारागार (बुलन्दशहर) ने अपने वायरलेस संदेश दिनांक 18 सितम्बर, 1981 जो इस सचिवालय में 19 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री किरनपाल सिंह, सदस्य विधान सभा, 18 सितम्बर, 1981 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116/151 के अन्तर्गत दिनांक 18 सितम्बर, 1981 को जिला कारागार बुलन्दशहर में दाखिल किये गये ।

17--जिला मजिस्ट्रेट आगरा ने अपने टेलीप्रिन्टर दिनांक 18 सितम्बर,..

(सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

विधान सभा सदस्य, श्री राधेश्याम पटेल की पिटाई से सम्बन्धित पुलिस कर्मचारियों को दंडित किये जाने की मांग (क्रमागत)

(विरोध पक्ष के कतिपय सदस्यों के खड़े होने पर)

(शोर)

(कुछ सदस्य खड़े होकर नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायं । माननीय नेता विरोधी दल, कृपया इन लोगों बैठने को कहें माननीय मोहन सिंह, कृपया बैठ जायं । माननीय भंडारी जी बैठ जायं

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का यह प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इस सदन का कार्य हमारी इस नियमावली के तहत चलना चाहिए । इस आदरणीय सदन के कुछ सदस्य शासन के रवैये से क्षुब्ध होकर चले गए । तो क्या जिस समय सदन अव्यवस्थित हो उस समय सदन की कार्यवाही चल सकती है ? अगर कोई कार्यवाही चली है तो क्या उसको मान्यता होगी ? इस समय इस सम्बन्ध में आपके कक्ष में भी एक मीटिंग हुई थी जहां सभी दलों के नेता उपस्थित थे और जिस विशेष कारण से हम लोग उत्तेजित हैं, माननीय सदस्यों की भावना में उत्तेजना है उससे यह लोग भी सहमत थे और हम यह समझते थे कि इस विषय में शासन कोई निर्णय लेगा या कोई घोषणा करेगा, हो सकता है उससे हम लोग सहमत ही हो जाते लेकिन बिना कोई सूचना दिए हुए सदन की कार्यवाही आगे बढ़ गई तो क्या यह विधि सम्मत होगा ? उसको दण्डित करने की घोषणा सरकार को करनी चाहिए या उसका ट्रान्सफर ही किया जाना चाहिए, कुछ तो सरकार की ओर से बयान आना चाहिए लेकिन कोई बयान नहीं आ रहा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा यह कहा गया कि यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।)

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

मैं बार-बार सदस्य और सदन के गौरव की भीख मांगता हूं और आपसे निवेदन करता हूं और जब कार्यवाही किसी तरह से सुचारुरूप से चलने लगती है तो बहुत दुःख की बात है कि जो इस सदन में बहुत उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर रहते हैं । वह भी इस तरह की बात करते हैं । एजेन्डा की मद संख्या 11 तक जब कार्यवाही हुई है तब तक कोई यहां····

(श्री बदन सिंह के खड़े होने पर)

श्री बदन सिंह जी, कृपया मेरी बात सुन लें····

(व्यवधान)

और जब वे इसको पढ़ने आयें तो आप बीच में आयें ।

(नहीं, नहीं, की आवाजें)

जहां तक अपराध को मिनिमाइज करने का सवाल है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये स्पष्ट रूप से कहा । मैं पुनः संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे अपनी बात को स्पष्ट करें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, जहां तक माननीय नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं से बातचीत हुई, फलस्वरूप माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर घोषणा की । जहां तक माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा कि कोई ऐक्शन उसके ऊपर नहीं लिया गया, वह तथ्य यहां पर नहीं आया तो बयान देने की कोई बात यहां पर नहीं कही गयी थी, सिर्फ यह कह सकते हैं कि उनको सस्पेन्ड कर दिया गया, टीम डिस्पैच की जा रही है सी0 आई0 डी0 की और कल जब ला ऐण्ड आर्डर के ऊपर चर्चा होगी उस समय तक जो हमारे सामने आयेंगे और उन पर जो कार्यवाही होगी वह इस सदन के सामने रखी जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अपराध को मिनिमाइज करने की जो रिपोर्ट पुलिस के खिलाफ बतलायी गयी है उसके बारे में कार्यवाही करने का आश्वासन देंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

जहां तक रिपोर्ट का ताल्लुक है, जो भी तथ्य इन्क्वायरी में सामने आ जाय उसे कोई भी अधिकारी चाहे वह एस0 ओ0 हो या सी0 ओ0 हो, किसी को बक्शा नहीं जायेगा, और जांच के उपरान्त जो भी होगा, उसके ऊपर पूरी कार्यवाही की जायगी ।

(विरोधी पक्ष के बहुत से सदस्य रिपोर्टर्स टेबिल के सामने रिक्त स्थान पर आ कर नारे लगाने लगे और इससे सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया ।)

(रिपोर्टर्स की कापियां छीन कर इधर-उधर फेंक दी गयी और रोस्टर फाड़ दिया गया । कुछ सदस्य वहीं पर लेट कर नारे लगाने लगे)

सदन के कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले सदस्यों को सदन से निष्कासन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

जो लोग सदन में 'फ्लोर' पर बैठ कर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उनको बाहर निकाल दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि जो लोग सदन में फ्लोर पर बैठ कर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उन को बाहर निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

मार्शल, फ्लोर पर बैठे और बाधा पहुंचाने वाले सदस्यों को बाहर निकालें ।

(माननीय सदस्यों को बाहर निकालने की प्रक्रिया के बीच में श्री यदुनाथ सिंह माननीय अध्यक्ष के आसन के पास पहुंचने और माइक को छीनने का प्रयास करने पर)

श्री यदुनाथ का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

श्री यदुनाथ सिंह जी को मैं इंगित करता हूं ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री यदुनाथ सिंह को सदन से निलम्बित किया जाय और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री यदुनाथ सिंह को सदन से निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(लोक दल के माननीय सदस्य सर्व श्री विजय सिंह राना, मोहन सिंह, बदन सिंह, शंकर सिंह, मोती लाल देहलवी, दलगंजन सिंह, धनी राम वर्मा, कुबेर भन्डारी आदि सदस्य रिपोर्टर टेबिल के आगे बैठ कर "इंदिरा गांधी की सरकार नहीं चलेगी" "गुन्डागर्दी की सरकार नहीं चलेगी" लगाते रहे । मार्शल, डिप्टी मार्शल तथा विधान सभा रक्षक बैठ कर नारे लगाते हुये सदस्यों को पकड़ कर बाहर करने लगे । विधान सभा रक्षक सर्वश्री मोती लाल देहलवी, विजय सिंह राना, मोहन सिंह, शंकर सिंह, धनी राम वर्मा, कुबेर भन्डारी को एक-एक करके सदन से बाहर ले गये । सदन में निम्नलिखित नारे लगाये गये--

लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ।

अध्यक्ष की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ।

(श्री कुबेर भन्डारी, श्री राम स्वरूप निम, श्री मोती लाल देहलवी को विधान सभा रक्षक सदन से उठाकर बाहर ले गये ।)

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, श्री दलगंजन सिंह, बेहोश हो गये हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

अध्यक्ष जी, दलगंजन सिंह जी बेहोश हो गये हैं ।

(रिपोर्टर्स टेबुल के सामने रिक्त स्थान पर विरोध पक्ष के अनेक सदस्य लेटे रहे और नारे लगाते रहे । सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया और कुछ भी स्पष्ट नहीं सुनाई दिया ।)

श्री अध्यक्ष—

मैं आधे घन्टे के लिये सदन को स्थगित करता हूं । इस बीच कार्यवाही में बाधा डालने वाले सदस्यों को सदन से बाहर किया जाय ।

(इस समय 5 बजकर 25 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घन्टे के लिये स्थगित हुई ।

मार्शल ने श्री अध्यक्ष के आदेश से दर्शक दीर्घायें खाली कराने के सम्बन्ध में सूचना दी ।

(5 बजकर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

कतिपय सदस्यों का सदन से निष्कासन तथा दर्शक दीर्घायें खाली कराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना देता हूं....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं नियम 299 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

इन सदस्यों को आप बाहर निकाल दीजिये, सदन से जो बाहर निकाले गये थे वह फिर आ गये हैं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 299 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो सदन में शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने के सम्बन्ध में आपने बनाये हैं। यह इसमें लिखा हुआ है, आपको जब यह आभास हो कि सदन का कार्य संचालन करने में आपको असमर्थता अनुभव हो रही है, असमर्थता अनुभव कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप किसी सदस्य को इंगित करेंगे और उसके लिए नियम 299 (3) को देखें, उसमें लिखा हुआ है जैसे ही किसी सदस्य को इंगित किया जायगा, सदन नेता अथवा उसकी अनुपस्थिति में कोई अन्य सदस्य तत्काल इस आशय का प्रस्ताव करेंगे कि इंगित सदस्य को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय और इसमें आपके सामने यदि एक परिस्थिति पैदा हुई, हम उससे सहमत हों या न हों, जब आपने यह अनुभव किया कि सदन का कार्य सुचारु रूप से चले तो उसके लिये आपको चाहिये था कि आप किसी सदस्य को इंगित करते। मैंने जहां तक सुना है और कार्यवाही देखी है आपने किसी भी सदस्य को इंगित नहीं किया है। इसमें लिखा है कि आप किसी सदस्य को इंगित करेंगे। इसका तात्पर्य यह है आप असमर्थ हो गये और आपने सदन को समर्पित कर दिया नेता सदन को ....

(व्यवधान)

अब नेता सदन का प्रस्ताव आयेगा। संसदीय कार्य मन्त्री ने नेता सदन की अनुपस्थिति में प्रस्ताव किया और उन्होंने प्रस्ताव किया कि जितने लोग बाधा पैदा कर रहे हैं उनको निकाल दिया जाये। यह प्रस्ताव अनियमित और अवैध था। जिस सदस्य को आप इंगित करते उसको निकालने के लिये प्रस्ताव संसदीय कार्य मन्त्री की ओर से आना चाहिये था। तो मैं अब जानना चाहता हू कि आपने किस-किस माननीय सदस्य रामकुमार, रामदास सीताराम को इंगित किया और क्या उनके बारे में कोई उधर से प्रस्ताव आया था ?

अब मेरा दूसरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह जो दीर्घायें चारों ओर हैं यह आपके नियन्त्रण में हैं और मुझे यह जानकारी मिली है कि आपने अपने विवेक से मार्शल को आदेश देकर दीर्घाओं को खाली करा दिया उसके बाद दीर्घाओं में कौन लोग बैठे हैं, क्या आपके आदेशों का पालन नहीं हुआ है ? दीर्घाओं को खाली कराने के आदेश के बावजूद भी वहां पर पुलिस वाले बैठे हैं जो विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों को देखने के लिए हैं कि वे क्या क्या कार्यवाही कर रहे हैं। यह हो सकता है कि अगर कोई सदस्य सरकार की तीखी आलोचना करता है तो उस पर हमला किया जा सकता है। तो मान्यवर, जानबूझ कर आपके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश किया गया है। आपके आदेशों के बावजूद भी सरकार ने दीर्घाओं में पुलिस के आदमियों को बैठा रखा है। ये वे लोग हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से बैठाये जाते हैं लेकिन जब दीर्घायें ही खाली हो गई हैं तो किसकी सुरक्षा के लिए ये लोग वहां पर बैठे हुए हैं ?

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि आपके द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि इस आवरणीय सदन में पुलिस का प्रवेश नहीं होगा और माननीय सदस्य के साथ किसी प्रकार का पुलिस वाले बल प्रयोग नहीं करेंगे। देखने में यह आया कि जो रक्षक लोग माननीय सदस्यों को सदन से बाहर ले जाते थे उन्हें पुलिस के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोग दरवाजे में घुस कर सदस्यों को बाहर निकालते थे । तो मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं

(व्यवधान)

(श्री मुख्तार अनीस का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय, इस प्रकार सदन की कार्यवाही चल नहीं सकती है ।

एक सदस्य--

माननीय, ये लोग सदन से बाहर निकाले जा चुके हैं । इन्हें...

(व्यवधान)

*श्री मुख्तार अनीस--

माननीय, दो बिन्दुओं पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । अभी माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने नियम 299 का हवाला दिया । माननीय, आपने केवल संसदीय कार्य मंत्री की ओर देखा । आपने किसी भी सदस्य को इंगित नहीं किया किसी माननीय सदस्य का नाम नहीं लिया । माननीय अम्बार रिजवी ने यह कह करके कि जो लोग सदन में बैठे हैं उनको सदन से निकाला जाय, बहुत गलत काम किया है । दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि आज की सदन की कार्यवाही 6 बजे तक चलनी थी । कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश भी यह थी कि कार्यवाही 6 बजे तक चले और सदन भी इससे सहमत था । इसलिए अब कोई विषय नहीं लिया जाना चाहिए था ।

श्री भीखा लाल--

माननीय, मेरी प्रार्थना है कि जो व्यवस्था का प्रश्न माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने उठाया है उस पर आज नहीं आप कल रूलिंग दें क्योंकि सदन का समय 6 बजे तक था । कार्य मंत्रणा समिति ने सिफारिश की थी कि शून्य प्रहर अर्थात् 1 बजे अपराह्न से 5 घंटे तक सदन की कार्यवाही चलेगी वह समय समाप्त हो गया है । इसलिए जो प्रश्न यहां पर उठाये गये है उन पर आप अपनी रूलिंग कल दे दें । अब कोई भाषण नहीं होना चाहिए ।

(श्री मोहन सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

माननीय, आपने मुझे बुला लिया है ।

(व्यवधान)

माननीय, आपने मेरा नाम पुकार लिया था ।

श्री अध्यक्ष--

मैं सर्वप्रथम यह निवेदन कर दूं कि जिन माननीय सदस्यों का यहां से निष्कासन हुआ था, उनको आज के उपवेशन में भाग नहीं लेना चाहिए था।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आपने किस-किस माननीय सदस्य को इंगित किया था यही तो हम जानना चाहते हैं ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, आपने मुझको पुकारा था ...

श्री अध्यक्ष--

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो प्रश्न उठाया है, मैं उसके बारे में निवेदन कर दूं कि सदन के बीच में जहां बैठने का स्थान नहीं ह (व्यवधान)

(व्यवधान)

आप कृपया बैठिये । (व्यवधान) आप कृपया बैठिये ।

मैं बोल रहा हूं, आप कृपया बैठें । सारी व्यवस्था नियमों के अन्तर्गत करने की और उसके बाद प्रस्ताव करने की केवल इसलिये होती है कि यह पता चल जाये आइडेन्टिटी मालूम हो जाये वह व्यक्ति मालूम हो जाये कि किसके लिए वह कार्यवाही की जा रही है । जब उस व्यक्ति का पता चल जाये तब इंगित करने की कार्यवाही की जाती है । (व्यवधान)

कई सदस्य--

(यह सदन नहीं चलेगा, यह सदन नहीं चलेगा की आवाजें) (विरोध पक्ष के सभी सदस्य खड़े होकर व्यवधान और शोर करने लगे)

श्री अध्यक्ष--

मैं बोल रहा हूं, आप लोग कृपया बैठें । जो लोग बीच में आकर बैठ गये थे उनकी स्पष्ट पहचान हो गयी थी और उन्हीं के संबंध में माननीय संसदीय कार्य मन्त्री को मैंने इशारा किया । जो अव्यवस्था पैदा कर रहे थे उन्हीं के बारे में प्रस्ताव आया था । (मेजों की थपथपाहट-कांग्रेस पक्ष से) (विरोध पक्ष से शोर और व्यवधान) इसके पहले भी ऐसे फैसले हो चुके हैं ...

श्री रियासत हुसैन--

(शोर के बीच)

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

(श्री मोहन सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मोहन सिंह जी, आप कृपया बैठ जायें । माननीय सदस्य कृपया बैठें ।

(व्यवधान)

कतिपय सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई के सम्बन्ध में सूचनायें (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

गिरफ्तारी के बारे में जो सूचना शेष रह गयी थी उस को मैं पढ़ रहा हूं—

17—जिला मजिस्ट्रेट आगरा ने अपने टेली प्रिन्टर दिनांक 18 सितम्बर, 1981 जो इस सचिवालय में 19 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री बदन सिंह, सदस्य, विधान सभा (आगरा) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दिनांक 18 सितम्बर, 1981 को 2·30 बजे अपराह्न आगरा में गिरफ्तार किये गये। वे 24 सितम्बर, 1981 तक न्यायिक अभिरक्षा में रिमान्ड पर लिए गये और जिला कारागार आगरा में रखे गये।

18—जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर ने टेलीप्रिन्टर संदेश दिनांक 18 सितम्बर, 1981 जो इस सचिवालय में 19 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री श्याम सिंह सदस्य, विधान सभा (बिजनौर) भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दिनांक 18 सितम्बर, 1981 को अपराह्न दो बजे बिजनौर शहर में गिरफ्तार किये गये।

19—श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा (बाराबंकी) जिनकी गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना 15 सितम्बर, 1981 को सदन में दी जा चुकी है, के संबंध में एस0 डी0 एम0, राम सनेही घाट, बाराबंकी से दिनांक 20 सितम्बर, 1981 को प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा 12 अगस्त, 1981 को भारतीय दंड विधान की धारा 288 के अन्तर्गत अपराध करने के कारण उन पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 345 के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया, जिस में उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया। फलस्वरूप उन पर जुर्माना किया गया और जुर्माना अदा न करने पर न्यायालय का कार्य समाप्त होने तक उन्हें हिरासत में रखा गया।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन †

श्री अध्यक्ष—

माननीय सभापति, विशेषाधिकार समिति, आप कृपया अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

(शोर और व्यवधान के बीच)

श्री यादवेन्द्र सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री यादवेन्द्र सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

†छापा नहीं गया।

[समय 6 बजकर 10 मिनट]

उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1981–82) का,
भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1975–76
(सिविल पर आधारित) प्रतिवेदन†

(व्यवधान के मध्य)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1975–76 (सिविल) पर आधारित लोक लेखा समिति (1981–82) का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

विधान सभा की लोक लेखा समिति (1980–81) ने इस प्रतिवेदन को अपनी दिनांक 30 अप्रैल, 1981 की बैठक में स्वीकार किया था परन्तु 1 मई, 1981 की ही नई समिति के गठन के फलस्वरूप उस समिति को इसे सदन में प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला । लोक लेखा समिति (1981–82) ने भी प्रतिवेदन को अपनी दिनांक 30 जुलाई, 1981 की बैठक में सर्वसम्मति से अंगीकृत किया ।

(व्यवधान)

(श्री मोहन सिंह अपनी सीट से श्री गौरी शंकर एडवोकेट की सीट तक गये और वह श्री गौरी शंकर एडवोकेट द्वारा पढ़ने वाले कागज को छीनने का प्रयत्न किये, तब तक शासक पक्ष के एक माननीय सदस्य ने श्री गौरी शंकर एडवोकेट को अपने पक्ष की तरफ पकड़ कर ले गये, जहां से पुनः श्री गौरी शंकर एडवोकेट सभापति, लोक लेखा समिति ने पढ़ना आरम्भ करना चाहा ।)

(व्यवधान)

(कुछ विरोधी पक्ष के सदस्य पुनः श्री गौरी शंकर एडवोकेट, सभापति, लोक लेखा समिति को पढ़ने में व्यवधान डालने लगे ।)

श्री अध्यक्ष––

कृपया उनको पढ़ने दीजिए ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1981–82) का,
भारत के नियन्त्रक–महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1974–75
(राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित, प्रतिवेदन†

श्री गौरी शंकर एडवोकेट––

मान्यवर, मैं आपको अनुमति से भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1974–75 (राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित लोक लेखा समिति (1981–82) का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

विधान सभा की लोक लेखा समिति (1980–81) ने इस प्रतिवेदन को अपनी दिनांक 30 अप्रैल, 1981 की बैठक में स्वीकार किया था परन्तु 1 मई, 1981 को ही नई समिति के गठन के फलस्वरूप उस समिति को इसे सदन में प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला । लोक लेखा समिति (1981–82) ने भी प्रतिवेदन को अपनी दिनांक 30 जुलाई, 1981 की बैठक में सर्वसम्मति से अंगीकृत किया ।

† छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1981–82) का भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1975–76 (राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित प्रतिवेदन†

श्री गौरी शंकर एडवोकेट––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1975–76 (राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित लोक लेखा समिति (1981–82) का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

विधान सभा की लोक लेखा समिति (1980–81) ने इस प्रतिवेदन को अपनी दिनांक 30 अप्रैल, 1981 की बैठक में स्वीकार किया था परन्तु 1 मई, 1981 को ही नई समिति के गठन के फलस्वरूप उस समिति को इसे सदन में प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला । लोक लेखा समिति (1981–82) ने भी प्रतिवेदन को अपनी दिनांक 30 जुलाई, 1981 की बैठक में सर्वसम्मति से अंगीकृत किया ।

भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की सिविल रिपोर्ट्स पर आधारित लोक लेखा समिति (1981–82) का प्रतिवेदन†

श्री गौरी शंकर एडवोकेट––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की सिविल रिपोर्ट्स 1974–75, 1975–76 तथा 1976–77 के अनुच्छेद 115–116, 8.1–8.2 तथा 8.1–8.2 पर आधारित लोक लेखा समिति (1981–82) का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

विधान सभा की लोक लेखा समिति (1980–81) ने इस प्रतिवेदन को अपनी दिनांक 30 अप्रैल, 1981 की बैठक में स्वीकार किया था परन्तु 1 मई, 1981 को ही नई समिति के गठन के फलस्वरूप उस समिति को इस सदन में प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला । लोक लेखा समिति (1981–82) ने भी प्रतिवेदन को अपनी दिनांक 30 जुलाई, 1981 की बैठक में सर्वसम्मति से अंगीकृत किया ।

(विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य रिपोर्ट्स की टेबुल के सामने आ कर नारे लगाने लगे ।)

(स्वास्थ्य मन्त्री को मद संख्या 24 प्रस्तुत करने के लिए पुकारे जाने तथा उनके खड़े हो कर कुछ पढ़ने पर घोर व्यवधान ।)

---

†छापा नहीं गया ।

श्री लोकपति--

विरोध पक्ष के अनेक सदस्य रिपोर्ट्स टेबिल पर खड़े हो कर नारे लगाने लगे लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ।)

(कुछ सदस्य सदन के बीच रिक्त स्थान पर लेट गये ।)

(नारे लगाये गये--'लाठी गोली की सरकार नही चलेगी नहीं चलेगी' ।)

(विरोधी दल के सदस्य नारे लगाते रहे ।)

श्री सरदार सिंह का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

श्री सरदार सिंह को मैं इंगित करता हूं ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री सरदार सिंह को सदन की कार्यवाही से निलम्बित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री सरदार सिंह को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री सरदार सिंह को सदन से बाहर ले जाया गया ।)

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

श्री मोहन सिंह को मैं इंगित करता हूं ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री मोहन सिंह को सदन की कार्यवाही से निलम्बित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री मोहन सिंह को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री मोहन सिंह को सदन से बाहर ले जाया गया ।)

श्री विजय सिंह राना का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

श्री विजय सिंह राना को मैं इंगित करता हूं ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री विजय सिंह राना को सदन को कार्यवाही से निलम्बित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री विजय सिंह राना को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री विजय सिंह राना को सदन से बाहर ले जाया गया ।)

श्री कुबेर भण्डारी का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

श्री कुबेर भण्डारी को मैं इंगित करता हूं ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री कुबेर भण्डारी को सदन की कार्यवाही से निलम्बित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री कुबेर भण्डारी को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री कुबेर भण्डारी को सदन से बाहर ले जाया गया ।)

श्री किरन पाल सिंह का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

श्री किरनपाल सिंह को मैं इंगित करता हूं ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री किरन पाल सिंह को सदन की कार्यवाही से निलम्बित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री किरन पाल सिंह को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री किरन पाल सिंह को सदन से बाहर ले जाया गया ।)

(व्यवधान)

श्री छत्तर सिंह का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

श्री छत्तर सिंह को मैं इंगित करता हूं ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री छत्तर सिंह को सदन की कार्यवाही से निलम्बित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री छत्तर सिंह को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री छत्तर सिंह को सदन से बाहर ले जाया गया ।)

(व्यवधान)

श्री राम स्वरूप निम का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

श्री रामस्वरूप निम को मैं इंगित करता हूं ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री रामस्वरूप निम को सदन की कार्यवाही से निलम्बित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री राम स्वरूप निम को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री रामस्वरूप निम को सदन से बाहर ले जाया गया ।)

(सदन में शोर निरन्तर जारी रहा ।)

श्री खैरुल बशर का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय खैरुल बशर को इंगित करता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री खैरुल बशर को सदन से निलम्बित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री खैरुल बशर को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री खैरुल बशर को सदन से बाहर ले जाया गया ।)

श्री गोपीनाथ वर्मा का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय गोपीनाथ वर्मा को इंगित करता हूं ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री गोपीनाथ वर्मा को सदन से निलम्बित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री गोपीनाथ वर्मा को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री गोपीनाथ वर्मा को सदन से बाहर ले जाया गया ।)

श्री हुकम सिंह का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय हुकम सिंह को इंगित करता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री हुकम सिंह को सदन से निलम्बित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री हुकम सिंह को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री हुकम सिंह को सदन से बाहर ले जाया गया ।)

श्री चन्दन सिंह का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय चन्दन सिंह को इंगित करता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री चन्दन सिंह को सदन से निलम्बित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री चन्दन सिंह को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री चन्दन सिंह को सदन से बाहर ले जाया गया ।)

श्री बदन सिंह का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

मैं श्री बदन सिंह को इंगित करता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री बदन सिंह को सदन से निलम्बित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री बदन सिंह को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री बदन सिंह को सदन से बाहर ले जाया गया ।)

श्री हरिवंश सहाय का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

मैं श्री हरिवंश सहाय को इंगित करता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री हरिवंश सहाय को सदन से निलम्बित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री हरिवंश सहाय को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री हरिवंश सहाय को सदन से बाहर ले जाया गया ।)

श्री मोतीलाल देहलवी का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---

मैं श्री मोतीलाल देहलवी को इंगित करता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्ययर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री मोतीलाल देहलवी को सदन से निलम्बित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि श्री मोतीलाल देहलवी को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री मोती लाल देहलवी को सदन से बाहर ले जाया गया ।)

श्री भगवानदीन कुशवाहा का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---

मैं श्री भगवान दीन कुशवाहा को इंगित करता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री भगवान दीन कुशवाहा को सदन से निलम्बित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि श्री भगवान दीन कुशवाहा को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री भगवान दीन कुशवाहा को सदन से बाहर ले जाया गया ।)

श्री धनीराम वर्मा का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---

मैं श्री धनीराम वर्मा को इंगित करता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री धनीराम वर्मा को सदन से निलम्बित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि श्री धनीराम वर्मा को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री धनीराम वर्मा को सदन से बाहर ले जाया गया ।)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय फिरंगी प्रसाद विशारद को इंगित करता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री फिरंगी प्रसाद विशारद को सदन से निलम्बित किया जाये ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि फिरंगी प्रसाद को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री फिरंगी प्रसाद विशारद को सदन से बाहर ले जाया गया ।)

श्री मुख्तार अनीस--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री अम्मार रिजवी को दो दिन के लिए सदन से निलम्बित किया जाये ।

श्री राम बक्श वर्मा का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

मैं, श्री राम बक्श वर्मा को इंगित करता हू ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री राम बक्स वर्मा को सदन से निलम्बित किया जाये ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि माननीय राम बक्स वर्मा को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री शंकर सिंह का सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय शंकर सिंह को इंगित करता हूं ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री शंकर सिंह को सदन से निलम्बित किया जाये ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि माननीय शंकर सिंह को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

(श्री शंकर सिंह को सदन से बाहर ले जाया गया ।)

कतिपय सदस्यों को सदन से निलम्बित किये जाने पर आपत्ति

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्यगण कृपया शांति से बैठ जायें ।

(शोर)

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, आज की प्रक्रिया अभी-अभी जो अपनाई गयी, उसके सम्बन्ध में हमारा निवेदन है कि आपने श्री राम बक्स वर्मा को निलम्बित कराया जो इस आदरणीय सदन के सदस्य नहीं हैं ।

(शोर)

एक सदस्य--

वह राम बक्स वर्मा नहीं थे, बल्कि धनी राम वर्मा थे ।

(व्यवधान)

(श्री दलगंजन सिंह सदन के बीच जो खाली स्थान है, वहां खड़े होकर नारे लगा रहे थे कि 'गोली-डन्डे की सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी')

श्री राजेन्द्र सिंह--

अध्यक्ष महोदय, अच्छा तो यह होता यदि....

(व्यवधान)

मान्यवर, माननीय अम्मार रिजवी साहब ने श्री राम बक्स वर्मा के बारे में प्रस्ताव किया निलम्बन का, जिसे आप कार्यवाही में देख सकते हैं, वहां नोट हो रहा है और आपने इनके प्रस्ताव पर उनको निलम्बित भी किया ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मेरा आशय यह है कि आपने इस नाम से किसी अन्य सदस्य को निलम्बित कराया, खैर आपने जो भी कराया, वह शिरोधार्य है, लेकिन श्रीमन्, मेरा तो निवेदन यह है कि जिस समय पर सदन की कार्यवाही को कुछ लोग गड़बड़ कर रहे थे, जैसा आपने अनुमान लगाया, उसी समय सत्ता पक्ष के भी काफी लोग कार्यवाही में बाधा डाल रहे थे...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

यदि आपने सत्ता पक्ष के किसी एक आदमी को भी इंगित कर दिया होता, जिसने सदन की कार्यवाही में बाधा डाली थी, तो आपको पीठ से निष्पक्षता की झलक आई होती....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, आपने बड़े गर्व से इस पद को सम्भालते समय कहा था कि मैं निष्पक्ष रहूंगा, लेकिन मैंने निष्पक्षता नहीं देखी । सदन की कार्यवाही में सत्ता पक्ष के लोग भी बाधा डाल रहे थे, लेकिन आपने किसी व्यक्ति को इंगित नहीं किया । आपने जो कुछ भी किया उसे शिरोधार्य करते हुए और आज की कार्यवाही देखते हुए कि सरकार किस तरह निरंकुश और तानाशाही के रास्ते पर चली जा रही है, मैं इससे क्षुब्ध होकर सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र सिंह, सदन का त्याग कर चले गये) ।

(समय 6 बज कर 33 मिनट)

आज सदन की कार्यवाही 6 बजे के बाद चलाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, आप नियम 226 देखने की कृपा करें ।

(व्यवधान)

मान्यवर, नियम 226 के अन्तर्गत मेरा व्यवस्था का प्रश्न आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं बैठूगा नहीं, नियम 226 में आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, नियम 226 यह कार्य मन्त्रणा समिति का एक प्रस्ताव है । इसमें लिखा हुआ है कि सदन को सूचित किये जाने के बाद...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य शान्त रहें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं बहुत नम्रता के साथ आपका ध्यान नियम 226 (2) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, कार्य मंत्रणा का प्रस्ताव जो आता है, तो उसमें दर्ज है कि सदन समिति द्वारा प्रस्तावित समय के बंटवारे को स्वीकार करता है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस कार्य मन्त्रणा समिति का यह संकल्प कि 6 बजे तक सदन चलेगा, तो यह प्रस्ताव उसी प्रकार प्रभावी होगा, जैसे इस सदन का आदेश हो। आज सदन 6 बजे तक चलेगा यह निर्णय, परन्तु 6 बजे के बाद सदन चला कर सदन के आदेश की ही अवहेलना की गयी है। हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, आपके अध्यक्ष पीठ पर आसीन होते हुए भी इस नियमावली की हत्या की जा रही है।

(व्यवधान)

श्री भीखालाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो व्यवस्था का प्रश्न माननीय गुप्त जी ने उठाया है, वही व्यवस्था का प्रश्न मैंने ठीक 6 बजे उठाया था, उस पर आपने कोई निर्णय नहीं दिया और उसके बाद मेरा यह कहना है कि चूंकि कार्य मन्त्रणा समिति ने 6 बजे तक का ही समय निर्धारित किया था उसके बाद आपने अपने अधिकार से भी समय नहीं बढ़ाया न शासन का कोई प्रस्ताव आया कि 6 बजे के बाद समय बढ़ाया जाय। लेकिन सदन की कार्यवाही हुई जो कुछ भी सदन की कार्यवाही हुई वह सब अवैधानिक हुई है। मान्यवर, मुझे बड़ा क्षोभ है कि कार्य-मंत्रणा समिति के निर्णय का सदन में, यदि आपके ही द्वारा सदन का सम्मान नहीं होगा तो सदन कैसे चलेगा। यह मैं आपत्तिजनक समझता हूं और मैं कार्यमंत्रणा समिति की सदस्यता से इस्तीफा देता हूं, मैं इसे आपको लिखकर भेज दूंगा और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन का परित्याग करता हूं।

(श्री भीखा लाल सदन त्याग कर चले गये)

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, आज दो रिकार्ड टूट गये

मान्यवर, मैं यह बड़े गर्व से कहा करता था कि आप जबसे पीठासीन हुए हैं तब से अभी तक एक भी सदस्य को आपने इंगित नहीं किया। परन्तु वह रिकार्ड आज टूट गया। अभी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने भी सदन की कार्यवाही के चलने के बारे में कहा है कि कार्यवाही नियमानुकूल नहीं हुई, तो मुझे प्रसन्नता हुई कि आप बच गये जो रिकार्ड आपका था, वह बरकरार रह गया।

मान्यवर, अभी जो भी सदन मे कार्यवाही हुई जिसमें सबको निकाला गया वह अवैधानिक हुई। अवैधानिक कार्यवाही चलने से सदन की गरिमा घटी है जिसका हमें दुख है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने दल के साथ सदन का परित्याग करता हूं।

(श्री हरी किशन श्रीवास्तव अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन् मुझे बड़ा दुख और खेद है कि सन् 1962 से ले कर आज तक जो दृदय अज सदन के अन्दर हुआ, उसे मैंने देखा। ऐसा दृश्य सदन के अन्दर आज तक मुझे देखने को नहीं मिला। परन्तु मुझे इस बात की ज्यादा तकलीफ है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के प्रस्ताव के मुताबिक आज सदन को कार्यवाही 6 बजे तक चलनी चाहिए थी सदन की कार्यवाही किसी भी तरीके सें चली, इसमें मैं कुछ नहीं कहता, इसको जिम्मेदारी आपके ऊपर है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन—]

परन्तु आगे सदन की कार्यवाही पर जो लोग रिसर्व करेंगे, रिसर्चस्कालर जब रिसर्च करेंगे तो वह आपकी टीका-टिप्पणी करेंगे। मुझे आपकी टीका-टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। जिस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के पास किये हुए प्रस्तावों को, सदन को स्वीकृति मिलेगी, इस तरह से अवहेलना हो, उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रहने से मैं अपनी तौहीन समझता हूं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से मैं अपना इस्तीफा देता हूं। इन शब्दों के साथ मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री रियासत हुसैन सदन का त्याग कर चले गये)

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

माननीय अध्यक्ष जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरह की तानाशाही प्रवृत्ति के आधार पर कार्य मंत्रणा समिति ने जो निर्णय लिया था उसको उन्होंने अपना तानाशाही प्रवृत्ति से कुचल दिया है। दुख तो यह है कि आपके होते हुए भी यह सारी बातें यहां चलती रहीं। इन शब्दों के साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि मैं कार्यमंत्रणा समिति की सदस्यता से त्याग करता हूं और साथ ही सदन का भी त्याग कर रहा हूं।

(श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

सदन के निर्णय की अवज्ञा की गई है। इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

एक व्यवस्था का प्रश्न माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने उठाया। माननीय भीखा लाल तथा और भी माननीय सदस्यों ने उस प्रश्न को उठाया कि जब 6 बज चुके हैं, समय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। कार्य-मंत्रणा समिति का कोई निर्णय था, उससे आगे कार्यवाही क्यों हो रही है। मैं इसके सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति ने जो निर्णय लिया था लिखित रूप में आपके सामने है, वही प्रस्ताव पास हुआ था। कार्य मंत्रणा समिति ने हर विषय पर समय आवंटन किया था कि कौन विषय कितनी देर तक चलेगा यह नहीं निर्धारित किया था कि सदन कब तक चलेगा। यह लिखित रूप में है और वही सदन ने पास किया था। नियम 14 में यह है कि जब तक सदन की कार्य सूची का कार्य समाप्त नहीं हो जायेगा और अध्यक्ष यहां रहते हैं तो वह कार्यवाही बराबर चलती रहेगी। सदन की कार्यसूची समाप्त नहीं हुई है, मैं यहां पीठासीन अधिकारी की हैसियत से बैठा हूं इसलिए कोई अनियमितता नहीं हुई है। कार्यवाही पूर्णतया नियमित है और नियमित रूप से सदन चल रहा है।

(समय 6 बजकर 42 मिनट)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एन्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) विधेयक, 1981 †

जनस्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एन्ड एसोसिएटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राम आसरे वर्मा, श्री खंडल बशर, श्री धम्मन सिंह, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री तथा श्री धरमपाल के नाम पुकारे जाने तथा उसके अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एन्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 2 से 13, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एन्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) विधेयक, 1981

राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सा महाविद्यालयों तथा उनके सहयुक्त चिकित्सालयों के एकीकृत प्रतिरूप आधार पर अनुरक्षण तथा विकास को, अन्य बातों के अतिरिक्त, सुनिश्चित करने की दृष्टि से जन साधारण के हित में किंग जार्ज मेडिकल कालेज, और गांधी मेमोरियल एन्ड एसोसियेटेड हास्पिटल, लखनऊ का नियंत्रण और प्रबन्ध लखनऊ विश्वविद्यालय से राज्य सरकार को पुन: अन्तरित करने के लिए और उक्त कालेज और चिकित्सालय से सम्बन्धित सम्पत्ति को ग्रहण करने के लिए और उनसे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) अधिनियम, 1981 कहा जायगा ।

(2) यह 18 जुलाई, 1981 से प्रवृत्त समझा जायगा ।

परिभाषायें

2--इस अधिनियम में--

(क) "नियत दिनांक" का तात्पर्य इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से है;

(ख) "किंग जार्ज मेडिकल" के अन्तर्गत ऐसे सभी औषधालय, व्याख्यान-कक्ष, संग्रहालय, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, और बोर्डिंग हाऊस भी हैं जिनका प्रयोग उक्त कालेज के सम्बन्ध में या उसके उपसाधन के या सहायक के रूप में किया जाता है;

---

†दिनांक 16 सितम्बर, 1981 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

(ग) "गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल" का तात्पर्य गांधी मेमोरियल हास्पिटल, क्वीन मेरी हास्पिटल, कस्तूरबा क्लीनिक एण्ड हास्पिटल (क्षय रोग), बाल चिकित्सालय, दन्त चिकित्सा विज्ञान संकाय से सम्बद्ध चिकित्सालय, कुष्ठ रोग चिकित्सालय और रक्त बैंक से है, और इसके अन्तर्गत ऐसे सभी चिकित्सालय, औषधालय, प्रयोगशालायें भी हैं जो पूर्वोक्त किसी चिकित्सालय और रक्त बैंक से सम्बद्ध या उसके सहायक के रूप में हों;

(घ) "संस्था" का तात्पर्य किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल से है;

(ङ) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य लखनऊ विश्वविद्यालय से है; और

(च) "राज्य सरकार" के बारे में निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि इसके अन्तर्गत संयुक्त प्रान्त की सरकार को निर्देश भी हैं ।

सरकार द्वारा संस्था को ग्रहण करना और परिणामगत उपबन्ध

3--नियत दिनांक को और उसी दिनांक से--

(क) ऐसी संस्थाओं का नियंत्रण और प्रबन्ध जो दिनांक 1 मार्च, 1921 से कार्यपालक आदेश द्वारा राज्य सरकार से विश्वविद्यालय को अन्तरित किया गया था, उससे सम्बन्धित समस्त ऐसी सम्पत्ति और आस्तियों के, जो उक्त अन्तरण के समय विद्यमान थीं, नियंत्रण और प्रबन्ध सहित विश्वविद्यालय से राज्य सरकार को पुनः अन्तरित और उसमें निहित हो जायगा;

(ख) संस्था की समस्त सम्पत्तियां और आस्तियां चाहे उन्हें राज्य सरकार के सहायक अनुदान से या अन्य प्रकार से अर्जित या सृजित किया गया हो (जिसके अन्तर्गत संस्था के नाम में या उनके लेखे में विश्वविद्यालय द्वारा धृत कोई नकद धनराशि भी है चाहे वह किसी बैंक में या अन्य प्रकार से जमा हो) विश्वविद्यालय से राज्य सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो जायेंगी;

(ग) धारा 5 में जैसा उपबन्धित है, उसके सिवाय विश्वविद्यालय के समस्त अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार, कर्त्तव्य, ऋण, दायित्व और आभार, जो किसी संस्था के कार्यकलाप के सम्बन्ध में संविदात्मक या अन्य प्रकार से उत्पन्न या प्रोद्भूत या उपगत हों, राज्य सरकार को अन्तरित हो जायेंगे;

(घ) किसी ऐसे इच्छा-पत्र, विलेख या अन्य दस्तावेज में, चाहे उसे नियत दिनांक के पूर्व या पश्चात् तैयार या निष्पादित किया गया हो, जिसमें किसी संस्था के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय के पक्ष में कोई वसीयत, दान, विन्यास या न्यास

अन्तर्विष्ट हो, समस्त निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा मानो उसमें विश्वविद्यालय के स्थान पर राज्य सरकार का नाम लिखा गया हो ।

4--इस अधिनियम के आधार पर राज्य सरकार को अन्तरित सम्पत्ति, आस्तियों और अधिकारों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिये किया जाता रहेगा, जिनके लिए नियत दिनांक के ठीक पूर्व उनका उपयोग किया जाता रहा है या जिनके लिए उपयोग किया जाना आशयित है ।

5--धारा 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए,--

(क) विश्वविद्यालय का प्रत्येक पूर्ण कालिक अधिकारी (जिसके अन्तर्गत अध्यापक भी है) या अन्य सेवक जो किसी संस्था के कार्य-कलाप के सम्बन्ध में सम्यक् रूप से सेवायोजित हो और नियत दिनांक के ठीक पूर्व इस रूप में संस्था में सेवरत हो, जब तक कि वह नियत दिनांक से 90 दिन के भीतर राज्य सरकार को लिखित रूप में अपने इस आशय की नोटिस न दे कि वह राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं होना चाहता है, राज्य सरकार का अधिकारी या अन्य सेवक हो जायगा और उसी अवधि के लिए और उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर और सेवा निवृत्ति लाभ या अन्य विषय के साथ अपना पद धारण करेगा जिस पर वह विश्वविद्यालय के अधीन धारण करता यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता और वह इस प्रकार बना रहेगा जब तक कि राज्य सरकार के अधीन उसका सेवायोजन सम्यक् रूप से समाप्त न कर दिया जाय या जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उन निबन्धनों और शर्तों में सम्यक् रूप से परिवर्तन न कर दिया जाय;

(ख) नियत दिनांक के ठीक पूर्व किसी संस्था के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवायोजित विश्वविद्यालय का प्रत्येक अन्य अधिकारी (जिसके अन्तर्गत अध्यापक भी है) या अन्य सेवक यदि राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त पाया जाय, तो जब तक कि वह राज्य सरकार को लिखित रूप में अपने इस आशय की लिखित नोटिस न दे कि वह राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं होना चाहता है, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसा राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, सरकारी सेवा में अनन्तिम या अंतिम रूप से आमेलित किया जा सकता है, और तत्पश्चात् वह उन निबंधनों पर राज्य सरकार का अधिकारी या अन्य सेवक हो जायगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उसका सेवायोजन सम्यक् रूप से समाप्त न कर दिया जाय या जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उन निबन्धनों और शर्तों में सम्यक् रूप से परिवर्तन न कर दिया

जाय, और अन्य व्यक्तियों की सेवायें ऐसी रीति से और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के आदेश से, जिसे राज्य सरकार उस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, समाप्त हो जायेंगी ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद "राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तन करना" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके या अन्य प्रकार से, यथास्थिति, राज्य सरकार या राज्य विधान मन्डल द्वारा परिवर्तन करने से है ।

सेवा सम्बन्धी व्यावृत्ति

6--(1) प्रत्येक अधिकारी या अन्य सेवक को जिसकी सेवायें धारा 5 के अधीन राज्य सरकार को अन्तरित की जाती हैं, इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, किसी अन्य चिकित्सा महाविद्यालय या यथास्थिति, राज्य सरकार के नियंत्रण और प्रबन्ध में किसी चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध किसी चिकित्सालय में स्थानान्तरित और नियुक्त किया जा सकेगा।

(2) धारा 5 की कोई बात किसी ऐसे सरकारी सेवक पर जिसकी सेवायें नियत दिनांक के ठीक पूर्व राज्य सरकार से विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर रही हों, लागू नहीं समझी जायेंगी ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी,--

(क) धारा 5 के अधीन विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी की सेवाओं के अन्तरण या उक्त धारा में निर्दिष्ट उसके नोटिस के परिणामस्वरूप या, यथास्थिति सरकारी सेवा में उसके आमेलित न किये जाने के परिणामस्वरूप उसकी सेवाओं की समाप्ति से ऐसा कर्मचारी किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, और

(ख) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई दावा ग्रहण नहीं किया जायगा ।

विश्व-विद्यालय द्वारा प्रतिकर के लिए दावा

7--(1) यदि धारा 3 के उपबन्धों के आधार पर, विश्वविद्यालय अपनी किसी सम्पत्ति, आस्ति, और अधिकार से वंचित होता है तो वह नियत दिनांक से छः मास के भीतर ऐसी सम्पत्ति, आस्ति और अधिकार का ब्योरा देते हुए, राज्य सरकार से दावा कर सकता है जिसमें प्रत्येक मद का ब्योरा और उसके अर्जन की रीति, अर्जन के दिनांक को उसका मूल्य, निधि जिससे उसका अर्जन किया गया, नियत दिनांक को उसका बाजार मूल्य और अन्य संगत विवरण उल्लिखित किये जायेंगे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई दावा प्राप्त होने पर राज्य सरकार एतद्पश्चात् दी गयी रीति से कार्यवाही करेगी, अर्थात्--

(क) यदि राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुसूची में विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी सम्पत्ति, आस्तियों

और अधिकारों के, जिनके लिए प्रतिकर देय है, ब्योरे के सम्बन्ध में और उनके लिए देय प्रतिकर की धनराशि के सम्बन्ध में सहमत है तो राज्य सरकार इस प्रकार अवधारित प्रतिकर का भुगतान करेगी;

(ख) जहां राज्य सरकार और विश्वविद्यालय खंड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय के सम्बन्ध में असहमत हो, वहां राज्य सरकार उस दिनांक से, जब दावा प्रस्तुत किया जाय, एक वर्ष की अवधि के भीतर विवादग्रस्त मामले को अनुसूची में विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों के अनुसार विनिश्चत के लिए अधिकरण को निर्दिष्ट करेगी ।

(ग) जहां राज्य सरकार खंड (ख) में विनिर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा दावा की गई धनराशि का भुगतान करने में विफल रहे या जहां राज्य सरकार विवादग्रस्त मामले की उक्त अवधि के भीतर अधिकरण को निर्दिष्ट करने में विफल रहे, वहां विश्वविद्यालय अगले छः मास की अवधि के भीतर ऐसा मामला अधिकरण को निर्दिष्ट कर सकता है ।

(3) उपधारा (2) के खंड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट अधिकरण राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा जिसमें एक सदस्य होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो या होने के लिए अर्ह हो, और उसे निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी, अर्थात्— अधिनियम संख्या 5, सन् 1908

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे हाजिर होने के लिए बाध्य करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) स्थानीय निरीक्षण करना और साक्षियों या दस्तावेजों का परीक्षण करने या स्थानीय अन्वेषण करने के लिए कमीशन जारी करना;

(ङ) ऐसे अन्य विषय जो विहित किए जायें ।

(4) अधिकरण को अपनी प्रक्रिया विनियमित करने और अपनी क्षमता के अन्तर्गत समस्त विषयों को विनिश्चित करने की शक्ति होगी और अभिलेख में कोई त्रुटि होने की दशा में वह अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन या उसमें किसी गणित सम्बन्धी या लिपिकीय गलती को ठीक कर सकता है किन्तु उसके अधीन रहते हुए, अधिकरण का अपनी अधिकारिता के भीतर किसी विषय पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

(5) उपर्युक्त प्रकार से अवधारण कर दिए जाने पर प्रतिकर की धनराशि का, यदि कोई हो, भुगतान राज्य सरकार के विवेकानुसार या तो नकद या दस से अनधिक समान वार्षिक किस्तों में विश्वविद्यालय को किया जायगा और उक्त धनराशि या किसी समय बकाया धनराशि पर नियत दिनांक से छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज दिया जायगा ।

इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किए गए कार्य का संरक्षण

8—राज्य सरकार या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में, जो इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भाव से किया गया हो या किए जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज घटक महाविद्यालय होगा

9—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 और उसके अधीन बनाई गई परिनियम वलो में किसी बात के होते हुए भी,—

(1) किंग जार्ज मेडिकल कालेज, नियत दिनांक से, विश्वविद्यालय का एक घटक महाविद्यालय हो जायगा और उसका अनुरक्षण राज्य सरकार द्वारा किया जायगा,

(2) यदि उक्त अधिनियम के अधीन गठित किसी चयन समिति द्वारा या अन्य प्रकार से किसी अधिकारी (जिसके अन्तर्गत अध्यापक या अन्य सेवक भी हैं) का कोई चयन किया गया हो, किन्तु उसके अनुसरण में नियत दिनांक तक कोई नियुक्ति न की गई हो, तो ऐसा चयन विखंडित हो जायगा, और राज्य सरकार या अन्य सक्षम प्राधिकारी सम्बद्ध पद पर लागू नियमों या आदेशों के अनुसार नई भर्ती करने के लिए स्वतन्त्र होगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा-संशोधित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 31 का संशोधन

10—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में धारा 31 में, उपधारा (13) निकाल दी जायगी ।

11—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों से अविरोधी ऐसे आदेश, और जो उसे कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो, दे सकती है : कठिनाई को दूर करना

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश नियत दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मंडल के दोनों सदन के समक्ष रखा जायगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी, या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था ।

12—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है । नियम बनाने की शक्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10, सन् 1981

13—(1) किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एंड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) अध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था ।

अनुसूची

(धारा 7 देखिये)

प्रतिकर अवधारित करने का सिद्धान्त

1—राज्य सरकार की ऐसी सम्पत्ति और आस्तियों को जिनका नियंत्रण और प्रबन्ध राज्य सरकार ने कार्यपालक आदेश द्वारा दिनांक 1 मार्च, 1921 से विश्वविद्यालय को अन्तरित कर दिया था और जो राज्य सरकार में पूर्ववत् निहित है, उस सम्पत्ति में सम्मिलित नहीं किया जायगा जिसके लिए प्रतिकर देय होगा ।

2—धारा 7 के अधीन देय प्रतिकर की राशि पैरा 3 के उपबन्धों के अनुसार आकलित विश्वविद्यालय को नियत दिनांक पर संस्थाओं से सम्बन्धित अन्य सम्पत्तियों, आस्तियों और अधिकारों के मूल्यों के योगफल में से, परा 4 के उपबन्धों के अनुसार आकलित उक्त दिनांक पर संस्थाओं के ऋणों; दायित्वों और आभारों के योगफल को घटाई गई राशि के बराबर होगी ।

3—नियत दिनांक को उक्त बाजार मूल्य का अवधारण निम्नलिखित प्रकार से गणना करके किया जायेगा :—

(एक) भूमि और भवन या उस पर ब्याज के सम्बन्ध में, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 23 और 24 में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुसार;

(दो) ऐसे ऋण की जो विश्वविद्यालय की देय और संस्थाओं से सम्बन्धित हो, चाहे प्रतिभूत या अप्रतिभूत हो, उतनी धनराशि जिसे युक्तियुक्त रूप से वसूल किए जाने योग्य समझा जाय;

(तीन) पूर्ववर्ती किसी खंडों के अन्तर्गत न आने वाली समस्त मूर्त आस्तियों और सम्पत्ति का मूल्य।

4—संस्थाओं के कार्य-कलाप के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा उपगत और नियत दिनांक को विद्यमान दायित्वों और आभार की कुल धनराशि का अवधारण पैरा 3 में निर्धारित सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 13, अनुसूची खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लोकपति त्रिपाठी—

माननीय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एंड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) विधेयक, 1981 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एंड एसोसियेटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) विधेयक, 1981 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 1981

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)—

माननीय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 1981 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री खैरुल बशर का नाम पुकारे जाने तथा अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 1981, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 2 से 3, खंड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 1981

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम, 1962 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) अधिनियम, 1981 कहा जायगा ।

(2) यह 14 अगस्त, 1981 से प्रवृत्त समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1962 की धारा 18 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम, 1962, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, कि धारा 18 में अन्त में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—जहां किसी भवन या उसके भाग या खाली भूमि को इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को आवंटित किया जाना हो, वहां सक्षम प्राधिकारी उसे आवंटिती को ऐसी अवधि के लिए और ऐसे किराये और ऐसी अन्य शर्तों पर जैसी नियत की जायं, पट्टे पर दे सकता है ।"

र प्रदेश
ादेश
या 13,
1981

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) अध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, खंड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 1981, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 1981 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[समय 6 बजकर 45 मिनट]

लोकदल द्वारा चलाये जा रहे सत्याग्रह आन्दोलन के सिलसिले में सत्याग्रहियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 14 सितम्बर, 1981 से लोकदल द्वारा चलाये जा रहे प्रदेश व्यापी आन्दोलन के सिलसिले में दिनांक 17 सितम्बर, 1981 तक प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कुल 11,979 लोकदल सत्याग्रही बन्दी बनाये गये जिन्हें प्रदेश की विभिन्न जेलों में भेजा गया। दिनांक 15 सितम्बर, 1981 को दोपहर में सीतापुर में श्री आफाक अहमद, अध्यक्ष, लोकदल नगर सीतापुर के नेतृत्व में कुल 642 सत्याग्रही बन्दी बनाये गये। जिला कारागार अधीक्षक, सीतापुर की इस सूचना पर कि कारागार सीतापुर में जगह नहीं है, जिलाधिकारी सीतापुर के निर्देश पर सभी 642 बन्दी सत्याग्राहियों को जिला कारागार, सीतापुर के अधिकारियों की निगरानी में नगर स्थित पंजाबी धर्मशाला में 15 सितम्बर, 1981 की रात्रि में रखा गया तथा 16 सितम्बर, 1981 को दोपहर में उन्हें जेल भेजा गया। उक्त सभी बन्दी सत्याग्रहियों को नियमानुसार भोजन आदि दिया गया।

जनपद बांदा में दिनांक 14-15 व 16 सितम्बर, 1981 को क्रमशः बांदा सदर में 5 सत्याग्रहियों को धारा 107/116/151 दं० प्र० सं०, बबेरू में 57 सत्याग्रहियों को धारा 151 दं० प्र० सं० तथा 188 भा० दं० वि० एवं कर्वी में 32 सत्याग्रहियों को धारा 107/116/151 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत अर्थात् कुल 140 सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। दिनांक 15 सितम्बर, 1981 को परगनाधिकारी बबेरू (बांदा) की अदालत पर बन्दी बनाये गये। 57 लोकदल कार्यकर्ताओं को 6 माह की साधारण कैद की सजा देकर वाराणसी जेल भेजा गया।

जनपद बाराबंकी में दिनांक 14 सितम्बर, 1981 को माननीय विधायक श्री यमुना प्रसाद रावत सहित 125 लोकदल कार्यकर्ताओं को धारा 188/186/147 भा० दं० वि० तथा 7 क्रि० ला० ए० ऐक्ट के अन्तर्गत तथा दिनांक 15 सितम्बर, 1981 को 3 कार्यकर्ताओं को अशान्ति फैलाने के अपराध में धारा 151 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। दिनांक 16 सितम्बर, 1981 को श्री राम सागर रावत, सदस्य विधान सभा के नेतृत्व में लोकदल के 12 सत्याग्रहियों

को जिलाधिकारी बाराबंकी के कार्यालय में तोड़फोड़ करने आदि के आरोप में धारा 147/186/427 भा0 दं0 वि0 तथा 7 क्रि0 ला0 ए0 ऐक्ट के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया और उन्हें उसी दिन जिला जेल रायबरेली भेज दिया गया। शेष सत्याग्राहियों को पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग कर तितर-बितर कर दिया गया। दिनांक 16 सितम्बर, 1981 को ही लगभग 4-30 बजे अपराह्न में श्री रामपाल वर्मा के नेतृत्व में लगभग 150 लोकदल कार्यकर्ताओं का एक जलूस कलेक्ट्रेट की ओर आया। तोड़-फोड़ की आशंका को ध्यान में रखते हुए जलूस में सम्मिलित लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आगे बढ़ी और गिरफ्तारी आरम्भ की तो प्रदर्शनकारियों में भगदड़ मच गयी। उस स्थान पर सड़क के दोनों ओर गड्ढे थे और एक तरफ काटे जा रहे पेड़ की टहनियां पड़ी थी। भगदड़ में कुछ व्यक्ति इनमें गिर गये जिससे 3 व्यक्तियों को मामूली चोटें आयी। मौके पर धारा 151 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिनमें उक्त 3 घायल व्यक्ति भी थे जिनकी चिकित्सा करा दी गयी। दिनांक 17 सितम्बर, 1981 को श्रीमती पार्वती देवी, विधायिका, के नेतृत्व में 30 व्यक्तियों का एक जलूस कलेक्ट्रेट प्रांगण में आया। पिछले दिन के प्रदर्शनकारियों की तोड़-फोड़ की कार्यवाही को ध्यान में रखकर पुलिस ने माननीय विधायिका सहित 9 व्यक्तियों को धारा 151 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत बिना कोई बल प्रयोग किए गिरफ्तार कर लिया। अन्य प्रदर्शनकारी भाग गये।

यह कहना सही नहीं है कि माननीय विधायक श्री राम सागर रावत को पुलिस लाइन, बाराबंकी की एक अंधेरी कोठरी में बन्द कर दिया गया था। पुलिस द्वारा उन पर किसी प्रकार का बल प्रयोग किये जाने का आरोप सत्य नहीं है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लोकदल के सत्याग्रहियों के साथ पुलिस द्वारा बर्बरता-पूर्ण व्यवहार किए जाने आदि का आरोप निराधार है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत मेरे समक्ष 7 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। उनमें से श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री भीखा लाल, श्री राम आसरे वर्मा, श्री राजेन्द्र सिंह का है--नेशनल हेराल्ड ग्रुप लखनऊ में दिनांक 6-3-79 में हुई तालाबन्दी को उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल द्वारा गैर कानूनी घोषित किये जाने वाले निर्णय को लागू न किए जाने से व्याप्त असन्तोष।

श्री मसरूर जाफरी, श्री मित्रसेन यादव और श्री खैरुल बसर का है--दिनांक 22 व 23-8-81 को ग्राम बपनापुरा, थाना कोड़िया, जिला गोंडा मे पुलिस द्वारा 5 निरीह मजदूरों की हत्या किए जाने के सम्बन्ध में।

श्री हरिवंश सहाय व श्री नन्दकिशोर सिंह का है--राप्ती रोहिणी नदी की बाढ़ से गोरखपुर, बस्ती व देवरिया में हुई क्षति के सम्बन्ध में।

श्री प्रदीप कुमार यादव का जनपद बस्ती के खलीलाबाद तहसील के अन्तर्गत स्थित इन्दरपुर बांध में दरार पड़ जाने के कारण 125 गांव जलमग्न हो जाने के सम्बन्ध में।

श्री शंकर सिंह, श्री कुबेर भंडारी, श्री फिरंगी प्रसाद, श्री दिवाकर विक्रम सिंह और श्री विजय सिंह राना का है--दिनांक 19-9-81 को नैनी केन्द्रीय

[श्री अध्यक्ष---]

जेल के सुरक्षाकर्मियों ने जेल से छूटे लोकदल सदस्यों पर लाठी चार्ज किए जाने के सम्बन्ध में।

श्री नारेन्द्र सिंह का है---पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा न होने के कारण भयानक सूखे की स्थिति से उत्पन्न असन्तोष।

और 7वीं है, श्री विजय सिंह राना और श्री दिवाकर विक्रम सिंह की---दिनांक 19-9-81 को नैनी जेल से छूटे कर्मचारियों को मारने के सम्बन्ध में।

इनमें से वर्षा व सूखे के प्रश्न पर चर्चा स्वीकृत है, इसलिए उन्हें अस्वीकार किया गया। कार्य-स्थगन के रूप में प्राप्त सभी सूचनाएं अस्वीकृत की गयी हैं।

इनमें से केवल एक सूचना जो श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री भीखा लाल, श्री राम आसरे वर्मा और श्री राजेन्द्र सिंह 'से नेशनल हेराल्ड' के सम्बन्ध में प्राप्त हुई थी उसे केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

नियम 51 के अन्तर्गत दो सूचनायें प्राप्त हुई थीं, उनमें से कोई भी सूचना स्वीकार नहीं की गई है।

अन्नू खेड़ा, जिला एटा में कुख्यात डाकुओं द्वारा एक थानेदार सहित 11 पुलिस कर्मियों तथा अनेक ग्रामीणों की हत्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

कृषि मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह)---

दिनांक 7 अगस्त, 1981 को श्री राजपाल सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना अलीगंज दो उप निरीक्षक, 6 सिपाही तथा 1 सेक्शन पी० ए० सी० (8) पी० ए० सी० गाड़ी व थाना की सरकारी जीप मय ड्राइवर सहित अपराध संख्या 224 धारा 396 भा० दं० वि० की तफतीश के लिए ग्राम सराय अगस्त के लिए रवाना हुये। रवाना होने से पूर्व श्री राजपाल सिंह, प्रभारी निरीक्षक ने हेड मुहर्रिर को हिदायत दी कि उप निरीक्षक सर्वश्री शौकत अली और भगवान सिंह रावत 3 सिपाहियों सहित पी० ए० सी० पोस्ट गोराचाम पहुंचकर वहां पर तैनात पी० ए० सी० को लेकर छविराम गैंग की तलाश व सुरागरसी करें। सराय अगस्त में लगभग 12 बजे दिन थाने से सिपाही हरिदास द्वारा सूचना मिली कि ग्राम परगनापुर में राम प्रकाश के घर में 40-45 की संख्या में छवि-राम गैंग रुका हुआ है। इस सूचना पर निरीक्षक राजपाल सिंह वहां पर उपस्थित पुलिस फोर्स के एक उप निरीक्षक व दो सिपाहियों को सराय अगस्त में अपराध की विवेचना के सम्बन्ध में मौके पर छोड़कर अन्य कर्मचारियों एवं एक लाइसेन्सी डाक्टर राम नाथ, पी० ए० सी० ट्रक व जीप को लेकर परगनापुर के लिए रवाना हुए। ग्राम दहेलियापुर के आगे रास्ता खराब होने के कारण दोनों वाहनों उनके ड्राइवरों व 3 अन्य सिपाहियों को कुछ आग्नेयास्त्र एवं कारतूस उनकी सुरक्षा के लिए छोड़ कर ग्राम नन्दराला पहुंचे। ग्राम नन्दराला के दो अन्य व्यक्तियों को लेकर परगनापुर व नन्दराला के बीच एक ट्यूबवेल पर करीब दो बजे पहुंचे। उक्त स्थान से परगनापुर से 40-45 सशस्त्र डकैत

निकलते दिखाई पड़े । निरीक्षक के निर्देशानुसार पुलिस फोर्स ने पोजिशन ली और डकैतों ने फोर्स पर फायरिंग शुरू कर दी । आत्मरक्षा में पुलिस फोर्स ने बदमाशों पर फायरिंग किया जिससे डकैत नथुआपुर की तरफ चले । पुलिस फोर्स पोजीशन लेते हुए नथुआपुर के बीच डुढिगारा वाली सड़क पर बदमाशों को घेरने पहुंच गई । यहीं पर उप निरीक्षक भगवान सिंह रावत व शौकत अली की पार्टी के दो पी० ए० सी० के सिपाही भी आ गये जिनसे पता चला कि उप निरीक्षक भगवान सिंह रावत व शौकत अली मय पी० ए० सी० के आ रहे हैं । पुलिस फोर्स को वहां पर पहुंचा हुआ देखकर फायर करता हुआ दस्युदल पीछे हटता गया और एक बाग की घेर की आड़ लेकर भारी फायरिंग करने लगा । बाग की आड़ में गैंग दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए निरीक्षक के निर्देशानुसार फोर्स से कुछ सिपाही नथुआपुर में चोखे लाल की अटारी पर चढ़ गये और अटारी पर ही एल० एम० जी० फिट कराकर फायरिंग की जिससे गैंग बाग से ग्राम नगलापरम की ओर हटता गया । निरीक्षक ने 3 सिपाहियों एवं दो लाइसेन्सियों को गैंग की गतिविधियों की देख रेख और आवश्यकतानुसार फायरिंग की हिदायत देकर उसी अटारी पर छोड़ दिया और शेष फोर्स सहित गैंग का पीछा करते हुए उक्त बाग की तरफ गए । पुलिस को आता हुआ देखकर बदमाश ग्राम नगलापरम की ओर चले गए । निरीक्षक पार्टी सहित उक्त बाग को पार किया और आगे जाकर एक दूसरी बाग के दक्षिणी छोर की आड़ ली और 3 सिपाही व एक लाइसेन्सी को बाग के दक्षिण पूरब की ओर पोजिशन लेने का आदेश दिया । उसी समय गैंग फायरिंग करता हुआ निरीक्षक के दल की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया । पुलिस पार्टी ने कुछ आगे बढ़कर फायरिंग किया परन्तु गैंग निरंतर निरीक्षक की ओर बढ़ते हुए देख उन्होंने स्वयं फायरिंग की और फोर्स को भी फायरिंग करने के आदेश दिए । गैंग का कुछ भाग सामने से फायरिंग करता रहा और कुछ भाग डुढियारा के पास होता हुआ पुलिस पार्टी के पूरब और खामोशी से बाग तक आ गया । बदमाशों का कुछ भाग लुकता-छिपता हुआ निरीक्षक की पार्टी के पश्चिम की ओर आ गया । बाग के दक्षिण पूरब की दिशा में पुलिस पार्टी पूरब से आने वाले गिरोह के भाग को नहीं देख पाई इसी बीच गिरोह ने पुलिस पार्टी पर एक बारगी फायरिंग कर दिया जिससे वहां पर लगे हुए पुलिस पार्टी के सभी लोग मारे गए । गिरोह की वह टुकड़ी आड़ लेती हुई खामोशी से बाग की पूर्वी डोल की आड़ में पहुंच गई । निरीक्षक तथा उनकी पार्टी दक्षिणी और पश्चिमी गिरोह की टुकड़ियों पर फायरिंग कर रही थी । इसी बीच गिरोह की पूर्वी टुकड़ी ने उन पर अन्धा-धुन्ध फायरिंग कर दी । तीन ओर से घिर जाने के बावजूद भी निरीक्षक व उनकी पार्टी बदमाशों से मुकाबला करती रही और सायं लगभग साढ़े पांच बजे निरीक्षक सहित सभी सिपाही तथा जनता के तीन व्यक्ति डकैतों द्वारा मार दिए गए।

मुठभेड़ के दौरान घायल सिपाही राकेश कुमार किसी प्रकार से बचकर निकल आया जिसकी रायफल व कारतूस वहीं रह गए । डकैत मृतक व घायल पुलिस जनों व जनता के व्यक्तियों के एक लाइट मशीन गन, 9 राइफलें, 1 रिवाल्वर 2 बारह बोर की एक नली बंदूकें लेकर और अपने तीन मरे व एक घायल साथी को लेकर ग्राम नगलापरम गए जहां तीनों मृतक डकैतों को कंडों के विठौरा में डालकर आग लगा दी और घायल को घोड़े पर लादकर चले गए । सिपाही मेघ सह जो ग्राम नथुआपुर के चोखे लाल की अटारी पर था, द्वारा दी गई उपर्युक्त सूचना के आधार पर थाना अलीगंज पर दिनांक 7-8-81 को अपराध संख्या 25 धारा 147/148/149/302/307/404 भा० दं० वि० का अभियोग पंजी

[श्री भानु प्रताप सिंह—]

कृत हुआ। उक्त अपराध में नामजद 10 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 द0 प्र0 सं0 की कार्यवाही की गई है जिसके फलस्वरूप अब तक एक अभियुक्त ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है ।

उपर्युक्त मुठभेड़ में पुलिस के 9 व जनता के 3 व्यक्ति वीरगति को प्राप्त हुए तथा पुलिस का एक सिपाही घायल हुआ। यह भी ज्ञात हुआ है कि उप निरीक्षक श्री भगवान सिंह रावत व श्री शौकत अली घटनास्थल पर पहुंच गये थे और उन्होंने पी0 ए0 सी0 को डकैतों से मुठभेड़ करने से रोक दिया था। इस मुठभेड़ में कायरता दिखाने के सम्बन्ध में उन्हें निलम्बित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध थाना अलीगंज के रोजनामचा आम में झूठा तसकरा करने के सम्बन्ध में दिनांक 29-8-81 को अपराध सं0 251 धारा 218 भा0 दं0 वि0 तथा 29 पुलिस ऐक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

बहराइच जिले के कैसरगंज थाने की पुलिस द्वारा लोक दल के कार्यकर्ताओं की पिटाई किए जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

कृषि मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह—)

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 28-8-81 की रात्रि में थानाध्यक्ष कैसरगंज के नेतृत्व में पुलिस ने छिद्दन उर्फ पहलवान नामक एक डकैत को मार गिराया। इस मुठभेड़ के सम्बन्ध में थाना केसरगंज में मुकदमा अपराध संख्या 185/81 धारा 399/402/307 भारतीय दन्ड विधान व 25 शस्त्र अधिनियम का एक अभियोग पंजीकृत होकर विवेचनाधीन है। दिनांक 29-8-81 को जिला लोक दल के महा मन्त्री श्री राम तेज यादव एडवोकेट ने लगभग 4-30 बजे इस मुठभेड़ के सम्बन्ध में अफवाह फैलानी शुरू की कि पुलिस ने छिद्दन को मुठभेड़ में नहीं बल्कि पकड़ कर मारा है। उन्होंने लाउड स्पीकर पर पुलिस तथा एक वर्ग विशेष को गालियां देना शुरू किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम सिंह की सूचना पर श्री राम तेज यादव एवं 5 अन्य के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 188/81 अन्तर्गत धारा 153/124 भारतीय दण्ड विधान अंकित किया गया है। अभियोग विवेचनाधीन है ।

दिनांक 30-8-81 को श्रीराम तेज यादव ने पुनः अपने साथियों सहित उक्त घटना को लेकर कैसरगंज में अशांन्ति फैलाने का प्रयास किया। लगभग 12.30 बजे दिन में श्री राम तेज यादव एवं अन्य ने श्री नौरंगी प्रसाद के भोजनालय कैसरगंज में गाली गलौज व दुकानदार से मारपीट की। इस सम्बन्ध में मुकदमा अपराध संख्या 189/81 धारा 147/323/307 भारतीय दण्ड विधान का अभियोग राम तेज यादव एवं 5 अन्य के विरुद्ध श्री नौरंगी प्रसाद की सूचना पर अंकित हुआ जिसमें विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र संख्या 113, दिनांक 31-8-81 प्रेषित कर अभियुक्तों का चालान न्यायालय किया जा चुका है ।

तत्पश्चात उपरोक्त व्यक्तियों ने श्री राम जानकी मन्दिर कैसरगंज में जहां पूजा चल रही थी, जाकर जन सभा करनी चाही। पुजारी के मना करने पर वहां भी अभद्रता की। पुजारी की सूचना पर अपराध संख्या 190 अन्तर्गत धारा 295(क)/296 भारतीय दण्ड विधान का अभियोग पंजीकृत किया गया

जिसकी विवेचना हो रही है। सर्व श्री राम तेज यादव, उमेश पाठक, शैलेन्द्र सिंह, प्रताप नारायन वर्मा एवं एम0 एस0 एस0 अव्वासी को दिनांक 31-8-81 को न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां प्रस्तुत किया गया जहां से उन्हें जमानत पर रिहा किया गया। सर्वश्री राम तेज यादव, शैलेन्द्र सिंह, उमेश पाठक एवं प्रताप नारायन वर्मा ने दिनांक 31-8-81 को शाम को स्वयं अपने चोटों का डाक्टरी परीक्षण सदर अस्पताल में कराया। जब उन्हें बन्दी बनाया गया था तो उन्होंने डाक्टरी कराने से इन्कार किया।

अब तक की जांच से यह कहना सही नहीं है कि थानाध्यक्ष कैसरगंज अपने सहयोगियों के साथ लोकदल के कार्यकर्ताओं की बैठक में घुसे और बुरी तरह मारा पीटा।

छिद्दन उर्फ पहलवान की मृत्यु की मैजिस्टोरियल जांच तथा लोक दल कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की घटना के सम्बन्ध में जांच करने हेतु एस0 डी0 एम0 कैसरगंज को आदेश दे दिये गये हैं।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश भी दिनांक 17-8-81 को दे दिये गये हैं।

[समय 7 बजकर 7 मिनट]

भूतपूर्व मंत्री श्री प्रभु नारायण सिंह के पुत्र श्री अरविन्द सिंह के ऊपर हुए प्राण घातक हमले के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

दिनांक 1 मई, 1981 को थाना कोतवाली वाराणसी में सूचना प्राप्त हुई कि लगभग 9·30 बजे रात में काशीपुरा चौराहे पर दो व्यक्तियों ने श्री अरविन्द सिंह पर गोलियां चलाई जिससे श्री अरविन्द सिंह घायल हो गये। बम फेंकते हुए बदमाश भाग गये। इस सूचना के आधार पर उक्त थाने में एक अभियोग अन्तर्गत धारा 307 भा0 द0 वि0 व 5 एक्सप्लोसिव ऐक्ट दो व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। प्रथम सूचना में नामांकित दोनों अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया जिन्हें न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त किया गया। विवेचना से 6 अभियुक्त प्रकाश में आये जिनमें से तीन ने आत्मसमर्पण किया व एक की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार इस अभियुक्त को न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया गया तथा शेष जेल में हैं। दो अभियुक्त जिनकी गिरफ्तारी शेष है, के विरुद्ध धारा 82/83 दं0 प्र0 सं0 की कार्यवाही की जा चुकी है।

उक्त घटना के पश्चात् श्री अरविन्द सिंह व उनके परिवार वालों की सुरक्षा के लिये उनके निवास स्थान पर एक सशस्त्र गार्ड नियुक्त है।

श्री अरविन्द सिंह पर किये गए प्राणघातक हमले की घटना व पुलिस की सांठ-गांठ से जुआ होने के आरोप की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सुपुर्द की जा चुकी है।

श्री कैलाश टण्डन--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो गोली वहां पर चली उसका क्या कारण था ? इस बारे में आप कुछ प्रकाश डाल सकेंगे ? यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मामला है । मैंने इस सम्बन्ध में शिकायत भी की थी।

श्री अध्यक्ष--

आप इस सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण चाहते हों तो पूछ लें । आपने गोली चलने का कारण पूछा तो उसका जवाब सुन लें ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, दो गैंग थे, उनमें आपस में वैमनस्यता थी, इसी कारण गोली चली ।

सदन द्वारा पारित श्री राम बक्स वर्मा के निलम्बन के प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदन के समक्ष अभी नेता विरोधी दल ने एक प्रश्न उठाया था कि जो श्री राम बक्स वर्मा को निलम्बित करने का प्रस्ताव हुआ था, तो माननीय राम बक्स वर्मा नाम का कोई सदस्य नहीं है । यह सत्य है । जो यहां व्यवधान उपस्थित हुआ था, किस तरह से भ्रम फैला था उसी भ्रम में यह हुआ था तो अगर सदन की आज्ञा हो तो वह प्रस्ताव जो उपस्थित व स्वीकृत किया गया था उसे निरस्त कर दिया जाय । तो प्रश्न यह है कि श्री राम बक्स वर्मा के निलंबन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पारित किया गया था, उसे निरस्त कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं कल दिनांक 22-9-81 को 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 2 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
21 सितम्बर, 1981

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 883 पर ।)

दोहरे भुगतान का धन प्राप्त होने का विवरण

प्राप्ति की रकम	चेक संख्या	दिनांक
4,00,000.00	020302	18-6-79
1,13,240.00	020303	19-6-79
2,26,044.00	906596	29-9-79
1,50,611.90	समायोजन के द्वारा	29-9-79
3,61,152.41	905602	27-9-79
7,28,900.10	906603	5-10-79
3,15,274.88	समायोजन के द्वारा	5-10-79
64,584.00	853468	4-12-79
23,59,807.29		

नत्थी 'ख'

[देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 22 का उत्तर पीछे पृष्ठ 897 पर ।]

अतारांकित

प्रश्न सं0 22 का संलग्नक

गेहूं वितरण (छूट पर) को सूची, कृषि बीज भण्डार–ककवन विकास खंड, ककवन, जनपद कानपुर ।

क्रमांक	कृषक का नाम	पिता का नाम	गांव का नाम	सूची का नम्बर	दी गई गेहूं की मात्रा कुन्तल में	मूल्य रुपयों में	छूट रुपयों में	रसीद नम्बर व दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सर्वश्री—		सर्वश्री—						
1	महाराज सिंह	जोधा सिंह	मुनांवापुर	105	1–00	200–00	66–66	26/54 78, 17–12–80
2	शिवरतन	शिवबालक	औरंगापुरमहदेवा	106	0–80	160–00	53–33	तदैव
3	जगवीर सिंह	गेंदनलाल	आराजी इसेपुर	142	0–80	160–00	53–33	तदैव
4	राजकिशोर	रामनारायण	आराजी इसेपुर	87	1–20	240–00	80–00	तदैव
5	भगवानदीन	कुन्जी	आराजी इसेपुर	64	1–20	240–00	80–00	तदैव
6	गोकरन	राघव	आराजी इसेपुर	11	1–20	240–00	80–00	तदैव
7	लाला	चुन्नी	आराजी इसेपुर	103	1–20	240–00	80–00	तदैव
8	अमरनाथ सिंह	रामचरन	आराजी इसेपुर	3	1–20	240–00	80–00	तदैव
9	रामरतन	जालीराम	तिरती	340	0–80	160–00	53–33	तदैव

10	श्रीमती कुंवर	पुत्री–शिवबालक	औरंगपुरमहदेवा	13	0–40	80–00	26–00	तदैव
11	गया प्रसाद	दरयू (हरिजन)	तदैव	146	1–20	240–00	80–00	तदैव
12	श्याम लाल	कन्हई	थानहमीरपुर	232	0–60	120–00	40–00	तदैव
13	घसीटे	नथुआ	थानहमीरपुर	23	0–60	120–00	40–00	तदैव
14	रामरेखा	रामसहाय	मकरन्दपुर	127	0–80	160–00	53–33	तदैव
15	रामचरन	बेच्चा	मकरन्दपुर	72	1–00	200–00	66–66	तदैव
16	रामऔतार	गेंदनलाल	आराजी इसेपुर	140	0–60	135–00	45–00	वर 225 प्र0 क्वि0 17–12–80
17	राजकुमारी	शम्भूदयाल	आराजी इसेपुर	80	0–40	90–00	30–00	तदैव
18	भवई	मोहन	बछना	186	0–60	135–00	45–00	तदैव
19	देवकी नन्दन	राधाचरन	बरठिरा	191	1–40	315–00	105–00	तदैव
20	कन्हैया लाल	रामस्वरूप	इटैली	12	1–40	315–00	105–00	तदैव
					18–40			

उपरोक्त कृषकों को गेहूं का बीज छूट पर (33–1/3 प्रतिशत) पर वितरित किया गया ।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 43 का उत्तर पीछे पृष्ठ 902 पर ।)

वर्तमान समय में निगम में निम्नांकित कर्मचारी सहायक स्टोर कीपर के पद पर कार्य कर रहे हैं । इनकी सेवावधि, वेतनमान एवं श्रेणी का ब्योरा उनके नाम के सम्मुख अंकित है :—

नाम	योगदान की तिथि	मौजूदा वेतनमान	वेतन	श्रेणी
1—श्री सुरेन्द्र देव दीक्षित	16-12-68	250-425	700-90	तृतीय
2—श्री अजीमुर्रहमान	15-3-77	230-380	531-60	तृतीय
3—श्री राजाराम	2-1-75	175-250	439-50	चतुर्थ
	2-9-79	250-425		तृतीय

उपरोक्त क्रमांक (1) कृषि वर्कशाप, ताल कटोरा कार्यालय में कार्यरत है ।
उपरोक्त क्रमांक (2) पशु आहार फैक्ट्री, मुरादाबाद कार्यालय में कार्यरत हैं ।
उपरोक्त क्रमांक (3) स्पेयर पार्ट्स स्टोर्स, तालकटोरा कार्यालय पर कार्यरत है ।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 44 का उत्तर पीछे पृष्ठ 903 पर)

परिशिष्ट—2

क्रम सं0	विभाग	योजना का विवरण	पूर्ण	प्रगति
1	2	3	4	5
1—पचपेड़वा	पी0 डब्लू0 डी0	1—पचपेड़वा—उतरौला मार्ग 2.5 कि0 मी0	..	प्रगति
	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	2—चन्दनपुर पचपेड़वा से गुरुचिहवा सोलिंग एवं पुलिया	..	प्रगति
	वन विभाग	3—मोमर रेंज में प्लान्टे- शन 400 खैन सुरक्षा खाई	पूर्ण	..
	पंचायत राज	4—साखादेई में खंडजा कि0 मी0	1 ..	प्रगति
	योग :—4			
2—गौसड़ो	पी0 डब्लू0 डी0	1—गौसड़ो धोवहा मार्ग 2.5 कि0 मी0	..	प्रगति
	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	2—नचौरा जहंदरिया मार्ग 1.00 कि0 मी0 एवं पुलिया	पूर्ण	..
	ग्रामीण विकास विभाग	3—रहमरता मार्ग 1.00 कि0 मी0	पूर्ण	..
	वन विभाग	4—सूरत सिंह डीह सिसहना मार्ग 0.50	पूर्ण	..
	वन विभाग	5—खरहना रेंज से प्लान्टे- शन	पूर्ण	..
	योग :—5			

1	2	3	4	5
3—बलरामपुर	पी0 डब्लू0 डी0	1—बेलहा—गौरा मार्ग 2.5 कि0 मी0	..	प्रगति
	गन्ना विकास	2—सिसई—गैजहवा 2.00 कि0 मी0	..	..
	गन्ना विकास	3—नारायणपुर—रतनपुर 1·25 कि0 मी0	..	प्रगति
		4—कोईलरा बैजपुर 0.75 कि0 मी0	..	प्रगति
		5—खागई जोत 0.50 कि0 मी0	पूर्ण	..
	ग्रामीण अभियन्ता सेवा	6—सावर से लिलवा लौका—हवाडीह	..	..
	पंचायत राज	7—	..	..

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 55 का उत्तर पीछे पृष्ठ 967 पर)

रूप-पत्र

वर्ष 1980-81 में पेयजल कूपों का विवरण जिनमें सफाई व मरम्मत कार्य कराया गया, विकास खंड बड़ोखर खुर्द (तहसील व जिला बांदा)

क्रम-सं0	न्याय पंचायत का नाम	गांवसभा का नाम	संख्या सूख कूपों की जिनमें सफाई व मरम्मत कार्य कराया गया
1	2	3	4
1	बड़ोखर खुर्द	बड़ोखर खुर्द	4
		पल्हरी	2
		लडाका पुरवा	3
		भवानी पुरवा	3
		गुरंह	6
2	तिन्दवारा	तिन्दवारा	7
		जमुनी पुरवा	4
		पन्छा	5
		हठेटी पुरवा	2
		पडुई	2
3	करवई	करवई	1
4	गोखरही	गोखरही	8
		पचनेही	7
		महुई	4
		बरगहली	2
		लामा	2
5	करवई	करवई	1

1	2	3	4
5	करवई	छनेहरा	7
		कतराबल	4
		कुरौली	4
		डिगवाही	5
		भरखरी	2
		कुलकुहारी	3
		रेउना	1
		हथोबरा	3
		बिलबई	3
		मौदहा	3
6	जारी	जारी	6
		चिल्ली	5
		महोखर	2
		ददरिया	3
		सेमुरा	1
		दाहा	3
		बडहा	1
		फतपुरवा	3
		जारी	5
7	लुकतरा	लुकतरा	3
		कनबारा	14
		चहितारा	3
		चकचकगन	1
		चटगन	1
		मावई बुजुर्ग	3
		पिपरी	2
		छहरांव	6

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
		पथरी	2
		पचुल्ला	1
8	मोहनपुरवा	मोहनपुरवा	3
		अछरोड़	2
		मरौली	3
		उजरेहटा	1
		भूरागढ़	3
		त्रिवेनी	1
		गोयरा मुगली	3
		खेराडा	1
9	मटोध रुरल	मटोध रुरल	8
		बसहरी	2
		दुरैडी	3
		इटवा	2
		जखौरा	3
		चमरहा	3
		करछा	1

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा बांदा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले बबेरू विकास खंड के ग्रामों की सूची व पेय जल कूपों की सफाई का विवरण :--

क्रम-सं0	बांदा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों का नाम	कूपों में सफाई किये गये व गांवों का नाम	कूपों की सफाई की गई संख्या
1	बड़ागांव	बड़ागांव	3
2	अलिहा	अलिहा	2
3	मिलाथू	मिलाथू	3
4	निलाथू	..	..
5	शिव	शिव	1
6	पारा बिहारी	पारा बिहारी	2
7	पेण्डा	पेण्डा	1
8	बनसौल	..	..
9	पल्हरी	पल्हरी	2
10	कौरारी	कौरारी	1
11	बेनी मवई	..	..
12	मवई	..	..

रूप–पत्र

वर्ष 1980–81 में पेयजल कूपो का विवरण जिनमें सफाई व मरम्मत कार्य करवाया गया, तहसील नरैनी, जनपद बांदा ।

क्रम–सं0	न्याय पंचायत का नाम	गांव सभा का नाम	कूपों की संख्या
1	2	3	4
1	खुरहन्ड	महुआ	8
		जखनी	3
		परसड़ा बु0	4
		घनसखा	3
		सोता स्योढ़ा	7
		बरसड़ा खुर्द	1
		खुरहन्ड	2
		करगेहना	3
		इटरा	2
		गकरी	1
		छिबांव	2
		बलखेड़ा	2
	अर्जनाह	अजीतपुर	2
		पतौरा	3
		अर्जुनाह	5
		भ गुंसा	1
		तेरा	2
		मसुरी	2
		शिवहद	2

1	2	3	4
3	बिलगांव	बिलगांव	7
		बहौरापुरवा	2
		जमरेही	2
		सहेवां	6
		घुरौड़ा	2
		निजिमतपुरवा	2
		नाई	4
		बुरईयाको	5
		बिगहना	3
		तमुली	4
4	बड़ोखर बुजुर्ग	[बड़ोखर वुख]	4
		मनीपुर	3
		माधौपुर	1
		गोविन्दपुर	1

विधान सभा बांदा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले बिसन्डा विकास खंड के ग्रामों की सूची व पेयजल कूपों के सफाई का विवरण :--

क्रम-संख्या	न्याय पंचायतों के नाम	ग्रामों के नाम	कूपों की संख्या
1	2	3	4
1	बिसन्डा	बिसन्डा	25
		कोनी	1
		पबई	9
		कैरो	12
		लोली टीकामऊ	4
		उमरेहड़ा	1
		घूरो	3
2	चन्द्रायल	पुनाहुर	5
		कुसुमा	5
		खटौरा	2
		पिन्डखर	3
		चन्द्रायल	1
3	चौसड़	तेन्दुरा	5
		नादन मऊ	2
		लमेहटा	3
		गड़ाव	4
4	कोरही	पारा	2
		दुल्हनी	1
		बछौथ	3
		अमवा	2
		कोरही	7

नत्थी 'च'

(देखिये, अतारांकित प्रश्न संख्या 76 का उत्तर पीछे पृष्ठ 914 पर ।)

क्रम-संख्या	प्रक्षेत्र का नाम	प्रक्षेत्र अधीक्षक का नाम	जनपद में कार्य अवधि
1	दरियापुर	श्री लाल जीत सिंह	13-10-80 से
2	हरचन्दपुर	श्री हरि प्रसाद शर्मा	28-9-76 से
3	बीबीपुर	श्री मांगे राम	28-7-77 से
4	परेरा	श्री मो0 तकी	12-8-71 से
5	जमालपु	श्री बलवीर सिंह	17-1-77 से
6	पल्टी खेड़ा	श्री राम नरेश मिश्र	9-11-76 से

नत्थी 'छ'

(देखिये, अतारांकित प्रश्न संख्या 85 का उत्तर पीछे पृष्ठ 917 पर ।)

जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र महराजगंज के अन्तर्गत विकास खंडों में कार्यरत राजकीय बीज भंडारों एवं व्यक्तिगत उर्वरक विक्रेताओं की सूची :

1—राजकीय कृषि बीज भंडार, महराजगंज ।

2— ,, दुवेली ।

3— ,, मिढेरा ।

4— ,, दरहरा ।

5—मेसर्स जयसवाल खाद भंडार, मऊपाकड़ विकास खंड, महराजगंज ।

6— ,, रमन केमिकल, महराजगंज ।

7— ,, अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी, महराजगंज ।

8— ,, मथुरा उर्वरक भंडार, पकड़ी नीनीपर, महराजगंज ।

9— ,, रामकेवल प्रसाद गुप्त, महराजगंज ।

10— ,, मदन गोपाल खाद भंडार, महराजगंज ।

11— ,, हरिश फर्टिलाइजर, पकड़ी नैनिया, महराजगंज ।

12— ,, गोरखपुर ट्रेडिंग कम्पनी, महराजगंज ।

13— ,, बापूलाला महराजगंज ।

14— ,, त्रिलोकी नाथ, खुरहाबाजार, महराजगंज ।

15— ,, कृषि सेवा केन्द्र, महराजगंज ।

16— ,, गोरखपुर सप्लाई एजेन्सी, महराजगंज ।

17— ,, बसंत लाल भिखारी लाल, महराजगंज ।

18— ,, रामवदन, महराजगंज ।

19— ,, राम दुलारे, मिठौरा जनपद ।

20— ,, मदन मोहन पवन कुमार, मिठौरा ।

21— ,, खाद भवन, सिन्दुरिया मिठौरा ।

22— ,, ईश्वरशरन जायसवाल, चौक, बाजार, मिठौरा ।

23— ,, श्री राम खाद भंडार, मिठौरा ।

24— ,, जगदम्बा खाद भंडार, महराजगंज ।

नत्थी 'ज'

(देखिये, अतारांकित प्रश्न संख्या 86 का उत्तर पीछे पृष्ठ 917 पर।)

सेवा में,

माननीय मुख्य मंत्री जी,

उत्तर प्रदेश शासन ।

महोदय,

मैं आपके समक्ष ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में जनता शासन काल में कुछ जनता परस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा की गई गम्भीर अनियमितताओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं तथा आपसे आशा करता हूं कि इन अनियमितताओं की जांच आप मुख्य सचिव द्वारा ही कराने का कष्ट करें, क्योंकि कृषि उत्पादन एवं ग्राम्म विकास विभाग के सर्वोच्च अधिकारी भी इन अनियमितताओं के लिये उतने ही दोषी सिद्ध हो रहे हैं, जितने कि वे छोटे अधिकारी, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये ये अनियमित कार्य किये हैं । ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अनेकों कर्मचारियों ने इन अनियमितताओं के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र उच्च अधिकारियों को दिये हैं, किन्तु सभी कान बन्द करके बैठे हुये हैं । किसी के कान पर अभी तक जूं भी नहीं रेंगी है । प्रदेश का सचिवालय न्याय तथा नियमानुकूल कार्य करने का केन्द्र है, यदि आप जैसे न्याय प्रिय तथा लोक प्रिय मुख्य मंत्री से भी न्याय न मिल सके तो फिर अनियमितता का बोल-बाला ही हो जायेगा, तथा किसी की सुरक्षा न रह सकेगी । आशा है कि सब परिस्थितियों को देखते हुये आप मुख्य सचिव द्वारा ही इस मामले की जांच कराकर इन अनियमितताओं को तत्काल दूर कराने तथा सही तथा ज्येष्ठ कर्मचारियों को उनका हक दिलाने के लिये आदेश देने का कष्ट करेंगे ।

यह अनियमिततायें गम्भीर प्रकृति की हैं, जो इस प्रकार हैं कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में अभी कुछ समय पूर्व वर्ष 1979-80 में सहायक अभियन्ताओं की अधिशासी अभियन्ताओं के पदों पर पदोन्नतियां की गई हैं । इनमें नियमों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया है ।

2—वस्तु स्थिति यह है कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में चार प्रकार के सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं :

(1) 1-1-1977 के पूर्व तदर्थ तथा सीधी भर्ती में नियुक्त सहायक अभियन्ता ।

(2) 1-1-1977 के बाद तदर्थ तथा सीधी भर्ती के नियुक्त सहायक अभियन्ता ।

(3) प्रदेश के दूसरे अभियन्त्रण विभागों के ओवरसीयर (जूनियर इंजीनियर) अथवा उसके समकक्ष पदों पर कार्यरत कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति पर इस सेवा में सहायक अभियन्ता के पदों पर कार्यरत हैं ।

(4) वर्ष 1979 में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा चयनित सहायक अभियन्ता ।

3—इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि शासन ने वर्ष 1978 में यह आदेश जारी किये थे कि 1-1-1977 के पूर्व तदर्थ तथा सीधी भर्ती के नियुक्त सभी कर्मचारियों को तत्काल नियमित कर दिया जाये। इन सहायक अभियन्ताओं को तभी नियमित कर देना चाहिये था लेकिन कुछ स्वार्थी अधिकारियों द्वारा ऐसा नहीं किया गया। नियमानुसार ये सहायक अभियन्ता सबसे ज्येष्ठ होते हैं यदि इनको नियमित कर दिया जाता तो इन अधिकारियों की मनमानी तथा स्वार्थ सिद्धी न हो पाती। इन अधिकारियों ने ऐसा न करके दूसरे अभियन्त्रण विभागों से प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति से आये हुये 5 सहायक अभियन्ताओं तथा 15-16 पदों पर बाद में वर्ष 1979 में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा चयनित सहायक अभियन्ताओं की प्रोन्नतियां अधिशासी अभियन्ता के पदों पर कर दी। जब कि 1-1-79 से पूर्व तदर्थ तथा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की नियमितीकरण के फलस्वरूप सबसे ज्येष्ठ होना चाहिये तथा यह सभी अधिशासी अभियन्ता के पदों पर प्रोन्नतियां इन्हीं में से की जानी चाहिये।

4—इस सम्बन्ध में जानकारी करा देना चाहता हूं कि दूसरे विभागों से प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति पर आने पर उस कर्मचारी का लियन नये विभाग में तब तक नहीं माना जाता है जब तक कि उसका पूर्ण रूप से संविलयन उस नये विभाग में न कर लिया जाय। चूंकि यह लोक सेवा आयोग को परिधि के पद हैं, अतः संविलियन के पूर्व लोक सेवा आयोग इत्यादि को भी कन्सल्ट करने की आवश्यकता होती है। संविलयन तथा शर्तों सहित शासनादेश जारी हो जाने पर ही संविलयन प्रक्रिया पूर्ण होती है। केवल कर्मचारी द्वारा अपनी सहमति देना ही संविलयन नहीं माना जाता है। संविलयन के बाद इन कर्मचारियों को उस नये विभाग में तदर्थ भर्ती के नियुक्त कर्मचारियों की श्रेणी में रखा जाता है, चूंकि सहायक अभियन्ता के पद लोक सेवा आयोग की परिधि के हैं अतः जब तक लोक सेवा आयोग द्वारा इनका इस पद पर चयन नहीं करा लिया जाता है, तब तक इनको किसी प्रकार पदोन्नत नहीं किया जा सकता है।

5—इसके अतिरिक्त नियम यह है कि जिनका चयन लोक सेवा आयोग द्वारा पहले हो जाता है वे ज्येष्ठ होते हैं। अतः 1-1-1977 के पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं के नियमितीकरण के फलस्वरूप वर्ष 1979 में लो सेवा आयोग द्वारा चयनित सहायक अभियंताओं से ज्येष्ठ होते हैं। अतः अधिशासी अभियंता के पदों पर ज्येष्ठ होने के फलस्वरूप पदोन्नति 1-1-1977 से पूर्व तदर्थ भर्ती के सहायक अभियंताओं में से होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में यह भी जानकारी कराना है कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा जो सूची भेजी गई थी, वह ज्येष्ठता सूची भी नहीं थी। जिसे बाद में भेजने के लिए लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने कहा था।

6—किन्तु जनता शासन काल में कुछ जनता परस्त अधिकारियों द्वारा इन नियमों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया गया तथा नियम विरुद्ध दूसरे विभागों से प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति पर आए हुए 5-6 तथा वर्ष 1979 में लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 15-16 सहायक अभियंताओं की पदोन्नतियां अधिशासी अभियन्ता के पदों पर कर दी गई हैं। इससे इस विभाग के समस्त कर्मचारियों में घोर असंतोष व्याप्त है, किन्तु उनको डराया-धमकाया जा रहा है। इन 1-1-1977 के पूर्व कार्यरत सहायक अभियंताओं ने एक रिट पिटीशन भी इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट में दाखिल कर दी है। इन अधिकारियों का कहना है कि हमने जो भी प्रोन्नतियां की हैं वे सभी तदर्थ रूप से की गई है। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है जब कि नियमितीकरण करके ज्येष्ठता सूची बनाना बहुत ही सरल था तो ये तदर्थ

प्रोन्नतियां क्यों की गई। इससे इन अधिकारियों की स्वार्थपरता स्वतः सिद्ध हो जाती है। सचिवालय में भी सर्वोच्च अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान अभी तक नहीं दिया है, इससे स्पष्ट है कि यह सभी अनियमितताये उनकी मिली-जुली भगत का परिणाम है।

मान्यवर आप न्याय प्रिय, नीति कुशल तथा नियमानुकूल कार्य करने वाले नेता रहे हैं। गांधी जी के आप अनन्य भक्तों में से हैं। आप यह अन्याय कभी भी न होने देंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इसकी जांच मुख्य सचिव द्वारा ही सम्पन्न कराने के आदेश देने का कष्ट करेंगे। मुझे आशा है कि मुख्य सचिव इस मामले में न्यायपूर्ण निर्णय लेकर सही तथा ज्येष्ठ सहायक अभियन्ताओं को पदोन्नति दिलाकर अपनी लोक प्रियता को और विकसित करने में कोई कसर न उठा रखेंगे। मामले के निर्णय से मुझे अवगत कराने का कष्ट करेंगे।

साभिवादन सहित।

भवदीय,

(ह0) शम्भू नाथ सिंह,

सदस्य, विधान सभा,

अतरौलिया,

आजमगढ़।

नत्थी 'झ'

(देखिये, अतारांकित प्रश्न संख्या 118 का उत्तर पीछे पृष्ठ 928 पर)

दोहरे भुगतान का धन प्राप्त होने का विवरण

प्राप्ति की रकम	चेक संख्या	दिनांक
4,00,000·00	020302	18-6-79
1,13,240·00	020303	19-6-79
2,26,044·00	906596	29-9-79
1,50,611·90	समायोजन के द्वारा	29-9-79
3,61,152·41	906602	27-9-79
7,28,900·10	906603	5-10-79
3,15,274·88	समायोजन के द्वारा	5-10-79
64,584·00	853468	4-12-79
23,59,807·29		

एल0 सी0 के माध्यम से बैंक द्वारा 25–26 लाख रुपये के दोहरे भुगतान का विवरण

दिनांक	भुगतान की रकम
1—4-2-1978	1,88,188·00
2—6-2-1978	85,540·00
3—6-2-1978	51,324·00
4—13-2-1978	0,17,108·00
5—13-2-1978	85,540·00
6—14-2-1978	68,432·00
7—3-3-1978	17,109·00
8—30-1-1978	43,056·00
9—30-1-1978	64,584·00
10—31-1-1978	43,056·00
11—1-2-1978	21,528·00
12—2-3-1978	53,820·00
13—23-1-1978	1,87,293·60
14—23-1-1978	8,83,724·40
15—11-2-1978	14,924·00
16—14-2-1978	2,95,373·93
17—14-2-1978	33,171·71
18—9-1-1978	1,66,088·52
19—17-2-1978	1,41,451·75
20—17-2-1978	64,584·00
	25,25,895·81

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 143 का उत्तर पीछे पृष्ठ 936 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के प्रथम सोन के लिये निर्धारित श्री राम सिंह रावत द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 143 के सम्बन्ध में सूचना

क्रमांक	खंड का नाम	क्रय किये गये टेन्टों का मूल्य	फर्म/संस्थान का नाम जहां से टेन्ट खरीदे गये
1	अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, खंड प्रथम, लखनऊ	रु0 21,904·05	मेसर्स एशियन टेन्ट कनैलगंज, कानपुर।
2	अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, खंड द्वितीय, लखनऊ	रु0 3,630·00	सेन्ट्रल जेल, फतेहगढ़।
3	अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, खंड तृतीय, अलीगढ़	रु0 3,335·00	पूनम टेन्ट, कानपुर।
4	अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, खंड डी0 पी0 ए0 पी0, लखनऊ	रु0 11,544·00	सेन्ट्रल जेल, फतेहगढ़।
5	अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, खंड कानपुर	रु0 43,307·00	मेसर्स एशियन टेन्ट कनैलगंज, कानपुर।
6	अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, खंड फैजाबाद	रु0 25,515·46	तदेव
7	सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट, भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, खंड प्रथम, लखनऊ	रु0 7,775·00	तदेव
	योग ..	1,17,018·51	